लोक-सभा वाद-विवाद

संक्षिप्त अनूदित संस्करण

SUMMARISED TRANSLATED VERSION
OF
LOK SABHA DEBATES

[छटा सत्र
Sixth Session]

5th Lok Sabha

Preservation Unit
Fumigated
Parliament Library

खंड 20 में अंक 1 से 10 तक हैं
Vol. XX contains Nos. 1 to 10

लोक-सभा सचिवालय
नई दिल्ली
LOK SABHA SECRETARIAT
NEW DELHI

विषय-सूची/CONTENTS

अंक 3, बुधवार, 15 नवम्बर, 1972/24 कार्तिक, 1894 (शक)

No. 3, Wednesday, November 15, 1972/Kartika 24, 1894 (Saka)

विषय	Subject	पृष्ठ/Pages
प्रश्नों के मौखिक उत्तर/ORAL ANSWERS TO QUESTIONS ता० प्र० संख्या S. Q. Nos.		
41. औद्योगिक एककों की अप्रयुक्त क्षमता	Unutilised Capacity of Industrial Units ..	1—4
43. राज्यों को विद्यार्थी आन्दोलन से दृढ़ता एवं संयम के साथ निबटने के अनुदेश	Instructions to States to deal with Students' Agitation with a Judicious Combination of Firmness and Restraint ..	4—8
50. औद्योगिक विकास तथा पूंजी निवेश सम्बन्धी नीति के बारे में टाटा का ज्ञापन	Tatas Memorandum regarding Industrial Development and Investment Policy ..	9—11
51. यूनाइटेड कमर्शियल बैंक के भूतपूर्व कस्टोडियन के विरुद्ध जांच	Investigations against former Custodian of United Commercial Bank ..	11
53. कलकत्ता के बाहरी क्षेत्र में औद्योगिक आधार का निर्माण	Building of infrastructure outside Calcutta	12—14
56. फर्मों को जारी किये गए लाइसेंसों और आशयपत्रों का पुनरीक्षण	Review of Licences and Letters of Intent issued during 1970-71 and 1971-72 ..	14—16
58. दुग्ध संयंत्र का विस्तार	Expansion of Dairy Plant	17—18
59. दिल्ली में गलत टेलीफोन काल	Wrong Telephone calls in Delhi ..	18—20

*किसी नाम पर अंकित यह + चिह्न इस बात का द्योतक है कि प्रश्न को सभा में उस सदस्य ने वास्तव में पूछा था।

*The sign + marked above the name of a Member indicates that the question was actually asked on the floor of the House by that Member.

ता० प्र० संख्या

S. Q. Nos.

42. देश में सी० आई० ए० की गतिविधियों में वृद्धि	Increase in CIA activities in the country	..	20
44. केन्द्रीय जांच ब्यूरो तथा राज्यों के सतर्कता अधिकारियों का संयुक्त सम्मेलन	Joint Conference of CBI and State Vigilance Officers	..	20—21
45. संयुक्त क्षेत्र की परिभाषा	Definition of Joint Sector	..	21
46. वाईस एडमिरल सोमन द्वारा अहमदाबाद स्थित राष्ट्रीय डिजाइन संस्थान के चेयरमैन के विरुद्ध आरोप	Allegation against Chairman of National Institute of Design, Ahmedabad by Vice-Admiral Soman	..	21—22
47. जापान का दौरा करने वाले लघु उद्योग संबंधी दल के प्रतिवेदन पर निर्णय	Decision on the Report of Small Scale Team which visited Japan	..	22—23
48. कंचनपुर थाना, पूर्वी त्रिपुरा में केन्द्रीय रिजर्व पुलिस द्वारा विचाराधीन कैदी का मारा जाना	Undertrial Prisoner killed by CRP Kanchanpur Thana, East Tripura	..	23
49. हिन्दुस्तान मशीन टूल्स बंगलौर में तालाबन्दी	Lock out in HMT Bangalore	..	23—24
52. नेताजी सुभाषचन्द्र बोस का जन्म दिवस मनाना	Celebration of Netaji Subhash Chandra Bose Birthday	..	24
54. समुद्र पार संचार सेवा द्वारा प्रेस के बिल भेजने की नई प्रणाली के विरुद्ध शिकायतें	Complaints against new system of despatching Press cables by Overseas Communication Service	..	24—25
55. घूसखोरी कांड में दिल्ली के अधिकारियों का कथित हाथ	Delhi Officials' alleged hand in Bribery Racket		25—26
57. पांचवीं योजना सम्बन्धी दृष्टिकोण पत्र	Approach Paper on Fifth Plan	..	26
60. लघु उद्योगों सम्बन्धी भट्ट समिति का प्रतिवेदन	Report of Bhatt Committee on Small Scale Industries	..	26—27

अता० प्र० संख्या

U. S. Q. Nos.

401. केन्द्रीय कर्मचारी कक्ष में उपलब्ध फालतू अवर श्रेणी लिपिक	Surplus LDCs available with Central Staff Cell	..	27—28

विषय	Subject		पृष्ठ/Pages
अता० प्र० संख्या **U. S. Q. Nos.**			
402. पश्चिम बंगाल में पाकिस्तानी तथा चीनी शस्त्रों तथा गोला बारूद का पकड़ा जाना	Seizure of Pakistani and Chinese Arms and Ammunitions in West Bengal	..	28
403. आसाम, नागालैंड तथा अरुणाचल प्रदेश में नागाओं का आत्म-समर्पण	Surrender of Nagas in Assam, Nagaland and Arunachal Pradesh	..	28—29
404. केन्द्रीय (फालतू कर्मचारी) सेल के कर्मचारियों का नामांकन	Nomination of Employees to Central (Surplus Staff) Cell	..	29
405. फालतू कर्मचारीवृन्द की पुनर्नियुक्ति	Re-deployment of surplus staff	..	29—30
406. कांग्रेस दल के जलूस में होम गार्ड्स के जवानों द्वारा भाग लिया जाना	Participation of Home Guards Jawans in the Congress Party Procession	..	30
407. दिल्ली के लिये पांचवीं योजना का प्रारूप	Draft Fifth Plan for Delhi	..	30—31
408. पिछड़े क्षेत्रों के विकास के लिये जिला स्तरीय विकास मंडलों की स्थापना	Setting up of District Level Development Boards for Development of Backward Areas	..	31
409. देश में हत्याओं के मामले	Cases of Murders in the country	..	31
410. शान्ति पूर्ण कार्यों के लिये परीक्षणात्मक आणविक विस्फोट	Experimental Nuclear Explosion for Peaceful Purposes	..	31—32
411. जहाजरानी सेवा के लिये परमाणु शक्ति चालित प्रणोदन व्यवस्था	Nuclear power propulsion for Marine Application	..	32
412. बंगलौर में भारतीय अतंरिक्ष अनुसंधान संस्थान में एक पृथक उपग्रह निर्माण प्रभाग का गठन	Setting up of a separate satellite Fabrication Division of Indian Space Research Organisation at Bangalore	..	32
413. भूतपूर्व नरेशों को अनुग्रह पूर्वक अदायगी	Ex-Gratia payments to former Rulers	..	33
415. मध्य प्रदेश में जमाखोरों की गिरफ्तारी	Arrest of Hoarders in Madhya Pradesh	..	33
416. भारतीय चिकित्सा तथा स्वास्थ्य सेवा का गठन	Creation of Indian Medical and Health Service	..	33—34

विषय	Subject		पृष्ठ/Pages
अता० प्र० संख्या U. S. Q. Nos.			
417. शाहदरा दंगों में सी० आई०ए० का हाथ	Involvement of CIA in Shahdara Riots	..	34
418. चीनी उद्योग का राष्ट्रीयकरण	Nationalisation of Sugar Industry	..	34
419. दुग्ध उत्पादन का देश में उत्पादन	Indigenous Production of Milk Products	..	35
420. बंगला देश के परमाणु ऊर्जा वैज्ञानिकों के लिये भाभा परमाणु ऊर्जा अनुसन्धान केन्द्र में परमाणु ऊर्जा सम्बन्धी अध्ययन करने की सुविधायें	Facilities for Bangladesh Nuclear Scientists for Nuclear Energy Studies in Bhabha Atomic Energy Research Centre		35
421. बेरोजगार इंजीनियर	Unemployment Engineers	..	35—37
422. भारतीय महासर्वेक्षक के पद को संघ लोक सेवा आयोग के अधिकार क्षेत्र से बाहर निकालने सम्बन्धी प्रस्ताव	Proposal to Take out the Post of Surveyor General of India of the Purview of UPSC	..	37—38
423. हरियाणा में बिजली की कमी	Power shortage in Haryana		38
424. पश्चिम बंगाल में उत्पादन पर बिजली की कमी का प्रभाव	Effect of Power Shortage on Production in West Bengal	..	38—39
425. सट्टे जूए को वैध बनाने के लिये मध्य प्रदेश सरकार से अनुरोध	Request from Madhya Pradesh Government to Legalise Satta Gambling	..	39
426. राजनीतिक दलों से दलबदली को रोकने के उपाय	Measure to Check Defections from Political Parties	..	39
427. मृत्यु दण्ड का समाप्त किया जाना	Abolition of Capital Punishment	..	40
428. इण्डियन आक्सीजन लिमिटेड में पूंजी निवेश	Investment in Indian Oxygen Limited	..	40
429. पंजाब और मध्य प्रदेश में बिजली की कमी का उद्योगों पर प्रभाव	Effect of Shortage of Power on industries in Punjab and Madhya Pradesh	..	40—41
430. देश में परमाणु बिजलीघरों की स्थापना	Setting up of Atomic Power Stations in the country	..	41

विषय	Subject		पृष्ठ/Pages
अता० प्र० संख्या U. S. Q. Nos.			

431. व्यावहारिक विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में भारत तथा रूस के बीच समझौता	Agreement between India and USSR in the Field of Applied Science and Technology	..	41
432. हरियाणा राज्य के मुख्य मंत्री के विरुद्ध आरोप	Charges against Haryana Chief Minister	..	42
433. पिछड़े क्षेत्रों में उद्योगों की स्थापना करने हेतु आवेदन पत्र	Applications for setting up of Industries in Backward Areas		42
434. प्रतिभा पलायन पर रोक	Check of Brain Drain	..	43
435. पांचवीं योजना में अत्यावश्यक (कोर) क्षेत्र पर ध्यान केन्द्रित करना	Focus on Core Sector in the Fifth Plan	..	44
436. आशय पत्रों का उपयोग न किया जाना	Non-utilisation of Letters of Intent	..	44
437. भारतीय चलचित्रों तथा संगीत के रिकार्डों की विदेशों को तस्करी	Smuggling of Indian Films and recorded music to foreign countries	..	45
438. राष्ट्रीय औद्योगिक विकास निगम लिमिटेड की गतिविधियां	Activities of National Industries Development Corporation Limited	..	45—46
440. पश्चिम बंगाल के औद्योगिक एककों का राज्य के बाहर विस्तार	Expansion of Industrial Units of West Bengal outside the State	..	46
441. दिल्ली में पुलिस के ढांचे में परिवर्तन	Changes in Police set up in Delhi	..	46
442. कस्तूरबा बालिका विद्यालय, दिल्ली की एक हरिजन छात्रा की मृत्यु	Death of a Harijan Girl Student of Kasturba Balika Vidyalaya, Delhi	..	46—47
443. औद्योगिक नीति संकल्प में संशोधन	Amendment to Industrial Policy Resolution	..	47
444. औद्योगिक क्षेत्रों में पुनः गतिशीलता लाना	Revival of Industrial Tempo	..	47—48
445. औद्योगिक उत्पादन में गिरावट का रुख	Downward Trend in Industrial Production	..	48—49

विषय	Subject		पृष्ठ/Pages
अता० प्र० संख्या U. S. Q. Nos.			
446. पांचवीं योजना में संसाधन जुटाने के बारे में अनुमान	Estimate of Resource Generation in Fifth Plan	..	49
447. उद्योगों की क्षमता का विस्तार करने के लिये आवेदन पत्र	Applications for Expansion of Capacity in Industries	..	50
449. सीमेंट कारखानों की स्थापना	Setting up of Cement Factories	..	50
450. भारतीय रक्षा नियम और आन्तरिक सुरक्षा बनाये रखने सम्बन्धी अधिनियम के अंतर्गत गिरफ्तार किये गये व्यक्ति	Persons Arrested under DIR and Maintenance of Internal Security Acts	..	51—52
451. गौरपाड़ा जनजाति बस्ती, त्रिपुरा में जनजाति लोगों को बेदखली के नोटिस	Eviction Notices to Tribal People in Gorapada Tribal Colony, Tripura	..	52
452. फिल्म वित्त निगम द्वारा फिल्म निर्माताओं को दिये गये ऋणों को बट्टे खाते डालना	Writing off of loans Advanced by Film Finance Corporation to Film Producers	..	52
453. भूतपूर्व राजा महाराजाओं के लिये शस्त्र लाइसेंस	Arms Licences for Former Rulers	..	52—53
454. बड़े व्यापार गृहों की परिसम्पत्तियां	Assets of Large Business Houses	..	53
455. इंजीनियरिंग ग्रेजुएट की इंजीनियरिंग सुपरवाइजरों के पदों पर नियुक्ति पर अग्रिम वेतन वृद्धि दिया जाना	Grant of Advance Increments to Engineering Graduates on Appointment as Engineering Supervisors in Telephone Department	..	53—54
456. एम० एस० सी० डिग्री प्राप्त टेलीफोन इन्सपेक्टरों को अग्रिम वेतन वृद्धि देना	Advance Increment to MSc Telephone Inspectors	..	54
458. उद्योगों को नियन्त्रण में लेने के बारे में राज्यों के उद्योग मंत्री सम्मेलन में केन्द्रीय औद्योगिक मंत्री का वक्तव्य	Industrial Minister's Statement in State Industries Ministers Conference regarding taking over of Industries	..	54
459. पश्चिम बंगाल में बिजली की स्थिति का अध्ययन करने के लिये योजना आयोग द्वारा नियुक्त अध्ययन दल का प्रतिवेदन	Report of the Study Group set up by Planning Commission on Power Situation in West Bengal	..	55

विषय	Subject		पृष्ठ/Pages
अता० प्र० संख्या U. S. Q. Nos.			
460. केबलों का भेजना	Despatching Cables	..	55
461. फिल्म परिषद् की स्थापना	Setting up of a Film Council		55—56
462. राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण संगठन में कार्य कर रहे अधीक्षकों को स्थायी घोषित करना	Confirmation of Superintendents working in the National Sample Survey Organisation	..	56
463. साबुन और औषधियों के संबंध में औद्योगिक लागत और मूल्य ब्यूरो का प्रतिवेदन	Report of Bureau of Industrial Costs and Prices on Soap and Drugs	..	56
464. निर्माताओं के कोटे से सरकारी कर्मचारियों को कारों और स्कूटरों का आवंटन	Allotment of Cars and Scooters to Government Servants from Manufacturers Quota	..	56—57
466. केरल में विदेशी स्वामित्व वाले बागानों का राष्ट्रीयकरण के बारे में अध्यादेश का प्रारूप	Draft Ordinance on Nationalisation of Foreign Owned Plantations in Kerala	..	57
467. सपरेटा दुग्ध पाउडर उत्पादन	Production of Skim Milk Power		58
468. बाल आहार (बेबी फूड) का उत्पादन और मांग	Demand and Production of Baby Food	..	58—59
469. बीयर का उत्पादन	Production of Beer	..	59
470. साप्ताहिक हलधर को विज्ञापन	Advertisements to Saptahik Haldhar	..	59
471. बारह करोड़ रुपये से अधिक पूंजी लगे उद्योगों का राष्ट्रीयकरण	Nationalisation of Industries whose capital investment is more than Rs. 12 crores	..	60
472. दिल्ली और बम्बई में टेलीविजन सेटों की संख्या	TV Sets in Delhi and Bombay	..	60
473. भारत बंगला देश के मध्य सीधी टेलीफोन लाइन	Indo Bangladesh Direct Telephone Line	..	60
474. अहमदाबाद में डाकियों द्वारा हड़ताल	Postmen on strike in Ahmedabad	..	61
475. सामाजिक एवं आर्थिक विकास और जनसंख्या में वृद्धि की दरों में अन्तर कम करने के लिए नीति निर्धारण	Formulation of a policy to reduce the gap between the rate of Socio-economic Development and the growth of Population	..	61

विषय	Subject	पृष्ठ/Pages
अता० प्र० संख्या U. S. Q. Nos.		

476. नई कार्मिक नीति तैयार करने के लिये उच्च स्तरीय सलाहकार परिषद् की नियुक्ति	Appointment of a high level Advisory Council to evolve new personnel policy ..	61—62
477. गुजरात के इन्जीनियरी एककों में बिजली की कमी	Shortage of power in Engineering Unit, Gujarat ..	62
478. बिजली की कमी का उद्योग पर प्रभाव	Effect of Shortage of Power on Industry	62—63
479. दिल्ली में शराब की एक दुकान बन्द करने की मांग	Demand for closure of a liquor shop in Delhi ..	63
480. वार्नर हिन्दुस्तान लिमिटेड द्वारा कन्फेक्शनरी का निर्माण	Manufacture of Confectionary by Warner Hindustan Ltd. ..	63—64
481. मध्य प्रदेश के आदिवासी क्षेत्रों में उद्योग	Industries in Adivasi Areas of MP ..	64
482. दूरस्थ ग्रामों के बूढ़े स्वतन्त्रता सेनानियों को सम्मानित करने एवं आर्थिक सहायता देने की व्यवस्था	Arrangements to honour and provide Financial Assistance to aged Freedom Fighters in distant villages ..	64
483. मध्य प्रदेश के पिछड़े क्षेत्रों में उद्योग	Industries in Backward Areas of MP ..	64—65
484. जबरन धर्म परिवर्तन को रोकने के लिये कानून	Legislation to ban forcible conversion of Religion ..	65
485. औद्योगिक और आर्थिक नीतियों तथा संयुक्त क्षेत्र के सिद्धान्त पर महाराष्ट्र सरकार के विचार	View of Maharashtra Government on Industrial and Economic Policies and Joint Sector Concept ..	65
486. दिल्ली टेलीफोन निर्देशिका का प्रकाशन	Publication of Delhi Telephone Directory ..	65—66
487. मध्य प्रदेश के मन्दसौर और रतलाम जिलों में सार्वजनिक टेलीफोन	Public call offices in Mandsaur and Ratlam Districts of Madhya Pradesh ..	66
488. सीमा सुरक्षा दल के महानिदेशालय में पदोन्नतियां	Promotions in Directorate General, B.S.F. ..	66—67
489. इंडियन आक्सीजन लिमिटेड को लाइसेंस जारी करना	Issue of Licences to Indian Oxygen Limited ..	67—68

विषय	Subject		पृष्ठ/Pages
अता० प्र० संख्या U. S. Q. Nos.			
490. मद्रास और बंगलौर में टेलीफोन सेवाएं	Telephone services in Madras and Bangalore	..	68
491. वार्षिक योजनाओं को बनाने हेतु राज्यों के लिये मार्गनिर्देशक सिद्धान्त	Guidelines for States for the Formulation of Annual Plans	..	68—69
492. निवारक निरोध अधिनियम के अधीन नजरबन्द व्यक्ति	Retention of persons under Preventive Detention Act	..	69—70
493. त्रिचूर रेडियो स्टेशन के निर्माण कार्य में प्रगति	Progress in the construction of Trichur Radio Station	..	70
495. उत्तर प्रदेश के कुछ और जिलों में उद्योगों के प्रोत्साहन के लिये राज सहायता योजना को लागू करना	Extension of Subsidy scheme for promotion of Industries in more Districts of U. P.	..	70—71
496. पिछड़े क्षेत्रों के औद्योगिकरण करने के कार्यक्रम को लागू करने के लिये पांचवीं योजना में एक उच्च शक्ति प्राप्त आयोग की स्थापना	Setting of a High Powered Commission to Execute the Programme for Industrialising Backward Areas during Fifth Plan	..	71
497. स्टाम्प कैन्सिलिंग मशीन का निर्माण	Manufacture of Stamp Cancelling Machine		71—72
498. पांचवीं योजना में गरीबी से मुक्ति तथा आर्थिक आत्मनिर्भरता की प्राप्ति	Removal of poverty and Attainment of Economic Self reliance during Fifth Plan	..	72
499. उत्तर प्रदेश में औद्योगिक उपक्रमों की निर्धारित क्षमता	Rated capacity of Industrial undertakings in U.P.	..	72
500. जूनियर वाणिज्य मण्डल की गतिविधियां	Activities of Junior Chamber of Commerce	..	73
501. बड़े औद्योगिक गृहों पर रोक लगाने के लिये गैर सरकारी क्षेत्र को सरकारी क्षेत्र में बदलना	Changing Private Sector to Public Sector to curb larger Industrial Houses	..	73
502. पंचवर्षीय योजना को पुनर्व्यवस्थित करना	Reorganisation of Five Year Plan	..	73—74
503. नकदी फसलों के मूल्यों में गिरावट	Crash in Prices of Cash Crops	..	74—76

विषय	Subject		पृष्ठ/Pages
अता० प्र० संख्या U. S. Q. Nos.			

504. समाचार पत्रों के स्वामित्व पर एकाधिकार को समाप्त करने सम्बन्धी मंत्रिमण्डलीय उप समिति का प्रतिवेदन	Report of Cabinet sub-committee on diffusion of Ownership of Newspapers	..	76—77
505. दिल्ली सर्किल में इन्जीनियरी सुपरवाइजरों की तैनाती में कथित पक्षपात	Alleged favouritism in posting of Engineering Supervisors, Delhi		77
506. दिल्ली में टेस्ट काल आपरेटरों की भर्ती	Recruitment of Test Call Operators in Delhi	..	77—78
507. केरल भूमि अधिनियम का संशोधन	Amendments to Kerala Land Act	..	78
508. मलयालम के कवि कुमारन आसन की स्मृति डाक टिकट	Commemorative Stamp after Kumaram Asan Malayalam Poet	..	78
509. मलयालम फिल्मों के लिये पृथक सेंसर बोर्ड	Separate Censors Board for Malayalam Films	..	78—79
513. लघु उद्योग लागत के लिये इथियोपिया को भारतीय उद्योग विशेषज्ञ भेजना	Deputation of Indian Industrial Experts to Ethopia for setting up of Small Scale Industries	..	79
514. उपग्रहों के माध्यम से टेलीविजन कार्यक्रम	T. V. programmes through Satellite	..	79
515. विषाक्त शराब पीने से हुई मौतों की जांच के निष्कर्ष	Findings of the Inquiry into Deaths due to Drink Poisoning	..	79—80
516. स्वतन्त्रता सेनानियों को पेंशन की अदायगी	Grant of Pension to Freedom Fighters	..	80—81
517. स्वतन्त्रता सेनानियों को ताम्र पत्र प्रदान करना	Distribution of Tamrapatras to Freedom Fighters	..	81—82
518. बिहार में चाईबासा में साम्प्रदायिक दंगों संबंधी जांच आयोग का प्रतिवेदन	Report of the Enquiry Commission on the Communal Disturbances at Chaibasa, Bihar	..	82
519. परमाणु परीक्षण	Atomic Tests		82—83
520. चंडीगढ़ के बारे में निर्णय पर पुनर्विचार करने के विषय में पंजाब के मुख्य मन्त्री का वक्तव्य	Statement of Punjab Chief Minister regarding reconsideration of decision on Chandigarh	..	83

विषय	Subject	पृष्ठ/Pages
अता० प्र० संख्या U. S. Q. Nos.		
521. पंजाब, हरियाणा और हिमाचल प्रदेश के बीच सीमा विवाद	Boundary Disputes between Punjab, Haryana and Himachal Pradesh ..	83—84
522. विभिन्न राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों में एक ही वर्ष में नियुक्त किये जाने के बाद भारतीय सिविल सेवा, भारतीय प्रशासनिक सेवा, और भारतीय पुलिस सेवा के अधिकारियों की सिलेक्शन ग्रेड में पदोन्नति के अवसर	Changes of Promotion for ICS, IAS and IPS Officers in the Selection Grade after being Appointed in the same year in various States and Union Territories ..	84
523. महा डाकपालों के साथ संसद् सदस्यों की वर्ष में दो बार बैठक	Twice-A-Year Meeting of MPs. with P. M. Gs. ..	84—85
524. पिछड़े क्षेत्रों के संबंध में गोष्ठी	Seminar on Backward Areas ..	85
525. बड़े औद्योगिक गृहों को लाइसेंस देना	Issue of Licences to Larger Industrial Houses ..	85—86
526. पांचवीं योजना के लिये विदेशी सहायता	Foreign Aid for Fifth Plan ..	86—87
528. अरुणाचल प्रदेश में राष्ट्र विरोधी तत्वों की गतिविधियां	Activities of Anti National Elements in Arunachal Pradesh ..	87
530. फिल्म उद्योग के सम्बर्द्धन के लिये सरकार की नीति	Government Policy to Promote Film Industry ..	87
531. उत्तर प्रदेश और बिहार में गरीबी हटाना	Removal of Poverty in U. P. and Bihar ..	88
532. नागा नेशनल कौंसिल को अवैध घोषित करना	Declaring of Naga National Council as Unlawful ..	88
533. राज्यों के उद्योग मंत्रियों का सम्मेलन	Conference of State Industries Ministers ..	89
534. स्वतंत्रता सेनानियों द्वारा ताम्रपत्र लौटाया जाना	Return of Tamrapatras by Freedom Fighters	89
535. औद्योगिक नीति में परिवर्तन	Changes in Industrial Policy ..	89—90
536. देश में पिछड़ापन दूर करना	Removal of Backwardness in the country ..	90

विषय	Subject	पृष्ठ/Pages
अता० प्र० संख्या U. S. Q. Nos.		
537. एर्नाकुलम टेलीफोन एक्सचेन्ज कर्मचारी यूनियन (केरल) के निलम्बित पदाधिकारी	Suspended Office Bearers of Ernakulam Telephone Exchange Employees' Union (Kerala) ..	90—91
538. अशोक पेपर मिल्स बिहार के स्थानांतरण से रोजगार की स्थिति पर प्रभाव	Effect of Shifting of Ashok Paper Mill, from Bihar, on Employment ..	91
539. समस्तीपुर में टेलीग्राफ सब-डिवीजन खोलना	Opening of Telegraph Sub-Division at Samastipur ..	91
540. पहाड़ी क्षेत्रों का विकास	Development of Hill Areas ..	91—92
541. भूतपूर्व शासकों को अनुग्रहपूर्वक की गई अदायगी	Quantum of Ex-Gratia Payments to Former Rulers ..	92
542. अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के लिये आरक्षित कोटे का पूरा किया जाना	Filling up of Quota Reserved for Scheduled Castes and Scheduled Tribes ..	92—93
543. अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के व्यक्तियों को उच्च न्यायालयों के न्यायाधीश, राज्यपाल, राजदूत पब्लिक अन्डरटेकिंग के चेयरमैन आदि के पद पर नियुक्त करने के बारे में विभिन्न संस्थाओं की मांगें	Demands made by various organisations for Appointment of Scheduled Castes and Scheduled Tribes as Judges of High Courts, Governors, Ambassadors and Chairmen of Public Undertakings ..	93
544. पश्चिम बंगाल में कल्याणी स्पिनिंग मिल्स और सेक्सबाई फार्मर के कर्मचारियों पर हुए आक्रमण के सम्बन्ध में संसद् सदस्यों के पत्र	Letters from M. Ps regarding Attack on the Workers of Kalyani Spinning Mills and Saxby Farmer in West Bengal ..	93
545. राज्यों को स्वतन्त्रता सेनानियों की नई सूचियां	Instructions to States to Prepare Fresh Lists of Freedom Fighters ..	93—94
547. राज्यों की प्रति व्यक्ति आय	Per capita Income in the States ..	94
548. नागपुर जिले के एरांगांव में नर बलि	Human Sacrifice at Erangaon in Nagpur District ..	94
549. लक्ष्मी नारायणपुर, त्रिपुरा में आदिवासियों तथा गैर आदिवासियों के बीच भूमि संबंधी विवाद	Land Dispute between Tribals and Non Tribals at Lakshminarayanpur Tripura ..	95

विषय	Subject		पृष्ठ/Pages
अता० प्र० संख्या U. S. Q. Nos.			
550. बड़े औद्योगिक गृहों पर प्रतिबंधों का प्रभाव	Effect of Restriction on Larger Industrial Houses	..	95
551. सूखाग्रस्त क्षेत्रों में सिंचाई परियोजनाओं के निष्पादन के लिये वित्तीय सहायता	Financial Assistance for the Execution of Irrigation Projects in drought affected Areas	..	95—96
552. राजस्थान अणु शक्ति संयंत्र के प्रथम एकक की जांच का पूरा होना	Completion of Trials of the first unit of Rajasthan Atomic Power Plant	..	96
553. उड़ीसा में आकाशवाणी संवाददाताओं की नियुक्ति	Appointment of AIR Correspondents in Orissa	..	97
554. मैसूर के भूतपूर्व नरेश द्वारा सम्पत्ति का विक्रय	Sale of Property by former ruler of Mysore		97
555. डाक तथा तार विभाग के कर्मचारियों को बोनस का भुगतान	Payment of Bonus to P & T Employees	..	97—98
556. शहादरा में हुए दंगों के कारणों की जांच करने के लिये नियुक्त आयोग का प्रतिवेदन	Report of the Commission Appointed to investigate into the causes of Shahdara Riot	..	98
557. व्यतिगत रूप से रेडियो और ट्रांजिस्टरों का निर्माण	Manufacture of Radios and Transistors by Individuals	..	98—99
558. सार्वजनिक टेलीफोनों के लिये टोकन प्रणाली	Token System for Public Call Offices	..	99—100
559. तारापुर परमाणु केन्द्रों का बन्द होना	Breakdowns in Tarapore Atomic Station		100
560. प्राइवेट सेक्टर में श्रमिकों की मजूरी के हिस्से में कमी	Declining Share of Wages of Workers in Private Sector	..	100—101
561. बंगला-भाषा के समाचार प्रसारण में गलत उच्चारण आदि	Wrong pronunciation etc. in Bengal News Broadcast	..	101
562. पश्चिम बंगाल में नजरबन्द व्यक्तियों की संख्या	Detenus in West Bengal	..	101—102
564. गांधी नगर, दिल्ली के खुरेजी गांव की हरिजन कालोनी पर डाकुओं का आक्रमण	Attack on a Harijan Colony in Gandhinagar in village Khureji, Delhi	..	102

विषय	Subject	पृष्ठ/Pages
अता० प्र० संख्या U. S. Q. Nos.		
565. आन्ध्र प्रदेश के मुल्की कानूनों को जारी रखने सम्बन्धी सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय पर केन्द्रीय सरकार की प्रतिक्रिया	Central Government's reaction on the upholding of Mulki Rules of Andhra Pradesh by the Supreme Court ..	102—103
566. मटका खेल को वैध करार देने के बारे में मध्य प्रदेश सरकार की ओर से प्रस्ताव	Proposal from M. P. Government to Legalise Matka ..	103
567. कागज उद्योग में अनुसंधान और विकास	Research and development in paper industry ..	103—104
568. भूतपूर्व नरेशों के पास रखी पुरातन महत्व की वस्तुएं	Articles of Antique value in possession of Former Rulers ..	104
569. पिछड़े क्षेत्रों के विकास हेतु निर्धारित राशि का उपयोग न किया जाना	Non-Utilisation of Funds for Development of Backward Areas ..	104
570. स्वतंत्रता की 25वीं वर्षगांठ के अवसर पर हिन्द फौज और भारतीय नौसेना के स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों को सम्मानित किया जाना	Honouring Freedom Fighters of INA and Indian Navy etc. on Anniversary of Independence ..	104—105
571. दादरी (उत्तर प्रदेश) में हुए दंगे	Riots in Dadri (Uttar Pradesh) ..	105
572. गुजरात में साम्प्रदायिक दंगों की जांच करने वाले आयोग का प्रतिवेदन	Report of Inquiry Commission on Communal Riots in Gujarat ..	105—106
573. लाइसेंस देना	Issue of Licences ..	106
574. भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के सत्याग्रह के दौरान गिरफ्तार किये गये व्यक्तियों की संख्या	Number of persons arrested during the Satyagraha by CPI ..	106—107
575. योजना मंत्री का रूस का दौरा	Planning Minister's visit to USSR ..	107
577. उत्तर प्रदेश में आयोजना का नवीकरण	Reorientation of Planning in U. P. ..	107
578. राष्ट्रीय एकता परिषद् की बैठकें बुलाना	Convening of the Meeting of the National Integration Council ..	108

विषय	Subject		पृष्ठ/Pages
अता० प्र० संख्या U. S. Q. Nos.			
579. उपभोक्ता वस्तु उद्योगों का राष्ट्रीयकरण	Nationalisation of Consumer Goods Industries	..	108
580. योजना आयोग द्वारा क्षेत्रीय असमानताओं का मूल्यांकन	Assessment of Regional Disparities by Planning Commission	..	108—109
581. दिल्ली स्थित मुख्य बन्दोबस्त आयुक्त के फालतू घोषित किये गये कर्मचारियों को अन्य कार्यालयों में नियुक्त करना	Nomination of the Staff Declared Surplus in Chief Settlement Commissioner's Office, Delhi to other Offices	..	109—110
582. रीजनल सेन्ट्रल कमिश्नर जालन्धर के कार्यालय में फालतू घोषित किये गये निम्न श्रेणी लिपिकों को अन्यत्र काम पर लगाना	Absorption of LDC's Declared surplus in the regional Settlement Commission, Jullundur	..	110
583. दिल्ली में पुलिस इन्सपेक्टरों तथा अराजपत्रित कर्मचारियों का निलम्बन/स्थानान्तरण	Suspension/Transfer of Police Inspectors and Non-Gazetted Police Employees in Delhi	..	110—111
584. देश के आर्थिक विकास के बारे में प्रधान मंत्री का वक्तव्य	Statement made by the Prime Minister on the Economic Development of the Country	..	111
585. देश में आत्महत्या के मामले	Cases of Suicides in the country	..	111—112
586. परमाणु ऊर्जा में शान्तिपूर्ण उपयोगों के विकास के लिये पश्चिमी जर्मनी के साथ करार	Agreement entered into with West Germany for developing peaceful uses of Atomic Energy	..	112
588. तकनीकी विकास महानिदेशालय का पुनर्गठन	Re-organisation of DGTD	..	112
589. काश्मीर में विदेशी तत्वों द्वारा तोड़ फोड़ की कार्यवाहियां	Sabotage Activities in Kashmir by Foreign Elements	..	112—113
590. उत्तर प्रदेश में महिला आई० ए० एस० अधिकारियों की प्रतिनियुक्ति	Deputation of Women IAS Officers to U. P.	..	113
591. भारत में के० जी० बी० की गतिविधियां	KGB activities in India	..	113
592. चंडीगढ़ संबंधी पंचाट	Award on Chandigarh	..	113—114

विषय	Subject	पृष्ठ/Pages
अता० प्र० संख्या U. S. Q. Nos.		
593. रूस से एक भारतीय उपग्रह का छोड़ा जाना	Launching of an Indian Statellite from Russia ..	114
594. इण्डियन टेलीफोन इन्डस्ट्रीज हिन्दुस्तान केबल और हिन्दुस्तान टेलीफोन के प्रशासनिक नियंत्रण को डाक और तार बोर्ड को हस्तांतरण	Transfer of Administrative Control of ITI Hindustan Cable and Hindustan Telephone to P & T Board ..	114
595. बिहार के गया जिले से चीनी तथा पाकिस्तानी शस्त्रास्त्र पकड़ा जाना	Recovery of Chinese and Pakistani made Arms and Ammunitions from Gaya District in Bihar ..	114—115
597. कागज की कमी	Shortage of Paper ..	115
598. भारत सरकार में सर्वोच्च पदों का खाली रहना	Top posts lying vacant in Government of India ..	115
599. पिछड़े क्षेत्रों में डाक तार सम्बन्धी सुविधाएं	P & T facilities in Backward Areas ..	115—116
600. दैनिक गोमान्तक की ओर से गोआ प्रशासन के विरुद्ध शिकायत	Complaint by Daily Gomantak against Administration of Goa ..	116—117
किंग्जवे कैम्प, दिल्ली में पुलिस की कथित ज्यादतियों के बारे में	Re. Alleged Police Excesses in Kingsway Camp, Delhi ..	117
अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना—	Calling Attention to Matter of Urgent Public Importance—	
देश के विभिन्न डाक घरों में पत्र-बमों की बरामदगी	Recovery of letter bombs in various post offices in the country ..	117—121
श्री शशि भूषण	Shri Shashi Bhushan ..	117
श्री हेमवती नंदन बहुगणा	Shri H. N. Bahuguna ..	117, 118 119—121
सभा पटल पर रखे गये पत्र	Papers Laid on the Table ..	121—123
गैर सरकारी सदस्यों के विधेयकों और संकल्पों सम्बन्धी समिति—	Committee on Private Members' Bills and Resolutions—	
अठारहवां प्रतिवेदन	Eighteenth Report ..	124
कार्य मंत्रणा समिति	Business Advisory Committee—	
सत्रहवां प्रतिवेदन	Seventeenth Report ..	124

विषय	Subject	पृष्ठ/Pages
नियम 377 के अन्तर्गत मामला—	Matter under Rule 377—	
वेतन आयोग का प्रतिवेदन	Pay Commission's Report ..	124—125
अनुपूरक अनुदानों की मांगें (रेलवे), 1972-73	Supplementary Demands for Grants (Railways), 1972-73	125
विवरण प्रस्तुत हुआ	Statement presented ..	125
अतिरिक्त अनुदानों की मांगें (रेलवे) 1970-71	Demands for Excess Grants (Railways), 1970-71 ..	125
विवरण प्रस्तुत हुआ	Statement presented ..	125
चूना पत्थर और डोलोमाइट खान श्रम कल्याण निधि विधेयक	Limestone and Dolomite Mines Labour Welfare Fund Bill ..	125—129
विचार करने का प्रस्ताव	Motion to consider	125
श्री भोगेन्द्र झा	Shri Bhogendra Jha ..	125
श्री जे० माता गौडर	Shri J. Matha Gowder ..	126
डा० लक्ष्मी नारायण पाण्डेय	Dr. Laxminarain Pandeya ..	126—127
श्री राम नारायण शर्मा	Shri R. N. Sharma ..	127
श्री दामोदर पाण्डे	Shri Damodar Pandey	127
श्री राम सिंह भाई वर्मा	Shri Ramsingh Bhai Verma ..	127
श्री आर० के० खाडिलकर	Shri R. K. Khadilkar ..	127—128
खंड 2 से 16 और 1	Clauses 2 to 16 and 1 ..	129
पारित करने का प्रस्ताव	Motion to pass ..	129
श्री हुकम चन्द कछवाय	Shri Hukam Chand Kachwai ..	129
श्री आर० के० खाडिलकर	Shri R. K. Khadilkar ..	129
अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जन जातियों के आयुक्त के वर्ष 1969-70 सम्बन्धी उन्नीसवें प्रतिवेदन के बारे में प्रस्ताव	Motion re. Nineteenth Report of Commissioner for Scheduled Castes and Scheduled Tribes for 1969-70 ..	130—145, 150
प्रो० एस० नुरुल हसन	Prof. S. Nurul Hasan ..	137—138
श्री दशरथ देब	Shri Dasaratha Deb ..	139—142
श्री शम्भू नाथ	Shri Shambhu Nath ..	142—143
श्री भान सिंह भौरा	Shri B. S. Bhaura ..	143—144

विषय	Subject		पृष्ठ/Pages
श्री स्वामी ब्रह्मानन्दजी	Shri Swami Brahmanandji	..	144
श्री जगन्नाथ राव जोशी	Shri Jagannathrao Joshi	..	144—145
किंग्जवे कैम्प, दिल्ली की घटनाओं के बारे में वक्तव्य	Statement Re. Incidents in Kingsway Camp, Delhi	..	145—147
श्री कृष्ण चन्द्र पन्त	Shri K. C. Pant	..	145—147

लोक-सभा
LOK SABHA

बुधवार, 15 नवम्बर, 1972/24 कार्तिक, 1894 (शक)

Wednesday, November 15, 1972/Kartika 24, 1894 (Saka)

लोक-सभा ग्यारह बजे समवेत हुई

The Lok Sabha met at Eleven of the Clock

[**अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए**
Mr. Speaker *in the Chair*]

प्रश्नों के मौखिक उत्तर
ORAL ANSWERS TO QUESTIONS

औद्योगिक एककों की अप्रयुक्त क्षमता

*41. **श्री चिन्तामणि पाणिग्रही** : क्या **औद्योगिक विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में आधी से अधिक औद्योगिक क्षमता कुछ ऐसे कारणों से अप्रयुक्त पड़ी है, जिनका औद्योगिक नीति से कोई सम्बन्ध नहीं है।

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं; और

(ग) औद्योगिक क्षमता का पूरा उपयोग करने के लिए क्या कार्यवाही की जा रही है ?

औद्योगिक विकास मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद) : (क) से (ग). एक विवरण सभा पटल पर रखा जाता है।

विवरण

(क) से (ग). यह कहना ठीक नहीं है कि देश में अधिक से अधिक औद्योगिक क्षमता अप्रयुक्त पड़ी है। कुछ ही उद्योग ऐसे हैं विशेष रूप से इन्जीनियरी उद्योग जैसे मशीन टूल्स, डीजल इंजन, इस्पात की पाइपें तथा ट्यूबें और ढली हुई तथा गढ़ी हुई वस्तुएं जहां कि विगत कुछ वर्षों में 50 प्रतिशत के लगभग अथवा इससे कम क्षमता प्रयुक्त हुई है। दूसरी तरफ बहुत से उद्योगों की प्रयुक्तता उस स्तर तक पहुंच गई है जहां क्षमता पर रोक लगा दी गई है जैसे कास्टिक सोडा, कैल्सियम कार्बाइड, पी० बी० सी० साबुन, स्टेपिल फाइबर, फ्लोरोसेंट लैम्प, स्टोरेज बैटरियां, रेफ्रीजरेटर आदि। फर्म अथवा उद्योग के लिये उपलब्ध अधिष्ठापित क्षमता का पूरा उपयोग करने में रुकावट आने के

कारण बाहरी भी हो सकते हैं अथवा आन्तरिक भी । बाहरी कारणों में मांग की कमी, बिजली, परिवहन समस्यायें कच्चा माल प्राप्त करने में कठिनाई का होना तथा असन्तोषजनक श्रमिक प्रबन्धक सम्बन्धों का होना है । फर्म के आन्तरिक कारणों में प्रबन्धकीय कमियों का होना कारीगरों को कुशल बनाने अथवा उत्पादिता में सुधार करने में समय का लगना प्रौद्योगिकी जानकारी की कमी अथवा उत्पादनों की पर्याप्त विविधता है । सरकार क्षमता के कम उपयोग होने के कारणों का सतत पता लगाती रहती है और उसकी समीक्षा करती रहती है । कच्चे माल विशेष रूप से इस्पात की उपलब्धता में सुधार करने के लिये समय-समय पर कदम उठाती रही है । उद्योगों में जहां क्षमता में रुकावट आती है, नवीन क्षमता के लिये पर्याप्त लाइसेन्स मांगे गये हैं । इसके अतिरिक्त 65 चुने हुये उद्योगों में वर्तमान क्षमता का पूरा उपयोग करने के लिये विभिन्न उदारता देने वाले उपाय की घोषणा की गई है ।

श्री चिन्तामणि पाणिग्रही : विवरण से यह बात स्पष्ट हो जाती है कि जहां तक उपभोक्ता वस्तु उद्योगों का सम्बन्ध है, उनकी पूरी क्षमता का उपयोग किया जाता है और सरकार इन उद्योगों के अतिरिक्त क्षमता प्रदान करने के प्रश्न पर विचार कर रही है । विवरण से पता चलता है कि पूंजी प्रधान उद्योगों तथा पूंजीगत वस्तु उद्योगों की 50 प्रतिशत क्षमता अप्रयुक्त रहती है। अतः मैं सरकार से विशेषतया यह जानना चाहता हूं कि समीक्षा करते समय वे उपभोक्ता वस्तु उद्योगों को अतिरिक्त क्षमता प्रदान करेंगे अथवा पहले इस बात का ध्यान रखेंगे कि देश के उद्योगों को मशीनें प्रदान के लिये पूंजीगत वस्तु उद्योगों का पूर्ण उपयोग हो पाये ?

श्री सिद्धेश्वर प्रसाद : माननीय सदस्य ने ठीक ही कहा है, हम मशीन बनाने वाले उद्योगों की क्षमता के पूर्ण उपयोग पर अधिक बल दे रहे हैं । जिसके लिये कुछ अध्ययन दल भी बनाये गये हैं और यथानुरूप कार्यवाही की जा रही है ।

श्री चिन्तामणि पाणिग्रही : मैं मंत्री महोदय से यह जानना चाहता हूं कि देश के वर्तमान इस्पात उद्योगों की अप्रयुक्त क्षमता क्या है । पूर्ण क्षमता का उपयोग करने के बजाय भारत सरकार ने बड़े पैमाने पर इस्पात का आयात करने का विचार क्यों किया है । आने वाले वर्ष में सरकार ने कितने इस्पात का आयात करने का निर्णय किया है ।

श्री सिद्धेश्वर प्रसाद : यह एक विशिष्ट प्रश्न है जो इस्पात मंत्रालय से पूछा जा सकता है ।

श्री चिन्तामणि पाणिग्रही : विवरण में इस बात का उल्लेख है कि इस्पात उद्योग की क्षमता अप्रयुक्त रहती है । मैं इसका विशिष्ट उत्तर चाहता हूं ।

औद्योगिक विकास तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री (श्री सी० सुब्रह्मण्यम) : यह विशिष्ट प्रश्न इस्पात मंत्रालय से पूछा जाना चाहिये । मेरी अपेक्षा इस्पात मंत्री ठीक उत्तर दे सकेंगे ।

अध्यक्ष महोदय : मेरे विचार से उन्होंने ठीक कहा है । यह प्रश्न इस्पात मंत्रालय से पूछा जाना चाहिए ।

श्री एस० आर० दामाणी : क्या यह सच है कि अप्रयुक्त क्षमता के कारण बहुत सी वस्तुओं का आयात किया जा रहा है ? क्या इस कारण से आयात की जाने वाली वस्तुओं का कोई मूल्यांकन किया गया है ?

श्री सिद्धेश्वर प्रसाद : ऐसा कोई मामला मेरे ध्यान में नहीं है। यदि ऐसी कोई बात ध्यान में लाई जायेगी तो निश्चय ही उस ओर ध्यान दिया जायेगा।

Shri Jagannath Raojoshi : Mr. Speaker, Sir there is a mention of many things in the statement placed on the Table but there is no mention about fertilizers in it. May I know the unutilized capacity of fertilizer factories in the country ?

Shri Siddheshwar Prasad : This specific question relates to the Ministry of Petroleum and Chemicals. So far as I know, 60 percent capacity is being utilized. If the Hon. Member wants to know the details he may ask the concerned Ministry.

श्री इन्द्रजीत गुप्त : जो जानकारी दी जा रही है और जो नहीं दी जा रही है, सभी को ध्यान में रखते हुए क्या मैं यह जान सकता हूं कि यह उल्लेख वास्तविक अधिष्ठापित क्षमता के लिये हैं अथवा लाइसेन्स प्राप्त क्षमता के लिये ? जब क्षमता के पूरे प्रयोग न किये जाने अथवा उसके अप्रयुक्त रहने की बात की जाती है तो क्या विशेषतया उन मामलों की, जहां गैर सरकारी क्षेत्र के उद्योगों की अधिष्ठापित क्षमता लाईसेंस प्राप्त क्षमता से अधिक है, वास्तविक बेकार पड़ी क्षमता का कोई मूल्यांकन किया गया है अथवा क्या सरकार ये आंकड़े अपने पास उपलब्ध लाइसेंस प्राप्त क्षमता के आंकड़ों के आधार पर देती है।

श्री सिद्धेश्वर प्रसाद : यह जानकारी प्रत्येक एकक की लाइसेन्स प्राप्त क्षमता के आधार पर दी गई है।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : क्या आपको इस बात का पता है कि कुछ मामलों में अधिष्ठापित क्षमता लाइसेन्स प्राप्त क्षमता से अधिक हो गई है और अप्राधिकृत उत्पादन हो रहा है ? क्या आपने इस पर ध्यान दिया है।

श्री सी० सुब्रह्मण्यम : यह ठीक है कि कुछ उद्योगों की अधिष्ठापित क्षमता लाइसेंस प्राप्त क्षमता से अधिक है और जहां उत्पादन आवश्यक है, वहां या तो अधिष्ठापित क्षमता को नियमित करने अथवा लाइसेंस प्राप्त क्षमता से अधिक उत्पादन न होने देने के सम्बन्ध में कार्यवाही की जा रही है।

श्री जगन्नाथ राव : क्या अप्रयुक्त क्षमता बड़े औद्योगिक गृहों में है ? क्या गैर-सरकारी क्षेत्र में भी कोई अप्रयुक्त क्षमता है और यदि हां, तो क्या उन्हें लाइसेन्स प्राप्त क्षमता के अनुकूल उत्पादन उपलब्ध करने के लिये कहा गया है और यह कार्यवाही करते समय क्या इस बात का ध्यान रखा गया है कि एकाधिकारवादी शक्तियों पर नियंत्रण रखा जाये ?

श्री सी० सुब्रह्मण्यम : इंजीनियरिंग उद्योग में अप्रयुक्त क्षमता पाई जाती है। इंजीनियरिंग उद्योग बड़े औद्योगिक गृहों के भी हो सकते हैं तथा मध्यम स्तर के औद्योगिक गृहों के भी। परन्तु इंजीनियरिंग उद्योग में अप्रयुक्त क्षमता कच्चे माल की कमी के कारण और कभी-कभी बिजली की सप्लाई तथा श्रमिक समस्याओं के कारण पाई जाती है। अतः बड़े औद्योगिक गृह अथवा मध्यम स्तरीय औद्योगिक-गृहों से अप्रयुक्त क्षमता का कोई तात्पर्य नहीं है।

श्री जी० विश्वनाथन : जब दोषपूर्ण योजना बनाने तथा उद्योगों के लाइसेंस देने की दोषपूर्ण नीति के कारण क्षमता अप्रयुक्त पड़ी रहती है तब नये लाइसेंस उन औद्योगिक एककों को क्यों दिये जा रहे हैं जिनके पास पहले ही सी क्षमता उत्पादन से अधिक है ?

श्री सी० सुब्रह्मण्यम : हम भविष्य की आवश्यकताओं का अनुमान लगाते हैं और क्योंकि कुछ परियोजनाओं को उत्पादन करने में समय लगता है, हमें उसका ध्यान रखना पड़ता है और भविष्य की मांगों को पूरा करने के लिए पर्याप्त क्षमता रखनी पड़ती है ।

राज्यों को विद्यार्थी-आन्दोलन से दृढ़ता एवं संयम के साथ निबटने के अनुदेश

+

*43. **श्री पी० गंगा देव :**

श्री के० लकप्पा :

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार ने सभी सम्बन्धित अधिकारियों को विद्यार्थी आन्दोलन से दृढ़ता एवं संयम के साथ निबटने के लिये कहा है;

(ख) हाल ही में कितने राज्यों में विद्यार्थी-आन्दोलन हुए हैं; और

(ग) इस सम्बन्ध में राज्य सरकारों की सहायतार्थ केन्द्रीय सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कृष्ण चन्द पन्त) : (क) से (ग). एक विवरण सभा पटल पर रखा जाता है ।

विवरण

राज्य सरकारों से उनके राज्यों में सभी सम्बन्धित प्राधिकारियों को उचित रूप में सलाह देने का निवेदन किया है कि ऐसे आन्दोलनों से निपटने में, जो विद्यार्थियों द्वारा किये जाते हैं, सतर्कता अथवा दृढ़ता की कमी नहीं होनी चाहिए पर साथ ही इसमें संयम की आवश्यकता तथा ऐसे संयम बरतने के स्पष्ट प्रमाण मिलने चाहिए ।

आन्ध्र प्रदेश, असम, बिहार, केरल, महाराष्ट्र, मैसूर, पंजाब, राजस्थान, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल राज्यों तथा संघ राज्य क्षेत्र दिल्ली से विद्यार्थियों के आन्दोलन की रिपोर्टें मिली हैं । राज्य सरकारों तथा शैक्षिक प्राधिकारियों द्वारा विद्यार्थियों की वास्तविक शिकायतों को दूर करने का प्रत्येक उपाय किया जा रहा है । केन्द्रीय सरकार विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के माध्यम से विश्वविद्यालयों तथा कालेजों की सहायता विद्यार्थियों के कल्याण से सम्बन्धित विभिन्न विकास कार्यक्रमों तथा अन्य कार्यक्रमों को कार्य रूप देने में करती रही है । केन्द्रीय सरकार राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों से सम्पर्क बनाये है और विधि और व्यवस्था की समस्या से निपटने में सभी उचित सहायता, जो मांगी जाती है, प्रदान करती है ।

श्री पी० गंगादेव : इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि कुछ राजनैतिक दल, जिनका शांति-पूर्ण मामलों में विश्वास नहीं है, छात्रों को हिंसात्मक आन्दोलनों के लिये अकसर प्रोत्साहित करते हैं, सरकार का विचार ऐसे प्रभावों को समाप्त करने के लिये क्या कदम उठाने का है ?

श्री कृष्ण चन्द पन्त : यह सच है कि जब कभी छात्र अपनी वास्तविक शिकायतों के लिये आन्दोलन कर रहे होते हैं, तब भी राजनैतिक दल तथा राजनैतिक दल वहां अपनी टांग अड़ाते हैं और मामला आन्दोलन का स्वरूप ले लेता है । इससे छात्रों की पढ़ाई की हानि होती है । इससे

उनका भविष्य प्रभावित होता है और मेरे विचार से इस प्रश्न पर सभी राजनैतिक दलों को विचार करना चाहिए कि आन्दोलन के प्रति उन्मुख होने की प्रवृत्ति को किस प्रकार रोका जाय तथा अपनी युवा पीढ़ी को किस प्रकार ऐसी शिक्षा उपलब्ध करायी जाये जिससे वह देश के विकास के लिए अपना अधिकतम योगदान दे सके। इस मामले में राजनैतिक दलों की अपनी अपनी रुचि होती है। सदन के सभी दलों को इस प्रश्न पर विचार करना चाहिए।

श्री पी० गंगादेव : क्या सरकार ने अर्धस्थायी स्तर पर छात्रों के प्रतिनिधियों, शैक्षिक प्राधिकारियों तथा पुलिस की त्रिपक्षीय मशीनरी रखने की संभाव्यताओं का पता लगाया है ताकि छात्रों तथा अधिकारियों में गतिरोध उत्पन्न होते समय हिंसात्मक आन्दोलन आरम्भ होने से पूर्व पुलिस पर्याप्त रूप से तैयार रहे ?

श्री कृष्ण चन्द्र पन्त : जैसा कि माननीय सदस्य को पता है, पुलिस साधारणतया शैक्षिक संस्थानों के प्रांगणों में प्रवेश नहीं करती है। पुलिस तभी प्रवेश करती है जब सम्बन्धित अधिकारियों द्वारा पुलिस को प्रवेश करने के लिये कहा जाता है। यह एक सामान्य नीति है और यदि झगड़ा तय हो जाता है अथवा विवाद अथवा मतभेद छात्रों और शैक्षिक प्राधिकारियों के बीच तय हो जाते हैं। तब पुलिस के सामने आने का प्रश्न ही नहीं है। जैसा कि मैंने मूल प्रश्न के उत्तर में बताया है, केन्द्रीय सरकार ने राज्य सरकारों से कहा है कि पुलिस को दृढ़ और सतर्क रहते हुये भी यह ध्यान रखना चाहिये कि वे छात्रों के आन्दोलनों से निपटने में संयम से काम लें।

श्री के० लकप्पा : मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि छात्रों की शिकायतों के मामले में सरकार सतर्कता पूर्वक तथा उचित समय पर कार्यवाही कर रही है। परन्तु इसके उपरान्त भी . . .

अध्यक्ष महोदय : यदि आप अनुपूरक प्रश्न पूछें तो मुझे भी प्रसन्नता होगी।

श्री के० लकप्पा : सरकार द्वारा की गई कार्यवाही से मुझे प्रसन्नता है परन्तु साथ ही गत 6 महीनों से प्रत्येक राज्य में आन्दोलन चल रहे हैं। इसका कारण यह है कि कुछ एजेन्सियां तथा कुछ राजनैतिक दल अपने उद्देश्यों की पूर्ति के लिये भोले-भाले छात्रों का शोषण कर रहे हैं। ऐसी बहुत सी घटनायें हुई हैं। मैं मैसूर राज्य का एक उदाहरण देना चाहता हूं।

अध्यक्ष महोदय : उदाहरण देने का कोई प्रश्न नहीं है। आप प्रश्न पूछिये। मुझे बार-बार प्रत्येक दिन ऐसा अनुरोध करना पड़ता है।

श्री के० लकप्पा : मंत्री महोदय इस मामले की पृष्ठ भूमि से परिचित हैं। भोले-भाले छात्रों को राजनीति में घसीटा जा रहा है। चारों ओर असंतोष, हिंसा, उपद्रव फैले हुये हैं। यह वातावरण कुछ राजनैतिक दलों द्वारा पैदा किया जाता है। कनिष्ठ वाणिज्य मंडल, रोटरी क्लब जैसे कुछ संस्थान भी ऐसे ही हैं। ये छात्रों को भड़काते हैं। ये भोले-भाले छात्रों को हिंसात्मक गतिविधियां अपनाने के लिये भड़काते हैं। ऐसे उदाहरण उपलब्ध हैं।

अध्यक्ष महोदय : यदि आप प्रश्न नहीं पूछते तो मुझे आपको बैठ जाने के लिये कहना पड़ेगा। कृपया प्रश्न पूछिये। मैं भाषण की अनुमति नहीं दूंगा, केवल प्रश्न पूछा जा सकता है।

श्री के० लकप्पा : क्या मुझे प्रश्न नहीं पूछना चाहिये।

अध्यक्ष महोदय : क्यों नहीं, आप प्रश्न पूछ सकते हैं।

श्री के० लकप्पा : क्या सरकार को इस बात का पता है कि कुछ संस्थान राजनैतिक दलों के उकसाने पर आन्दोलन कराते हैं जिससे देश में असंतोष व्याप्त हो जाये ? क्या वे निर्दोष छात्रों को इन घटनाओं की ओर नहीं घसीटते हैं ? क्या सरकार इससे अवगत है ? यदि हां, तो उसने क्या कार्यवाही की है ? सरकार के पास क्या जानकारी उपलब्ध है ? सरकार की इस सम्बन्ध में क्या प्रतिक्रिया है ? यह मेरा पहला प्रश्न है। मेरा दूसरा प्रश्न यह है कि छात्रों को कुछ शिकायतें सच्ची होती हैं। उदाहरण के लिये हरियाणा में मैडिकल कालिज के मामले में छात्रों को शिकायतें वास्तविक थीं। वहां पर मैडिकल कालिजों के बन्द होने में उनका कोई दोष नहीं है। वहां छात्रों को बहुत सी सुविधाओं से वंचित रखा गया है। इसी कारण वे हड़ताल कर रहे हैं। आज मैडिकल कालिज के छात्र हड़ताल पर हैं···

अध्यक्ष महोदय : आप क्या कह रहे हैं ? इस प्रश्न से हड़ताल का क्या सम्बन्ध है, मेरी समझ में नहीं आता ?

श्री कृष्ण चन्द्र पन्त : किसी भी राजनैतिक दल अथवा ग्रुप द्वारा दलगत उद्देश्यों के लिये छात्रों के कार्यों के सम्बन्ध में मैं यही कह सकता हूं कि यह बड़े दुर्भाग्य की बात है और छात्रों को दलगत राजनीति से दूर रखने के लिये हर संभव प्रयत्न किया जाना चाहिये। जैसा कि मैंने बताया है, यह मामला देश के भविष्य से सम्बन्ध रखता है। इस मामले का प्रत्येक दल से सम्बन्ध है, प्रत्येक ग्रुप तथा विस्तृत जन विचारधारा से सम्बन्ध है। अतः प्रत्येक दल और ग्रुप को इस समस्या पर ध्यान देना चाहिये।

श्री पी० जी० मावलंकर : क्या सरकार ने राज्य सरकारों को निदेश देते हुये इस समस्या को केवल कानून और व्यवस्था की दृष्टि से ही नहीं अपितु मनोवैज्ञानिक तथा मानवीय ढंग से निपटाने की आवश्यकता पर भी बल दिया है ? मंत्री महोदय ने अभी-अभी जो कहा है कि किसी भी दल को छात्रों के कार्यों में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिये, इस तथ्य को ध्यान में रखते हुये क्या सर्वप्रथम सत्ताधारी दल इस बात को कार्यरूप देगा और छात्र आन्दोलनों से अपने आपको अलग रखके पहला उदाहरण प्रस्तुत करेगा ?

श्री कृष्ण चन्द्र पन्त : सत्ताधारी दल के अपने स्वयं के दृष्टिकोण का प्रश्न नहीं है। हम इस बात को मानते हैं कि विद्यार्थी राजनीति में रुचि रखते हैं, राजनीति में रुचि रखने के लिए सेमिनार, वाद-विवाद आदि जैसे दूसरे तरीके भी हैं। प्रजातंत्र हेतु तैयारी के लिए विद्यार्थियों को राजनीति में कुछ रुचि रखनी पड़ती है। लेकिन हिंसात्मक आन्दोलन करना तथा आन्दोलनकारी तरीकों को अपना और विघटनकारी उद्देश्यों के लिए निरीह विद्यार्थियों को काम में लाना आपत्तिजनक है।

श्री पी० जी० मावलंकर : मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण तथा मानवीय दृष्टिकोण की आवश्यकता सम्बन्धी मेरे पहले प्रश्न का क्या हुआ ?

श्री कृष्ण चन्द्र पन्त : जो दृष्टिकोण मैंने बताया उसमें मनोवैज्ञानिक तथा मानवीय पहलू शामिल हैं।

श्रीमती ज्योत्सना चन्दा : मैं सरकार से जानना चाहती हूं कि क्या सरकार को इस तथ्य की जानकारी है कि आसाम में गत दो महीनों से हिंसात्मक छात्र आन्दोलन हो रहे हैं। मैं जानना चाहती हूं कि क्या राज्य सरकार के शासन तंत्र ने आसाम में भाषायी अल्प-संख्यकों को परेशान करने के लिए विद्यार्थी आन्दोलनकारियों के साथ भाग लिया ?

अध्यक्ष महोदय : इस प्रश्न से यह बात कहां उठती है ? यह असंगत बात है।

श्री अटल बिहारी बाजपेयी : क्या मैं एक संगत प्रश्न पूछ सकता हूं ?

अध्यक्ष महोदय : क्या वे ऐसा सोचते हैं कि यहां असंगत प्रश्न भी पूछे जाते हैं ?

Shri Atal Bihari Vajpayee : The Minister of State in the Ministry of Home Affairs has said that some directives have been given to the States. May I know whether some guidelines have been kept in view by the Central Government also. Trivial things take the shape of agitations. In Delhi, an Engineering College is closed for the last three months. Only yesterday, there was an agitation by the students. May I know whether the Central Government have any information as to why it is closed and how it can be re-opened ?

Shri K. C. Pant : It is possible that the agitation may be stopped if the hon. Member instructs the agitating students accordingly.

Shri Atal Bihari Vajpayee : I am asking about the reasons behind the closure of Engineering College, and the hon. Minister says that the agitation can be stopped if I instruct the students to do so. Does he mean that the agitation is taking place at my instance ? He is making totally baseless allegations against me. What does he mean by saying that if the hon. Member instructs the students, the agitation will not take place ?

Mr. Speaker : He has said a correct thing.

Shri Atal Bihari Vajpayee : Mr. Speaker, Sir, atleast you should not take his side. You should get the reply to my question. The Engineering College in Delhi is closed for the last three months and that is the cause of discontentment among the students. May I know whether the Government know the reasons for the closure of the Engineering College ?

Mr. Speaker : Shri Radha Raman has come to know yesterday. I do not know whether you are aware of it or not. इन प्रश्नों के लिए नोटिस की आवश्यकता है। ये विशिष्ट प्रश्न हैं। इनकी अनुमति यहां कैसे दी जा सकती है ?

प्रो० नारायण चन्द पाराशर : मैं मंत्री महोदय से जानना चाहता हूं कि क्या उनका ध्यान इस आशय के समाचार की ओर गया है कि पंजाब कृषि विश्वविद्यालय, लुधियाना, छात्रावास में छात्रों के कमरों में हिंसात्मक कार्यवाही सम्बन्धी सामग्री पाई गई और यदि हां, तो उस बारे में क्या कार्यवाही की गयी है ?

श्री कृष्ण चन्द्र पन्त : यह पंजाब राज्य सम्बन्धी कानून और व्यवस्था का प्रश्न है।

श्रीमती एम० गौडफ्रे : मैं मंत्री महोदय से जानना चाहती हूं कि राज्य सरकारें उपद्रवों के आरम्भ होते ही स्कूल और कालेजों को क्यों बन्द कर देती हैं ? मेरे विचार से ऐसा करने से छात्रों को अवारागर्दी करने तथा कुछ शरारतपूर्ण काम करने का अधिक मौका मिलता है। अगर स्कूल और कालिज बन्द न किये जायें तो जिन्हें स्कूल और कालिज में उपस्थित होना है, वे अवश्य आयेंगे। मैं नहीं समझती कि स्कूल और कालिजों को बन्द न करने से उपद्रव भी होंगे और हानि भी होगी।

श्री कृष्णचन्द्र पन्त : मुझे विश्वास है कि इस बात को सभी स्वीकार करेंगे। मेरे विचार से प्राधिकारी संस्थान को तभी बन्द करते हैं जबकि ऐसा करना बिलकुल अनिवार्य हो जाता है।

Shri Swami Brahmanandji : The cause of agitation in educational institutions is the absence of representatives of students there. There will be no agitations if the representatives of students remain in the educational institutions. I am also running several colleges. Though principally wrong yet I use to consult the students and the result is that there are no agitations. Agitations take place when students are fed up and the accomplice reap the political gains out of it. Hence, I suggest that in every educational institution, there should be representatives of students.

Shri K. C. Pant : Personally I prefer this principle that the participation of students should increase in educational institutions. But this question is related to Ministry of Education and I will convey it to them.

श्री प्रसन्नभाई मेहता : मैं मंत्री महोदय से जानना चाहता हूं कि क्या यह सत्य है कि सरकार का यह मत है कि भारत में सब जगह छात्रों में फैली अशान्ति के पीछे विदेशी हाथ है, और यदि हां, तो छात्रों के बीच विदेशी गतिविधियों को रोकने के लिए सरकार क्या उपाय कर रही है ?

श्री कृष्ण चन्द्र पन्त : जी नहीं, मैं इस बात से सहमत नहीं हूं, एक-आध ऐसे उदाहरण मिल सकते हैं। लेकिन मैं सोचता हूं कि हमें यह मानना चाहिये कि यह एक ऐसी समस्या है जिसका हल हमें निकालना है। कुछ झगड़े आदि छात्रों की वास्तविक शिकायतों से सम्बन्धित होते हैं, उनमें से कुछ शिक्षा सम्बन्धी मामलों से सम्बन्धित हैं जो छात्र कार्य-कलापों की सामान्य परिधि के अन्तर्गत पूर्णतः नहीं आते। कुछ अन्य मामलों से सम्बन्धित होते हैं जो शिक्षा सम्बन्धी कार्य-कलापों से बिल्कुल भी सम्बन्धित नहीं होते और कभी-कभी राजनीतिक दल इनमें प्रवेश कर जाते हैं और उपद्रव बड़ा रूप धारण कर लेते हैं। ये सभी पहलू इसमें हैं, जैसा मैंने पहले कहा, यह कोई दल का अथवा दलगत मामला नहीं है। हम सबको चिन्तित करने वाली समस्या को सुलझाने के लिए हम सबको मिलकर सोचना पड़ेगा।

श्री प्रसन्नभाई मेहता : मैंने विशिष्ट रूप से यह पूछा था कि क्या सरकार का यह मत है कि छात्रों द्वारा किये जाने वाले दंगों में विदेशी हाथ है ?

श्री कृष्ण चन्द्र पन्त : मैं उत्तर दे चुका हूं कि ऐसा नहीं है।

श्री था० किरुत्तिनन : क्या सरकार को पता है कि ऐसे झगड़े पैदा करने के लिए कुछ राज्यों में छात्रों को हिंसात्मक हथियार, मिट्टी का तेल, पैट्रोल और यहां तक कि धन भी दिया गया है ? यदि हां, तो इस कार्य में कौन से राजनीतिक दल शामिल हैं ?

श्री कृष्ण चन्द्र पन्त : इस प्रश्न का उत्तर देने से पूर्व मैं इस धारणा को दूर करना चाहूंगा कि कुछ थोड़े छात्र ऐसे हो सकते हैं जो ऐसे कार्यकलापों में पड़ते हैं लेकिन उनका बहुत बड़ा समुदाय सामान्य शैक्षिक जीवन और अध्ययन में रुचि रखता है। कुछ ऐसी घटनायें अवश्य देखने को मिलती हैं। लेकिन वे छात्र समुदाय के बहुत ही अल्प संख्यक छात्रों से सम्बन्धित हैं और हमें इसे सम्पूर्ण छात्र समुदाय को सम्मिलित करने के लिए बढ़ावा नहीं देना चाहिये।

अध्यक्ष महोदय : अगला प्रश्न।

श्री था० किरुत्तिनन : मैंने धन और हथियारों के वितरण के बारे में पूछा था।

अध्यक्ष महोदय : मुझे आगे भी चलना है।

औद्योगिक विकास तथा पूंजी निवेश सम्बन्धी नीति के बारे में टाटा का ज्ञापन

+

*50. **डा० लक्ष्मी नारायण पांडेय :**
श्री मोहम्मद इस्माइल :

क्या **औद्योगिक विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को औद्योगिक विकास तथा पूंजी निवेश सम्बन्धी नीति के बारे में श्री जे० आर० डी० टाटा से कोई ज्ञापन प्राप्त हुआ है ;

(ख) यदि हां, तो ज्ञापन की मुख्य बातें क्या हैं ;

(ग) क्या सरकार ने ज्ञापन पर विचार कर लिया है ; और

(घ) यदि हां, तो उस पर क्या निर्णय किया गया है ?

औद्योगिक विकास मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद) : (क) जी, हां ।

(ख) ज्ञापन में ही उल्लिखित बातों का सारांश दिया हुआ है । सारांश की एक प्रतिलिपि संलग्न है । **[ग्रंथालय में रखी गयी । देखिये संख्या एल० टी० 3675/72]**

(ग) से (घ). देश का द्रुतगामी औद्योगिक विकास करने की सरकारी नीतियों की निरन्तर समीक्षा की जाती है । विभिन्न सुझाव जैसे कि ज्ञापन में दिये गये हैं, समय-समय पर सरकार के समक्ष रखे जाते हैं । सरकार इन सभी सुझावों पर ध्यान तो देती ही है। इसके अतिरिक्त उसकी नीति का निर्धारण सामाजिक न्याय के साथ-साथ द्रुत गति से एक बड़े पैमाने पर औद्योगिक विकास का सुनिश्चिय करने की आवश्यकता पर आधारित होता है ।

Dr. Laxminarain Pandeya : The hon. Minister has enclosed a memorandum with the statement. It is mentioned there that :

"Government should consider the possibility of turning some well run enterprises today wholly in the public sector into joint sector companies, with majority of Government ownership and control, by releasing a minority shareholding to the investing public with a view to diverting funds so released to other priority projects."

I want to know what is the specific say of the Government in this respect ? May know whether the Government prefers the suggestion given regarding the mode of capital investment and want to assist in that matter ?

Shri Siddheshwar Prasad : It has been mentioned in the statement laid on the Table of the House that Government are considering that suggestion.

Dr. Laxminarain Pandeya : I had asked as to what is the specific say of the Government with regard to joint sector mentioned in the memorandum ?

Shri Siddheshwar Prasad : It has been mentioned in the statement that Government is considering the suggestion given in the memorandum.

श्री दीनेन भट्टाचार्य : क्या यह सच है कि सरकार नई औद्योगिक नीति आरम्भ करने तथा सभी क्षेत्रों में संयुक्त क्षेत्र प्रारम्भ करने के बारे में गम्भीरता से विचार कर रही है और आगे बढ़ रही है ?

औद्योगिक विकास तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री (श्री सी० सुब्रह्मण्यम) : जी, नहीं। यह सही नहीं है।

श्री दीनेन भट्टाचार्य : क्यों नहीं ?

श्री जी० विश्वनाथन : मैं जानना चाहता हूं कि क्या सरकार ने श्री टाटा के सुझाव को स्वीकार कर लिया है कि संयुक्त क्षेत्र निजी क्षेत्र तथा सरकार के बीच साझेदारी का एक रूप है जिसमें सरकार द्वारा 26 प्रतिशत से कम पूंजी नहीं लगाई जायेगी और दिन-प्रति-दिन का प्रबन्ध सामान्य रूप से निजी क्षेत्र के साझेदार के हाथ में होगा और नियंत्रण तथा पर्यवेक्षण निदेशक बोर्ड द्वारा किया जायेगा जिसमें सरकार का पर्याप्त प्रतिनिधित्व होता है। मैं यह भी जानना चाहता हूं कि क्या यह औद्योगिक नीति की सरकार द्वारा समीक्षा का प्रारम्भ है ?

श्री सी० सुब्रह्मण्यम : निश्चित रूप से, औद्योगिक नीति की समीक्षा आरम्भ करना टाटा का कार्य नहीं है। यह कार्य सरकार का है और हम इसकी समीक्षा पूर्व निर्धारित नीतियों के सन्दर्भ में कर रहे हैं।

श्री जी० विश्वनाथन : संयुक्त क्षेत्र के बारे में ?

श्री सी० सुब्रह्मण्यम : यहां तक कि संयुक्त क्षेत्र के संदर्भ में भी टाटा द्वारा हमारा मार्ग-दर्शन नहीं किया जाता है।

अध्यक्ष महोदय : अगला प्रश्न, श्री मालन्ना।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : महोदय, क्या आप कुछ और प्रश्न पूछने की अनुमति नहीं देंगे ? **(व्यवधान)** यह बड़ा महत्वपूर्ण मामला है।

अध्यक्ष महोदय : तब, श्री मालन्ना प्रतीक्षा करें। कृपया अपना प्रश्न पूछिये। लेकिन इसे नियम के रूप में नहीं समझ लेना चाहिये।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : यह पूर्वोदाहरण का प्रश्न नहीं है।

अध्यक्ष महोदय : मैं पहले ही अगले प्रश्नकर्त्ता का नाम ले चुका हूं।

श्री समर मुखर्जी : आपने नहीं देखा कि श्री गुप्ता खड़े थे।

अध्यक्ष महोदय : मैं आपको अवसर देने का प्रयास कर रहा हूं। इसके बावजूद भी आप आपत्ति कर रहे हैं।

श्री एच० एन० मुकर्जी : महत्वपूर्ण पूर्वोदाहरणों के बारे में अध्यक्ष हमेशा अपने विवेक का प्रयोग करता है। मैं केवल यह कहना चाहता हूं कि दो अनुपूरक प्रश्न पूछे गये थे और उनमें से एक भी प्रश्न का उत्तर नहीं दिया गया। आपने इस ओर ध्यान नहीं दिया।

अध्यक्ष महोदय : इस मामले के बारे में मैं माननीय सदस्यों को अनुपूरक प्रश्न पूछने की अनुमति दे चुका हूं। **(अन्तर्बाधा)**

श्री एच० एन० मुकर्जी : एक प्रश्न का उत्तर ही नहीं दिया गया और आपने इस ओर ध्यान नहीं दिया।

अध्यक्ष महोदय : क्योंकि इस ओर से तीन माननीय सदस्य पहले ही प्रश्न पूछ चुके थे, मुझे दूसरी ओर भी ध्यान देना था। (**अन्तर्बाधाएं**)

श्री इन्द्रजीत गुप्त : श्री टाटा के ज्ञापन का जो संक्षेप यहां प्रस्तुत किया गया है उससे प्रतीत होता है कि उनकी राय है कि विनियोजन के लिए ऐसी कम्पनियों के विकास पर जो बड़े व्यापार गृहों के अंतर्गत आती हैं मार्ग में मुख्य बाधा लगाये गये नियंत्रण हैं। अन्य शब्दों में, बड़े व्यापार गृहों पर लगाये गये प्रतिबन्धों में ढील देनी होगी या उन्हें हटाना होगा। मैं यह जानता हूं कि औद्योगिक नीति की चर्चा की जा रही है और इस बारे में अभी तक अन्तिम निर्णय नहीं लिया गया है। मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या श्री टाटा द्वारा दिये गये ज्ञापन में व्यक्त किये गये विचार अर्थात् यह कि एकाधिकार प्राप्त ग्रहों पर नियंत्रणों और प्रतिबन्धों को ढीला करने और विनियोजन वाली बात को स्वीकार कर लिया जाता है, तो क्या यह उस नीति के विरुद्ध नहीं होगा, जिसमें यह उल्लेख किया गया है कि एकाधिकार गृहों के और अधिक विकास तथा एकाधिकार व्यापार प्रक्रिया पर प्रतिबन्ध लगाया जाना चाहिये ?

श्री सी० सुब्रह्मण्यम : किसी भी व्यक्ति को अपने कोई भी विचार रखने का अधिकार है और श्री टाटा के औद्योगिक विकास के बारे में अपने विचार हैं। हमारा मार्गदर्शन उन विचारों से नहीं होता। हमारी मूल स्थिति वैसी ही है, उसमें कोई परिवर्तन नहीं हुआ है।

यूनाइटेड कमर्शियल बैंक के भूतपूर्व कस्टोडियन के विरुद्ध जांच

*51. **श्री के० मालन्ना** : क्या **प्रधान मंत्री** यूनाइटेड कमर्शियल बैंक के भूतपूर्व कस्टोडियन के विरुद्ध जांच के बारे में 23 अगस्त, 1972 के अतारांकित प्रश्न संख्या 3212 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वह जांच पूरी कर ली गयी है ; और

(ख) यदि हां, तो उसके क्या परिणाम निकले ?

गृह मंत्रालय और कार्मिक विभाग में राज्य मंत्री (श्री राम निवास मिर्धा) : (क) जी नहीं, श्रीमान्।

(ख) प्रश्न नहीं, उठता।

श्री के० मालन्ना : मैं मंत्री महोदय से यह जानना चाहता हूं कि जांच में विलम्ब होने के क्या कारण हैं ?

श्री राम निवास मिर्धा : मामला सर्वोच्च न्यायालय के विचाराधीन है और इस बारे में रोकादेश ले लिये गये हैं। प्रवर्त्तन निदेशालय ने नवम्बर, 1971 में रोकादेश समाप्त करने के लिये आवेदन दिया था लेकिन अभी इस सम्बन्ध में सुनवाई की तारीख निर्धारित नहीं की गई है। सर्वोच्च न्यायालय ने बताया है कि इसकी सुनवाई दिसम्बर, 1972 से पूर्व नहीं हो सकती। जांच में इसी कारण से देरी हुई है।

कलकत्ता के बाहरी क्षेत्र में औद्योगिक आधार का निर्माण

*53. **श्री इन्द्रजीत गुप्त** : क्या **औद्योगिक विकास** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पश्चिम बंगाल में औद्योगिक सम्भावनाओं का पता लगाने के लिए जिलेवार कोई सर्वेक्षण नहीं किया गया है ;

(ख) क्या पश्चिम बंगाल सरकार ने वृहतर कलकत्ता क्षेत्र के बाहर आवश्यक औद्योगिक आधार का निर्माण करने सम्बन्धी कोई योजना केन्द्र को प्रस्तुत की है ; और

(ग) यदि हां, तो उसकी मुख्य रूप रेखा क्या है ?

औद्योगिक विकास मंत्रालय में उप-मन्त्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद) : (क) जी, नहीं । पश्चिम बंगाल के लघु उद्योग निदेशालय ने राज्य के सारे पिछड़े जिलों में औद्योगिक सम्भावनाओं का जिलेवार सर्वेक्षण किया है ।

(ख) जी, नहीं ।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता ।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : मैं विशेष रूप से यह जानना चाहूंगा कि क्या पश्चिम बंगाल सरकार ने राज्य की पांचवीं योजना के बारे में अपनी सिफारिशें देते समय वृहत्तर, कलकत्ता के बाहरी जिलों में नये उद्योगों के विकास के लिये केन्द्रीय सरकार से कोई ठोस सहायता मांगी है और, यदि हां, तो कितनी सहायता मांगी गई है और केन्द्रीय सरकार का कितनी सहायता देने का विचार है ?

श्री सिद्धेश्वर प्रसाद : हमें पश्चिम बंगाल सरकार से इस बारे में कोई विशेष अनुरोध प्राप्त नहीं हुआ है । हमें यह जानकारी है कि पश्चिम बंगाल सरकार ने राज्य की आधारभूत आवश्यकताओं की जांच के लिये एक उच्च स्तरीय समिति का गठन किया है जिससे उन क्षेत्रों में औद्योगिक विकास हो सके जिनकी उपेक्षा की गई है ।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : मुझे विश्वास है कि माननीय मंत्री को इस बात की जानकारी होगी कि पश्चिम बंगाल में एक राज्य योजना बोर्ड है जिसने राज्य में कुछ पिछड़े समझे जाने वाले विकासशील क्षेत्रों के लिये योजनाएं बनाई हैं । क्या राज्य योजना बोर्ड से सम्पर्क स्थापित करने के लिये और चौथी योजना के दौरान वृहत्तर कलकत्ता क्षेत्र के बाहर मूलभूत आधार तैयार करने के लिए सरकार के पास कोई तंत्र है ?

श्री सिद्धेश्वर प्रसाद : मैं यह स्पष्ट कर रहा हूं कि पश्चिम बंगाल सरकार का एक उच्च स्तरीय निगम स्थापित करने का प्रस्ताव है जो इस बारे में ब्यौरा एकत्र करेगा और जब यह निकाय अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत कर देगा तब ही हम कह सकेंगे कि उनकी आवश्यकताएं क्या हैं ।

श्री एच० एन० मुकर्जी : चूंकि कलकत्ता और वृहत्तर कलकत्ता की समस्याएं केन्द्रीय सरकार के विचाराधीन हैं, क्या केन्द्रीय सरकार की उद्योगों को वृहत्तर कलकत्ता क्षेत्र से पश्चिम बंगाल के अन्य क्षेत्रों में ले जाने की अपनी योजना है ? क्या वहां पश्चिम बंगाल राज्य

योजना बोर्ड या किसी अन्य इसी प्रकार के संगठनों का आपस में कोई तालमेल है और इस बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

श्री सिद्धेश्वर प्रसाद : पश्चिम बंगाल सरकार ने हमें सूचित किया है कि राज्य में उद्योगों के मूलभूत आधार की व्यवस्था तैयार करने वाले एक विकास निगम की स्थापना करने का उनका विचार है। निगम द्वारा प्रतिवेदन प्रस्तुत किये जाने के आधार पर वे हमें अपनी आवश्यकताएं बतायेंगे।

श्री नवल किशोर सिंह : यदि माननीय मंत्री को इस बारे में कोई जानकारी है तो क्या वह यह बतायेंगे कि क्या अन्य राज्यों में ऐसे सर्वेक्षण किये गये हैं और क्या भारत के सब राज्यों को ऐसा निदेश देने का कोई विचार है कि पिछड़े जिलों में ऐसे सर्वेक्षण किये जायें और सहायता के सम्बन्ध में केन्द्रीय सरकार को प्रतिवेदन प्रस्तुत किया जाये ?

श्री सिद्धेश्वर प्रसाद : अधिकांश राज्यों ने किसी एजेंसी के माध्यम से अथवा अन्य प्रकार से पिछड़े जिलो का सर्वेक्षण किया है । अभी हाल ही में राज्यों के उद्योग मंत्रियों का सम्मेलन हुआ था और वे इस बारे में सहमत हुए कि इस विषय में इस वर्ष के अन्त तक वे जांच करेंगे और सब पिछड़े जिलों का सर्वेक्षण करायेंगे ।

डा० रानेन सेन : केन्द्रीय सरकार और पश्चिम बंगाल सरकार द्वारा 16 जिलों में किये गये सर्वेक्षण में से 13 जिले औद्योगिक दृष्टि से पिछड़े हुए हैं। इस बात को ध्यान में रखते हुए केन्द्रीय सरकार के औद्योगिक विकास मंत्रालय ने पश्चिम बंगाल में मूलभूत आधार की व्यवस्था के विकास के लिये 16 सूत्री कार्यक्रम तैयार किया है। क्या इस मंत्रालय ने ऐसा कोई अनुमान लगाया है कि पश्चिम बंगाल में यह 16 सूत्री कार्यक्रम की कहां तक क्रियान्विति की गई है और यदि हां, तो इस बारे में क्या वास्तविक प्रगति है ?

श्री सिद्धेश्वर प्रसाद : जहां तक मूलभूत आधार सम्बन्धी सुविधाओं की बात है, मैंने अभी उल्लेख किया कि यह कार्य पश्चिम बंगाल सरकार द्वारा स्थापित निगम करेगा।

जब तक मूलभूत आधार की सुविधाओं के बारे में हमें प्रतिवेदन प्राप्त नहीं होता, हम इस सम्बन्ध में कुछ भी कहने में असमर्थ हैं ।

श्री समर गुह : क्या भारत सरकार का ध्यान पश्चिम बंगाल के प्रेस तथा पश्चिम बंगाल सरकार द्वारा स्टेनलैस स्टील के उत्पादन के लिये दुर्गापुर मिश्रधातु इस्पात संयंत्र के विस्तार की अनुमति न देने की केन्द्रीय सरकार की नीति की आलोचना की ओर दिलाया गया है, जिससे मूलभूत आधार वाले उद्योगों, विशेषकर इंजीनियरिंग और उपभोक्ता वस्तु उद्योगों के विस्तार पर गम्भीर प्रभाव पड़ेगा ? यदि हां, तो क्या उद्योग मंत्रालय इस्पात मंत्रालय से इस मामले में विचार विमर्श करेगा जिससे दुर्गापुर मिश्रधातु इस्पात संयत्र में स्टेनलैस स्टील के उत्पादन की अनुमति दी जा सके ?

औद्योगिक विकास और विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री (श्री सी० सुब्रह्मण्यम्) : माननीय सदस्य ने इस मामले को मूलभूत आधार की स्थापना से जोड़ने का प्रयास किया है। लेकिन इस प्रश्न का उत्तर इस्पात मंत्री द्वारा दिया जायेगा। इस विषय पर सभा में चर्चा की गई थी।

श्री समर गुह : इसलिये मैंने यह पूछा था कि क्या वह इस मामले पर इस्पात मंत्रालय से बातचीत करेंगे।

श्री सी० सुब्रह्मण्यम् : मेरा ऐसा कोई विचार नहीं है।

श्री बी० के० दासचौधरी : अधिकांश पिछड़े जिलों में मूलभूत आधार की व्यवस्था उचित रूप से विकास न होने के बारे में हम जब प्रश्न पूछते हैं तो हमें भारत सरकार का यही उत्तर मिलता है कि इसके विकास का दायित्व राज्य सरकार पर है। पश्चिम बंगाल के कुछ जिलों में गम्भीर पिछड़ेपन को देखते हुए, क्या भारत सरकार पिछड़े जिलों के मूलभूत आधार की स्थापना के लिये भारी मात्रा में सहायता देगी ?

श्री सिद्धेश्वर प्रसाद : ऐसा कोई प्रस्ताव सरकार के, सामने नहीं है।

फर्मों को जारी किये गये लाइसेंसों और आशयपत्रों का पुनरीक्षण

\+
*56. **श्री भोगेन्द्र झा** :
श्री एम० रामगोपाल रेड्डी :

क्या **औद्योगिक विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने इस बारे में कोई समीक्षा की है कि वर्ष 1970-71 और 1971-72 के दौरान दिये गए आशय पत्रों और औद्योगिक लाइसेंसों को क्रियान्विति किस स्थिति में है ; और

(ख) यदि हां, तो उसका क्या परिणाम निकला है ?

औद्योगिक विकास मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद) : (क) और (ख). ऐसा देखा गया है कि व्यावहारिक रूप से औद्योगिक उपक्रम स्थापित करने और उत्पादन आरम्भ करने में आशय-पत्र जारी करने की तिथि से लगभग तीन से चार वर्ष का समय लगता है। 1970-71 तथा 1971-72 की अवधि में दिये गए सभी आशय-पत्रों और औद्योगिक लाइसेंसों की विषद समीक्षा करना ऐसी स्थिति में समय से पूर्व होगा। फिर भी आशय-पत्रों और औद्योगिक लाइसेंसधारियों द्वारा की गई प्रगति के बारे में स्थिति की समीक्षा उनकी वैधता की अवधि बढ़ाने के बारे में आवेदनों पर विचार करते समय की जाती है और ऐसे आवेदनों को मंजूर करने के लिए प्रगामी रूपेण चयनपूरक तरीके अपनाए जाते हैं। विभिन्न श्रेणियों के आशय-पत्र और औद्योगिक लाइसेंसधारियों के जैसे राज्य औद्योगिक विकास निगमों और वे जो विभिन्न चुनी हुई वस्तुओं के निर्माण में रत हैं जैसे कैल्सियम कार्बाइड, मोटर गाड़ी के टायर तथा ट्यूब, चुनी हुई इलेक्ट्रानिक की वस्तुएं, कास्टिक सोडा, सोडा ऐश आदि की प्रगति की समीक्षा की गई है। ऐसी चयनपूरक समीक्षाओं के परिणामस्वरूप तेजी से कार्यान्वयन करने में आने वाली कुछ सामान्य कठिनाइयों का पता लगाया गया है। और जहां तक संभव होता है इस स्थिति को सुधारने के लिए कदम उठाए गए हैं। ऐसे मामलों में जहां कार्यान्वयन में उपेक्षनीय भावना देखी गई है, चेतावनी दी गई है अथवा अन्तिम रूप से अवधि बढ़ाई गई है और उचित मामलों में आशय पत्रों की वैधता की अवधि बढ़ाने के आवेदन अस्वीकृत कर दिए गए हैं या औद्योगिक लाइसेंसों को खत्म अथवा रद्द कर दिया गया है।

श्री राम गोपाल रेड्डी : विवरण इतना लम्बा है कि मैं उसे पूरी तौर से समझ नहीं सका। यदि उक्त विवरण सभा पटल पर रख दिया जाता तो उचित होता। सहकारी और राज्य क्षेत्र में

चीनी कारखानों के लिये कुछ लाइसेंसों और आशय पत्रों के आवेदन वर्ष 1970 से आंध्र प्रदेश सरकार के विचाराधीन हैं। उन आवेदनों पर अब तक कोई कार्यवाही नहीं की गई है। इस बीच कारखाना स्थापित करने की लागत बहुत अधिक हो गई है। इस बात को ध्यान में रखते हुए माननीय मंत्री विलम्ब को कैसे कम करेंगे ?

औद्योगिक विकास और विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री (श्री सी०सुब्रह्मण्यम्) जहां तक चीनी उद्योग का सम्बन्ध है, यह खाद्य मंत्रालय की जिम्मेवारी है। वह इस बारे में कार्यवाही करेगा और केवल आशय पत्र अथवा लाइसेंस जारी करने के अन्तिम चरण में यह मामला हमारे मंत्रालय के पास आयेगा। मैं इस सम्बन्ध में अवश्य जांच करने का प्रयास करूंगा कि क्या खाद्य मंत्रालय द्वारा इस बारे में कोई विलम्ब किया गया है। यदि इस सम्बन्ध में कोई सहायता की जा सकेगी तो मैं सहायता करूंगा।

श्री एम० गोपाल रेड्डी : क्या विलम्ब को 6 महीने कम किया जा सकता है ?

श्री सी० सुब्रह्मण्यम् : इस बारे में मैं कोई ठोस आश्वासन नहीं दे सकता। हम इस सम्बन्ध में यथा शीघ्र कार्यवाही करेंगे।

Shri Hukam Chand Kachwai : The licences requsted for Oil and Vanaspati have been under consideration for the last six years.

The State Governments have given their recommendation in this regard, but the Central Government has not given its consent. I want to know whether it is true ? I also want to know whether it is a fact that while issuing a licence it is seen whether a particular person did not belong to the ruling party and he did not give any donation during the election and the persons who give donations to the ruling party get the licence immediately and thus politics is applied in the matter of issuing licences ?

Shri Siddheshwar Prasad : This allegation is baseless. If the hon. member would present any particular case concerning the issue of licence, we will definitely look into it.

श्री समर गुह : क्या यह सच है कि जब मैसर्स फिलिप्स एण्ड कम्पनी कलकत्ते में तीन लाख रेडियो सेट बनाने के लिये लाइसेंस देने का आवेदन दिया था तब उसे लाइसेंस नहीं दिया गया था लेकिन जब उसी कम्पनी ने पूना में सात लाख रेडियो सेट बनाने का आवेदन दिया तो उसे लाइसेंस दे दिया गया ? क्या यह सच है कि पश्चिम बंगाल सरकार ने लाइसेंस जारी करने के मामले में ऐसा भेदभाव अपनाने की जांच के लिये एक पत्र केन्द्रीय सरकार को भेजा है ?

अध्यक्ष महोदय : जब आप कोई विशेष प्रश्न पूछना चाहें तो उसके लिये आपको पृथक नोटिस देना होता है।

श्री समर गुह : मेरे विचार से माननीय मंत्री उत्तर देना चाहते हैं।

श्री सी०सुब्रह्मण्यम् : मैं वही कहने जा रहा था जो अध्यक्ष महोदय ने कहा।

श्री समर गुह : मेरा प्रश्न लाइसेंस जारी करने के बारे में है। मंत्री महोदय इसका उत्तर क्यों नहीं दे सकते ?

श्री अटल बिहारी बाजपेयी : मंत्री महोदय को कहने दीजिए कि वह जानकारी एकत्र करके सभा पटल पर रख देंगे ।

श्री सी० सुब्रह्मण्यम् : सदस्य महोदय एक पृथक प्रश्न पूछें ; हम उत्तर दे देंगे ।

श्री अटल बिहारी बाजपेयी : यह आवश्यक नहीं है कि एक पृथक प्रश्न ही पूछा जाये ।

अध्यक्ष महोदय : एक मंत्री देश में होने वाली सभी घटनाओं को नहीं जान सकता । यदि वह कोई विशिष्ट प्रश्न पूछना चाहते हैं, तो पृथक सूचना देनी चाहिए ।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : क्या ऐसा कोई निदेश है कि यदि मंत्री महोदय के पास सूचना इसी समय है, तो भी पृथक प्रश्न पूछा जाये ?

अध्यक्ष महोदय : यदि मंत्री महोदय के पास जानकारी उपलब्ध है, तो वह उसे सभा पटल पर रख सकते हैं ।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : हम इस प्रश्न के बारे में अत्यन्त उत्सुक हैं ।

अध्यक्ष महोदय : यदि मंत्री महोदय उत्तर देने को तैयार हैं, तो दे सकते हैं । परन्तु यदि किसी सामान्य प्रश्न में विशेष जानकारी मांगी जाती है, तो उन्हें सभी राज्यों के बारे में जानकारी के साथ यहां आना चाहिए । यह अच्छा हो यदि इसका उल्लेख किया जाता ।

श्री अटल बिहारी बाजपेयी : एक प्रश्न पूछा गया है । यदि मंत्री महोदय के पास इस समय सूचना नहीं है · · ·

अध्यक्ष महोदय : सूचना उपलब्ध होने का कोई प्रश्न नहीं है । यह उससे उत्पन्न नहीं होता ।

श्री अटल बिहारी बाजपेयी : यह नहीं उत्पन्न होता । उन्होंने विशिष्ट प्रश्न पूछा है । यदि मंत्री महोदय उस प्रश्न का उत्तर देने की स्थिति में नहीं हैं, तो वह यह आश्वासन दे सकते हैं कि वह सूचना एकत्र करेंगे और उसे सभा पटल पर रखेंगे । आप मंत्री महोदय को ऐसा करने को कह सकते हैं ।

अध्यक्ष महोदय : यदि मंत्री महोदय उत्तर दे सकते हैं, तो इसका स्वागत किया जायेगा । यदि वह तैयार नहीं हैं, तो सूचना मांग सकते हैं ।

श्री सी० सुब्रह्मण्यम : प्रश्न यह है कि क्या उक्त अनुपूरक प्रश्न इस प्रश्न से उत्पन्न होता है । यदि अध्यक्ष महोदय कहते हैं कि ऐसा होता है, तो मैं इसका उत्तर दूंगा ।

अध्यक्ष महोदय : यदि वह उत्तर देने की स्थिति में हैं, तो अभी उत्तर क्यों नहीं देते ?

श्री सी० सुब्रह्मण्यम : मैं उत्तर देने की स्थिति में नहीं हूं ।

अध्यक्ष महोदय : वह ऐसा क्यों नहीं कहते ? श्री चन्द्रप्पन अनुपस्थित ; श्री बनमाली पटनायक अनुपस्थित ।

When a Minister is absent so much is said about it but when Member is absent then same action should be taken ? There is too much of noise when a Minister is absent.

दुग्ध संयंत्र का विस्तार

*58. **श्री इन्द्रजीत मल्होत्रा** : क्या **औद्योगिक विकास** मंत्री अमूल, हौरलिक्स और ग्लेक्सो कारखानों के विस्तार के बारे में 26 अप्रैल, 1972 के अतारांकित प्रश्न संख्या 4117 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्तमान दुग्ध संयंत्रों के विस्तार के लिए आवेदन करने वालों के नाम क्या हैं तथा विस्तार का प्रस्तावित ब्यौरा क्या है ; और

(ख) डेरी उत्पादों की क्षमता में वृद्धि को प्रोत्साहन देने के लिए सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

औद्योगिक विकास मंत्रालय में उप मंत्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद) : (क) एक विवरण सभा पटल पर रखा जाता है ।

(ख) विद्यमान अधिष्ठापित क्षमता के अच्छे प्रयोग के अलावा उन क्षेत्रों के लिए जहां बाजार में बिकने योग्य अतिरिक्त तरल दुग्ध उपलब्ध है अतिरिक्त क्षमता बढ़ाने का अनुमोदन भी किया जा रहा है । जहां दुग्ध संयंत्र कार्य कर रहे हैं उन क्षेत्रों में समूचे दुग्ध उत्पादन को बढ़ाने के प्रयास भी किये जा रहे हैं । इनमें अतिरिक्त तकनीकी निपज जैसे— फीड कान्सेन्ट्रेंड्स, चारा, कृत्रिम गर्भाधान की सुविधायें, पशु-पालन सेवाएं तथा दवाइयां, बछड़ा-पालन में सहायता, दुधारू सुधरे पशुओं का विकास तथा ग्रामीण क्षेत्र में दुग्ध-प्राप्ति योजना का संगठन सम्मिलित है ।

विवरण

क्र० सं०	एकक का नाम	निर्माण की वस्तु	वर्तमान क्षमता (मी० टन्स)	प्रस्तावित विस्तार (मी० टन्स)	विस्तार के उपरान्त क्षमता
1.	मै० कैरा डि० को-आपरेटिव मिल्क प्रोड्यूसर्स यूनियन आनन्द	शिशु आहार	10,000	1,750	11,750
2.	मै० ग्लाक्सो लेबो० इण्डिया लि० बम्बई ।	शिशु आहार	3,200	800	4,000
3.	हिन्दुस्तान मिल्क फूड मैन्य० लि० नाभा	माल्टेड मिल्क फूड	6,000	6,000	12,000
4.	मै० फूड स्पेशलटीज लि० मोगा	शिशु आहार	1,005	2,495	3,500
5.	मै० मेहसाना डिस्ट० कोआपरेटिव मिल्क प्रोड्यूसर्स यूनियन महसाना	दुग्ध चूर्ण	2,400	4,800	7,200
6.	मै० फूड स्पेशलटीज लि० मोगा	दुग्ध चूर्ण	675	825	1,500
7.	मै० फूड स्पेशलटीज लि० मोगा	जमाया हुआ दूध	6,000	2,000	8,000
8.	मै० ग्लाक्सो लेबोरेटरीज, बम्बई	वीनिंग फूड	360	390	750

श्री इन्द्रजीत मल्होत्रा : पिछले कुछ वर्ष से अपने देश में हम दुग्ध क्रान्ति की चेष्टा करते रहे हैं। मैं जानना चाहता हूं कि सरकार ने इस दिशा में विशेष रूप से डेरी उद्योग में सुधार के लिए कौन सी विशेष कार्यवाही की है।

श्री सिद्धेश्वर प्रसाद : यह प्रश्न कृषि मंत्री से पूछा जा सकता है।

श्री इन्द्रजीत मल्होत्रा : मेरी कठिनाई यही है। उपमंत्री महोदय ने कहा है कि अनुपूरक प्रश्न को कृषि मंत्री को संबोधित करूं। तब उन्होंने इसे उत्तर के लिये स्वीकार ही क्यों किया था ?

औद्योगिक विकास तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री (श्री सी० सुब्रह्मण्यम): डेरी उद्योग के बारे में लाइसेंस जारी करना ही हमारा कार्य है। परन्तु उसके लिये आवश्यक विभिन्न ढांचे तैयार करना कृषि मंत्रालय का कार्य है। मुझे विश्वास है कि माननीय सदस्य जानते हैं कि "ओपरेशन फ्लड" नाम से जानी जाने वाली क्रिया से डेरी विकास के आधार पर दुग्ध का उत्पादन अधिकाधिक बढ़ेगा। परन्तु यदि उन्हें इस बारे में अधिक विवरण चाहिए, तो निश्चय ही उन्हें औद्योगिक विकास मंत्रालय की अपेक्षा कृषि मंत्रालय को संबोधित करना होगा।

श्री इन्द्रजीत मल्होत्रा : मेरा दूसरा अनुपूरक प्रश्न विशेष रूप से डेरी उद्योग के लिये लाइसेंस जारी करने के बारे में है। मैं जानना चाहता हूं लाइसेंस जारी करने के मामले में सरकार की भावी नीति क्या होगी, क्या लाइसेंस गैर सरकारी क्षेत्र में दिये जायेंगे अथवा सरकारी क्षेत्र की डेरियों को जारी किये जाएगें ?

श्री सी० सुब्रह्मण्यम : इसके लिये सहकारी क्षेत्र को वरीयता दी जायेगी।

श्री राम सहाय पांडे : जब आप उन्हें अधिक उत्पाद के लिये अनुमति देते हैं, तो क्या आप कोई शर्त लगाते हैं कि मूल्य स्थिर रखा जाये, और मूल्य प्रतिदिन न बढ़ाये जायें, जैसा कि प्रतिदिन होता है।

श्री सी० सुब्रह्मण्यम : मुख्य प्रश्न लाइसेंसों के बारे में है।

Shri Hukam Chand Kachwai : The hon. Minister has stated many things about licences for milk dairies, that more fodder would be arranged. May I know whether you have encouraged certain State Governments as well to open dairies in their territory and create feelings in most of the people to open milk dairies and for that what assistance the Central Government would give ?

Shri Siddheshwar Prasad : Certain State Governments have shown interest in it and Central Government is giving technical and other assistance to them. The plans drawn by State Governments have shown good progress.

दिल्ली में गलत टेलीफोन काल

*59. **कुमारी कमला कुमारी** : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने दिल्ली में गलत टेलीफोन कालों की प्रतिशतता आंकने के बारे में कोई सर्वेक्षण किया है ; और

(ख) यदि हां, तो दिल्ली तथा नई दिल्ली में उपभोक्ताओं को औसतन कितनी गलत कालें प्राप्त होती हैं ?

संचार मंत्रालय में उप मंत्री (श्री जगन्नाथ पहाड़िया): (क) जी हां। सेवा की गुणवत्ता जानने के लिये रोज परीक्षा की जाती है।

(ख) दैनिक परीक्षा के आधार पर गलत कालों की औसत 0.14 प्रतिशत है।

Kumari Kamla Kumari : Will the hon. Minister please state as to whether some way would be found out to investigate in the matters where wrong calls are connected by the operators with other telephones so that the telephone subscribers may get some relief.

Shri Jagannath Pahadia : When such a matter comes to our notice, we investigate it and for that purpose we ourselves make 3000 calls every day from one exchange to the numbers of same exchange and from one exchange to numbers under other exchange and the operators come into picture only in the matter of trunk calls, and have nothing to do in the matter of local calls.

श्री त्रिदिब चौधरी : मैं जानना चाहता हूं कि क्या इस बारे में कोई आम शिकायत सरकार को मिली है ? मुझे ज्ञात नहीं कि उनके रिकार्ड में क्या है क्योंकि उनके रिकार्ड प्राय: दोषपूर्ण पाए गये हैं, टेलीफोन रिसीवर सेट और टेलीफोन कालें न केवल अन्य स्टेशनों में अपितु दिल्ली में भी प्राय: दोषयुक्त हो जाते हैं। क्या इसका संबन्ध टेलीफोन रिसीवरों के निर्माण और आई० आई० टी० से है . . .

श्री जी० विश्वनाथन : आई० टी० आई०।

श्री त्रिदिब चौधरी : आई० आई० टी० अथवा आई० टी० आई०, जो कुछ भी है, मेरा अभिप्राय इन्टरनेशनल टेलीफोन इन्डस्ट्रीज से है ; हमारा बेल्जियन फर्म से कुछ सहयोग है जो कि अमरीकी फर्म की सहायक है।

मैं यह जानना चाहता हूं कि सरकार दोषपूर्ण टेलीफोन सेटों को बदलने के लिये क्या कार्यवाही कर रही है ताकि टेलीफोन उपभोक्ताओं को कोई कठिनाई न हो और टेलीफोन लगवाने में वे लोग असुविधा अनुभव न करें।

संचार मंत्री (श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा) : जहां तक दोषों के कारणों का प्रश्न है, उनका स्विचिंग पद्धति से अधिक संबन्ध है, माननीय सदस्य के कथनानुसार सेटों से कम ; उपकरण दोष के लिये उत्तरदायी नहीं है, मूल रूप से दोष एक्सचेंज से स्विचिंग पद्धति से प्रारम्भ होते हैं।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : क्रास-बार पद्धति।

श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा : यह सच है कि दिल्ली में स्विचिंग की दो पद्धतियां हैं। एक है क्रास-बार और दूसरी है स्विचगियर पद्धति जिसमें दोष बहुत कम होते हैं—केवल 1.01%। परन्तु क्रास-बार पद्धति में दोष 37% तक हो जाते हैं। इस प्रकार अधिकतम दोष क्रास बार पद्धति में ही हो सकते हैं। क्रास-बार पद्धतियों को ठीक करने के सम्बन्ध में कार्यवाहियां की गई हैं और पिछले दो वर्षों में पर्याप्त सुधार हो चुके हैं और क्रास बार पद्धति में भी संतोषजनक सुधार हो गये हैं।

अन्ततः, यह सच है कि हमें सौंपी गई टैक्नोलाजी में मूल भूत परम्परागत दोष हैं और दिल्ली के कुछ उपकरण तो वास्तव में खराब हैं क्योंकि यह आयातित हैं। आई० टी० आई० की सहायक संस्था जो कि बेल्जियन है, द्वारा भी इसका निर्माण नहीं किया जाता और उस विशेष प्रक्रिया में

हमें कुछ मूलभूत कठिनाइयां रहीं जिनका हम सामना कर रहे हैं, और मुझे आशा है कि सुधारात्मक कार्यक्रम के जारी रहते, हमारे लिए इन दोषों को दूर करना संभव हो सकेगा ।

Shri Inderjit Gupta : Please do not give it to other cities, do not spread it out side Delhi.

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न काल समाप्त हो गया ।

प्रश्नों के लिखित उत्तर
WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS

देश में सी० आई० ए० की गतिविधियों में वृद्धि

*42. **श्री एम० कतामुतु :**
श्री श्री किशन मोदी :

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या प्रधान मंत्री ने हाल में यह कहा था कि सी० आई० ए० ने हाल के महीनों में भारत में अपने एजेंटों के साथ सम्पर्क बढ़ा लिए हैं ;

(ख) यदि हां, तो भारत में सी० आई० ए० की गतिविधियों को रोकने के लिये क्या कार्यवाही की गई है ; और

(ग) सी० आई० ए० के भारतीय एजेंटों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कृष्ण चन्द्र पन्त) : (क) से (ग). प्रधान मंत्री ने सी० आई० ए० जैसे विदेशी आसूचना संगठनों की गतिविधियों की वृद्धि पर सतर्कता बरतने की आवश्यकता पर बल दिया था । सरकार ऐसी गतिविधियों पर सतत निगरानी रखती है और यह स्पष्ट कर दिया गया है कि ऐसी गतिविधियां पारस्परिक अच्छे सम्बन्धों को बढ़ावा देने के लिये लाभदायक नहीं हैं । किन्तु सरकार के पास जो सूचना है, उसे अथवा सी० आई० ए० समेत विदेशी आसूचना संगठनों की गतिविधियों से निपटने के लिए सरकार क्या करती है, उसका ब्यौरा प्रकट करने से कोई सार्वजनिक हित सिद्ध नहीं होगा ।

केन्द्रीय जांच ब्यूरो तथा राज्यों के सतर्कता अधिकारियों का संयुक्त सम्मेलन

*44. **श्री सत्य चरण बेसरा :** क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 11 अक्तूबर, 1972 को केन्द्रीय जांच ब्यूरो तथा राज्यों के सतर्कता अधिकारियों का एक संयुक्त सम्मेलन हुआ था ; और

(ख) यदि हां, तो सम्मेलन में क्या सिफारिशें की गई थीं और सरकार ने उन पर क्या निर्णय लिया है ?

गृह मंत्रालय और कार्मिक विभाग में राज्य मंत्री (श्री राम निवास मिर्धा) : (क) तथा (ख). जी हां, श्रीमान् । केन्द्रीय जांच ब्यूरो तथा राज्य भ्रष्टाचार निरोधी अधिकारियों का एक संयुक्त

सम्मेलन 9 अक्तूबर, से 12 अक्तूबर, 1972 तक नई दिल्ली में हुआ था। सम्मेलन की सिफारिशें प्रधानतः प्रशासनिक विषयों, संगठनात्मक सुधार तथा वर्तमान नियमों एवं विनियमों इत्यादि के कुछ संशोधनों से सम्बन्धित थीं। ये हाल ही में सरकार को प्राप्त हुई थीं और इन पर संवीक्षा की जा रही है।

संयुक्त क्षेत्र की परिभाषा

*45 **श्री डी० डी० देसाई** : क्या **औद्योगिक विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने सरकारी, संयुक्त और गैर-सरकारी क्षेत्रों के कार्यों और कर्त्तव्यों को परिभाषित करने का कार्य आरम्भ कर दिया है ; और

(ख) क्या सरकार ने "संयुक्त क्षेत्र" की परिभाषा निश्चित कर दी है ?

औद्योगिक विकास तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री (श्री सी० सुब्रह्मण्यम्) : (क) और (ख). देश के औद्योगिक विकास में सरकारी और गैर-सरकारी क्षेत्रों के कार्य क्षेत्रों का निर्धारण औद्योगिक नीति संकल्प (इंडस्ट्रियल पालिसी रिज्यूल्यूशन) में किया गया है। औद्योगिक लाइसेन्स नीति जांच समिति (दत्त समिति) के प्रतिवेदन पर विचार करने के बाद फरवरी 1970 में सरकार द्वारा घोषित लाइसेन्सीकरण नीति में सरकार ने संयुक्त क्षेत्र को सिद्धांत रूप में स्वीकार किया है। उसमें सरकारी क्षेत्र की वित्तीय संस्थाओं को उनके द्वारा औद्योगिक उपक्रमों को दिए गये ऋण (और ऋण पत्रों) को इक्विटी में बदलने के विकल्प की भी व्यवस्था है। समय समय पर औद्योगिक अर्थ व्यवस्था की आवश्यकतानुसार सरकार गैर-सरकारी सहभगिता के साथ साथ पर्याप्त सरकारी नियन्त्रण की परियोजनायें स्थापित करती रही है और भविष्य में भी करती रहेगी। इस प्रकार की सहभागिता की रूप और पद्धति परिस्थिति और उद्देश्य के अनुसार अलग अलग हो सकता है लेकिन हर हालत में वह औद्योगिक विकास की प्रक्रिया में सामाजिक न्याय के सिद्धान्तों से अनुप्रारिगत होगी।

वाईस एडमिरल सोमन द्वारा अहमदाबाद स्थित राष्ट्रीय डिजाइन संस्थान के चेयरमैन के विरुद्ध आरोप

*46. **श्री के० बालदण्डायुतम** : क्या **औद्योगिक विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय डिजाइन संस्थान, अहमदाबाद की प्रबन्ध समिति और उसके चेयरमैन के विरुद्ध वाईस एडमिरल सोमन द्वारा लगाये गये आरोपों के बारे में सरकार ने जांच पूरी कर ली है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी निष्कर्ष क्या हैं ; और

(ग) इस बारे में क्या कार्यवाही की गई है ?

औद्योगिक विकास तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री (श्री सी० सुब्रह्मण्यम्) : (क) से (ग). नेशनल इंस्टिट्यूट आफ डिजायन, अहमदाबाद के कार्य के विरुद्ध की गई शिकायतों पर भारत

सरकार ने भारत सरकार के सेवा निवृत सचिव श्री एन० एन० वांचू को नियुक्त किया है। उन्होंने कार्य करना आरम्भ कर दिया हैं, और सरकार को उनकी रिपोर्ट दिसम्बर, 1972 के अन्त तक प्राप्त हो जाने को आशा है।

जापान का दौरा करने वाले लघु उद्योग सम्बन्धी दल के प्रतिवेदन पर निर्णय

*47. **श्री मुख्तियार सिंह मलिक** : क्या **औद्योगिक विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या लघु उद्योगों के कार्य का अध्ययन करने के लिये हाल ही में जापान का दौरा करने वाले दल द्वारा प्रस्तुत किये गये प्रतिवेदन पर सरकार ने इस बीच अन्तिम निर्णय ले लिया है तथा उसमें निहित सिफारिशों को क्रियान्वित कर दिया है ; और

(ख) यदि हां, तो उस पर क्या निर्णय लिया गया है ?

औद्योगिक विकास तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री (श्री सी० सुब्रह्मण्यम्) : (क) और (ख). एक विवरण सभा पटल पर रखा जाता है।

विवरण

(क) और (ख). सरकार ने प्रतिवेदन की कुछ मुख्य सिफारिशों का कार्यान्वयन करने के लिये निम्नलिखित कार्रवाई की है :–

	सिफारिशें	की गई कार्रवाई
1.	भारत में लघु उद्योग सम्बन्धी कार्यक्रम का आधार विस्तृत किया जाना चाहिये जिससे उसमें लघु उत्पादनकारी एककों के साथ-साथ लघु सेवा एककों तथा लघु व्यापारिक एककों को भी सम्मिलित किया जा सके।	लघु व्यापार उद्यमों को बैंकों से सहायता मिल रही है। शिक्षित बेरोजगारों की सहायता सम्बन्धी कार्यक्रम में वाणिज्यिक आस्तियों को भी सम्मिलित कर लिया गया है।
2.	भारत में लघु उद्यम विकास कार्यक्रम को और समन्वय सम्बन्धी वर्तमान अनेक समस्याओं, जिनका आज हमें सामना करना पड़ रहा है, को शीघ्र और दक्षता पूर्ण समाधान का सुनिश्चय करने के लिये प्रशासनिक ढांचे के गठन को वैधानिक आधार प्रदान करने सम्बन्धी प्रश्न का शीघ्र हल किया जाना चाहिये।	श्री ए० आर० भट्ट की अध्यक्षता में बनी एक समिति ने इस आधार पर कानून बनाने का सुझाव दिया है। समिति की रिपोर्ट राज्य सरकारों को उनकी राय जानने के लिये परिचालित कर दी गई है।

3.	भारत में सहायक उद्योगों के विकास को वैधानिक आधार प्रदान किया जाना चाहिये।	सहायक उद्योगों सहित लघु उद्योगों के विकास के लिये ऐसे विशिष्ट क्षेत्रों का जिनमें वैधानिक संरक्षण आवश्यक हो चयन करने के लिये भट्ट समिति का गठन किया गया था। समिति ने अब अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी है जिसे राज्य सरकारों की राय जानने के लिये हाल ही में परिचालित कर दिया गया है।
4.	उप-अनुबन्धात्मक एककों को तकनीकी प्रबन्धकीय तथा अन्य सहायता प्रदान करने के उद्देश्य से लघु उद्योग विकास संगठन को सुदृढ़ बनाया जाना चाहिये।	उप-अनुबन्धात्मक एककों को तकनीकी तथा अन्य प्रकार की सहायता प्रदान करने के लिये लघु उद्योग विकास संगठन को सुदृढ़ बनाने की मंजूरी दे दी गई है।
5.	टोकियो के ओ० टी० ए० ट्रेड सेन्टर की तरह प्रारम्भ में दिल्ली, बम्बई कलकत्ता और मद्रास में चार व्यापार केन्द्रों की स्थापना की जा सकती हैं।	दिल्ली में एक व्यापारिक केन्द्र स्थापित करने के लिये सिद्धान्त रूप में पहले ही स्वीकृति दी जा चुकी है। अन्य व्यापारिक केन्द्रों की स्थापना करने की योजनाओं पर विचार किया जा रहा है। एक संशोधित योजना राज्य सरकारों को परिचालित की जा रही है।

कंचनपुर थाना, पूर्वी त्रिपुरा में केन्द्रीय रिजर्व पुलिस द्वारा विचाराधीन कैदी का मारा जाना

*48. **श्री बीरेन दत्त** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कंचनपुर थाना पूर्वी त्रिपुरा में एक ऐसे कैदी को केन्द्रीय रिजर्व पुलिस द्वारा मार डाला गया है जिस पर मुकद्दमा चलाया जा रहा था ; और

(ख) यदि हां, तो अपराधी को दंडित करने के लिये कौन से कदम उठाये गये हैं ?

गृह मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री कृष्ण चन्द्र पन्त) : (क) जी नहीं, श्रीमान।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

हिन्दुस्तान मशीन टूल्स, बंगलौर में तालाबन्दी

*49. **श्री जगन्नाथ मिश्र :**
श्री सी० के० जाफर शरीफ :

क्या **औद्योगिक विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हिन्दुस्तान मशीन टूल्स लिमिटेड बंगलौर ने हाल ही में तालाबन्दी घोषित की थी ; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं और तालाबन्दी के परिणामस्वरूप कुल कितनी हानि हुई ?

औद्योगिक विकास तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री (श्री सी० सुब्रह्मण्यम्) : (क) जी हां।

(ख) हाल के महीने में तालाबन्दी के दो मामले हुए हैं। सितम्बर, 1972 में हुई तालाबन्दी का कारण कर्मचारियों द्वारा की गई गैर कानूनी टूल डाउन स्ट्राइक थी। एच० एम० टी० इम्पलाइज एसोसिएशन पिछले कुछ अर्से से अपनी यूनियन को मान्यता दिलाने के लिएआन्दोलन चला रही थी और सितम्बर 1972 में अनुशासन हीनता और भयभीत करने वाले व्यवहार के कारण संयंत्र और वफादार कर्मचारियों के लिए खतरा पैदा हो गया था। इन परिस्थितियों में एच० एम० टी० 1 और 2 बंगलौर के प्रबन्धकों ने कारखाने में 8-8-72 के 1 बजे से तालाबन्दी घोषित कर दी थी 22 सितम्बर, 1972 को समाप्त हुई। इस तालाबन्दी के फलस्वरूप उत्पादन में करीब 40 लाख रु० की हानि होने का अनुमान है।

दूसरी तालाबन्दी 10 नवम्बर, 1972 को तब की गई जब सभी कर्मचारियों ने काम बन्द कर दिया, हिंसात्मक और भयंकर व्यवहार करने पर उतारू हो गए। अभी तक तालाबन्दी समाप्त नहीं की गई है।

नेताजी सुभाषचन्द्र बोस का जन्म दिवस मनाना

*52. **श्री यमुना प्रसाद मण्डल :** क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार नेताजी सुभाषचन्द्र बोस के जन्म दिवस को राष्ट्रीय दिवस के रूप में मानने का है ; और

(ख) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कृष्ण चन्द्र पन्त) : (क) और (ख). 23 जनवरी 1973 को "सुभाष बोस दिवस" के रूप में मनाने के लिए स्वतन्त्रता की 25वीं जयन्ती के कार्यक्रमों में सम्मिलित किया गया है।

23 जनवरी को सरकारी छुट्टी के रूप में मानने के लिए स्थिति यह है कि महात्मा गांधी के जन्म दिवस को छोड़कर राष्ट्रीय नेताओं के जन्म दिवस को छुट्टी का दिन घोषित नहीं किया गया है।

समुद्र पार संचार सेवा द्वारा प्रेस केबिल भेजने की नई प्रणाली के विरुद्ध शिकायतें

*54. **श्री ई० वी० विखे० पाटिल :** क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या समुद्र पार संचार सेवा द्वारा नई प्रणाली, जिसके अन्तर्गत शब्दों को गिनने के बाद ही प्रेस केबिल भेजे जाते हैं, के विरुद्ध सरकार को कोई शिकायतें प्राप्त हुई हैं ;

(ख) क्या नई प्रणाली से संदेश भेजने में असाधारण विलम्ब होता है ; और

(ग) इस प्रणाली में सुधार करने के लिए सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

संचार मंत्री (श्री हेमवतीनन्दन बहुगुणा) : (क) जी नहीं ।

(ख) कोई नई प्रणालो चालू नहीं की गई ।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता ।

घूसखोरी कांड में दिल्ली के अधिकारियों का कथित हाथ

*55. **श्री के० सूर्यनारायण :**
श्री वीरेन्द्र सिंह राव :

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान दिनांक 27 सितम्बर, 1972 के टाइम्स आफ इण्डिया के पृष्ठ एक पर "दिल्ली आफीशियलस एलेज्ड हेड इन ब्राइबरी रेकिट" शीर्षक से छपे समाचार की ओर दिलाया गया है ;

(ख) यदि हां, तो उसमें लगाये गये आरोपों की उनके मंत्रालय द्वारा की गई जांच का क्या परिणाम निकला है ; और

(ग) दोषी अधिकारियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है या की जायेगी ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कृष्ण चन्द्र पन्त) : (क) जी हां, श्रीमान् ।

(ख) और (ग). एक विवरण सभा पटल पर रखा जाता है ।

विवरण

किसी आसूचना एजेन्सी द्वारा कोई पूछताछ अथवा जांच पड़ताल नहीं की गई है क्योंकि ऐसी जांच-पड़ताल के लिये कोई आधार नहीं था । कोई लाग-बुक नहीं पकड़ी गई है । दिल्ली प्रशासन द्वारा की गई पूछताछ से मालूम होता है कि दिल्ली प्रशासन के दो उच्च अधिकारियों द्वारा ट्रक संचालकों को अनुचित लाभ पहुंचाने के लिये मोटी रिशवतें लेने के बारे में आरोपों का समर्थन करने वाला कोई प्रमाण नहीं मिला है ।

2. परिवहन निदेशालय के एक कांस्टेबल तथा एक हैड कांस्टेबल ने 16/17 अगस्त, 1972 को लगभग अर्धरात्रि को एक लड़की के साथ तथाकथित दुर्व्यवहार किया था । पड़ोस के भवनों में कुछ स्वतंत्रता सेनानी ठहरे हुए थे तथाकथित दुर्व्यवहार की सूचना मिलने पर पुलिस द्वारा कांस्टेबल के विरुद्ध तुरन्त एक आपराधिक मामला दर्ज किया गया । अगले दिन दोनों कर्मचारी मुअत्तल कर दिये गये । इस खबर में कोई सच्चाई नहीं है कि कांस्टेबल को दो उच्च अधिकारियों में से एक के द्वारा आश्रय दिया गया था । मामला तुरन्त दर्ज किया गया था ना कि केन्द्रीय मंत्री के कहने अथवा हस्तक्षेप करने पर/19 अगस्त, 1972 को न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा अभियुक्त की प्रत्याशित जमानत मंजूर कर दी गई । पुलिस द्वारा की गई प्रारम्भिक जांच-पड़ताल के अनुसार लड़की विवाहित थी तथाकथित घटना के समय अपने पति के साथ थी ।

3. कांस्टेबल, परिवहन निदेशालय में प्रवर्तन कार्य के सम्बन्ध में नियुक्त किया गया था। कभी-कभी उसकी सेवाओं का उपयोग ड्राइवर के रूप में किया जाता था। किन्तु उसे एक नियमित ड्राइवर के रूप में इस्तेमाल नहीं किया गया था। सरकारी आवास तथा स्कूटर उसे उसके कर्त्तव्यों तथा कार्य की आवश्यकताओं को देखते हुए आंवटित किया गया था।

4. परिवहन निदेशालय के हैड कांस्टेबलों तथा कांस्टेबल को न पकड़ने के कारण, ड्यूटी पर तैनात स्थानीय पुलिस के हैड कांस्टेबल को तुरन्त मुअत्तल कर दिया गया था।

पांचवीं योजना संबंधी दृष्टिकोण पत्र

*57. **श्री सी० के० चन्द्रप्पन :**
श्री बनमाली पटनायक :

क्या **योजना** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या योजना आयोग ने पांचवीं योजना के दृष्टिकोण पत्र को अंतिम रूप दे दिया है; और

(ख) यदि हां, तो इसकी मुख्य बातें क्या हैं और योजना का अनुमानित परिव्यय क्या है ?

योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहन धारिया) : (क) तथा (ख). योजना आयोग ने हाल ही में पांचवीं योजना के प्रति दृष्टिकोण नामक पत्र को अंतिम रूप दे दिया और यह अब सरकार के विचाराधीन है। इसकी मुख्य बातें दर्शाने वाला एक संक्षिप्त विवरण संलग्न है। **[ग्रन्थालय में रखा गया। देखिये संख्या एल०टी०-3676/72]**

लघु उद्योगों संबंधी भटट समिति का प्रतिवेदन

*60. **श्री आर० वी० बड़े :**

क्या **औद्योगिक विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) लघु उद्योगों के संबंध में स्थापित भट्ट समिति की मुख्य सिफारिशें क्या हैं ; और

(ख) उन सिफारिशों को लागू करने के लिए सरकार द्वारा क्या उपाय किये गए हैं ?

औद्योगिक विकास तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री (श्री सी० सुब्रह्मण्यम) : (क) भट्ट समिति ने लघु उद्योगों की सहायता के लिये वैधानिक प्रावधान की सिफारिश की है और निम्नलिखित कानून अधिनियमित करने का सुझाव दिया है :

1. लघु उद्योग विकास अधिनियम ;
2. प्रतिबंधित साझेदारी अधिनियम ;
3. लघु उद्योग आरक्षण अधिनियम ;
4. सहायक लघु उद्योग अधिनियम ; और
5. लघु उद्योगों के लिये सरकारी स्टोर, खरीद और वितरण अधिनियम।

(ख) समिति की रिपोर्ट को राज्य सरकारों और गैर सरकारी संस्थाओं को उनके विचारों का पता लगाने हेतु परिचालित कर दिया गया है।

केन्द्रीय कर्मचारी कक्ष में उपलब्ध फालतू अवर श्रेणी लिपिक

401. **श्री नरेन्द्र सिंह** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1 जून, 1972 को केन्द्रीय (फालतू कर्मचारी) प्रभाग में अवर श्रेणी लिपिक संवर्ग के कितने पद उपलब्ध थे ;

(ख) उन कार्यालयों के नाम क्या हैं जहां रिक्त स्थान उपलब्ध थे तथा वे किस-किस तारीख से उपलब्ध थे ; और

(ग) 1 जून, 1972 को, मनोनीत करने के लिये कितने फालतू अवर श्रेणी लिपिक उपलब्ध थे ?

गृह मंत्रालय और कार्मिक विभाग में राज्य मंत्री (श्री राम निवास मिर्धा) : (क) 89

(ख) सूचना इस प्रकार है।

कार्यालय का नाम	रिक्तियों की संख्या	सूचित करने की तिथि
आयकर कमिश्नर, नई दिल्ली।	9 (सभी अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित हैं)	26-3-72
केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग, नई दिल्ली।	50	7-4-72
केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग, कलकत्ता।	1	19-5-72
आकाशवाणी, बम्बई।	1	19-5-72
राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण, चंडीगढ़।	1	19-5-72
राष्ट्रीय संक्रामक रोग संस्थान, नई दिल्ली।	3	22-5-72
भूमि तथा विकास कार्यालय, नई दिल्ली।	2	25-5-72
टी० वी० केन्द्र, आकाशवाणी, नई दिल्ली।	1	25-5-72

कार्यालय का नाम	रिक्तियों की संख्या	सूचित करने की तिथि
स्टेशन निदेशक, वाणिज्यिक तथा प्रसारण सेवा, आकाशवाणी, नई दिल्ली।	1	27/29-5-72
केन्द्रीय जल तथा विद्युत आयोग (जल स्कन्ध), बदरपुर।	15	29-5-72
अखिल भारतीय भूमि तथा प्रयोजन सर्वेक्षण, नई दिल्ली।	2	30-5-72
केन्द्रीय स्वास्थ्य तथा परिवहन संगठन, नई दिल्ली।	1	1-6-72
भूमि तथा विकास कार्यालय, नई दिल्ली।	2	1-6-72
	89	

(ग) 25 इसमें 3 अनुसूचित जाति से सम्बन्ध रखते हैं।

पश्चिम बंगाल में पाकिस्तान तथा चीनी शस्त्रों तथा गोला-बारूद का पकड़ा जाना

402. **श्री नरेन्द्र सिंह :**
श्री हुकम चन्द कछवाय :

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पश्चिम बंगाल में चीन तथा पाकिस्तान में निर्मित शस्त्र तथा गोला-बारूद पकड़ा गया था जो कि गत छः महीनों के दौरान अवैध रूप से बंगला देश से लाया गया था ; और

(ख) यदि हां, तो उक्त अवधि के दौरान पकड़े गये शस्त्र तथा गोला बारूद का ब्यौरा क्या है ?

गृह मंत्रालय में उपमंत्री (श्री एफ० एच० मोहसिन) : (क) और (ख). पश्चिम बंगाल सरकार से अपेक्षित सूचना मांगी गई है तथा प्राप्त होने पर सभा पटल पर रख दी जायगी।

आसाम, नागालैण्ड तथा अरुणाचल प्रदेश में नागाओं का आत्मसमर्पण

403. **श्री नरेन्द्र सिंह :**
श्री हुकम चन्द कछवाय :

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत छः महीनों के दौरान आसाम नागालैण्ड तथा अरुणाचल प्रदेश में सिविल तथा सैनिक अधिकारियों के समक्ष कितने नागाओं ने आत्म समर्पण किया है ; और

(ख) सरकार का विचार उनके विरुद्ध क्या कार्यवाही करने का है ?

गृह मंत्रालय में उपमंत्री (श्री एफ० एच० मोहसिन) : (क) 1 मई और 31 अक्टूबर, 1972 के बीच 1309 नागा विद्रोहियों ने नागालैण्ड में आत्म समर्पण किया। इसी अवधि के दौरान असम और अरुणाचल प्रदेश में नागा विद्रोहियों ने कोई आत्म समर्पण नहीं किया।

(ख) नागालैण्ड सरकार द्वारा यथेष्ठ निगरानी रखी जाती है। आत्मसमर्पण करने वालों में जो किसी विशिष्ट जघन्य अपराध में अन्तर्ग्रस्त नहीं हैं, उनको अच्छा आचरण करने के लिये उनसे उचित बांड भरवाने के बाद अपने गांवों को जाने के लिये अनुमति दे दी गई है।

केन्द्रीय (फालतू कर्मचारी) सेल के कर्मचारियों का नामांकन

404. **श्री हुकम चन्द कछवाय** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कार्मिक विभाग के केन्द्रीय (फालतू कर्मचारी) सेल के कुछ कर्मचारियों का, जो 31 मई, 1972 (मध्याह्न पश्चात्) सेल में शामिल हुए थे, इन कार्यालयों में नामांकन किया गया है जिनमें वास्तव में कोई रिक्त स्थान नहीं है ; यदि हां, तो ऐसे कर्मचारियों की वर्ग वार-संख्या कितनी है ;

(ख) क्या केन्द्रीय (फालतू कर्मचारी) सेल के इस प्रकार कार्य करने से वरिष्ठ कर्मचारियों के पदोन्नति के अवसरों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है क्योंकि उन कार्यालयों में इन कर्मचारियों का नामांकन किया जाना था जहां अब इनके कनिष्ठ अधिकारियों का नामांकन किया गया है ; और

(ग) यदि हां, तो सैल द्वारा क्या उपचारी कार्यवाही की गई है ?

गृह मंत्रालय और कार्मिक विभाग में राज्य मंत्री (श्री राम निवास मिर्धा) : (क) सभी फालतू कर्मचारियों का सैल को सूचित की गई रिक्तियों के लिए नामांकन किया गया था। तथापि, इसके पश्चात्, आशुलिपिक की एक रिक्ति को वापस ले लिया गया था, आशुलिपिक की अन्य दूसरी रिक्ति एक अनुसूचित जाति के उम्मीदवार के लिए आरक्षित करने के लिए सूचित की गई और उच्च श्रेणी लिपिकों की चार रिक्तियां दिल्ली से बाहर भेजने के लिए उपलब्ध थीं।

(ख) गृह मंत्रालय के कार्यालय ज्ञापन संख्या 9/22/68 स्थापना (घ), दिनांक 6 फरवरी, 1969 (प्रतिलिपि संलग्न) **[ग्रंथालय में रखी गई। देखिए संख्या एल० टी०–3677/72]** के अनुसार जब किसी कार्यालय के दो या उससे अधिक फालतू कर्मचारी अलग-अलग तिथियों को अन्य कार्यालय में किसी भी ग्रेड में समावेशन के लिए चुने जाते हैं, उनकी परस्पर वरिष्ठता, जो कि उस कार्यालय में थी जिसमें उन्होंने फालतू घोषित होने से पूर्व कार्य किया था, को नये संगठन के खपाए गए ग्रेड में कायम रखी जानी चाहिए।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

फालतू कर्मचारीवृन्द की पुर्ननियुक्ति

405. **श्री हुकम चन्द कछवाय** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगी कि :

(क) क्या भारत सरकार के विभिन्न कार्यालयों के फालतू कर्मचारियों की पुर्ननियुक्ति की योजना में "माननीय सेवा शर्तों" तथा "सन्तोषजनक नियुक्ति" का उपबन्ध है ;

(ख) क्या योजना में फालतू कर्मचारियों के नये हुनरों में प्रशिक्षण देने का उपबन्ध है ताकि इस प्रकार उनकी "सन्तोष जनक नियुक्ति" के अवसर बढ़ सकें ;

(ग) यदि हां, तो क्या 31 मई, 1972 (अपराह्न) को तथा उसके पश्चात् केन्द्रीय (फालतू कर्मचारी) कक्ष में आने वाले फालतू कर्मचारियों को "माननीय सेवा शर्तों" तथा "संतोष-जनक नियुक्ति" उपलब्ध कराई गई थी ; और

(घ) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

गृह मंत्रालय और कार्मिक विभाग में राज्य मंत्री (श्री राम निवास मिर्धा) : (क) से (ग). जी हां, श्रीमान् ।

(घ) प्रश्न नहीं, उठता ।

Participation of Home Guard Jawans in the Congress Party Procession

406. **Shri Hukam Chand Kachwai :**
Shri Bishwanath Jhunjhunwala :

Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to state :

(a) whether Government's attention has been drawn to the statement of Shri Kanwar Lal Gupta, former Member of Parliament, published in an English daily "The Motherland" dated the 25th August, 1972 to the effect that the Home Guards Jawans had participated in the procession organised by the Congress party on the 14th August, 1972 ;

(b) whether the Director of Home Guards had received instructions from the Ministry of Home Affairs in this regard ; and

(c) the reaction of Government thereto ?

The Deputy Minister in the Ministry of Home Affairs (Shri F. H. Mohsin) : (a) Yes. Sir.

(b) Yes. Sir.

(c) As the Torchlight Procession taken out on the 14th August, 1972 was part of the national celebrations of the 25th Anniversary of India's Independence, Government saw no objection to Home Guard Volunteers participating in it.

दिल्ली के लिए पांचवीं योजना का प्रारूप

407. **श्री डी० के० पंडा** : क्या **योजना** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली प्रशासन ने दिल्ली के लिए 500 करोड़ रुपये की लागत वाली पांचवीं पंचवर्षीय योजना का प्रारूप पेश किया है ;

(ख) यदि हां, तो प्रस्तावित योजना की मुख्य-मुख्य बातें क्या हैं ; और

(ग) उस पर केन्द्र सरकार ने क्या निर्णय किया है ?

योजना मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री मोहन धारिया) : (क) जी, नहीं । किन्तु दिल्ली

प्रशासन द्वारा प्रकाशित किये गये "संघ शासित क्षेत्र दिल्ली–पांचवीं योजना के प्रति दृष्टिकोण" नामक दस्तावेज में पांचवीं योजना की आवश्यकताओं का अनुमान 450 से 500 करोड़ रुपये के मध्य लगाया गया है, किन्तु उसका विस्तृत विवरण प्रस्तुत नहीं किया गया है।

(ख) और (ग). प्रश्न नहीं उठता।

Setting up of District level Development Boards for Development of Backward Areas

408. **Shri M. S. Purty :** Will the Minister of **Industrial Development and Science and Technology** be pleased to state :

(a) whether the Small Scale Industries Development Board has demanded of the Planning Commission to set up State as well as district level development Boards side by side with the Central level Boards for the development of backward areas in the country ; and

(b) if so, the decision taken by the Planning Commission in this regard ?

The Deputy Minister in the Ministry of Industrial Development (Shri Siddheshwar Prasad) : (a) No, Sir.

(b) Does not arise.

Cases of Murders in the Country

409. **Shri M. S. Purty :** Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to state :

(a) the number of murders from January to September, 1972 ;

(b) the number of cases registered with the Police ; and

(c) the steps taken by Government to check incidents of stabbing ?

The Deputy Minister in the Ministry of Home Affairs (Shri F. H. Mohsin) : (a) The data about the murders committed during the period January to September, 1972 is under compilation.

(b) The number of murder cases registered with the police during the period January to March, 1972 is 3572.

(c) Police is a State subject and as such necessary action to prevent the incidence of such crimes is taken by the State Governments.

शान्तिपूर्ण कार्यों के लिए परीक्षणात्मक आणविक विस्फोट

410. **श्री वयालार रवि : क्या परमाणु ऊर्जा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि शान्तिपूर्ण कार्यों के लिए परीक्षणात्मक आणविक विस्फोट करने हेतु संभाव्यता अध्ययन तथा अन्य तैयारियों की दिशा में अब तक क्या प्रगति हुई है ?

प्रधान मंत्री, परमाणु ऊर्जा मंत्री, इलैक्ट्रानिक्स मंत्री, गृह मंत्री, सूचना और प्रसारण मंत्री तथा अन्तरिक्ष मंत्री (श्रीमती इन्दिरा गांधी) : भूमि के नीचे किये जाने वाले परमाणु विस्फोटों की तकनीक की प्रगति का सैद्धान्तिक एवं प्रयोगात्मक दोनों ही दृष्टियों से पुनरीक्षण ऐसे विस्फोटों के

सम्भावित आर्थिक उपयोगों तथा उनसे पैदा होने वाले सम्भावित पर्यावरणीय खतरों को ध्यान में रखते हुए परमाणु ऊर्जा आयोग द्वारा लगातार किया जाता हैं ।

जहाजरानी सेवा के लिए परमाणु शक्ति चालित प्रणोदन व्यवस्था

411. **श्री वयालार रवि : क्या परमाणु ऊर्जा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या ट्राम्बे स्थित भाभा परमाणु अनुसंधान केन्द्र ने जहाजरानी सेवा के लिए परमाणु प्रणोदन व्यवस्था के बारे में एक परियोजना प्रतिवेदन तैयार किया है ; यदि हां, तो उसकी रूपरेखा क्या है ;

(ख) क्या भारत में निकट भविष्य में परमाणु शक्ति चालित पोत तथा पनडुब्बियां निर्मित करने की सरकार का विचार है ; और

(ग) यदि हां, तो उक्त प्रस्ताव की रूपरेखा क्या है ?

प्रधान मंत्री, परमाणु ऊर्जा मंत्री, इलैक्ट्रानिक्स मंत्री, गृह मंत्री, सूचना और प्रसारण मंत्री तथा अन्तरिक्ष मंत्री (श्रीमती इन्दिरा गांधी) : (क) से (ग). जहाजरानी के लिए परमाणु ऊर्जा चालित प्रणोदकों का विकास करने से सम्बन्धित रूपरेखा से युक्त एक परियोजना रिपोर्ट तैयार की गई है। अब इस रिपोर्ट की संवीक्षा की जा रही है ।

बंगलौर में भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संस्थान में एक पृथक उपग्रह निर्माण प्रभाग का गठन

412. **श्री डी० पी० जदेजा : क्या अंतरिक्ष** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बंगलौर में भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संस्थान के एक पृथक उपग्रह निर्माण प्रभाग का गठन करने के क्या कारण हैं ;

(ख) क्या थुम्बा स्थित वर्तमान केन्द्र को 250 किलोग्राम भारत का उपग्रह छोड़ने के लिए विकसित नहीं किया जा सकता ; और

(ग) बंगलौर में उपग्रह छोड़ने का केन्द्र स्थापित करने पर कितनी लागत आयेगी ?

प्रधान मंत्री, परमाणु ऊर्जा मंत्री, इलैक्ट्रानिक्स मंत्री, गृह मंत्री, सूचना और प्रसारण मंत्री तथा अन्तरिक्ष मंत्री (श्रीमती इन्दिरा गांधी) : (क) बंगलौर में कोई पृथक उपग्रह निर्माण प्रभाग स्थापित नहीं किया जा रहा है । भारतीय रूसी उपग्रह परियोजना के लिए थुम्बा के उपग्रह सिस्टम प्रभाग में अभिकल्पित उपग्रह का निर्माण, समय को बन्दिश, उपलब्ध स्थान, लवणहीन वायुमण्डल तथा विभिन्न परीक्षण करने एवं अन्य प्रकार की सुविधाओं की बंगलौर में सुलभता को ध्यान में रखते हुए बंगलौर में किया जा रहा है ।

(ख) जी, नहीं ; थुम्बा प्रक्षेपण केन्द्र केवल परिज्ञापी राकेट छोड़ने के काम आने वाले उपकरणों से युक्त है ।

(ग) बंगलौर में प्रक्षेपंण केन्द्र स्थापित करने का कोई प्रस्ताव नहीं है ।

भूतपूर्व नरेशों को अनुग्रह पूर्वक अदायगी

413. **श्री हेमेन्द्र सिंह बनेरा :** क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भूतपूर्व नरेशों को संसद द्वारा स्वीकृत 10.75 करोड़ रुपये की राशि की अनुग्रह-पूर्वक अदायगी की जा चुकी है ;

(ख) यदि हां, तो उक्त राशि प्राप्त करने वालों के नाम क्या हैं प्रत्येक को कितनी राशि दी गई है तथा किस-किस तारीख को दी गई है ; और

(ग) यदि नहीं, तो संभवत: किस तारीख अथवा तारीखों को उक्त अदायगियां कर दी जायेंगी तथा अब तक अदायगी न करने के क्या कारण हैं ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कृष्ण चन्द्र पन्त) : (क) से (ग). सरकार को सलाह दी गई है कि भूतपूर्व नरेशों को तब तक कोई अनुगृहात भुगतान न किया जाय जब तक कि भूतपूर्व नरेश मलेरकोटला तथा कुरुन्द्वाद (जूनियर) द्वारा संविधान (24,25, तथा 26 वें संशोधन) अधिनियम 1971 की वैधता को चुनौती देने वाली रिट याचिका पर उच्चतम न्यायालय का निर्णय ज्ञात नहीं हो जाता है।

मध्य प्रदेश में जमाखोरों की गिरफ्तारी

415. **श्री धनशाह प्रधान :**
श्री रणबहादुर सिंह :

क्या **औद्योगिक विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत छः महीनों में भारतीय रक्षा अधिनियम के अन्तर्गत अनाज तथा आवश्यक वस्तुओं में मुनाफाखोरी तथा जमाखोरी के आरोपों में मध्य प्रदेश में कितने व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया है ; और

(ख) छापों के दौरान कितनी खाद्य वस्तुओं को जब्त किया गया ?

औद्योगिक विकास मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद) : (क) और (ख). मध्य प्रदेश सरकार से जानकारी मांगी गई है, प्राप्त होने पर सभा पटल पर रख दी जायेगी।

भारतीय चिकित्सा तथा स्वास्थ्य सेवा का गठन

416. **श्री के० लकप्पा :**
श्री प्रसन्न भाई मेहता :

क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगी कि :

(क) क्या एक अखिल भारतीय चिकित्सा तथा स्वास्थ्य सेवा गठित करने संबंधी एक प्रस्ताव पर, जिसे 10 वर्ष पूर्व प्रस्तुत किया गया था और जो कि कुछ राज्यों द्वारा उस पर विचार व्यक्त न किये जाने के कारण क्रियान्वित नहीं किया जा सका था ; पुनः विचार किया जा रहा है ;

(ख) यदि हां, तो क्या इस पर राज्यों से पुनः उनके विचार मांगे गये हैं ; और

(ग) यदि हां, तो उन्होंने क्या विचार व्यक्त किये हैं ?

गृह मंत्रालय और कार्मिक विभाग में राज्य मंत्री (श्री राम निवास मिर्धा) : (क) से (ग). 1 फरवरी, 1969 से भारतीय चिकित्सा तथा स्वास्थ्य सेवा का गठन किया गया था। तथापि, इस सेवा में राज्य संवर्गों को शामिल करने की कार्यवाही और उनमें प्रारम्भिक भर्ती करने का कार्य हाथ में नहीं लिया जा सका, क्योंकि कुछ राज्य सरकारों, जिन्होंने इस सेवा में शामिल होने की सहमति प्रकट की थी, उन्होंने बाद में असहमति या इस सेवा के गठन तथा उसमें शामिल होने के बारे में अपनी शर्तें पेश कीं। स्वास्थ्य, परिवार नियोजन, निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास मंत्रालय ने इस मामले में जम्मू एवं कश्मीर, महाराष्ट्र, मैसूर, पंजाब, तमिलनाडु तथा पश्चिम बंगाल की राज्य सरकारों से सम्पर्क स्थापित किया हुआ है। उनसे अभी तक अन्तिम उत्तर प्राप्त नहीं हुए हैं और इन राज्य सरकारों द्वारा व्यक्त किए गए मत को ध्यान में रखते हुए इस मामले में पुनर्विचार किया जायेगा।

Involvement of C. I. A. in Shahdara riots

417. **Shri Bharat Singh Chauhan** : Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to state :

(a) whether C. I. A. had a hand in the riots that took place in Shahdara a few months back ;

(b) if so, the number of persons out of those arrested in connection with these riots, connected with C. I. A. or other agencies ; and

(c) the names of the agencies with which they were associated ?

The Deputy Minister in the Ministry of Home Affairs (Shri F. H. Mohsin) : (a) to (c). Government have no information of any C. I. A. involvement in the disturbances that occurred in Shahdara in August, 1972. A Commission of Inquiry consisting of V. D. Misra, Judge, High Court of Delhi, has been constituted under Section 3 of the Commissions of Inquiry Act, 1952, to enquire *inter-alia* into the course of the Shahdara disturbances. The Commission is expected to make its report to the Government by 31st December, 1972.

चीनी उद्योग का राष्ट्रीयकरण

418. **श्री डी० के० पंडा** : क्या **योजना** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या योजना आयोग ने चीनी उद्योग के राष्ट्रीयकरण की मांग का अध्ययन कर लिया है ; और

(ख) यदि हां, तो अध्ययन के क्या निष्कर्ष निकले हैं ?

योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहन धारिया) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

दुग्ध उत्पादों का देश में उत्पादन

419. **श्री इन्द्रजीत मल्होत्रा :** क्या **औद्योगिक विकास** मंत्री दुग्ध उत्पादों के देश में उत्पादन के बारे में 26 अप्रैल, 1972 के अतारांकित प्रश्न संख्या 4118 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत में डेरी उत्पाद संयंत्रों की यूनिटवार क्षमता तथा उत्पादन कितना है ;

(ख) प्रत्येक यूनिट का कितना विस्तार करने का प्रस्ताव है तथा उनके लिये आयातित तथा देश में ही बने उपकरणों तथा फालतू पुर्जों की कितनी आवश्यकता है ; और

(ग) क्या विस्तार तथा नवीकरण संबंधी आवेदनों पर विचार करने में मंत्रालय के विभिन्न कक्षों में काफी समय लग जाता है ; यदि हां, तो ऐसे विलम्ब को दूर करने के लिये क्या उपाय करने का विचार है ?

औद्योगिक विकास मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद) : (क) से (ग). आदरणीय सदस्य का ध्यान 30 अगस्त, 1972 को अतारांकित प्रश्न सं० 4169 के संदर्भ में दिये गये उत्तर की ओर आकर्षित किया जाता है, जिसमें पूछी गई पूर्ण जानकारी दी गई है।

बंगला देश के परमाणु ऊर्जा वैज्ञानिकों के लिए भाभा परमाणु ऊर्जा अनुसंधान केन्द्र में परमाणु ऊर्जा संबंधी अध्ययन करने की सुविधायें

420. **श्री पी० वेंकटासुब्बया :** क्या **परमाणु ऊर्जा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगी कि :

(क) क्या बंगला देश के परमाणु ऊर्जा वैज्ञानिकों को भाभा परमाणु ऊर्जा अनुसंधान केन्द्र तथा कलकत्ता स्थित साहा इंस्टीट्यूट में परमाणु ऊर्जा सम्बन्धी अध्ययन करने की सुविधायें दी जायेंगी ;

(ख) यदि हां, तो किस प्रकार की सुविधायें दी जायेंगी ; और

(ग) यदि इस सम्बन्ध में कोई करार हुआ है तो वह क्या है ?

प्रधान मंत्री, परमाणु ऊर्जा मंत्री, इलैक्ट्रानिक्स मंत्री, गृह मंत्री, सूचना और प्रसारण मंत्री, तथा अन्तरिक्ष मंत्री (श्रीमती इन्दिरा गांधी) : (क) से (ग). परमाणु ऊर्जा के शान्तिमय अनुप्रयोगों के क्षेत्र में बंगला देश और भारत के मध्य सहयोग के एक करार को अन्तिम रूप दिया जा रहा है।

बेरोजगार इंजीनियर

421. **श्री प्रबोध चंद्र :** क्या **गृह** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में इस समय कितने स्नातक इंजीनियर बेरोजगार हैं ; और

(ख) इंजीनियरों में बढ़ती हुई बेरोजगारी को दूर करने के लिए सरकार का विचार क्या अतिरिक्त उपाय करने का है ?

गृह मंत्रालय में उपमंत्री (श्री एफ० एच० मोहसिन) : (क) देश में बेरोजगार स्नातक इंजीनियरों की ठीक-ठीक संख्या ज्ञात नहीं है। इस सम्बन्ध में उपलब्ध सूचना केवल, रोजगार कार्यालयों के माध्यम से नौकरी ढूंढने वाले स्नातक इंजीनियरों की संख्या है। जून, 1972 के अन्त में रोजगार कार्यालयों के चालू रजिस्टरों पर इंजीनियरों की कुल संख्या 18816 थी।

(ख) इंजीनियरों में बेरोजगारी से निपटने के लिए सरकार द्वारा 1968 में शुरू किये गये 14 उपायों (जो कि अनुलग्नक में दिये गये हैं) के अतिरिक्त, निम्नलिखित योजनाओं को भी कार्यरूप दिया जा रहा है :

(i) ग्रामीण इंजीनियरिंग सर्वेक्षण।

(ii) स्वयं रोजगार के लिए इंजीनियरों का प्रशिक्षण।

(iii) ताप-विद्युत स्टेशनों के संचालन / रखरखाव के लिए इंजीनियरों का प्रशिक्षण।

(iv) ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि-सेवा केन्द्र।

(v) ग्रामीण जल प्रदाय योजनाओं के लिए डिजाइन यूनिटों की स्थापना।

(vi) सड़क परियोजनाओं की जांच।

(vii) राज्य सरकारों द्वारा प्रस्तावित तथा आरम्भ किये जाने वाले विशेष रोजगार कार्यक्रम।

विवरण

(1) राज्य सरकारों तथा केन्द्रीय मंत्रालय उपलब्ध साधनों या उपलब्ध हो सकने वाले साधनों की सीमा तक चौथी तथा बाद की योजनाओं में सम्मिलित की जाने वाली प्रायोजनाओं के सम्बन्ध में प्रारम्भिक कार्य शुरू करें। यह निर्णय किया जाय तथा बताया जाए कि केवल वही प्रायोजनाएं जिनकी पूरी तरह जांच कर ली गई है, चौथी योजना में शामिल की जायेंगी।

(2) वरिष्ठ इंजीनियरों की देख-रेख में चुनी हुई पूर्ण बड़ी प्रायोजनाओं की तकनीकी रिपोर्टों को तैयार करने का काम भी आरम्भ किया जाए।

(3) शिक्षा मंत्रालय के उद्योग में प्रशिक्षण कार्यक्रम का यथाशीघ्र विस्तार कर उसकी क्षमता 5,000 प्रशिक्षणार्थी प्रतिवर्ष कर दी जाय। श्रम तथा रोजगार मंत्रालय के इस सुझाव को, कि शिक्षक अधिनियम का संशोधन कर इंजीनियरी स्नातकों तथा डिप्लोमाधारियों को उसके अन्तर्गत लाया जाए, शिक्षा मंत्रालय के परामर्श में आगे जांच की जाय।

(4) उष्मीय केन्द्रों के संचालन व रख-रखाव के लिए 1500 स्नातकों और डिप्लोमाधारियों के प्रशिक्षण के लिए प्रबन्ध किये जायें।

(5) जहां कहीं सम्भव हो, भर्ती के तरीके तथा निर्धारित अर्हताओं में संशोधन करके रिक्त पद शीघ्र भरे जायें। रिक्त तकनीकी पदों को भरने पर लगा सामान्य प्रतिबन्ध उठा लिये जायें।

(6) आर्मी टैक्नीकल कोर के लिए अल्पकाल सेवा तकनीकी कमीशन आरम्भ करने के बारे में शीघ्र निर्णय लिया जाय।

(7) भारतीय परामर्शदायी संगठनों के विकास को प्रोत्साहित किया जाय। जहां सम्भव तथा वांछनीय हो, तथा वर्तमान परामर्शदायी संगठनों की मौजूदा क्षमता तथा दक्षता का उचित ध्यान रखते हुए, मुख्य योजनागत प्रायोजना, विदेशी सहयोग प्राप्त प्रायोजना तथा ऐसी प्रायोजनाएं, जिनके लिए सरकार द्वारा स्थापित वित्तीय संगठनों से वित्तीय सहायता मांगी जाती है, के मामलों में भारतीय परामर्शदायी संगठन अथवा आवश्यक विशेषज्ञता के सरकारी संगठनों से तकनीकी प्रवीणता तथा व्यवहार्यता का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने पर जोर दिया जाय।

(8) लघु उद्योगों को स्थापित करने के लिए इंजीनियरों को वित्तीय सहायता देने हेतु एक विशेष योजना तैयार की जाय। अब तक हुए प्रभाव को ध्यान में रखते हुए वर्तमान स्टेट बैंक योजना की पुनः जांच की जाय।

(9) अनुमोदित ठेकेदारों से योग्यता प्राप्त इंजीनियर रखने सम्बन्धी ठेकेदारी उपबन्धों का पालन करवाया जाय।

(10) इंजीनियरों को ग्रामीण क्षेत्रों में निर्माण कार्य लेने या कृषि-मशीनों की मरम्मत तथा सफाई-धुलाई (सर्विसिंग) की सुविधाएं प्रदान करने के लिए सहकारी समितियां स्थापित करने में इंजीनियरों को प्रोत्साहन दिया जाए।

(11) सार्वजनिक उपक्रमों में विपणन, बिक्री तथा प्रबन्ध सम्बन्धी पदों पर इंजीनियरों के रोजगार के लिये अवसरों का पता लगाया जाए।

(12) वैज्ञानिक अनुसंधान और विकास के लिये बहु-विशेषता प्रणाली अपनाई जाय।

(13) विदेशों में स्थित हमारे मिशनों द्वारा मित्र विकासशील देशों में उनके विकास कार्यक्रमों में सहायता करने के लिये तकनीकी विशेषज्ञ को बाहर भेजने के विशेष प्रयास किये जायें।

(14) श्रम तथा नियोजन मंत्रालय के इस सुझाव की, कि विशेष संख्या से अधिक श्रमिकों को नियुक्त करने वाले तथा विद्युत का उपयोग करने वाले कारखानों को अर्हक इंजीनियर नियुक्त करने को बाध्य किया जाय। औद्योगिक विकास तथा कम्पनी मामलों के मंत्रालय के परामर्श से और आगे जांच की जाय।

भारतीय महासर्वेक्षक के पद की संघ लोक सेवा आयोग के अधिकार क्षेत्र से बाहर निकालने सम्बन्धी प्रस्ताव

422. **श्री दिनेश जोरदार :** क्या **विज्ञान और प्रौद्योगिकी** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय महासर्वेक्षक के पद की संघ लोक सेवा आयोग के अधिकार से बाहर निकालने का कोई प्रस्ताव है ; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

औद्योगिक विकास तथा विज्ञान और प्रौद्योगिक मंत्री (श्री सी० सुब्रह्मण्यम) : (क) और (ख). जी हां, श्रीमान् जी। इस प्रस्ताव के कारण संक्षेप में निम्नलिखित हैं:

(1) भारतीय अनुसंधान संगठन समिति ने भारतीय सर्वेक्षण विभाग पर अपने प्रतिवेदन में

यह सिफारिश की है कि भारत के महासर्वेक्षक के पद पर ऐसा व्यक्ति होना चाहिए जिसे उच्च अभियान्त्रिक/शैक्षणिक/पृष्ठभूमि तथा प्रबन्ध योग्यता उपलब्ध हो ;

(2) भारत सरकार गत विज्ञान और प्रौद्योगिकी की समिति तथा वैज्ञानिकों और तकनीकों के तृतीय सम्मेलन की इस सिफारिश से सहमत है कि श्रेष्ठतम रूप से वैज्ञानिक भर्ती उस अनुशासन की, जिसमें भर्ती होनी है, एक विशेषज्ञ समिति द्वारा की जा सकती है। इसी दृष्टिकोण के अनुसार वैज्ञानिक भर्तियों के अधिकांश क्षेत्रों को संघ लोक सेवा आयोग की क्रिया विधि से छूट प्राप्त है। इस प्रकार वैज्ञानिक औद्योगिक अनुसंधान परिषद्, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद्, परमाणु ऊर्जा, अन्तरिक्ष और इलेक्ट्रानिक्स विभागों में भर्ती संघ लोक सेवा आयोग की क्रिया-विधि परिमिति के बाहर ही की जा रही है। हाल ही, सरकार ने विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग को संघ लोक सेवा आयोग की भर्तियों की क्रिया-विधि से छूट देने के संबन्ध में संघ लोक सेवा आयोग से प्रार्थना की है ;

(3) इसीलिए संघ लोक सेवा आयोग की भर्ती कार्य-विधियों से पद की छूट देने, तथा सर्वेक्षण क्षेत्र में विशेष ज्ञान प्राप्त वैज्ञानिकों की समिति द्वारा चयन करने के प्रश्न को संघ लोक सेवा आयोग को भेजा गया है। आयोग से उत्तर की प्राप्ति पर मंत्री मण्डल के आदेश प्राप्त किए जायेंगे।

हरियाणा में बिजली की कमी

423. **श्री डीं० के० पण्डा** : क्या **औद्योगिक विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गत कुछ महीनों से हरियाणा में उद्योगों को बिजली की अत्यधिक कमी का सामना करना पड़ रहा है जिसके फलस्वरूप काम के घंटों में कमी तथा उनको व्यवस्थित करना आवश्यक हो गया है ; और

(ख) इन उद्योगों को बिजली की कितनी कमी का सामना करना पड़ा है और इसके फलस्वरूप उत्पादन में कितनी कमी हुई है ?

औद्योगिक विकास मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद) : (क) और (ख). इस बात का पता लगा है कि हरियाणा में उद्योगों को बिजली की कमी का सामना करना पड़ रहा है जिससे कि कुछ कटौती और काम के घंटों में कमी की गई है, बिजली की मात्रा में कमी और उससे उत्पादन में हुई हानि का विस्तृत ब्यौरा उपलब्ध नहीं है। यह पता लगा है कि दिल्ली इलैक्ट्रिक सप्लाई अंडरटेकिंग ने हरियाणा राज्य विद्युत बोर्ड को वर्ष 1972 के अगस्त, सितम्बर और अक्तूबर महीनों की अवधि में क्रमश 19,11.6, और 39 मि० यूनिट अतिरिक्त बिजली दी है।

पश्चिम बंगाल में उत्पादन पर बिजली की कमी का प्रभाव

424. **श्री समर गुह** : क्या **औद्योगिक विकास** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बिजली के संकट के कारण पश्चिम बंगाल में औद्योगिक उत्पादन पर गहरा प्रभाव पड़ा है ; और

(ख) यदि हां, तो इसके फलस्वरूप औद्योगिक उत्पादन पर कितना प्रभाव पड़ा है ?

औद्योगिक विकास मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद): (क) और (ख). पिछले एक वर्ष से पश्चिम बंगाल में बिजली की कमी की स्थिति रही है । नवम्बर, 1971 से अगस्त, 1972 तक कमी की अनुमानित अवधि और सीमा कम के घंटों में बार-बार लोड में उतार चढ़ाव के साथ करीब 10% की रही है उत्पादन में हुई हानि सम्बन्धी विवरण राज्य सरकारों के पास अभी उपलब्ध नहीं है ।

सट्टे जूए को वैध बनाने के लिए मध्य प्रदेश सरकार द्वारा अनुरोध

425. **श्री रणबहादुर सिंह** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मध्य प्रदेश सरकार ने केन्द्रीय सरकार से अनुरोध किया है कि सट्टे को वैध बनाया जाये ताकि राज्य में सट्टे के अड्डों के लिए लाइसेंस जारी किये जा सकें ; और

(ख) यदि हां, तो इस पर केन्द्रीय सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

गृह मंत्रालय में उपमंत्री (श्री एफ० एच० मोहसिन) : (क) जी हां, श्रीमान् ।

(ख) पर्णक्रिया और जुआ एक राज्य विषय है और राज्य सरकार इस विषय पर कानून बनाने के लिये सक्षम है । प्रस्ताव में चूंकि सार्वजनिक नीति की एक महत्वपूर्ण बात है अतः मामला केन्द्रीय सरकार के विचाराधीन है ।

राजनीतिक-दलों से दलबदली को रोकने के उपाय

426. **श्री महादीपक सिंह शाक्य :**
श्री हुकम चन्द कछवाय :

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या एक राजनीतिक दल से दूसरे राजनीतिक दल में आने जाने को रोकने के लिए कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है ;

(ख) यदि हां, तो इसकी मुख्य बातें क्या हैं ; और

(ग) 1968 से लेकर अब तक विधान सभाओं तथा संसद में कितने व्यक्तियों ने दल बदले हैं?

गृह मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री एफ० एच० मोहसिन) : (क) और (ख). ध्यान अतारांकित प्रश्न संख्या 578 दिनांक 2 अगस्त, 1972 के उत्तर की ओर आकर्षित किया जाता है। इस संबंध में आवश्यक विधान चालू सत्र के दौरान पुरःस्थापित करने का इरादा है।

(ग) दल बदल संबंधी समिति ने अपनी रिपोर्ट में मार्च, 1967 से फरवरी 1968 तक की अवधि में राज्य विधान सभाओं और लोक सभा में दल बदलू की संख्या 438 दी थी। सरकार को उपलब्ध सूचना के अनुसार फरवरी 1968 से दिसम्बर, 1970 तक की अवधि में राज्य विधान सभाओं में ऐसे दल बदलू 806 और लोक सभा में 53 थे। सन् 1971 और 1972 (अक्तूबर 1972 के अन्त तक) की सूचना का संकलन किया जा रहा हैं।

मृत्यु दण्ड का समाप्त किया जाना

427. **श्री एस० ए० मुरुगन्नतम :** क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने मृत्यु दंड समाप्त करने के प्रश्न पर विचार किया है ; और

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में क्या निर्णय किया गया है ?

गृह मंत्रालय में उपमंत्री (श्री एफ० एच० मोहसिन) : (क) और (ख). भारतीय दण्ड संहिता के व्यापक पुनरीक्षण के प्रस्तावों के सम्बन्ध में, सभी पहलुओं से इस विषय पर विचार किया जा रहा है।

इण्डियन आक्सीजन लिमिटेड में पूंजी निवेश

428. **श्री सरोज मुखर्जी :** क्या औद्योगिक विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इण्डियन आक्सीजन लिमिटेड द्वारा कुल कितनी पूंजी लगाई गई है और इसमें से भारतीयों तथा विदेशियों की पूंजी कितनी-कितनी है ;

(ख) गत तीन वर्षों में इण्डियन आक्सीजन द्वारा कितना वार्षिक लाभ, स्वामित्व, सेवा शुल्क और तकनीकी परामर्शदात्री शुल्क बाहर भेजा गया है ; और

(ग) भारत में आक्सीजन, एस्टीलीन तथा आरगान गैस के उत्पादन में इण्डियन आक्सीजन का भाग कितना है ?

औद्योगिक विकास मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद) : (क) 7 अगस्त, 1972 को मै० इण्डियन आक्सीजन लि० की प्रदत्त पूंजी 462 लाख रु० थी जिसमें 305.93 लाख रु० के विदेशी शेयर पूंजी और 156.07 लाख रुपयों की भारतीय शेयर पूंजी थी।

(ख) आवश्यक जानकारी नीचे दी जा रही है :

	1968-69	**1969-70**	**1970-71** (लाख रु० में)
लाभांश	कुछ नहीं	55.03	कुछ नहीं
तकनीकी जानकारी	5.95	14.35	कुछ नहीं
रायल्टीज	कुछ नहीं	कुछ नहीं	कुछ नहीं

(ग) वर्ष 1971 में मै० इण्डियन आक्सीजन लि० ने आक्सीजन के कुल उत्पादन का 59 प्रतिशत (सरकारी क्षेत्र में इस्पात और उर्वरक एककों के उत्पादन को छोड़कर) विलयित ऐसिटीलीन के कुल उत्पादन का 47 प्रतिशत और आर्गन गैस के कुल उत्पादन का 52 प्रतिशत उत्पादन किया है।

Effect of Shortage of Power on Industries in Punjab and Madhya Pradesh

429. **Shri R. V. Bade :** Will the Minister of **Industrial Development and Science and Technology** be pleased to state :

(a) whether the industries have suffered great loss in Punjab and Madhya Pradesh due to the shortage of power ; and

(b) if so, the extent of loss suffered ?

The Deputy Minister in the Ministry of Industrial Development (Shri Siddheshwar Prasad) : (a) and (b). While industries in Punjab are reported to have suffered considerably due to power shortage, it is understood that in Madhya Pradesh the power supply positiod has been fairly satisfactory. Details of the extent to which industries in these States were affected due to power shortage are not readily available.

देश में परमाणु बिजलीघरों की स्थापना

430. **श्री पी० वेंकटासुब्बया :** क्या **परमाणु ऊर्जा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बिजली की बढ़ती हुई कमी को पूरा करने के लिए देश में परमाणु बिजली घर स्थापित करने का सरकार का विचार है; और

(ख) यदि हां, तो क्या ऐसी परमाणु बिजलीघर परियोजनाओं के स्थापना स्थलों पर निर्णय लेते समय ऐसे क्षेत्रों (राज्यों) की आवश्यकताओं को जिनमें बिजली का प्रतिव्यक्ति उत्पादन तथा खपत तुलनात्मक रूप से कम है ध्यान में रखा जायेगा ?

प्रधान मंत्री, परमाणु ऊर्जा मंत्री, इलैक्ट्रानिक्स मंत्री, गृह मंत्री, सूचना और प्रसारण मंत्री तथा अन्तरिक्ष मंत्री, (श्रीमती इंदिरा गांधी) : (क) जी, हां ।

(ख) अन्य वैकल्पिक स्थलों को ध्यान में रखते हुए, परमाणु बिजलीघरों की स्थापना ऐसे स्थलों पर करने की योजना है जहां वे राष्ट्रीय विकास कार्यों के लिये सर्वाधिक प्रभावशाली ढंग से योगदान दे सकते हैं ।

व्यावहारिक विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में भारत तथा रूस के बीच समझौता

431. **श्री चिन्तामणि पाणिग्रही :**
श्री पी० गंगादेव :

क्या **विज्ञान और प्रौद्योगिकी** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या व्यावहारिक विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में भारत और रूस के बीच हाल में हुए समझौते की मुख्य बातें क्या हैं;

(ख) इस समझौते के अन्तर्गत कोई विशिष्ट कार्य-क्रम तैयार किया है ; और

(ग) यदि हां, तो उसकी रूपरेखा क्या है ?

औद्योगिक विकास तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री (श्री सी० सुब्रह्मण्यम) : (क) से (ग). भारत और सोवियत रूस के बीच व्यावहारिक विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में एक समझौते पर, 2 अक्तूबर, 1972 को मास्को में हस्ताक्षर हुए हैं । इस समझौते के अन्तर्गत कई विशिष्ट कार्यक्रमों का आयोजन किया गया है । इस समझौते के प्रमुख तत्व तथा कुछ कार्यक्रमों की रूपरेखायें एक विवरण के रूप में सदन के पटल पर प्रस्तुत हैं । [**ग्रंथालय में रखा गया । देखिए संख्या एल० टी० 3678/72**]

हरियाणा राज्य के मुख्य मंत्री के विरुद्ध आरोप

432. **श्री चिन्तामणि पाणिग्रही :**
श्री ईश्वर चौधरी :

क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगी कि :

(क) क्या सरकार ने हरियाणा राज्य के मुख्य मंत्री पर लगाये गये आरोपों पर कोई निर्णय कर लिया है; और

(ख) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

गृह मंत्रालय और कार्मिक विभाग में राज्य मंत्री (श्री राम निवास मिर्धा) : (क) तथा (ख). श्री भगवत दयाल शर्मा तथा हरियाणा विधानसभा के कुछ सदस्यों द्वारा राष्ट्रपति को मई,1969 तथा जुलाई,1969 में दो ज्ञापन प्रस्तुत किये गये थे, जिनमें हरियाणा के मुख्य मंत्री श्री बंशी लाल तथा अन्य के विरुद्ध कतिपय आरोप समाविष्ट थे। सावधानी से जांच करने के बाद, इन ज्ञापनों में समाविष्ट आरोप साबित नहीं हुए हैं।

श्री भगवत दयाल शर्मा द्वारा दिनांक 27 अक्तूबर, 1971 को श्री बी० डी० शर्मा, संसद सदस्य तथा कुछ अन्यों द्वारा हस्ताक्षरित दूसरा ज्ञापन राष्ट्रपति को प्रस्तुत किया गया था। श्री भगवत दयाल शर्मा द्वारा दिनांक 24 फरवरी, 1972 को एक अन्य दूसरा ज्ञापन राष्ट्रपति को प्रस्तुत किया गया, जिसमें श्री बंसी लाल तथा अन्यों के विरुद्ध समाविष्ट कतिपय आरोप थे। इन ज्ञापनों की जांच करने के लिये आवश्यक समझे गये कुछ अन्य स्पष्टीकरण 9 नवम्बर, 1972 को मुख्यमंत्री से प्राप्त कर लिये गये हैं। इस सम्बन्ध में अब शीघ्र ही अन्तिम निर्णय लिये जाने की आशा है।

पिछड़े क्षेत्रों में उद्योगों की स्थापना करने हेतु आवेदन पत्र

433. **श्री एम० कतामुतु** : क्या **औद्योगिक विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछड़े क्षेत्रों में उद्योग आरम्भ करने के लिये प्रोत्साहन और कर में छूट देने सम्बन्धी सरकार की घोषणा के परिणामस्वरूप इन क्षेत्रों में उद्योग स्थापित करने के लिये अब कितने आवेदन पत्र प्राप्त हुये हैं ;

(ख) इनमें से कितने आवेदन-पत्र बड़े औद्योगिक गृहों से प्राप्त हुए हैं;

(ग) क्या अब तक प्राप्त हुए सभी आवेदन पत्रों की जांच कर ली गई है; और

(घ) यदि हां, तो उनमें से कितने आवेदन पत्र स्वीकृत हुए हैं ?

औद्योगिक विकास मंत्रालय में उप मंत्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद) : (क) और (ख). सरकार द्वारा 26-8-71 को घोषणा करने के फलस्वरूप 30-9-72 तक पिछड़े क्षेत्रों में उद्योग स्थापित करने के 599 आवेदन पत्र प्राप्त हुए थे। इनमें से 45 आवेदन बड़े औद्योगिक गृहों से मिले हैं।

(ग) और (घ). अब तक 53 आवेदन पत्र स्वीकृत किये गये हैं और इनके सम्बन्ध में आशय पत्र और औद्योगिक लाइसेन्स जारी किये गये हैं। 77 आवेदनों का निपटारा, रद्द करके; वापस आदि करके, किया गया है। शेष आवेदनों पर सरकार सक्रिय रूप से विचार कर रही है।

प्रतिभा पलायन पर रोक

434. **श्री एम० कतामुतु :**
श्री एम० रामगोपाल रेड्डी :

क्या **विज्ञान और प्रौद्योगिकी** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश से प्रतिभा पलायन रोकने के लिये किये गये सरकारी प्रयासों के अब तक क्या परिणाम उपलब्ध हुए हैं; और

(ख) इस दिशा में सरकार और क्या कदम उठाना चाहती है ?

औद्योगिक विकास तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री (श्री सी० सुब्रह्मण्यम) : (क) भारत सरकार द्वारा स्थापित वैज्ञानिक पूल ने 4548 भारतीय वैज्ञानिकों, चिकित्सा कर्मियों, इंजीनियरों, प्रौद्योगिकीविदों आदि को वापस बुलाने और भारत में बसाने के लिये सहायता की है। प्रतिभा पलायन पर नियंत्रण करने के लिये विशिष्ट योग्यता प्राप्त भारतीय वैज्ञानिक आदि जो विदेश नहीं भी गये, वे भी वैज्ञानिक पूल में अस्थाई रोजगार के अधिकारी हैं। प्रारम्भ से अब तक पूल ने ऐसे 216 कार्मिकों का चयन किया है और इस प्रकार उनको भारत में बसाने के लिए मदद की है।

अधिसंख्यक-पद योजना ने भी कुछ वैज्ञानिकों को रोजगार दिलाने में मदद की है।

रोजगार सम्बन्धी सुअवसरों को उन्नत करने के लिये जो उपाय पहले ही किये गये हैं, उनको संलग्न विवरण में दिया गया है। **[ग्रंथालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी० 3679/72]** प्रतिभा पलायन को रोकने के लिये इन उपायों के प्रभाव का कोई मूल्यांकन नहीं किया गया।

(ख) प्रतिभा पलायन की जांच के लिये सरकार ने निम्नलिखित अग्रिम उपाय भी किये हैं–

(1) चौथी योजना में शिक्षित बेरोजगारों को रोजगार प्राप्त कराने के लिये सरकार ने 50 करोड़ रुपये की एक धनराशि आवंटित की है। इसमें से 20 करोड़ रुपये की एक धनराशि इसी वर्ष के बजट में आवंटित कर दी गई है।

(2) योजना आयोग ने 27 करोड़ रुपये की एक धनराशि राज्य सरकारों द्वारा रोजगार के विशेष कार्यक्रम तैयार करने के लिए अलग रख दी है। इस राशि के अलावा राज्य सरकारों को अतिरिक्त 27 करोड़ रुपये की धनराशि इस कार्य के लिये लगानी होगी।

(3) राष्ट्रीयकृत बैंकों द्वारा उद्योग चलाने वाले बेरोजगार व्यक्तियों को वित्तीय सहायता भी प्रदान की जाती है।

(4) रोजगार के लिये योजना आयोग और राज्य सरकारें भी योजनायें तैयार कर रही हैं जिससे योग्य व्यक्तियों को रोजगार के अभाव में विदेश न जाना पड़े।

इसके अतिरिक्त भारत सरकार ने बेरोजगारी की कुल स्थिति का मूल्यांकन करने और उपचारात्मक उपाय सुझाने के लिये एक 'बेरोजगार सम्बन्धी समिति' नियुक्त की है समिति ने रोजगार के लिये अल्पकालीन उपायों से सम्बन्धित अपनी एक अन्तरिम रिपोर्ट पेश की है।

पांचवीं योजना में अत्यावश्यक (कोर) क्षेत्र पर ध्यान केन्द्रित करना

435. **श्री पी० गंगादेव :**
श्री प्रसन्नभाई मेहता :
क्या **योजना** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या योजना आयोग पांचवीं योजना को 5·5 प्रतिशत की वार्षिक चक्रवृद्धि विकास दर की प्राप्ति को ध्यान में रखते हुए बनायेगा; और

(ख) क्या पांचवीं योजना का मुख्य लक्ष्य अत्यावश्यक (कोर) क्षेत्र होगा ?

योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहन धारिया) : (क) और (ख). पांचवीं पंचवर्षीय योजना के प्रति दृष्टिकोण को योजना आयोग ने अन्तिम रूप दे दिया है और उस पर भारत सरकार की स्वीकृति की इन्तजारी की जा रही है ।

आशय पत्रों का उपयोग न किया जाना

436. **श्री पी० गंगादेव :**
श्री प्रसन्नभाई मेहता :

क्या **औद्योगिक विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीय अर्थ व्यवस्था के लिये अति महत्वपूर्ण उद्योगों की स्थापना हेतु गत पांच वर्षों के दौरान जारी किये गये 120 आशय-पत्रों पर राज्य औद्योगिक विकास निगमों द्वारा कोई प्रभावी कार्यवाही करने में असफलता को केन्द्रीय सरकार ने गम्भीर रूप में लिया है ;

(ख) इनमें से कितने आशय-पत्रों को अब तक औद्योगिक लाइसेन्सों में परिवर्तन किया जा चुका है;

(ग) क्या जिन मामलों में लाइसेन्स जारी किये जा चुके थे उनमें भी प्रगति सन्तोषजनक नहीं हैं; और

(घ) उन राज्यों के नाम क्या हैं जिनको आशय-पत्र जारी किये गये थे ?

औद्योगिक विकास मंत्रालय में उप मंत्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद) : (क) सरकार पिछले पांच वर्षों में राज्यों के औद्योगिक विकास निगमों को जारी किये गये आशय-पत्रों और औद्योगिक लाइसेन्सों के त्वरित कार्यान्वियन के लिये काफी उत्सुक रही है ।

(ख) अभी तक कार्य चलाने के लिये जारी किये गये लाइसेन्सों के अलावा राज्य विकास निगमों को 9 लाइसेन्स जारी किये गये हैं ।

(ग) जी, नहीं ।

(घ) निम्नलिखित राज्यों के निगमों को आशय-पत्र जारी किये गये–

आन्ध्र प्रदेश, आसाम, बिहार, गुजरात, हरयाणा, जम्मू और काश्मीर, केरल, मध्य प्रदेश, मैसूर, उड़ीसा, पंजाब, राजस्थान, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल ।

भारतीय चलचित्रों तथा संगीत के रिकार्डों की विदेशों को तस्करी

437. **श्री पी० गंगादेव :**
श्री वाई० ईश्वर रेड्डी :

क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय चलचित्रों तथा संगीत के रिकार्डों को विदेशों को तस्करी के परिणामस्वरूप भारत को 6 करोड़ रुपये से अधिक की हानि हो रही है ;

(ख) क्या भारतीय चलचित्र निर्यात निगम के अध्यक्ष ने इस बारे में कुछ उपचारी उपायों के सुझाव दिये हैं;

(ग) यदि हां, तो किन उपायों का सुझाव दिया गया; और

(घ) इस समस्या के हल के लिये सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय में उपमंत्री (श्री धर्मवीर सिंह) : (क) भारतीय फिल्मों और रिकार्ड किये गये संगीत को चोरी छिपे बाहर भेजने अथवा इस कारण हुई विदेशी मुद्रा की यथार्थ हानि के बारे में कोई विश्वस्त सूचना उपलब्ध नहीं है ।

(ख) से (घ). विदेश व्यापार मंत्रालय से सूचना एकत्र की जा रही है और यथासमय सदन की मेज पर रख दी जायेगी ।

राष्ट्रीय औद्योगिक विकास निगम लिमिटेड की गतिविधियां

438. **श्री पी० गंगादेव :**
श्री प्रसन्नभाई मेहता :

क्या **औद्योगिक विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीय औद्योगिक विकास निगम अपनी गतिविधियों में विविधता लाने की योजना बना रही है ताकि देश की बदलती हुई आवश्यकताओं को पूरा किया जा सके और यदि हां तो तत्सम्बन्धी मुख्य बातें क्या हैं; और

(ख) क्या नई गतिविधियों में प्रत्येक उद्योग की बारी बारी जांच करना भी शामिल है ताकि विभिन्न प्रकार के दूषण को कम किया जा सके ?

औद्योगिक विकास मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद) : (क) राष्ट्रीय औद्योगिक विकास निगम का विचार निम्नलिखित विशिष्ट परामर्शदायी सेवाएं देने के लिये अपने कार्य क्षेत्र को बढ़ाने का है ।

(1) दूषण नियंत्रण की परामर्शदायी सेवायें ।

(2) ट्रैफिक इंजीनियरी से सम्बन्धित समस्याओं विशेष रूप से वे समस्यायें जो शहरी क्षेत्रों से संबंधित हैं, की परामर्शदायी सेवायें ।

(3) प्रयोग शालाओं में किये जाने वाले अनुसंधान सप्रभावी रूप से उद्योगों में प्रयोग हो सके इस हेतु देशीय अनुसंधान को इंजीनियरी सहायता ।

(ख) निगम दूषण नियंत्रण के क्षेत्र में परामर्शदायी सेवायें देने के लिये स्वयं को समर्थ बनाने हेतु कदम उठा रहा है । ज्यों ही उपर्युक्त क्षेत्र में इसकी क्षमता और योग्यता बढ़ जाती है वैसे ही इसका विचार उद्योगों और निगम प्राधिकारियों को परामर्शदायी सेवायें देने का है ।

पश्चिम बंगाल के औद्योगिक एककों का राज्य के बाहर विस्तार

440. **श्री सत्य चरण बेसरा :** क्या **औद्योगिक विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पश्चिम बंगाल सरकार ने राज्य के औद्योगिक उपक्रमों के व्यापार का राज्य से बाहर विस्तार करने की अनुमति मांगी है; और

(ख) यदि हां, तो पहले के निर्णय को बदलने के क्या कारण हैं ?

औद्योगिक विकास मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद) : (क) इस मंत्रालय में ऐसा कोई आवेदन प्राप्त नहीं हुआ है ।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता ।

दिल्ली में पुलिस के ढांचे में परिवर्तन

441. **श्री सत्य चरण बेसरा :**
श्री ईश्वर चौधरी :

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार दिल्ली में पुलिस के ढांचे में भारी परिवर्तन करने का है; और

(ख) यदि हां, तो खोसला समिति के प्रतिवेदन में ऐसे परिवर्तनों को किस सीमा तक शामिल किया गया था ?

गृह मंत्रालय में उप मंत्री (श्री एफ० एच० मोहसिन) : (क) दिल्ली में पुलिस आयुक्त प्रणाली प्रारम्भ करना जो एक भारी परिवर्तन होगा, सरकार के विचाराधीन है ।

(ख) न्यायाधीश जी० डी० खोसला के नेतृत्व में दिल्ली पुलिस आयोग द्वारा इस परिवर्तन की सिफारिश की गई थी ।

कस्तूरबा बालिका विद्यालय, दिल्ली की एक हरिजन छात्रा की मृत्यु

442. **श्री सत्य चरण बेसरा :**
श्री भागीरथ भंवर :

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कस्तूरबा बालिका विद्यालय, दिल्ली की एक हरिजन बालिका की मृत्यु रहस्यात्मक परिस्थितियों में हुई थी ;

(ख) क्या विद्यालय के प्रिंसिपल के विरुद्ध अनेक आरोप हैं ;

(ग) क्या इस सम्बन्ध में कोई जांच करने का आदेश दिया गया है ; और

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी जांच के क्या निष्कर्ष निकले हैं ?

गृह मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री कृष्ण चन्द्र पन्त) : (क) से (घ). दिल्ली प्रशासन से 5 सितम्बर, 1972 को प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार श्री निवास पुरी थाने में सूचना मिली कि कस्तूरबा बालिका विद्यालय, ईश्वर नगर नई दिल्ली के भवन के परिसर में स्थित कुंए में एक लड़की की लाश तैरती पायी गई थी। जांच करने के लिए पुलिस तुरन्त घटना स्थल पर गई । लाश को कुंए से बाहर निकाला तथा बाद में लाश को पहचाना गया कि वह विद्यालय की 10वीं कक्षा की एक हरिजन लड़की कुमारी प्रेम लता की थी। स्थानीय पुलिस ने दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 174 के अन्तर्गत जांच की। जांच के दौरान मृतक के पिता ने विद्यालय के प्रिंसिपल के विरुद्ध भेदभाव तथा दुर्व्यवहार के आरोप लगाये। प्रिंसिपल के विरुद्ध अस्पृश्यता (अपराध) अधिनियम, 1955 की धारा 7 (ख) के अन्तर्गत एक मामला दर्ज किया गया। उसको गिरफ्तार किया गया तथा बाद में जमानत पर रिहा किया गया। जांच पूरी करने के पश्चात् पुलिस ने प्रिंसिपल के विरुद्ध आत्म-हत्या के लिए उकसाने के लिए भारतीय दण्ड संहिता की धारा 305/201 के अन्तर्गत अभियोग पत्र दिया है मामला निर्णयाधीन है।

उपराज्यपाल, दिल्ली ने स्कूल होस्टल में 31-8-72 को जनमाष्टमी समारोह से संबंधित स्कूल प्रशासन की भूमिका की जांच के लिए एक समिति नियुक्त की है। दिल्ली प्रशासन से समिति की रिपोर्ट अभी आनी है।

औद्योगिक नीति संकल्प में संशोधन

443. **श्री डी० डी० देसाई** : क्या **औद्योगिक विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार 1956 के औद्योगिक नीति संकल्प में संशोधन करने का है ; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

औद्योगिक विकास मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद) : (क) औद्योगिक नीति संकल्प में संशोधन करने का इस समय कोई प्रस्ताव नहीं है।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

औद्योगिक क्षेत्र में पुनः गतिशीलता लाना

444. **श्री डी० डी० देसाई** : क्या **औद्योगिक विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि सरकार ने देश में औद्योगिक क्षेत्र में पुनः गतिशीलता, लाने के लिए क्या कार्यवाही की है अथवा करने का विचार है ?

औद्योगिक विकास मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सिद्धश्वर प्रसाद) : सरकार ने नीति और प्रक्रिया दोनों ही दिशाओं में देश में औद्योगिक प्रगति में गति लाने के लिये निम्नलिखित अनेक अभ्युपाय अपनाये हैं :–

(1) लाइसेन्स के लिये छूट की सीमा 25 लाख से बढ़ाकर 1 करोड़ करने और मध्य क्षेत्र के उद्योगों को कुछ शर्तों के साथ 1 करोड़ की सीमा तक बिना लाइसेन्स प्राप्त किए पर्याप्त विस्तार करने की अनुमति देना ;

(2) मध्य क्षेत्र विशेष लघु और मध्यम श्रेणी के उद्यमियों को उदारता पूर्वक लाइसेन्स देना। 1970 से अब तक बहुत सारे आशय पत्र जारी किए गये हैं जिनकी वास्तविक संख्या 1970 में 438, 1971 में 1015 और जनवरी से सितम्बर 1972 तक 666 थी।

(3) सीमेंट, कागज, औद्योगिक गैसों, आटोमोबाइल टायरों और ट्यूबों, आटोमोबाइल के सहायक सामानों कैल्शियम कार्बाइड आदि अनेक उद्योगों में पर्याप्त विस्तार क्षमता के लिये लाइसेन्स दिये।

(4) 1 जनवरी 1972 से 54 उद्योगों की वर्तमान क्षमता का पूरा पूरा उपयोग करने के लिये कुछ उदारताओं की घोषणा की गई है। ये उदारतायें 1 अक्टूबर, 1972 से 11 और अन्य उद्योगों पर भी लागू हो गई हैं।

(5) अनेक वस्तुएं लघु क्षेत्र के लिये आरक्षित कर दी गई हैं और इस क्षेत्र की सहायता के लिये आवश्यक अभ्युपाय अपनाये गये हैं।

(6) कच्चे माल विशेष कर इस्पात की सम्भरण स्थिति पर बराबर ध्यान दिया जा रहा है तथा उनकी उपलब्धता में सुधार लाने के लिये विशेष अभ्युपाय अपनाये गये हैं।

(7) औद्योगिक लाइसेंसिग सम्बन्धी प्रक्रिया और अन्य स्वीकृति सम्बन्धी नियमों की निरंतर संवीक्षा की जा रही है तथा इस प्रकार की स्वीकृति देने की दिशा में उल्लेखनीय प्रगति हुई है।

देश की औद्योगिक प्रगति में तेजी लाने के लिये सरकार आवश्यकतानुसार अन्य उपयुक्त कदम उठायेगी।

औद्योगिक उत्पादन में गिरावट का रुख

445. **श्री डी० डी० देसाई :**
श्री ओंकार लाल बेरवा :

क्या **औद्योगिक विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वर्ष 1971-72 के आरम्भिक साल में औद्योगिक उत्पादन घटा है ;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ; और

(ग) पिछली कमी को पूरा करने और योजना के अनुसार औद्योगिक उत्पादन बढ़ाने के लिए सरकार का विचार क्या उपाय करने का है ?

औद्योगिक विकास मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद) : (क) और (ख). औद्योगिक उत्पादन के सरकारी सूचकांक से 1970 की अपेक्षा वर्ष 1971 में लगभग 3 प्रतिशत की वृद्धि दर का पता चलता है। 1972 (जनवरी-जून) के प्रथम छः महीनों में 1971 की दूसरी अवधि की अपेक्षा 7.5 प्रतिशत की वृद्धि हुई है।

(ग) औद्योगिक उत्पादन बढ़ाने के लिए किए गए अभ्युपायों में ये शामिल हैं :

1. औद्योगिक लाइसेन्स नीति में विशेषरूप से 65 चुने हुए प्राथमिकता प्राप्त उद्योगों में वर्तमान उत्पादन क्षमता का पूरा उपयोग करने में पर्याप्त उदारता लाना ;

2. बड़े औद्योगिक गृहों और अधिकांश विदेशी पूंजी वाली फर्मों को छोड़कर 1 करोड़ रु० तक के निदेश पर औद्योगिक लाइसेंस की आवश्यकता का विदेशी मुद्रा के बाहर जाने जैसी रुकावटों के अधीन खत्म करना ;

3. औद्योगिक कच्चे माल, फालतू हिस्से और पुर्जों के लिए आयात लाइसेंस देने में पर्याप्त वृद्धि करना ; तथा

4. औद्योगिक लाइसेन्सों तथा पूंजीगत मांग के आयात के आवेदनों पर विचार करने की प्रक्रिया को सुप्रवाही बनाना ।

पांचवीं योजना में संसाधन जुटाने के बारे में अनुमान

446. **श्री डी० डी० देसाई** : क्या **योजना** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या योजना आयोग ने पांचवीं योजनावधि में संसाधन जुटाने के बारे में अनुमान लगाया है ;

(ख) क्या आयोग द्वारा मूल्य तथा विकास सम्बन्धी नीतियों पर भी विचार किया गया है ;

(ग) क्या आयोग ने पांचवीं योजना के व्यापक परिव्यय तथा मोटे तौर पर क्षेत्रवार परिव्यय पर भी समग्र रूप से विचार किया है ; और

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी रूप रेखा क्या है ?

योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहन धारिया) : (क) से (ग). जी हां ।

(घ) योजना आयोग ने हाल में ही "पांचवीं योजना के प्रति दृष्टिकोण नामक दस्तावेज तैयार किया है जिसमें मांगी गई सूचना दी गई है। परन्तु इस पर विचार कर सरकार ने अभी अपनी स्वीकृति प्रदान करनी है। सरकार द्वारा स्वीकृति हो जाने पर इस दस्तावेज को प्रकाशित करने का विचार है। दृष्टिकोण पत्र की मुख्य बातें दर्शाते हुए एक विवरण संलग्न है। **[ग्रंथालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी०-3680/72]**

उद्योगों की क्षमता का विस्तार करने के लिए आवेदन पत्र

447. **श्री के० बालादण्डायूतम** : क्या **औद्योगिक विकास** मंत्री यह बताने की कृपा **करेंगे** कि :

(क) क्या औद्योगिक क्षमता को बढ़ा कर दुगनी करने हेतु और आवेदन पत्रों की जांच करने के लिए गठित "टास्क फोर्स" को अब तक कितने आवेदन पत्र प्राप्त हुए हैं ;

(ख) इन आवेदन पत्रों में से कितने बड़े औद्योगिक गृहों के थे और कितने निजी कम्पनियों के थे ;

(ग) क्या "टास्क फोर्स" द्वारा समस्त आवेदन पत्रों की जांच कर ली गई है ; और

(घ) यदि हां, तो उन पर क्या निर्णय किया गया है ?

औद्योगिक विकास मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद) : (क) बढ़ी हुई अधिष्ठापित क्षमता को मान्यता देने हेतु टास्क फोर्स द्वारा विचार किये जाने के लिये अब तक 220 आवेदन-पत्र प्राप्त हुए हैं ।

(ख) बड़े औद्योगिक गृहों एककों के 127 और अधिकांश विदेशी हिस्सों वाली कम्पनियों के 93 आवेदन-पत्र थे ।

(ग) टास्क फोर्स ने अब तक 182 आवेदनों पर विचार किया है ।

(घ) टास्क फोर्स की सिफारिशों पर विचार करने के पश्चात् सरकार ने 134 मामलों में अन्तिम निर्णय कर लिया है । 52 मामलों में बढ़ी हुई क्षमता को मान्यता दे दी गयी है और शेष 82 आवेदन रद्द कर दिये गये हैं ।

सीमेंट कारखानों की स्थापना

449. **श्री मुख्तियार सिंह मलिक** : क्या **औद्योगिक विकास** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार वर्ष 1972-73 और 1973-74 के दौरान देश में कुछ और अधिक सीमेंट कारखाने स्थापित करने का है ;

(ख) यदि हां, तो वे कहां कहां स्थापित किए जाएंगे ; और

(ग) इस प्रयोजन के लिए कितना धन निर्धारित किया गया है ?

औद्योगिक विकास मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद) : (क) जी, हां ।

(ख) और (ग). सूचना निम्न प्रकार है :—

स्थान	पूर्व निर्दिष्ट धनराशि (लाखों में)	टिप्पणी
1. मेढर विस्तार (मध्य प्रदेश)	211	इन अनुमानों में आगे संशोधन किया जा सकता है ।
2. पोण्टा (हि० प्र०)	761	
3. बोकाजन (आसाम)	1098	
4. पागली (भूटान)	700	

प्रतिवर्ष 4 लाख मी० टन की क्षमता से देहरादून के निकट बारुबाला में एक संयंत्र की स्थापना करने के लिए एक प्रायोजना प्रतिवेदन पर विचार किया जा रहा है ।

भारतीय रक्षा नियम और आन्तरिक सुरक्षा बनाये रखने सम्बन्धी अधिनियम के अन्तर्गत गिरफ्तार किये गये व्यक्ति

450. **श्री मुख्तियार सिंह मलिक** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1 जून, 1972 से 31 अक्तूबर, 1972 के दौरान विभिन्न राज्यों में भारतीय रक्षा नियम और आन्तरिक सुरक्षा बनाये रखने सम्बन्धी अधिनियम के अन्तर्गत कुल कितने व्यक्ति गिरफ्तार किये गये ;

(ख) क्या सरकार को हाल ही में इस आशय के अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं कि उक्त अधिनियमों के अन्तर्गत बहुत बड़ी संख्या में राजनीतिक कर्मचारी और कार्मिक संघ नेता भी गिरफ्तार किये गये हैं ; और

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं और सरकार ने इस बारे में क्या कार्यवाही की है ?

गृह मंत्रालय में उपमंत्री (श्री एफ० एच० मोहसिन) : (क) राज्य सरकारों / संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों से अब तक प्राप्त सूचना इस प्रकार है :—

राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का नाम	**1-6-1972 से 1-11-1972 तक आन्तरिक सुरक्षा व्यवस्था अधिनियम के अधीन नजरबन्द किये गये व्यक्तियों की संख्या**	**इसी अवधि के दौरान भारत सुरक्षा नियम के अन्तर्गत गिरफ्तार किये गये व्यक्तियों की संख्या**
आंध्र प्रदेश	2	25
गुजरात	14	6
हरियाणा	1	अभी आनी है।
केरल	3	शून्य
मैसूर	शून्य	366
उड़ीसा	1	शून्य
पंजाब	62	26
राजस्थान	4	शून्य
उत्तर प्रदेश	16	अभी आनी है।

मनीपुर तथा नागालैण्ड राज्यों तथा अन्दमान व नीकोबार द्वीप समूह, चण्डीगढ़, दादरा व नागर हवेली, गोवा, दमन व दीव, लक्कादीव, मिनिकाय व अमिनदीवी द्वीपसमूह, मिजोराम, पाण्डिचेरी और अरुणाचल प्रदेश संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों में किसी गिरफ्तारी / नजरबन्दी की सूचना नहीं है। शेष राज्यों तथा संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों से सूचना एकत्रित की जा रही है तथा सदन के सभा पटल पर रख दी जायेगी।

(ख) और (ग). हाल में न तो कोई विशिष्ट अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं और न ही सरकार के पास कोई ऐसी सूचना है कि आन्तरिक सुरक्षा व्यवस्था अधिनियम 1971 और भारत सुरक्षा नियम, 1971 के उपबन्धों का प्रयोग वैध राजनीतिक अथवा कार्मिक संघ की गतिविधियों में हस्तक्षेप करने के लिए किया गया है।

गोरपाड़ा जनजाति बस्ती, त्रिपुरा में जनजाति लोगों को बेदखली के नोटिस

451. **श्री बीरेन दत्त** : क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गोरपाड़ा जनजाति बस्ती, त्रिपुरा में बहुत बड़ी संख्या में जनजाति-लोगों को बेदखली के नोटिस दिये गये हैं ; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

गृह मंत्रालय में उपमंत्री (श्री एफ० एच० मोहसिन) : (क) और (ख). राज्य सरकार से तथ्य मालूम किये जा रहे हैं।

फिल्म वित्त निगम द्वारा फिल्म निर्माताओं को दिये गये ऋणों को बट्टे खाते डालना

452. **श्री जगन्नाथ मिश्र :**
श्री आर० के० सिन्हा :

क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या फिल्म वित्त निगम ने गत बारह वर्षों में फिल्म निर्माताओं को दिये गये ऋणों को बट्टे खाते डालने का निर्णय किया है ; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं और बट्टे खाते डाली जाने वाली कुल धनराशि कितनी होगी ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री धर्मवीर सिंह) : (क) तथा (ख). फिल्म वित्त निगम ने 1964-67 के दौरान दी गई अग्रिम राशि में से अब तक 12 लाख 66 हजार रुपए (इसमें 83 हजार रुपये व्याज भी शामिल है) की सीमा तक के ऋण को बट्टे खाते में डाला है। इन ऋणों का सम्बन्ध 8 फिल्मों से है। इनमें से सात फिल्में बाक्स आफिस पर असफल रहीं तथा आठवीं फिल्म पूरी नहीं हुई थी।

भूतपूर्व राजा-महाराजाओं के लिए शस्त्र लाइसेन्स

453. **श्री जगन्नाथ मिश्र :**
श्री हरी सिंह :

क्या **गृह** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या संघ सरकार ने सभी भूतपूर्व राजा-महाराजाओं तथा उनके परिवारों के भूतपूर्व

छूट-प्राप्त सदस्यों को आग्नेयास्त्रों को रखने के लिए नियमित लाइसेन्स प्राप्त करने हेतु निदेश दिये हैं ;

(ख) यदि हां, तो उन भूतपूर्व राजा-महाराजाओं की संख्या कितनी है जिन्होंने या तो लाइसेंस प्राप्त कर लिये हैं या उनके लिए आवेदन-पत्र भेजे हैं ; और

(ग) दोषी व्यक्तियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

गृह मंत्रालय में उपमंत्री (श्री एफ० एच० मोहसिन) : (क) जी हां, श्रीमान् ।

(ख) राज्य सरकारों से सूचना मांगी गई है ।

(ग) शस्त्र अधिनियम के अन्तर्गत निर्धारित लाइसेन्स देने वाले प्राधिकारियों को यह तय करने का अधिकार है कि प्रत्येक मामले की परिस्थितियों तथा उसके गुण दोषों पर विचार करते हुए दोषी व्यक्तियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की जानी चाहिए ।

बड़े व्यापार गृहों की परिसम्पत्तियां

454. **श्री मोहम्मद इस्माइल** : क्या **औद्योगिक विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बड़े व्यापार गृहों की परिसम्पत्तियों के बारे में नवीनतम आंकड़े क्या हैं ; और

(ख) क्या सरकार का विचार उपलब्ध नए आंकड़ों के आधार पर बड़े गृहों की सूची को बढ़ाने का है ?

औद्योगिक विकास मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद) : (क) और (ख). बड़े व्यापार गृहों की परिसम्पत्तियों के बारे में 1967-68 तक के आंकड़े समवाय कार्य विभाग के जर्नल "कम्पनी न्यूज एण्ड नोट्स" के मई 1970 के अंक में उपलब्ध हैं जिसकी प्रतियां संसद की लाइब्रेरी में प्राप्त हैं । समवाय कार्य विभाग इस सूचना को सरकार की नीतियों के अनुसार अद्युनातम बनाने में लगा है ।

इंजीनियरिंग ग्रेजुएट की इंजीनियरिंग सुपरवाइजर के पदों पर नियुक्ति पर अग्रिम वेतन वृद्धि दिया जाना

455. **श्री के० मालन्ना** : क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या टेलीफोन विभाग में इंजिनियरिंग ग्रेजुएट की इंजिनियरिंग सुपरवाइजर के पदों पर नियुक्ति के समय छह अग्रिम वेतन वृद्धि दी जाती है ; और

(ख) यदि हां, तो उसका औचित्य क्या है ?

संचार मंत्री (श्री हेमवतीनन्दन बहुगुणा) : (क) जी हां ।

(ख) इन्जीनियरी सुपरवाइजरों का काडर एक मूल काडर है । इस काडर में सभी को तरक्की तार इंजीनियरी सेवा द्वितीय श्रेणी के राजपत्रित काडर में की जाती है । द्वितीय श्रेणी के

काडर से भी ऊंचे इन्जीनियरी और सुपरवाइजरी राजपत्रित काडर हैं, जिनकी बारी आने पर उनकी तरक्की होती है। इस सेवा में ज्यादा से ज्यादा योग्यताप्राप्त इंजीनियरी ग्रेजुएट आए इसलिए निर्धारित वेतन मान में उन्हें छह अग्रिम वेतन-वृद्धियां दी जाती हैं।

एम० एस० सी० डिग्री प्राप्त टेलीफोन इन्सपेक्टरों को अग्रिम वेतन वृद्धि देना

456. **श्री के० मालन्ना :** क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार एम० एस० सी० डिग्री प्राप्त टेलीफोन इन्स्पेक्टरों को विभागों में अन्य पदों पर अनुकरण की जा रही पद्धति के आधार पर उनकी नियुक्ति पर छह अग्रिम वेतन वृद्धि देने का है, और

(ख) यदि नहीं; तो उसके क्या कारण हैं?

संचार मंत्री (श्री हेमवतीनन्दन बहुगुणा) : (क) जी नहीं।

(ख) इस पद के लिए निर्धारित शैक्षिक योग्यता है इन्टरमीडियेट साइन्स या इसके बराबर की परीक्षा जिसमें फिजिक्स और मैथेमेटिक्स विषय लिये गए हों। इस पद का वेतन मान है 150-300 रुपये। चुनाव के बाद इन्हें दूरसंचार प्रशिक्षण केन्द्र में प्रशिक्षण दिया जाता है। टेलीफोन इन्स्पेक्टरों के काडर में कर्मचारियों को जो ड्यूटी सौंपी जाती हैं उनका पालन करने के लिए एम० एस० सी० जैसी ऊंची शैक्षिक योग्यता को आवश्यक नहीं समझा जाता।

उद्योगों को नियंत्रण में लेने के बारे में राज्यों के उद्योग मंत्री सम्मेलन में केन्द्रीय औद्योगिक मंत्री का भाषण

458. **श्री इन्द्रजीत गुप्त :**
श्री वीरेन्द्र सिंह राव :

क्या **औद्योगिक विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उन्होंने राज्यों के उद्योग मंत्रियों के सम्मेलन में यह कहा था कि हाल में इंडियन आयरन एण्ड स्टील कम्पनी ऐसे कुछ उद्योगों के नियंत्रण में लेने से कुछ अनिश्चितताएं तथा संदेह पैदा हो गए हैं ; और

(ख) यदि हां, तो वे अनिश्चितताएं तथा संदेह किस प्रकार के हैं ?

औद्योगिक विकास मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद) : (क) और (ख). औद्योगिक विकास मंत्री ने राज्यों के उद्योग मन्त्रियों की सभा में गैरसरकारी क्षेत्र द्वारा लगाये गये आरोपों—कि सरकार द्वारा कुछ संगठनों को अपने हाथ में ले लेने के परिणामस्वरूप अनिश्चितता की स्थिति पैदा हो गई है—का हवाला दिया था तथा स्पष्ट तौर पर यह कहा था कि इस प्रकार की अनिश्चितता संगत नहीं है क्योंकि ऐसे गैर सरकारी संगठनों का जिनका प्रबन्ध ठीक प्रकार नहीं हो रहा है, जनहित में अधिग्रहण सरकार का दायित्व है।

पश्चिम बंगाल में बिजली की स्थिति का अध्ययन करने के लिये योजना आयोग द्वारा नियुक्त अध्ययन दल का प्रतिवेदन

459. **श्री इन्द्रजीत गुप्त** : क्या **योजना** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पश्चिम बंगाल में बिजली की स्थिति और उसकी आवश्यकताओं का अध्ययन करने के लिये योजना आयोग द्वारा श्री बी० रामचन्द्र की अध्यक्षता में नियुक्त अध्ययन दल का प्रतिवेदन सरकार को प्राप्त हो गया है ; और

(ख) यदि हां, तो अध्ययन दल ने क्या मुख्य सिफारिशें की हैं ?

योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहन धारिया) : (क) और (ख). जी हां, पश्चिम बंगाल में बिजली-पूर्ति की स्थिति पर कार्यान्वियन दल की प्रारम्भिक रिपोर्ट प्राप्त हो गई है और योजना आयोग उसकी जांच कर रहा है ।

'केबलों' का भेजना

460. **श्री ई० वी० विखे पाटिल :**
श्री एम० एस० संजीवी राव :

क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या डाक तथा तार विभाग की समुद्रभारीय संचार सेवा ने हाल ही में केबलों को भेजने की एक नई व्यवस्था लागू की है; और

(ख) किस प्रकार के परिवर्तन लागू किए हैं और वास्तविक कार्य में उनकी प्रभावी भूमिका क्या है ?

संचार मंत्री (श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा) : (क) जी नहीं ।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता ।

फिल्म परिषद की स्थापना

461. **श्री ई० वी० विखे पाटिल :**
श्री एम० एस० संजीवीराव :

क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार फिल्म उद्योग की देखरेख करने के लिए एक फिल्म परिषद स्थापित करने का है ;

(ख) यदि हां, तो उसकी मुख्य बातें क्या हैं ; और

(ग) फिल्म परिषद् का गठन कब तक किये जाने की संभावना है ?

सूचना और प्रसारण मन्त्रालय में उप-मंत्री (श्री धर्मवीर सिंह) : (क) से (ग). फिल्म

परिषद् की स्थापना का प्रस्ताव भारत सरकार के सक्रिय रूप से विचाराधीन है। आशा है मामले में अन्तिम निर्णय शीघ्र ही ले लिया जायेगा।

राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण संगठन में कार्य कर रहे अधीक्षकों को स्थायी घोषित करना

462. **श्री के० सूर्यनारायण** : क्या **प्रधान मंत्री** राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण संगठन में कार्य कर रहे अधीक्षकों को स्थायी घोषित करने के बारे में 2 अगस्त, 1972 के अतारांकित प्रश्न संख्या 407 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगी कि :

(क) इस मामले की वर्तमान स्थिति क्या है ; और

(ख) उन पात्र अधिकारियों को स्थायी घोषित करने में कितना समय लगेगा जिन्होंने अधीक्षक के रूप में दस वर्ष से अधिक समय तक कार्य किया है ?

प्रधान मंत्री, परमाणु, ऊर्जा मंत्री, इलैक्ट्रानिक्स मंत्री, गृह मंत्री, सूचना और प्रसारण मंत्री तथा अन्तरिक्ष मंत्री (श्रीमती इन्दिरा गांधी) : (क) और (ख). राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण संगठन के क्षेत्रीय-कार्य संचालन प्रभाग में अधीक्षकों के उपलब्ध स्थायी पदों पर प्राप्त अधिकारियों को स्थायी तौर पर नियुक्त करने के सम्बन्ध में संघ लोक सेवा आयोग सहित संबद्ध अभिकरणों के परामर्श से कार्यवाही की जा रही है। औपचारिक आदेश जारी करने के सम्बन्ध में हर संभव प्रयत्न किया जा रहा है।

साबुन और औषधियों के सम्बन्ध में औद्योगिक लागत और मूल्य ब्यूरो का प्रतिवेदन

463. **श्री के० सूर्यनारायण** : क्या **औद्योगिक विकास** मंत्री साबुन और औषधियों के सम्बन्ध में औद्योगिक लागत और मूल्य ब्यूरो के प्रतिवेदनों के बारे में 2 अगस्त, 1972 के अतारांकित प्रश्न संख्या 530 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने इस बीच प्रतिवेदनों का अध्ययन कर लिया है ;

(ख) यदि हां, तो उस पर सरकार ने क्या निर्णय लिया है ;

(ग) प्रतिवेदनों को कब प्रकाशित किया जाएगा ?

औद्योगिक विकस मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद) : (क) और (ख). साबुन और औषधियों के सम्बन्ध में औद्योगिक लागत और मूल्य ब्यूरो की रिपोर्टों पर अभी संबंधित मंत्रालय में सरकार द्वारा विचार किया जा रहा है।

(ग) ब्यूरो की रिपोर्ट गोपनीय हैं।

निर्माताओं के कोटे से सरकारी कर्मचारियों को कारों और स्कूटरों का आवंटन

464. **श्री के० सूर्यनारायण** : क्या **औद्योगिक विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने निर्माताओं के कोटे से सरकारी कर्मचारियों और गैर-सरकारी व्यक्तियों को कारों अथवा स्कूटरों के आवंटन के लिए कोई मार्ग निर्देशक सिद्धान्त निर्धारित किए हैं;

(ख) यदि हां, तो उसकी मुख्य रूपरेखा क्या है ;

(ग) (क) फिएट (ख) हिन्दुस्तान एम्बैसडर (ग) स्टैंडर्ड हेराल्ड कार (घ) लैम्ब्रेटा (ङ) वेस्पा स्कूटर का निर्माण करने वाले निर्माताओं ने कारों तथा स्कूटरों का कितना त्रैमासिक अथवा वार्षिक कोटा रिलीज करना निश्चित किया है ; और

(घ) क्या इन निर्माताओं ने उनके द्वारा सीधे किए जाने वाले आवंटन के बारे में सरकार को कोई प्रतिवेदन प्रस्तुत किया है ; और यदि नहीं, तो इन निर्माताओं द्वारा उन्हें दी गई रियायतों का दुरुपयोग रोकने के लिए सरकार ने क्या कार्यवाही की है अथवा करने का विचार है ?

औद्योगिक विकास मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद) : (क) जी, नहीं ।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता ।

(ग) फिएट (अब प्रीमीयर प्रेसीडेन्ट) एम्बैसेडर और स्टैंडर्ड हेराल्ड कार निर्माताओं को अपने तिमाही उत्पादन का 3 प्रतिशत स्वेच्छा से बेचने की स्वीकृति दे दी गई हैं । इसी तरह से लैम्ब्रेटा और वेस्पा (अब बजाज 150 सी सी) के निर्माताओं को अपने तिमाही उत्पाद का 5 प्रतिशत स्वेच्छा से बेचने की अनुमति है बशर्ते उसका उत्पादन 50 (पचास) प्रतिमास से कम न हो ।

(घ) सवारी कार और स्कूटर निर्माताओं को अपने उत्पादन की कुछ प्रतिशत स्वेच्छा से बेचने की अनुमति है इसलिए गाड़ियां किस तरीके से और किस विशेष पार्टी को बेचने के बारे में रिपोर्ट मांगना आवश्यक नहीं समझा जाता । क्योंकि निर्माताओं को दी गई छूट का दुरुपयोग करने के बारे में सरकार को कोई रिपोर्ट प्राप्त नहीं हुई है ।

केरल में विदेशी स्वामित्व वाले बागानों के राष्ट्रीयकरण के बारे में अध्यादेश का प्रारूप

466. **श्री सी० के० चन्द्रप्पन** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विदेशी स्वामित्व वाले बागानों के राष्ट्रीयकरण के बारे में केरल सरकार द्वारा प्रस्तावित अध्यादेश पर अभी तक केन्द्रीय सरकार ने मंजूरी नहीं दी है ;

(ख) यह अध्यादेश केन्द्र को कब भेजा गया था और अंतिम निर्णय लेने में विलम्ब के क्या कारण हैं ; और

(ग) विदेशी स्वामित्व वाले बागानों के राष्ट्रीयकरण के बारे में केरल सरकार द्वारा केन्द्रीय सरकार को प्रस्तुत की गई विशेषज्ञ रिपोर्ट की सिफारिशों की मुख्य बातें क्या हैं ?

गृह मंत्रालय में उपमंत्री (श्री एफ० एच० मोहसिन) : (क) अभी नहीं, श्रीमान् ।

(ख) प्रारूप अध्यादेश जुलाई 1971 में प्राप्त हुआ था । नीति के दृष्टिकोण से इसकी सावधानी से जांच करने की आवश्यकता है तथा अभी विचाराधीन है ।

(ग) राज्य सरकार ने जोर देकर कहा है कि उल्लिखित रिपोर्ट एक गुप्त दस्तावेज है जिसको उन्होंने अभी राज्य विधान मंडल में भी प्रस्तुत नहीं किया है । अतः खेद है कि इस समय प्रश्न के इस भाग का उत्तर नहीं दिया जा सकता ।

सपरेटा दुग्ध/पाउडर का उत्पादन

467. **श्री इन्द्रजीत मल्होत्रा** : क्या **औद्योगिक विकास** मंत्री सपरेटा दुग्ध/पाउडर के उत्पादन के बारे में 26 अप्रैल, 1972 के अतारांकित प्रश्न संख्या 4120 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1971-72 के दौरान असैनिकों तथा सैनिकों द्वारा उपयोग के लिए सपरेटा दुग्ध/पाउडर का कितना वास्तविक आयात किया गया ;

(ख) ग्रामीण क्षेत्रों में अतिरिक्त दुग्ध वाले केन्द्रों से दूध की उपलब्धता तथा उसके एकत्रीकरण को प्रोत्साहन देने के लिए क्या कार्यवाही की जा रही है ; और

(ग) क्या सरकार पाउडर पर उत्पादन शुल्क में रियायत देकर तथा उत्पादन पर से विक्रय-कर हटा कर और विस्तार सम्बन्धी प्रस्तावों की शीघ्र जांच करके तथा/अथवा नई एककों की स्थापना के रूप में प्रोत्साहन देने सम्बन्धी बातों पर विचार कर रही है ?

औद्योगिक विकास मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद) : (क) 1971-72 में आयातित सपरेटा दुग्ध चूर्ण की कुल अनुमानित मात्रा 40,174 मी० टन है।

(ख) दुग्ध उत्पादन बढ़ाने के विचार से एक समन्वित कार्यक्रम जिसमें इसके साथ ही गहन पशु विकास और सुधरी पशुपालन व्यवस्था भी सम्मिलित है की राष्ट्रीययोजना में व्यवस्था की गई है। ग्रामीण क्षेत्रों के अधिक दुग्ध वाले केन्द्रों से तरल दुग्ध प्राप्त करके दुग्ध उत्पादों की अतिरिक्त क्षमता की स्थापना द्वारा प्रोत्साहन के उपाय किए जा रहे हैं। कुल 16,125 मी० टन क्षमता के डेरी एकक स्थापित करने सम्बन्धी योजना भी स्वीकार कर ली गई है। इसके साथ ही 11,480 मी० टन क्षमता के प्रस्ताव भी विचाराधीन हैं।

(ग) फिलहाल सपरेटादुग्ध चूर्ण पर उत्पादन शुल्क में रियायत देने सम्बन्धी कोई भी प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है। बिक्रीकर लगाना राज्य सरकार का विषय है। प्रस्ताव पर शीघ्रता से विचार करने के सभी आवश्यक उपाय किए जा रहे हैं।

बाल आहार (बेबीफूड) का उत्पादन और मांग

468. **श्री इन्द्रजीत मल्होत्रा** : क्या **औद्योगिक विकास** मंत्री बाल आहार का उत्पादन और मांग के बारे में 26 अप्रैल, 1972 के अतारांकित प्रश्न संख्या 4119 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बाल आहार का उत्पादन करने हेतु गत एक वर्ष में अतिरिक्त क्षमता का निर्माण करने के सम्बन्ध में कितनी प्रगति हुई है ;

(ख) क्या आस-पास के देशों में निर्यात की सम्भावनाओं की खोज की गई है और यदि हां, तो कितनी मात्रा में निर्यात किया गया है ; और

(ग) उत्पादन की सम्भावनाओं का पता लगाने के लिए कार्यक्रम की रूपरेखा क्या है ?

औद्योगिक विकास मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद) : (क) और (ग). गत एक वर्ष की अवधि में, शिशु खाद्य उत्पादन के लिए 7404 मी० टन की क्षमता की योजनाएं स्वीकृत की गई हैं। कुल 16,125 मी० टन की क्षमता की योजनाओं को इस समय कार्यान्वित किया जा रहा है।

(ख) शिशु खाद्य अधिक खपत वाली आवश्यक वस्तु है और देश में इसकी बहुत मांग है। तरल दूध की अधिक कीमत होने के कारण, शिशु खाद्य की स्थानीय कीमत अन्तर्राष्ट्रीय कीमतों के मुकाबले नहीं ठहरती है। इसलिए, शिशु खाद्य का निर्यात करने में कुछ रुकावटें हैं। फिर भी, पड़ोसी देशों को शिशु खाद्य कुछ मात्रा में निर्यात किया जा रहा है।

बीयर का उत्पादन

469. **श्री इन्द्रजीत मल्होत्रा** : क्या **औद्योगिक विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बीयर का उत्पादन करने वाले कारखानों की संख्या और उनके नाम क्या हैं तथा उनकी अधिष्ठापित क्षमता कितनी है और गत तीन वर्षों में इनका वार्षिक उत्पादन कितना रहा है ;

(ख) आगामी दो वर्षों में इनकी लाइसेंस प्राप्त क्षमता और कार्यक्रम क्या होगा ; और क्या वह आन्तरिक उपभोग की मांग निर्यात को पूरा करने के लिए पर्याप्त होगा ; और

(ग) गत दो वर्षों में कितनी मात्रा में तथा कितने मूल्य का बीयर निर्यात किया गया है ?

औद्योगिक विकास मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद) : (क) एक विवरण संलग्न है। **[ग्रन्थालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी०-3681/72]**

(ख) बीयर का उत्पादन करने के लिए लाइसेंस प्राप्त/स्वीकृत क्षमता, जिसकी आगामी दो वर्षों में होने की संभावना है, 145,840 कि० लि० प्रतिवर्ष है। बीयर के उत्पादन की लक्ष्यगत क्षमता निर्धारित नहीं की है और न ही इसकी मांग का ठीक ठीक अनुमान लगाया जा सकता है।

(ग) 1970-71	2424 लिटर	10,870 रुपये
1971-72	19234 लिटर	53,530 रुपये

साप्ताहिक "हलधर" को विज्ञापन

470. **कुमारी कमला कुमारी** : क्या **सूचना और प्रसारण** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या डाल्टनगंज (बिहार) से प्रकाशित होने वाले साप्ताहिक "हलधर" ने विज्ञापन सामग्री प्राप्त करने के लिए विज्ञापन और दृश्य प्रचार निदेशालय को आवेदन भेजा है ; और

(ख) यदि हां, तो उसके आवेदन पर इस निदेशालय द्वारा क्या कार्यवाही की गई है ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय में उपमंत्री (श्री धर्मवीर सिंह) : (क) जी हां।

(ख) साप्ताहिक पत्रिका "हलधर" का प्रकाशन अनियमित पाया गया था, इसलिए इसको विज्ञापन नहीं दिए जा सके। प्रकाशक को इस निर्णय की सूचना नवम्बर, 1971 को दे दी गई थी। इस साप्ताहिक से केन्द्रीय सरकार के विज्ञापनों के बारे में और कोई प्रार्थना-पत्र प्राप्त नहीं हुआ।

बारह करोड़ रुपये से अधिक पूंजी लगे उद्योगों का राष्ट्रीयकरण

471. **कुमारी कमला कुमारी :** क्या **औद्योगिक विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ऐसे उद्योगों का राष्ट्रीयकरण करने वाली है जिनमें 12 करोड़ रु० से अधिक पूंजी लगी है ; और

(ख) यदि हां, तो इसके विस्तृत कारण क्या हैं ?

औद्योगिक विकास मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद) : (क) और (ख). सरकार का 12 करोड़ रुपयों से अधिक पूंजीनिवेश वाले उद्योगों का राष्ट्रीयकरण करने का वर्तमान में कोई विचार नहीं है ।

दिल्ली और बम्बई में टेलीविजन सेटों की संख्या

472. **कुमारी कमला कुमारी :** क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि दिल्ली और बम्बई में अलग अलग कितने लोगों के पास टेलीविजन सेट हैं ?

संचार मंत्री (श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा) : तारीख 4-11-1972 तक दिल्ली और बम्बई में विभिन्न प्रकार के टेलीविजन सेटों के लिए जारी किए गए लाइसेंसों की संख्या क्रमश: 62,689 और 9,538 है ।

भारत-बंगला देश के मध्य सीधी टेलीफोन लाइन

473. **श्री ज्योतिर्मय बसु :** क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत और बंगला देश के मध्य कोई सीधी टेलीफोन लाइन है ;

(ख) क्या सरकार दिल्ली और बंगला देश, कलकत्ता और बंगला देश की राजधानी के मध्य नई टेलीफोन लाइनें स्थापित करना चाहती है ; और

(ग) यदि हां, तो दिल्ली और बंगला देश की राजधानी के मध्य नई टेलीफोन लाइनें कब तक कार्य करने लगेंगी ?

संचार मंत्री (श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा) : (क) जी हां ।

(ख) दिल्ली-ढाका और कलकत्ता-ढाका के बीच सीधे टेलीफोन सर्किट पहले से ही काम कर रहे हैं । तो भी भारत और बंगला देश के बीच अतिरिक्त टेलीफोन सर्किटों की व्यवस्था करने के लिए कलकत्ता और जेस्सोर (बंगला देश) के बीच मल्टी चैनल रेडियो लिंक स्थापित करने का प्रस्ताव है ।

(ग) उम्मीद है कि करीब 3 महीने में रेडियो लिंक चालू हो जाएगा । जेस्सोर से ढाका के लिए सर्किटों का विस्तार बंगला देश द्वारा फिर से इंजीनियरी व्यवस्था करने पर निर्भर करता है ।

अहमदाबाद में डाकियों द्वारा हड़ताल

474. **श्री प्रभुदास पटेल** : क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या माह सितम्बर, 1972 में अहमदाबाद में डाक सेवाओं के डाकिये तथा चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारी हड़ताल पर थे ; और

(ख) यदि हां, तो उनकी हड़ताल के क्या कारण थे ?

संचार मंत्री (श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा) : (क) जी हां। अहमदाबाद के डाकिए और चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारी तारीख 25-9-72 से 3-10-72 तक हड़ताल पर थे।

(ख) हड़ताल का कारण यह था कि दो डाकियों का जोकि यूनियन पदाधिकारी थे, तबादला सेवा के हित में अहमदाबाद में ही एक डाकघर से दूसरे डाकघर में कर दिया गया था।

सामाजिक एवं आर्थिक विकास और जनसंख्या में वृद्धि की दरों में अन्तर कम करने के लिए नीति निर्धारण

475. **श्री प्रभुदास पटेल :**
श्री सी० टी० दण्डपाणि :

क्या **योजना** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ऐसी नीति निर्धारित करने का विचार है जिससे सामाजिक एवं आर्थिक विकास तथा जनसंख्या में वृद्धि की दरों में अन्तर को कम किया जा सके ;

(ख) यदि हां, तो क्या परिवार नियोजन से सम्बन्धित योजना आयोग के मार्गदर्शन दल ने प्रस्तावित नीति के विभिन्न पहलुओं का निर्धारण कर लिया है ; और

(ग) यदि हां, तो उनकी मुख्य बातें क्या हैं ?

योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहन धारिया) : (क) इस समय सरकार की यह नीति है कि आर्थिक उत्पादन की दर को बढ़ाया जाय और जनसंख्या में वृद्धि की दर को कम किया जाय।

(ख) जी नहीं।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

नई कार्मिक नीति तैयार करने के लिए उच्च स्तरीय सलाहकार परिषद् की नियुक्ति

476. **श्री प्रभुदास पटेल :**
श्री रामशेखर प्रसाद सिंह :

क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगी कि :

(क) क्या सरकार प्रशासनिक सुधार आयोग द्वारा की गई सिफारिशों के आधार पर नई कार्मिक नीति तैयार करने के प्रस्ताव पर विचार कर रही है ; और

(ख) यदि हां, तो क्या इस बारे में कार्मिक प्रशासन सम्बन्धी एक उच्च स्तरीय सलाहकार परिषद् की नियुक्ति की गई है ?

गृह मन्त्रालय और कार्मिक विभाग में राज्य मन्त्री (श्री राम निवास मिर्धा): (क) प्रशासनिक सुधार आयोग ने कार्मिक प्रशासन सम्बन्धी अपनी रिपोर्ट में सरकारी कर्मचारियों की प्रत्येक स्तर में भर्ती, प्रशिक्षण, व्यवसाय, पदोन्नति इत्यादि के सम्बन्ध में विस्तृत विचारक सिफारिशें की हैं। इन सिफारिशों पर विचार किया गया है और उनमें से कुछ के बारे में पहले ही निर्णय लिए जा चुके हैं। उनमें से शेष के बारे में विचार किया जाना है।

(ख) प्रशासनिक सुधार आयोग ने अपनी रिपोर्ट में, भारत सरकार की कार्य-व्यवस्था तथा उसकी कार्य प्रक्रियाओं के बारे में, कार्मिक प्रशासन के सम्बन्ध में, एक सलाहकार परिषद् की स्थापना करने की सिफारिश की थी। यह सिफारिश सरकार द्वारा स्वीकार कर ली गई है और कार्मिक प्रशासन के क्षेत्र में विस्तृत ज्ञान रखने वाले व्यक्तियों को शामिल करते हुए परिषद् का गठन किया गया है। परिषद् के कार्यकलाप इस प्रकार हैं :

(क) कार्मिक प्रशासन सम्बन्धी विस्तृत नीति के मामलों में सरकार को सलाह देना, विशेषतः इस क्षेत्र में नए विचारों तथा गहन चिन्तन को ध्यान में रखते हुए एक पोषक तथ्य के रूप में कार्य करना ;

(ख) कार्मिक प्रशासन के क्षेत्र में नीति की व्यापक रूपरेखा पर विचार तथा सिफारिश करना ;

(ग) विशेषतः परिषद् के क्षेत्र के अन्तर्गत प्रस्तुत किए गए मामलों में सलाह देना।

गुजरात के इंजीनियरी एककों में बिजली की कमी

477. **श्री प्रभुदास पटेल** : क्या **औद्योगिक विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हाल की बिजली की कटौती से गुजरात के छोटे पैमाने के इंजीनियरी एककों को काफी क्षति पहुंची है ;

(ख) क्या भूतकाल में मांग में अत्यधिक कमी के कारण कोई एकक संकट में थे ;

(ग) क्या केवल गत तीन महीनों से छोटे पैमाने के एककों ने उत्पादन की गति बढ़ाना आरम्भ किया है और यह आशा की गई थी कि उद्योग प्रगति करेगा ; और

(घ) यदि हां, तो क्या हाल की बिजली में कटौती ने एककों के उत्पादन और हजारों मजदूरों की मजूरी पर प्रतिकूल प्रभाव डाल कर सारी स्थिति बदल दी है ?

औद्योगिक विकास मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद) : (क) से (घ). सूचना इकट्ठी की जा रही है सभा पटल पर रख दी जायेगी।

बिजली की कमी का उद्योग पर प्रभाव

478. **श्री प्रभुदास पटेल** : क्या **औद्योगिक विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सम्पूर्ण गुजरात में लागू किए गए विद्युत सम्बन्धी प्रतिबन्धों के फलस्वरूप अकेले औद्योगिक क्षेत्र में ही प्रति सप्ताह 1.5 करोड़ से भी अधिक की उत्पादन हानि हुई है ;

(ख) क्या अहमदाबाद कपड़ा उद्योग जो कि प्रति दिन 80 लाख रुपये का माल तैयार करती है को दैनिक लगभग 5 से 7 प्रतिशत उत्पादन हानि हुई है ;

(ग) क्या बिजली की इस कमी के कारण प्राय: सम्पूर्ण औद्योगिक क्षेत्र बन्द होने को हैं और क्या उत्पादन में कमी का सारे देश पर प्रभाव पड़ेगा ; और

(घ) यदि हां, तो क्या इस कठिनाई को दूर करने के मामले में केन्द्र द्वारा राज्य की सहायता की जाने की सम्भावना है ?

औद्योगिक विकास मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद) : (क) से (घ). यह सच है कि देश के अन्य भागों की भांति गुजरात में भी बिजली की सप्लाई स्थिति सन्तोषजनक नहीं रही है। किन्तु इसका वहां के उद्योगों पर किस सीमा तक प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है, इस सम्बन्ध में विवरण अभी उपलब्ध नहीं है । विद्युत शक्ति की अनुमानित आवश्यकता और उपलब्धि के अनुसार अक्टूबर 1972 से जून 1973 तक 16.60 लाख यूनिट दैनिक होने का अनुमान है । ताजपुर के दोनों एककों के कार्य शुरू कर देने पर जिनके कि आंशिक रूप में जनवरी 1973 से ही चालू होने की आशा है । उपलब्धि स्थिति भी करीब इतनी ही होगी ।

दिल्ली में शराब की एक दुकान बन्द करने की मांग

479. **श्री के० सी० चावड़ा** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पश्चिम दिल्ली के निवासियों ने दिल्ली प्रशासन द्वारा दिल्ली में रिंग रोड पर राजधानी कालेज के पीछे खोली गई शराब की एक दुकान को तत्काल बन्द करने की मांग की है ; और

(ख) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

गृह मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री एफ० एच० मोहसिन) : (क) जी हां, श्रीमान् । दिल्ली प्रशासन को बाली नगर के कुछ निवासियों तथा प्रिंसिपल, राजधानी कालेज, कीर्तिनगर, नई दिल्ली से शराब की दुकान खोलने के विरुद्ध अभ्यावेदन प्राप्त हुए थे ।

(ख) प्रशासन ने उनके अभ्यावेदनों पर विचार किया है । देशी शराब की दुकान के स्थान का चयन धार्मिक स्थानों तथा शैक्षणिक संस्थानों से दूरी, देशी शराब की मांग का केन्द्रीयकरण और विधि तथा व्यवस्था की सुरक्षा आदि को ध्यान में रखते हुए किया गया है । दिल्ली प्रशासन ने सूचित किया है कि यह दुकान राजधानी कालेज तथा अन्य स्थानीय कालेजों और निवास स्थानों से दूर है ।

वार्नर हिन्दुस्तान लि० द्वारा कन्फेक्शनरी का निर्माण

480. **श्री जगदीश भट्टाचार्य** : क्या **औद्योगिक विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अधिकांश शेयरों के स्वामित्व वाली एक अमरीकी फर्म को वार्नर हिन्दुस्तान लिमिटेड, मीठी गोलियों, टौफियों आदि के उद्योग में प्रवेश करने की अनुमति दे दी गई है ;

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं ; और

(ग) क्या इस फर्म ने 'एडमस चिक्लेट्स ब्रांड' को कन्फेक्शनरी बनाना आरम्भ कर दिया है ?

औद्योगिक विकास मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद) : (क) से (ग). मे० वार्नर हिन्दुस्तान को एक बहुलांश विदेशी पूंजी वाली कम्पनी के रूप में वर्गीकृत नहीं किया गया है क्योंकि इसकी इक्विटी में विदेशी हिस्सा 50 प्रतिशत से अधिक नहीं है। 1966 की विविधीकरण नीति के अन्तर्गत यह 'एडमस चिक्लेट्स' नाम से चुइंगम बना रही है।

मध्य प्रदेश के आदिवासी क्षेत्रों में उद्योग

481. **श्री गंगा चरण दीक्षित** : क्या **औद्योगिक विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मध्य प्रदेश के आदिवासी क्षेत्रों में चौथी पंचवर्षीय योजना में कोई उद्योग स्थापित किया गया है ; और

(ख) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

औद्योगिक विकास मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद) : (क) और (ख). जानकारी इकट्ठी की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जायगी।

Arrangements to Honour and Provide Financial Assistance to aged freedom-fighters in distant Villages

482. **Shri G. C. Dixit** : Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to state :

(a) whether there are still some poor and aged freedom fighters in cities and villages who have not received any kind of financial assistance and who had applied for the same despite transport and other difficulties ; and

(b) if so, the arrangements proposed to be made to honour and provide financial assistance to those forgotten freedom fighters ?

The Deputy Minister in the Ministry of Home Affairs (Shri F. H. Mohsin) : (a) and (b). State Governments were advised to make suitable arrangements and to provide facilities to freedom fighters to submit their applications for the grant of pension. However, there may be some persons who may not have been able to apply for these reasons. The last date of submission of applications for pension has since been extended to 31.3.1973 and such of the freedom fighters who could not apply earlier for any reason can still apply. The freedom fighters whose applications are received by 31st March, 1973 and who are found eligible will be sanctioned pension with effect from 15.8.1972.

Industries in Backward Areas of M. P.

483. **Shri G. C. Dixit** : Will the Minister of **Industrial Development and Science and Technology** be pleased to state :

(a) whether some industrialists of Madhya Pradesh made requests for the grant of licences to start industries in the backward areas and promote industrialisation of backward regions but the licences have not been issued to them ;

(b) if so, the reasons therefor ; and

(c) whether Government propose to prepare any alternative scheme to set up industries in the backward areas in Madhya Pradesh ?

The Deputy Minister in the Ministry of Industrial Development (Shri Sidheshwar Prasad) : (a) to (c). Other things being equal, preference is given to applications for setting up of industrial units in backward areas. So far as Madhya Pradesh is concerned, 10 applications for industrial licences have been approved between 1-1-71 and now ; 25 applications are pending. The Government of India do not have any alternative scheme for setting up industries in the backward areas of Madhya Pradesh.

Legislation to Ban Forcible Conversion of Religion

484. **Shri G. C. Dixit :** Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to state the names of States which have enacted legislation to ban forcible conversion of religion ?

The Minister of State in the Ministry of Home Affairs and in the Department of Personnel (Shri Ram Niwas Mirdha) : According to information available, such laws have been enacted in the States of Madhya Pradesh and Orissa.

No such laws have been enacted in Assam, Bihar, Gujarat, Haryana, Himachal Pradesh, Jammu and Kashmir, Kerala, Maharashtra, Manipur, Meghalaya, Mysore, Nagaland, Punjab, Rajasthan, Tripura and West Bengal. Information in respect of Andhra Pradesh, Uttar Pradesh and Tamil Nadu is being collected and will be laid on the Table of the House.

औद्योगिक और आर्थिक नीतियों तथा संयुक्त क्षेत्र के सिद्धांत पर महाराष्ट्र सरकार के विचार

485. **श्री वनमाली पटनायक :** क्या **औद्योगिक विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या महाराष्ट्र सरकार ने एक ज्ञापन भेजा है जिसमें उन्होंने औद्योगिक और आर्थिक नीतियों तथा संयुक्त क्षेत्र के सिद्धान्त पर अपने विचार व्यक्त किए हैं ;

(ख) यदि हां, तो उसकी मुख्य बातें क्या हैं ; और

(ग) उन पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

औद्योगिक विकास मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद) : (क) से (ग). हाल ही में नई दिल्ली में राज्य के उद्योग मंत्रियों के सम्मेलन में भाषण करते हुए महाराष्ट्र सरकार के उद्योग और श्रम मंत्री ने यह सुझाव दिया कि औद्योगिक उपज बढ़ाने की आवश्यकता तथा विशेष रूप से पिछड़े क्षेत्रों के विकास को ध्यान में रखते हुए बड़े गृहों के बारे में नीति पर फिर से विचार किया जाए। राज्य सरकारों के ऐसे सभी सुझावों पर ध्यान दिया जाएगा, सरकार की समूची नीति आवश्यक सामाजिक आर्थिक उद्देश्यों, जिसमें आर्थिक शक्ति के जमाव को रोकना शामिल है, द्वारा शासित होगी।

दिल्ली टेलीफोन निर्देशिका का प्रकाशन

486. **श्री वनमाली पटनायक :**
श्री डी० के० पंडा :

क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली टेलीफोन निर्देशिका का प्रकाशन काफी समय पहले ही हो जाना चाहिये था ;

(ख) यदि हां, तो इसमें विलम्ब के क्या कारण हैं ; और

(ग) यह सुनिश्चित करने के लिये क्या कार्यवाही की गई है कि ग्राहकों को होने वाली असुविधा को दूर करने के लिये इसका प्रकाशन समय पर किया जाये ?

संचार मन्त्री (श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा) : (क) दिल्ली टेलीफोन डाइरेक्टरी का पिछला अंक अर्थात् अप्रैल 1971 अंक अगस्त 1971 में निकाला गया था । डायरेक्टरी का अगला अंक एक साल के बाद अर्थात् अगस्त 1972 में निकलना था ।

(ख) देश भर में छपाई के कागज की आम कमी ही विलम्ब का कारण है ।

(ग) अब कागज मिल गया है और छपाई का काम शुरू हो गया है ।

Public Call Offices in Mandsaur and Ratlam Districts of Madhya Pradesh

487. **Dr. Laxminarain Pandeya :** Will the Minister of **Communications** be pleased to state :

(a) the names of the places in mandsaur and ratlam Districts of Madhya Pradesh where Public Call offices have been opened; and

(b) the names of the towns in the aforesaid Districts which made demands for Public Call offices ?

The Minister of Communications (Shri H. N. Bahuguna) : (a) Public Call offices have been opened at the following places in Mandsaur and Ratlam Districts :

Mandsaur District : 1. Jeeran and 2. Kukreshwar.

Ratlam District : 1. Dodhan. 2.Namali. 3, Piploda and 4. Tal.

(b) Demands for opening Public Call Offices at the following towns have been received :—

Mandsaur District :	1. Santana	2. Kiampur,	3. Dakan
	4. Ratangarh	5. Sawan	6. Mahagarh
	7. Nagri	8. Sarvania	9. Kunchrod
	10. Beli	11. Kangeti	12. Singoli and
	13. Afzalpur		
Ratlam District :	1. Sukheda	2. Bajna	3. Ringnod
	4. Willpak	5. Baroda	

सीमा सुरक्षा दल के महानिदेशालय में पदोन्नतियां

488. **डा० लक्ष्मीनारायण पांडे** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सीमा सुरक्षा दल के महानिदेशालय के मुख्यालय के अनुसचिवीय कर्मचारियों की कोई वरीयता सूची तैयार की गई है ;

(ख) क्या सीमा सुरक्षा दल के महानिदेशक द्वारा दल के उप-महानिदेशक के अनुसचिवीय कर्मचारियों के लिए कोई भर्ती / पदोन्नति नियम बनाये गये हैं ; और

(ग) क्या इन नियमों के अनुसार कोई पदोन्नतियां की जा रही हैं ?

गृह मंत्रालय में उपमंत्री (श्री एफ० एच० मोहसिन) : (क) जी नहीं, श्रीमान् ।

(ख) नियमों का मसौदा बन गया है जो सक्रिय रूप से विचाराधीन है ।

(ग) उक्त उत्तर (ख) को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता । किन्तु नियमों को अंतिम रूप देने तक तदर्थ पदोन्नतियां की जा रही हैं । ये तदर्थ पदोन्नतियां वरीयता के क्रम में, भारत सरकार द्वारा इस विषय पर जारी किये गये वरीयता के सामान्य निर्देशों के अनुसार जैसाकि विभागीय पदोन्नति समिति द्वारा सिफारिश की गई है, की जाती हैं ।

इण्डियन आक्सीजन लिमिटेड को लाइसेन्स जारी करना

489. **श्री दीनेन भट्टाचार्य** : क्या **औद्योगिक विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों में आक्सीजन एसीटीलीन संयंत्रों को आरम्भ करने के लिए कितने लाइसेंस जारी किए गए तथा विदेशी स्वामित्व वाली / विदेशी नियंत्रण वाली कम्पनियों को कितने लाइसेन्स दिए गए ;

(ख) इण्डियन आक्सीजन लिमिटेड को कितने लाइसेंस दिए गए तथा किस उद्देश्य के लिए दिए गए ;

(ग) क्या आक्सीजन / ऐसीटिलीन संयंत्र को आरम्भ करने / उनका विस्तार करने के लिए अनेक भारतीय कम्पनियों के आवेदन पत्रों को अस्वीकार कर दिया गया है, यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं ; और

(घ) क्या इण्डियन आक्सीजन ही एक ऐसी कम्पनी है जो भारत में आर्गन गैस का निर्माण कर रही है और क्या आर्गन गैस का निर्माण करने सम्बन्धी किन्हीं अन्य कम्पनियों के आवेदन पत्र अस्वीकार किए गए हैं ?

औद्योगिक विकास मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद) : (क) गत तीन वर्षों में 17 औद्योगिक लाइसेन्स मंजूर किये गये थे, जिनमें से 12 लाइसेन्स आक्सीजन/एसिटिलीन के नये संयंत्रों को प्रारंभ करने के लिये थे । इस अवधि में विदेशी स्वामित्व/नियन्त्रण वाली कम्पनियों को कोई भी लाइसेन्स नहीं दिया गया था ।

(ख) पिछले वर्षों में मै० इण्डियन आक्सीजन लि० को 19 विभिन्न स्थानों पर संबंधित क्षेत्रों की आवश्यकता पूरी करने के लिये आक्सीजन/एसिटिलीन/आर्गन/नाइट्रोजन/नाइट्रस आक्साइड गैसों के निर्माण के लिये 32 औद्योगिक लाइसेन्स दिये गये थे ।

(ग) जी, नहीं ।

वास्तव में आक्सीजन/एसिटिलीन संयंत्रों को प्रारम्भ करने/विस्तार करने के लिये जनवरी, 1970 से अगस्त, 1972 तक प्राप्त 264 आवेदन पत्रों में से 101 आवेदकों को आशय पत्र जारी कर दिये गये हैं, और शेष आवेदनों पर सरकार सक्रिय रूप से विचार कर रही है ।

(घ) इण्डियन आक्सीजन लि० के अतिरिक्त, इस समय भारत में मै० फर्टिलाइजर्स कारपोरेशन आफ इण्डिया लि०, टाम्बे और मै० हिन्दुस्तान गैस एण्ड इंडस्ट्रीज लि० कलकत्ता भी आर्गन गैस का निर्माण कर रहे हैं। आर्गन गैस के निर्माण के लिये अभी तक किसी भी अन्य कम्पनी का कोई आवेदन अस्वीकार नहीं किया गया है। वस्तुतः अभी हाल ही में विभिन्न पार्टियों को 6 आशय पत्र आर्गन गैस प्राप्त करने के लिये जारी किये जा चुके हैं।

मद्रास और बंगलौर में टेलीफोन सेवाएं

490. **श्री रामशेखर प्रसाद सिंह :**
श्री वी० मायावन :

क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या डाक और तार विभाग द्वारा प्रकाशित आंकड़ों के अनुसार, मद्रास में टेलीफोन सेवाएं सबसे अच्छी हैं और बंगलौर में सबसे खराब हैं ;

(ख) क्या इन आंकड़ों के अनुसार, कलकत्ता और दिल्ली की टेलीफोन सेवाओं में कुछ सुधार हुआ है ; और

(ग) समस्त देश में टेलीफोन सेवाओं में सुधार करने के लिए क्या कार्यवाही की जा रही है ?

संचार मंत्री (श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा) : (क) और (ख). किसी खास प्रणाली की टेलीफोन सेवा की जांच उसके सिर्फ किसी एक मद के आंकड़ों के आधार पर नहीं की जा सकती। ये आंकड़े सिर्फ बाहरी मशीनरी (प्लेट) से संबंधित हैं। इसके अलावा और भी कई बातें होती हैं जिनके आधार पर यह मालूम किया जाता है कि कोई टेलीफोन प्रणाली किस प्रकार की सेवा दे रही है मसलन उसकी ट्रंक और विशेष सेवाएं कैसी है, कितने नये टेलीफोन कनेक्शन दिए गए हैं और टेलीफोनों की शिफ्टिंग की कैसी व्यवस्था है, उसकी भीतरी मशीनरी कैसा काम कर रही है आदि।

(ग) (i) नालियों के अन्दर और गैस के दबाव वाले जमीदोज केबिल बिछाने ;

(ii) खंभों के ऊपर से खींचे गए तारों के स्थान पर जमीदोज केबिल लाइनें बिछाने ;

(iii) हर यूनिट में मोटर गाड़ियों की संख्या बढ़ा दी गई है ; और

(iv) टेलीफोन यंत्रों में जो कमियां पाई गई हैं उन्हें दूर करने के लिए और मैसर्स इण्डियन टेलीफोन इंडस्ट्रीज के सहयोग से टेलीफोन के अच्छे यंत्र प्राप्त करने के लिए कार्यवाही की गई है।

वार्षिक योजनाओं को बनाने हेतु राज्यों के लिए मार्गनिर्देशक सिद्धान्त

491. **श्री रामशेखर प्रसाद सिंह :**
श्री गिरिधर गोमांगो :

क्या **योजना** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या योजना आयोग ने राज्यों को एक पत्र भेजा है जिसमें वर्ष 1973-74 के लिए वार्षिक योजनाओं को बनाने हेतु राज्यों के लिए मार्ग निर्देशक सिद्धांत निर्धारित किये गये हैं ;

(ख) यदि हां, तो वे मार्ग निर्देशक सिद्धान्त क्या हैं ; और

(ग) उस पर राज्य सरकारों की क्या प्रतिक्रियाएं हैं ?

योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहन धारिया) : (क) जी हां ।

(ख) सभा पटल पर एक विवरण प्रस्तुत है, [**ग्रंथालय में रखा गया । देखिये संख्या एल० टी०-3682/72**] जिसमें 1973-74 की वार्षिक योजना तैयार करने के सम्बन्ध में सभी राज्यों तथा संघ शासित क्षेत्रों को भेजे गए विस्तृत मार्ग निर्देशक सिद्धान्त दर्शाये गए हैं ।

(ग) राज्य सरकारों तथा संघ शासित क्षेत्रों को मार्ग निर्देशक सिद्धान्त उनकी 1973-74 की वार्षिक योजनाओं को बनाने में सहायता करने की दृष्टि से भेजे गए हैं । कुछ राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों से 1973-74 की वार्षिक योजनाएं प्राप्त हो चुकी हैं तथा अन्य राज्य और संघ शासित क्षेत्र यथा समय अपनी योजनाएं भेज देंगे । इस सम्बन्ध में अभी तक कोई प्रतिकूल प्रतिक्रिया नहीं आई है ।

निवारक निरोध अधिनियम के अधीन नजर-बन्द व्यक्ति

492. **श्री सी० जनार्दनन :**
श्री महादीपक सिंह शाक्य :

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) निवारक निरोध अधिनियम के अधीन कुल कितने व्यक्तियों को इस वर्ष राज्यवार, बन्दी बनाया गया या नजरबन्द किया गया ;

(ख) क्या हाल ही में उच्चतम न्यायालय ने अनेक व्यक्तियों के विरुद्ध निरोध आदेशों को इस आधार पर रद्द कर दिया है कि उनके मामलों में संविधान के उपबंधों और इस अधिनियम का पूरी तरह पालन नहीं किया गया ; और

(ग) क्या इससे यह संकेत मिलता है कि राज्य सरकारें निवारक निरोध विधि का दुरुपयोग कर रही हैं ; और यदि हां, तो संबंधित प्राधिकारियों द्वारा निवारक निरोध अधिनियम का दुरुपयोग रोकने के लिए क्या कदम उठाये गये हैं ?

गृह मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री एफ० एच० मोहसिन) : (क) राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों द्वारा दी गई सूचना के अनुसार 1 नवम्बर, 1972 को आंध्र प्रदेश में दो व्यक्ति, बिहार में एक गुजरात में 4, हरियाणा में 2, उत्तर प्रदेश में 4 तथा मिजोराम में एक व्यक्ति नजरबन्द था । मणिपुर, मैसूर, नागालैंड, तमिलनाडु राज्यों तथा अन्दमान व नीकोबार द्वीपसमूह, चण्डीगढ़, दादरा व नगर हवेली, गोवा दमन व दीव, लक्कादीव मिनिकाय व अमिनदीवी द्वीप समूह तथा पाण्डिचेरी संघ राज्य प्रशासनों में उस तिथि को आन्तरिक सुरक्षा व्यवस्था अधिनियम के अन्तर्गत कोई भी व्यक्ति नजरबन्द नहीं था । शेष राज्यों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों में उक्त तिथि को नजरबन्द व्यक्तियों की संख्या से संबंधित सूचना तथा चालू वर्ष के दौरान 1-11-1972 तक देश में गिरफ्तार तथा नजरबन्द व्यक्तियों की कुल संख्या के सम्बन्ध में सूचना एकत्रित की जा रही है तथा सभा पटल पर रखी जायेगी ।

(ख) और (ग). कुछ ऐसे उदाहरण आए हैं जिनमें हाल में उच्चतम न्यायालय ने आन्तरिक सुरक्षा व्यवस्था अधिनियम 1971 के अन्तर्गत आदेशों को इस आधार पर रद्द कर दिया है कि संविधान तथा अधिनियम की आवश्यकताओं पर पूर्ण रूप से अमल नहीं किया गया है। राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों को यह सुनिश्चित करने के लिये अनुदेश जारी किये गये हैं कि सभी प्राधिकारी जो आंतरिक सुरक्षा व्यवस्था अधिनियम के अधीन अधिकारों का प्रयोग करने के सक्षम हैं इस अधिनियम पर उच्चतम न्यायालय के निर्णय की पूर्ण जानकारी रखते हों और इस अधिनियम के अधीन प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते समय संविधान तथा आन्तरिक सुरक्षा व्यवस्था अधिनियम 1971 की अपेक्षाओं का पूरी तरह पालन करें। राज्य सरकारों से यह भी अनुरोध किया गया है कि जिला मजिस्ट्रेटों तथा पुलिस आयुक्तों द्वारा जारी किये गये नजरबन्दी के आदेशों का पुष्टीकरण करते समय वे स्वयं इस बात से सन्तुष्ट हों कि कानून और संविधान की अपेक्षाओं पर पूरी तरह अमल किया गया है। राज्य सरकारों द्वारा नजरबन्दी कानून के दुरुपयोग की किसी घटना की सरकार को जानकारी नहीं है।

त्रिचूर रेडियो स्टेशन के निर्माण कार्य में प्रगति

493. **श्री सी० जनार्दनन** : क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या त्रिचूर और केरल राज्य के प्रस्तावित स्वतंत्र रेडियो स्टेशन का निर्माण करने के संबंध में कोई प्रगति हुई है ;

(ख) इसके कब तक पूरा हो जाने की संभावना है ; और

(ग) उक्त प्रसारण केन्द्र में कितने नये स्टूडियो होंगे ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री धर्मवीर सिंह) : (क) जी, हां।

(ख) वित्तीय चालू वर्ष के अन्दर।

(ग) दो नए स्टूडियो होंगे--एक संगीत के लिए तथा दूसरा वार्ताओं के लिए।

उत्तर प्रदेश के कुछ और जिलों में उद्योगों के प्रोत्साहन के लिए राज्य सहायता योजना को लागू करना

495. **श्री राजदेव सिंह** : क्या **औद्योगिक विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पिछड़े क्षेत्रों में उद्योगों को बढ़ावा देने वाली केन्द्रीय राज-सहायता योजना को औद्योगिक रूप से पिछड़े राज्यों में 2 के बजाय 6 जिलों में लागू कर दिया गया है ;

(ख) यदि हां, तो राज-सहायता योजना के अन्तर्गत आने वाले जिलों की संख्या बढ़ाने से सम्पूर्ण उत्तर प्रदेश अथवा उसके कोई विशेष खण्ड इसके अन्तर्गत लाए जा रहे हैं ; और

(ग) उत्तर प्रदेश के देश के सबसे बड़े और पिछड़े प्रान्त होने पर भी उसे आर्थिक विकास के सम्बन्ध में अधिक विकसित और छोटे प्रान्तों के बराबर समझे जाने के क्या कारण हैं ?

औद्योगिक विकास मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद) : (क) से (ग). राष्ट्रीय

विकास परिषद् के मुख्य मंत्रियों की समिति में लिये गये निर्णय के अनुसरण में, औद्योगिक रूप से पिछड़े हुए 9 राज्यों में (जैसे आन्ध्र प्रदेश, असम, बिहार, जम्मू तथा काश्मीर, मध्य प्रदेश, नागालैण्ड, उड़ीसा, राजस्थान और उत्तर प्रदेश) प्रत्येक के दो चुने हुए जिलों में 10 प्रतिशत केन्द्रीय उपदान योजना समान रूप में लागू होती है और शेष राज्यों और संघ शासित क्षेत्रों में राज्य/संघ शासित क्षेत्र की जनसंख्या और क्षेत्र का विचार किये बिना ही प्रत्येक के एक जिले को चुना गया है। हाल ही में पिछड़ेपन के उन्हीं सिद्धान्तों के अनुसार 10 प्रतिशत उपदान के क्षेत्र को बढ़ाने का निर्णय किया गया था और इस उपदान को औद्योगिक रूप से पिछड़े हुए 9 राज्यों में से प्रत्येक के 6 जिलों और शेष राज्यों और संघ शासित क्षेत्रों में से प्रत्येक के तीन जिलों को दिया गया है। अन्य जिलों के चुनाव के बारे में राज्य सरकारों से कहा गया है कि ये योजना आयोग को जिलों के नामों की सिफारिश करें। उत्तर प्रदेश सरकार का प्रस्ताव है कि बलिया और झांसी के अलावा अल्मोड़ा, रायबरेली, बस्ती और फैजाबाद, चार जिलों को 10 प्रतिशत उपदान के लिए रखा गया है। योजना आयोग ने उनकी सिफारिशों को मान लिया है।

पिछड़ क्षेत्रों के औद्योगीकरण करने के कार्यक्रम को लागू करने के लिए पांचवीं योजना में एक उच्च शक्ति प्राप्त आयोग की स्थापना

496. **श्री राजदेव सिंह** : क्या **उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या लघु उद्योग विकास संस्थान ने योजना आयोग से देश के पिछड़े क्षेत्रों का औद्योगीकरण करने के समयबद्ध कार्यक्रम को लागू करने के लिए पांचवीं योजना में एक उच्च शक्ति प्राप्त आयोग की स्थापना करने की बड़ी जोरदार सिफारिश की है ; और

(ख) यदि हां, तो उसके प्रति योजना आयोग की क्या प्रतिक्रिया है ?

औद्योगिक विकास मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री सिद्धश्वर प्रसाद) : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

स्टाम्प कैन्सिलिंग मशीन का निर्माण

497. **श्री राजदेव सिंह** : क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या डाक-तार विभाग में प्रयुक्त हो रही आयातित मशीनों के स्थान पर प्रयोग करने के लिए हिन्दुस्तान टेलीप्रिंटर्स, स्टाम्प कैन्सिलिंग मशीन का निर्माण करने में हाल ही में सफल रहा है ;

(ख) क्या हिन्दुस्तान टेलीप्रिंटर्स द्वारा निर्मित मशीन की अनुमानित लागत लगभग 6,000 रुपये है ;

(ग) क्या 2,500 रुपये की लागत से इसी मशीन का निर्माण करने हेतु रजिस्ट्रेशन के लिए जिस गैर-सरकारी क्षेत्र के उद्योग ने आवेदन दिया था, उसे निर्माण की अनुमति नहीं दी गई थी ; और

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

संचार मंत्री (श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा) : (क) जी हां ।

(ख) यह 5,000 रु० के आसपास होगी।

(ग) और (घ). निजी क्षेत्र की कम्पनी द्वारा निर्मित मशीन का मूल्य उनके द्वारा 4200 रु० आंका गया है । इस फर्म को तकनीकी विकास महानिदेशालय के साथ पंजीकृत (रजिस्टर) नहीं किया जा सका क्योंकि उन्होंने तकनीकी विकास महानिदेशालय द्वारा मांगी आवश्यक जानकारी उपलब्ध नहीं की थी और उन्हें मार्च, 1972 में सूचित कर दिया गया था कि उनका आवेदन रद्द किया जा रहा है । फर्म ने अब आवश्यक अतिरिक्त जानकारी उपलब्ध कर दी है और योजना के पंजीकरण पर तकनीकी विकास महानिदेशालय द्वारा विचार किया जा रहा है ।

पांचवीं योजना में गरीबी से मुक्ति तथा आर्थिक आत्मनिर्भरता की प्राप्ति

498. **श्री राजदेव सिंह** : क्या **योजना** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पांचवीं योजना का लक्ष्य गरीबी हटाना तथा आर्थिक आत्मनिर्भरता प्राप्त करना है ; और

(ख) यदि हां, तो इन लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए योजना आयोग का पांचवीं योजना के दौरान क्या उपाय करने का प्रस्ताव है ?

योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहन धारिया) : (क) और (ख). पांचवीं पंचवर्षीय योजना के प्रति दृष्टिकोण दस्तावेज को योजना आयोग ने अन्तिम रूप दे दिया है तथा इस समय यह सरकार के विचाराधीन है । इस दस्तावेज की मुख्य बातें दर्शाते हुए एक संक्षिप्त टिप्पणी संलग्न है । **[ग्रन्थालय में रखा गया । देखिए संख्या एल० टी०-3683/72]**

उत्तर प्रदेश में औद्योगिक उपक्रमों की निर्धारित क्षमता

499. **श्री राजदेव सिंह** : क्या **औद्योगिक विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उत्तर प्रदेश में औद्योगिक क्षेत्र में सूती कपड़ा, चीनी और तेल मिलों की दशा बड़ी ही खराब है और वे निर्धारित क्षमता से बहुत कम पर काम कर रहे हैं ; और

(ख) यदि हां, तो उन्हें अपेक्षित स्तर तक लाने के लिये सरकार का क्या उपचार करने का विचार है ?

औद्योगिक विकास मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद) : (क) और (ख). उत्तर प्रदेश की अनेक सूती वस्त्र मिलें, चीनी मिलें तथा तेल मिलें अपनी-अपनी क्षमता से कम उत्पादन कर रही हैं और स्थिति सन्तोषजनक नहीं है। राज्य सरकार का संकटग्रस्त मिलों को पुनर्जीवन देने तथा उनका आधुनिकीकरण करने के लिए वित्तीय सहायता देने का कार्यक्रम है । राज्य सरकार ने चीनी निगम और सूती वस्त्र निगमों का सप्रवर्तन किया है जहां तक तेल मिलों का सम्बन्ध है उन्होंने रिजर्व बैंक आफ इण्डिया से ऋण प्राप्त करने की व्यवस्था कर ली है ।

जूनियर वाणिज्य मण्डल की गतिविधियां

500. **श्री के० लकप्पा** : क्या **गृह** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में जूनियर वाणिज्य मण्डल की गतिविधियों की जानकारी रखने के लिए सरकार के पास कोई व्यवस्था है ; और

(ख) इन संगठनों को किस एजेन्सी के माध्यम से अपनी गतिविधियों के लिये धन प्राप्त होता है ?

गृह मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री कृष्ण चन्द्र पन्त) : (क) और (ख). जिन संस्थाओं की गतिविधियां गैर-कानूनी हैं उन पर निगरानी रखने की पूरी व्यवस्था है किन्तु न तो जूनियर वाणिज्य मण्डल की गतिविधियों और न इसके धन के स्रोतों के बारे में कोई प्रतिकूल बात ध्यान में नहीं आई है । अतः यह अनुमान किया जाता है कि जूनियर वाणिज्य मण्डल का खर्चा चन्दा, दान आदि से चलता है ।

बड़े औद्योगिक गृहों पर रोक लगाने के लिए गैर-सरकारी क्षेत्र को सरकारी क्षेत्र में बदलना

501. **श्री के० लकप्पा** : क्या **औद्योगिक विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार बड़े औद्योगिक गृहों पर रोक लगाने के लिए गैर-सरकारी क्षेत्र को सरकारी क्षेत्र या संयुक्त क्षेत्र में बदलने पर विचार कर रही है ;

(ख) यदि हां, तो क्या क्या परिवर्तन लाने का प्रस्ताव है ; और

(ग) इन परिवर्तनों से बड़े औद्योगिक गृहों पर कहां तक नियन्त्रण हो सकेगा ?

औद्योगिक विकास मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद) : (क) से (ग). आई० एल० पी० आई० सी० की सिफारिशों के पश्चात सरकार ने लोक वित्तीय संस्थानों से पर्याप्त सहायता प्राप्त बड़ी परियोजनाओं के प्रबन्ध में विशेषकर नीति निर्धारण-स्तर पर अधिकाधिक सहयोगिता सुनिश्चित करने हेतु संयुक्त क्षत्र की धारणा को सिद्धान्ततः स्वीकार कर लिया है संस्थाओं ऋणों के परिवर्तन तथा ऋण पत्रों के इक्विटी में बदलने के विकल्प का प्रयोग करते हैं । जहां तक विगत काल में दिए गये ऋण व ऋण पत्रों का प्रश्न है, ऋण अदा करने की स्थिति में वित्तीय संस्थान स्वविवेक से परिवर्तन के सम्बन्ध में बातचीत कर सकते हैं । बड़े गृहों की गतिविधियां नियन्त्रित करने हेतु सरकार ने लाइसेंसिंग नीति तथा एकाधिकार प्रतिबन्धात्मक व्यापार व्यवहार अधिनियम द्वारा विनियमित करने के अन्य उपायों की व्यवस्था की हैं ।

पंचवर्षीय योजना को पुनर्व्यवस्थित करना

502. **श्री के० लकप्पा** : क्या **योजना** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्तमान पंचवर्षीय योजना को सामाजिक रूप देने के लिए किस प्रकार पुनर्व्यवस्थित किया गया है ; और

(ख) इस पुनर्व्यवस्था से क्या परिणाम निकलने की आशा है ?

योजना मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री मोहन धारिया) : (क) और (ख). एक विवरण सभा पटल पर प्रस्तुत है।

विवरण

सामाजिक न्याय के मुख्य कार्यक्रम

चौथी योजना में समाज कल्याण की स्कीमों पर अधिक बल देने की आवश्यकता है, इस बात को अनुभव करते हुए प्रधान मंत्री द्वारा प्रस्तुत 1970-71 के केन्द्रीय बजट में अनेक नये काम शुरू करने तथा छोटे किसानों तथा कृषि श्रमिकों की स्कीमों, बच्चों के पोषाहार कार्यक्रम, आवास तथा शहरी विकास, गांवों में पीने के पानी की सप्लाई और औद्योगिक कर्मचारियों तथा सरकारी कर्मचारियों की सामाजिक सुरक्षा, के लिए अधिक प्रावधान की व्यवस्था की गई थी। 1971-72 के बजट में ग्रामीण रोजगार के लिए 50 करोड़ रुपये तथा शिक्षित बेरोजगारों के लिए 25 करोड़ रुपये की व्यवस्था कर एक अन्य आयाम जोड़ा गया। 1972-73 की वार्षिक योजना में शिक्षित बेरोजगारों, प्रारम्भिक शिक्षा का विस्तार, मुख्य नगरों में गंदी बस्तियों का सुधार, गांवों में जल की पूर्ति और गांवों में मकान के लिए भूमि व्यवस्था करने से सम्बन्धित विशेष कल्याण स्कीमों के लिए 125 करोड़ रुपये का काफी बड़ा प्रावधान किया गया है। यह व्यवस्था 90 करोड़ रुपये का ग्रामीण रोजगार, सूखा ग्रस्त क्षेत्र, छोटे किसान, नाममात्र के कृषक व बारानी खेती के लिए तथा पोषाहार के लिए जो 21.5 करोड़ रुपये का प्रावधान रखा गया है उसके अलावा है।

इन स्कीमों का उद्देश्य लोगों की आधारभूत न्यूनतम आवश्यकताओं की पूर्ति करना है। आवश्यकता के आधार पर सहायता इस प्रकार दी जायेगी कि जिससे क्षेत्रीय असंतुलनों में सुधार होगा। स्कीमें इस तरह बनाई गई हैं जिससे पर्याप्त समन्वय प्राप्त किया जा सके तथा खर्चे के स्तरों से अधिकतम प्रभाव लक्षित हो। अधिकतर मामलों में राज्यों को दी जाने वाली सहायता शत प्रतिशत अनुदान के रूप में होगी। ये अतिरिक्त संसाधन राज्य योजनाओं में इस प्रकार के कामों के लिए रखे गये परिव्ययों में वृद्धि करेंगे और राज्यों को इस काम के लिए निर्धारित प्रावधान के स्थान पर उपयोग नहीं करने दिया जायेगा। आवश्यकताओं और उपयोग की क्षमता के अनुसार सभी राज्यों को इन नई स्कीमों से किसी न किसी रूप में लाभ होगा। राज्य सरकारों से अपेक्षा की जाती है कि वे अपने बजट संसाधनों या संस्थागत साधनों से इन प्रावधानों में वृद्धि करेंगे ताकि वृद्धि करने वाला प्रभाव पड़ सके।

नकदी फसलों के मूल्यों में गिरावट

503. **श्री के० पी० उन्नीकृष्णन : क्या योजना** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या योजना आयोग का ध्यान नारियल, सुपारी और काली मिर्च जैसी मुख्य नकदी फसलों के मूल्यों में गिरावट की ओर दिलाया गया है ;

(ख) क्या योजना आयोग ने केरल जैसे राज्य के लिये, जो इन आयात-बचत और निर्यात प्रधान वस्तुओं पर ही निर्भर करता है, मूल्यों में इस गिरावट से प्रभावित लोगों के हितों की रक्षा करने के लिये किसी आकस्मिक योजना पर विचार किया है ; और

(ग) क्या योजना आयोग का विचार उस राज्य में एक अध्ययन दल भेजने का है ?

योजना मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री मोहन धारिया) : (क) जी, हां। योजना आयोग को इस बात की जानकारी है कि दो वर्ष पूर्व जो मूल्य थे उनकी तुलना में 1972 के दौरान काली मिर्च, सुपारी और इलायची के मूल्य घटे हैं।

(ख) सम्बद्ध मंत्रालयों यानी कृषि मंत्रालय और विदेश व्यापार मंत्रालय ने इन जिन्सों के बारे में कतिपय उपाय अपनाये हैं। इन मंत्रालयों द्वारा उठाये गये कदमों को दर्शाते हुए एक विवरण संलग्न है।

(ग) जी, नहीं।

विवरण

नारियल

नारियल की स्थिति विशेषकर केरल राज्य के नारियल उत्पादन करने वाले महत्वपूर्ण क्षेत्रों में उत्पादकों को मिलने वाले मूल्यों की क्या प्रवृत्ति रहती है के संदर्भ में, अध्ययन करने के लिए, मार्च 1972 में कृषि मन्त्रालय द्वारा अधिकारियों का एक दल नियुक्त किया गया। अधिकारियों के दल ने केरल राज्य के नारियल उत्पादन करने वाले क्षेत्रों का दौरा कर अपनी रिपोर्ट दी। नारियल की इस स्थिति से निपटने के लिए उन्होंने कई अल्पकालीन तथा दीर्घकालीन सिफारिशें कीं।

इस अध्ययन दल की रिपोर्ट पर विचार करने के लिए 12 जून, 1972 को एक अन्त: विभागीय बैठक हुई। अन्य सम्बद्ध मन्त्रालयों/विभागों से परामर्श कर दल की सिफारिशों पर कार्यवाई की जायेगी।

काली मिर्च

काली मिर्च का हमारा अधिकांश उत्पादन निर्यात किया जाता है। वर्ष 1969-70 के दौरान 22.3 हजार मीट्रिक टन काली मिर्च का निर्यात किया गया, परन्तु 1970-71 और 1971-72 के दौरान वह घटकर 18.0 से 18.5 हजार मीट्रिक टन तक रह गया। विश्व मांग और सम्भरण के अनुसार कालीमिर्च का मूल्य घटता-बढ़ता रहा है। यह बताया गया है कि संयुक्त राज्य अमेरिका और पूर्वी यूरोपीय देशों में मांग की कमी होना, मूल्यों के गिरने का मुख्य कारण है। बहरहाल, कालीमिर्च के निर्यात को विनियन्त्रित कर दिया गया है। महत्वपूर्ण काली मिर्च उत्पादक देशों जैसे सारवाक और ब्राजील सहित कालीमिर्च साझा गठित करने का प्रश्न विदेश व्यापार मन्त्रालय के विचाराधीन है।

सुपारी

कुछ समय से सुपारी के मूल्यों में काफी कमी आ गई है। हाल के वर्षों में देश में सुपारी के उत्पादन में शनैः शनैः वृद्धि हुई है। इसका उत्पादन 1965-66 में 119,000 मीट्रिक टन हुआ था जो कि 1970-71 में बढ़कर 141,000 मीट्रिक टन हो गया। 1966-67 से पहले, आन्तरिक मांग को पूरा करने के लिए मुख्यतः श्रीलंका और अन्य पूर्वी देशों से काफी मात्रा में भारत में सुपारी का निर्यात किया गया। इसके बाद 1968-69 से 1970-71 के वर्षों के दौरान इसके निर्यात में काफी कटौती कर उस पर पाबन्दी लगा दी गई। मूल्य गिरने का एक कारण यह है कि सुपारी के विपणन के लिए

पर्याप्त व्यवस्था नहीं है । बिचौलिया इसका अधिकतम लाभ न उठायें इससे बचने के लिए सुपारी के सहकारी विपणन पर बल दिया जाना चाहिए और राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम से अनुरोध किया गया है कि वह केरल और मैसूर (मुख्य सुपारी उत्पादक राज्य) सहकारी संगठनों को उत्तर भारत के उपभोग्य केन्द्रों में अपना उत्पादित माल बेचने से सहायता प्रदान करें। विदेश व्यापार मन्त्रालय से भी अनुरोध किया जा रहा है कि वह पाकिस्तान और बंगला देश को सुपारी निर्यात करने के सम्बन्ध में सम्भावनाओं का पता लगाकर उन देशों से इसको निर्यात करने की व्यवस्था करे। इस मन्त्रालय से यह भी अनुरोध किया गया है कि वह खुशबूदार सुपारी के निर्यात की भी जांच करे और इस सम्बन्ध में निर्यात प्रोत्साहन उपाय अपनाए। सुपारी की कीमत घटने से सम्बन्धित समस्याओं पर विस्तार से विचार करने के लिए कृषि मंत्रालय ने 17 अगस्त, 1972 को एक बैठक बुलाई और सहकारी विपणन निर्यात, मिश्रित फसल प्रणाली अपनाने, सुपारी के उपयोग वैकल्पिक उपयोग आदि के बारे में अनेक सिफारिशें कीं। सम्बद्ध मंत्रालय और राज्य सरकारों / विभागों द्वारा इस सम्बन्ध में कार्रवाई की जा रही है।

इलायची

सितम्बर, 1970 के बाद इलायची के मूल्य में निरन्तर कमी आ रही है। 1971 के अन्त में यह गिरावट और भी ज्यादा हो गई। 1972 के आरम्भ से इलायची के मूल्य बढ़ने लगे हैं। इलायची बोर्ड द्वारा अपनी 7 जनवरी, 1971 की बैठक में कीमतों के गिरने के प्रश्न पर विचार किया गया। इस बैठक में यह निश्चय किया गया कि आठ सदस्यों की एक उप-समिति बनाई जाय जो इस मामले पर गहन विचार कर समुचित उपचारात्मक उपाय सुझाये। उप-समिति इस निष्कर्ष पर पहुंची कि 1970-71 में मूल्यों में गिरावट का कारण अच्छी फसल होना है और सिफारिश की कि मूल्यों को गिरने से रोकने का सबसे अच्छा तरीका यह होगा कि एक ऐसी स्कीम बनाई जाय जिसके अन्तर्गत उत्पादकों को भण्डारण सुविधायें प्रदान की जायं और भण्डागारों की रसीद के आधार पर वाणिज्यिक बैंकों द्वारा उन्हें ऋण दिए जायं। तदनुसार बोर्ड द्वारा इलायची के लिए भण्डागार और ऋण देने की एक स्कीम बनाई गई और वही इस समय कार्यान्वित की जा रही है। इसके अलावा, इलायची का निम्नतम समर्थन मूल्य निश्चित करने के प्रश्न पर भी अप्रैल, 1972 में गठित एक लागत अध्ययन दल ने विचार किया। इस दल का नेता वित्त मन्त्रालय का लागत लेखा अधिकारी था। सरकार को जुलाई, 1972 में रिपोर्ट पेश की गई ताकि वह इस पर विचार कर निम्नतम समर्थन मूल्यों का निश्चय कर सके। विदेश व्यापार मन्त्रालय द्वारा रिपोर्ट का विश्लेषण किया जा रहा है।

समाचार पत्रों के स्वामित्व पर एकाधिकार को समाप्त करने सम्बन्धी मंत्रिमण्डलीय उप समिति का प्रतिवेदन

504. **श्री के० पी० उन्नीकृष्णन :** क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या समाचार पत्रों के स्वामित्व पर एकाधिकार को समाप्त करने और उनकी श्रृंखला को विभक्त करने के सम्बन्ध में नियुक्त की गई मन्त्रिमण्डलीय उपसमिति ने अपना प्रतिवेदन दे दिया है ;

(ख) यदि हां, तो उसकी मुख्य बातें क्या हैं ; और

(ग) पहले वायदों को पूरा करने के लिए उनके मन्त्रालय का क्या कदम उठाने का विचार है ?

सूचना तथा प्रसारण मन्त्रालय में उप-मन्त्री (श्री धर्मवीर सिंह): (क) से (ग) समिति ने अपने अनन्तिम प्रस्ताव दे दिये हैं। इन पर 1972-73 के लिए अखबारी कागज आवंटन नीति पर हाल ही के सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिये गये फैसले को ध्यान में रखते हुए समिति द्वारा पुनर्विचार किया जा रहा है।

दिल्ली सर्किल में इंजीनियरी सुपरवाइजरों की तैनाती में कथित पक्षपात

505. **श्री फूल चन्द वर्मा:**
श्री एम० एस० पुरती:

क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली सर्किल में कुछ इंजीनियरी सुपरवाइजरों को कई वर्षों तक बाहरी ड्यूटी पर तैनात रखा गया है, जबकि कुछ अन्य सुपरवाइजरों को कार्यालय के अन्दर वाली ड्यूटी पर तैनात किया गया है ;

(ख) क्या कुछ व्यक्तियों के प्रति पक्षपात करने के लिए ही ऐसा किया जा रहा है ; और

(ग) यदि हां, तो इंजीनियरी सुपरवाइजरों की तैनाती और स्थानान्तरण के सामान्य सिद्धान्त क्या हैं तथा इस प्रकार की तैनाती का क्या औचित्य है ?

संचार मंत्री (श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा) : (क) जी हां।

(ख) जी नहीं।

(ग) इंजीनियरों सुपरवाइजरों को विशेष शाखाओं में विशेष योग्यता प्राप्त करने के लिए प्रशिक्षण दिया जाता है। आमतौर पर उनकी तैनाती उसी शाखा में की जाती है जिसमें उन्हें प्रशिक्षित किया गया हो। परन्तु प्रशासन को सुविधा कर्मचारी को रुचि और जो पद खाली हों उनके आधार पर उन्हें दूसरी शाखाओं में भी तैनात किया जा सकता है। साधारणतया 'स्विचिंग' में प्रशिक्षित इंजीनियरों सुपरवाइजरों को इनडोर ड्यूटी पर तैनात किया जाता है जबकि आउट डोर ड्यूटी के मामले में ऐसी कोई पाबन्दी नहीं है।

दिल्ली में टेस्ट काल आपरेटरों की भर्ती

506. **श्री फूल चन्द वर्मा:** क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों में दिल्ली में कितने और किस श्रेणी में टेस्ट-काल आपरेटर भर्ती किये गये थे ;

(ख) उनमें से कितने कर्मचारियों को श्रेणी III का बना दिया गया है और स्थायी कर दिया गया है ;

(ग) कितने टेस्ट काल आपरेटरों को जो रोजगार कार्यालयों के माध्यम से भर्ती किये गये थे और जिन्हें उतना ही दैनिक भत्ता दिया जाता था जितना श्रेणी III के कर्मचारियों को दिया जाता है, बाद में उस श्रेणी से कम दर्जा दिया गया था ; और

(घ) इन टेस्ट काल आपरेटरों को पुनः श्रेणी III का कब बनाया जायेगा और स्थायी कर दिया जायेगा ?

संचार मंत्री (श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा) : (क) पिछले तीन सालों में कोई टेस्टकाल आपरेटर भर्ती नहीं किया गया। अलबत्ता साधारण टेलीफोन यंत्रों से टेस्टकालें करने के लिए समय-समय पर दिहाड़ी पर कुछ अल्पकालिक मजदूर रखे गए थे।

(ख) से (घ). प्रश्न ही नहीं उठता।

केरल भूमि अधिनियम का संशोधन

507. **श्री ए० के० गोपालन:** क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केरल भूमि अधिनियम के संशोधनों के बारे में केरल सरकार और केन्द्रीय सरकार में कुछ मतभेद हैं ; और

(ख) यदि हां, तो मतभेदों की मुख्य बातें क्या हैं ?

गृह मन्त्रालय में उप-मन्त्री (श्री एफ० एच० मोहसिन) : (क) कोई मतभेद नहीं है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

मलयालम के कवि कुमारन आसन की स्मृति डाक टिकट

508. **श्री ए० के० गोपालन:**
श्रीमती भार्गवी तन्कप्पन:

क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार मलयालम कवि और सामाजिक कार्यकर्ता की स्मृति में एक डाक-टिकट निकालने का है ; और

(ख) यदि हां, तो वह कब निकाला जायेगा ?

संचार मंत्री (श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा) : (क) जी हां।

(ख) इनकी जन्म शताब्दी के अवसर पर जो कि 12-4-1973 को पड़ती है।

मलयालम फिल्मों के लिये पृथक सेंसर बोर्ड

509. **श्री ए० के० गोपालन:** क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केरल सरकार ने सेंट्रल सेंसर फिल्म बोर्ड को सुझाव दिया है कि मलयालम फिल्मों के लिये एक अलग सेंसर बोर्ड स्थापित किया जाये ; और

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय में उपमंत्री (श्री धर्मबीर सिंह) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

लघु उद्योग लगाने के लिए इथियोपिया को भारतीय उद्योग विशेषज्ञ भेजना

513. **श्री गिरिधर गोमांगो :**
श्री बी० मायावन :

क्या **औद्योगिक विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत सरकार इथियोपिया में लघु उद्योग लगाने के लिए सामुदायिक विकास और उद्योग विशेषज्ञ वहां भेजने पर सहमत हो गई है ; और

(ख) यदि हां, तो क्या इस सम्बन्ध में कोई अन्तिम समझौता हो गया है ?

औद्योगिक विकास मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद) : (क) और (ख). भारत सरकार को हाल ही में इथोपिया की सरकार से सामुदायिक विकास तथा औद्योगिक विशेषज्ञों को इथोपिया भेजने के बारे में कोई प्रस्ताव नहीं मिला है।

उपग्रहों के माध्यम से टेलीविजन कार्यक्रम

514. **श्री एस० सी० सामन्त** : क्या **अन्तरिक्ष** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि उपग्रहों के माध्यम से टेलीविजन कार्यक्रम प्रसारित करने की क्या सम्भावनायें हैं ?

प्रधान मंत्री, परमाणु ऊर्जा मंत्री, इलैक्ट्रानिक्स मंत्री, सूचना और प्रसारण मंत्री तथा अन्तरिक्ष मंत्री (श्रीमती इन्दिरा गांधी)) : एक उपग्रह शैक्षिक दूरदर्शन कार्यक्रम, जिसका उद्देश्य भारत के विभिन्न भागों में बसे लगभग पांच हजार गांवों में शैक्षिक दूरदर्शन कार्यक्रम प्रसारित करना है, शुरू किया जा रहा है। इस कार्यक्रम की सहायता से एक ऐसी मिश्रित प्रणाली की जांच की जा सकेगी जिसमें दूरदर्शन कार्यक्रमों के प्रसारण एवं अभिग्रहण के लिए भूमि पर बिछे उपकरणों के जाल के साथ-साथ एक उपग्रह को भी काम में लाया जायेगा।

विषाक्त शराब पीने से हुई मौतों की जांच के निष्कर्ष

515. **श्री एस० सी० सामन्त** : क्या **गृह** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली में गत वर्ष विषाक्त शराब पीने से हुई मौतों की जांच के निष्कर्ष क्या हैं ;

(ख) इस कांड के लिए जिम्मेदार व्यक्तियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है या की जा रही है ; और

(ग) ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति को रोकने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं ?

गृह मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री एफ० एच० मोहसिन) : (क) बबेजा आयोग के निष्कर्षों के अनुसार अवैध शराब पीने के परिणामस्वरूप 155 व्यक्ति प्रभावित हुए। 112 व्यक्ति मरे, 9 व्यक्ति पूर्णरूप से अन्धे हो गये तथा 9 अन्य व्यक्ति आंशिक रूप से अन्धे हुए थे। 25 व्यक्ति ठीक हो गये थे। आयोग इस निष्कर्ष पर भी पहुंचा है कि मृत्यु का कारण विषाक्त मेथिल शराब था। अवैध विषाक्त शराब विशेष रूप से विकृत स्प्रिट, थिनर के रूप में विशेष विकृत स्प्रिट, अथवा थिनर से बनाई गई थी।

(ख) बबेजा आयोग की रिपोर्ट के कार्यान्वियन के लिए दिल्ली प्रशासन द्वारा एक समिति गठित की गई है जो इसके लिए जिम्मेवार व्यक्ति कौन है विचार कर रही है।

(ग) एक विवरण संलग्न है। [**ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल० टी०-3684/72**]

Grant of Pension to Freedom Fighters

516. **Shri Ramavatar Shastri :**
Shri Shiv Kumar Shastri :

Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to state :

(a) the total number of applications received upto 31st October under the scheme for granting pension to freedom fighters, State-wise ;

(b) the total number of freedom fighters to whom pension has been granted so far, State-wise ;

(c) the reasons for delay in granting pension and the steps taken or proposed to be taken by Government to eliminate the delay ; and

(d) the time by which all the applications are likely to be disposed of by Government ?

The Deputy Minister in the Ministry of Home Affairs (Shri F. H. Mohsin) : (a) and (b). A statement showing the total number of applications received from the freedom fighters and to whom pension has been sanctioned under the scheme State-wise as on 31st October, 1972 is attached.

(c) and (d). The number of applications received so far have been very much in excess of the original estimate. Necessary steps are being taken to augment the staff strength so that most of the applications are processed by the 14th August, 1973.

Statement

Statement of Applications Received and Number of Sanctions Approved, State-wise (as on 31-10-1972)

S. No.	State	No. of applications received	No. of sanctions approved
1.	Assam ..	1,700	140
2.	Bihar ..	11,195	127
3.	Gujarat	3,600	387
4.	Haryana	3,209	103

S. No.	State		No. of applications received	No. of sanctions approved
5.	Madhya Pradesh		3,837	310
6.	Maharashtra		11,328	730
7.	Orissa	..	2,475	289
8.	Rajasthan		592	99
9.	Delhi		1,455	274
10.	Chandigarh		45	19
11.	Uttar Pradesh		16,796	382
12.	West Bengal	..	13,803	574
13.	Pondicherry		213	13
14.	Mizoram		1	1
15.	Goa		730	18
16.	Manipur		118	13
17.	Punjab		8,067	112
18.	Tripura		708	83
19.	Himachal Pradesh	..	440	32
20.	J & K		303	6
21.	Meghalaya		12	—
22.	Andaman and Nicobar Islands		5	—
23.	Arunachal Pradesh	..	—	—
24.	Andhra Pradesh		7,854	386
25.	Kerala	..	3,283	284
26.	Mysore		7,872	236
27.	Tamil Nadu		9,041	617
		Total	1,08,682	5,235

Distribution of Tamrapatras to Freedom Fighters

517. **Shri Ramavatar Shastri :**
Shri Ishwar Chaudhry :

Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to state :

(a) whether Central Government and State Governments have honoured the freedom fighters with Tamrapatras, if so, the State-wise names thereof, separately;

(b) whether irregularity has been committed in their distribution about which complaints have been made by several Members of Parliament to her, if so, whether any enquiry has been conducted into this irregularity ; and

(c) if so, the results thereof and the action taken by Government against persons responsible therefor ?

The Minister of State in the Ministry of Home Affairs (Shri K. C. Pant) : (a) The honouring of freedom fighters through the presentation of Tamrapatras to them on behalf of Government of India by the Prime Minister is a year-long process. That began on August 15, 1972 and will go on till August 14, 1973. After the first function at Delhi on August 15, several functions have been held in different States at which Chief Ministers of States have handed over the tamrapatras on behalf of Prime Minister. These functions are still going on from month to month and sometimes more frequently. The complete State-wise list will only be available when all the functions have been held.

(b) and (c). As lists of freedom fighters for receiving Tamra Patras are mostly prepared by the State Governments/Union territory Administrations, complaints received in this connection are sent to the State Governments concerned for enquiries.

Report of the Enquiry Commission on the Communal Disturbances at Chaibasa, Bihar

518. **Shri Ramavatar Shastri :** Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to state :

(a) whether communal disturbances took place at Chaibasa in Bihar on the 20th April, 1970 ;

(b) if so, whether any Enquiry Commission to look into the said incident was appointed by Government ; and

(c) whether the said Commission has submitted its report to Government and if so, the salient features thereof ?

The Minister of State in the Ministry of Home Affairs and in the Department of Personnel (Shri Ram Niwas Mirdha) : (a) and (b). The Government of Bihar appointed a Commission of Enquiry to enquire **inter-alia** into the facts and circumstances including causes and course of the communal disturbances which took place at Chaibasa on April 15/16, 1970.

(c) The State Government have informed that the report of the Commission, was received in May, 1972 and is under examination.

परमाणु परीक्षण

519. **श्री पीलू मोदी :** क्या **परमाणु ऊर्जा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 11 सितम्बर, 1972 के 'स्टेट्समैन' में "सेफ्टी स्टेण्डर्ड्स इन एटामिक टेस्ट्स" शीर्षक से प्रकाशित लेख की ओर दिलाया गया है ; और

(ख) यदि हां, तो उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

प्रधान मंत्री, परमाणु ऊर्जा मंत्री, इलैक्ट्रानिक्स मंत्री, गृह मंत्री, सूचना और प्रसारण मंत्री तथा अन्तरिक्ष मंत्री (श्रीमती इन्दिरा गांधी) : (क) जी, हां ।

(ख) परमाणु ऊर्जा आयोग उन स्थितियों का अध्ययन कर रहा है जिनके अन्तर्गत किये गये शान्तिमय परमाणु विस्फोट भारत में पर्यावरणीय खतरों को उत्पन्न किये बिना आर्थिक दृष्टि से उपयोगी सिद्ध हो सकते हैं। न्यूक्लीय सक्रियता के प्रत्येक उपयोग में विकिरण से उत्पन्न होने वाले खतरों के प्रति हर प्रकार को सावधानी निरपवाद रूप से बरती जाती है तथा न्यूक्लीय प्रौद्योगिकी के इस क्षेत्र में प्राप्त किये जाने वाले रिकार्ड सभी उद्योगों में प्राप्त किये जाने वाले रिकार्डों में श्रेष्ठतम हैं।

चंडीगढ़ के बारे में निर्णय पर पुर्नविचार करने के विषय में पंजाब के मुख्य-मंत्री का वक्तव्य

520. **श्री पीलू मोदी :**
श्री मान सिंह भौरा :

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान चण्डीगढ़ के बारे में केन्द्रीय सरकार के दिनांक 29 जून, 1970 के निर्णय के बारे में पंजाब के मुख्य मंत्री के वक्तव्य की ओर दिलाया गया है ;

(ख) यदि हां, तो क्या पंजाब सरकार ने इस निर्णय पर पुर्नविचार करने के लिये कहा है ; और

(ग) इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

गृह मंत्रालय में उपमंत्री (श्री एफ० एच० मोहसिन) : (क) से (ग). चण्डीगढ़ पर केन्द्रीय सरकार का निर्णय 29 जनवरी, 1970 को न कि 29 जून, 1970 को घोषित किया गया था। प्रश्न में कोई संदर्भ तिथि न होने के कारण इस विषय पर मुख्य मंत्री के किसी वक्तव्य का पता लगाना सम्भव नहीं हुआ है। किन्तु पंजाब सरकार से चण्डीगढ़ के निर्णय पर पुर्नविचार करने के लिये कोई औपचारिक अनुरोध प्राप्त नहीं हुआ है।

पंजाब, हरियाणा और हिमाचल प्रदेश के बीच सीमा विवाद

521. **श्री नारायण चन्द पाराशर :**
श्री अरविन्द नेताम :

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार का ध्यान "टाइम्स आफ इण्डिया" में प्रकाशित उस समाचार की ओर गया है जिसमें लिखा था कि हरियाणा विधान सभा के सदस्यों ने विधान सभा के हाल ही के सत्र में धमकी दी है कि यदि फाजिल्का और आबोहर हरियाणा को नहीं दिये गये तो वे त्यागपत्र दे देंगे ;

(ख) यदि हां, तो इस धमकी के बारे में केन्द्रीय सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ;

(ग) क्या सरकार का विचार पंजाब, हिमाचल प्रदेश और हरियाणा तीनों राज्यों के सीमा विवाद हल करने के लिये एक सीमा आयोग बनाने का है ; और

(घ) यदि हां, तो प्रस्तावित सीमा आयोग कब तक गठित किये जाने की आशा है ?

गृह मंत्रालय में उपमंत्री (श्री एफ० एच० मोहसिन) : (क) से (ग). सरकार रिपोर्ट से परिचित है। पहले घोषित किये गये निर्णयों में, जिसमें सीमा आयोग की नियुक्ति भी शामिल है, कोई परिवर्तन करने का विचार नहीं है।

(घ) क्योंकि विचारार्थ विषय संबंधित राज्य सरकारों के परामर्श से अभी तय किये जाने हैं अतः यह बतलाना कि किस तारीख तक आयोग की नियुक्ति की जा सकेगी संभव नहीं है।

विभिन्न राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों में एक ही वर्ष में नियुक्त किये जाने के बाद भारतीय सिविल सेवा, भारतीय प्रशासनिक सेवा, और भारतीय पुलिस सेवा के अधिकारियों की सिलेक्शन ग्रेड में पदोन्नति के अवसर

522. **श्री नारायण चन्द पाराशर** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगी कि :

(क) प्रत्येक राज्य और संघ राज्य क्षेत्र में इस समय भारतीय सिविल सेवा, भारतीय प्रशासनिक सेवा और भारतीय पुलिस सेवा के कितने अधिकारी काम कर रहे हैं;

(ख) प्रत्येक सम्बन्धित राज्य और संघ राज्य के लिये इन अधिकारियों की संख्या किस आधार पर मंजूर की जाती है; और

(ग) क्या यह सुनिश्चित किया गया है कि विभिन्न राज्यों में एक ही वर्ष में चयन और नियुक्ति किये गये सभी अधिकारियों को सिलेक्शन ग्रेड में पदोन्नति के समान अवसर उपलब्ध हैं ?

गृह मंत्रालय और कार्मिक विभाग में राज्य मंत्री (श्री राम निवास मिर्धा) : (क) सूचना एकत्रित की जा रही है और इसे सदन के पटल पर रख दिया जायेगा।

(ख) सम्बन्धित राज्य सरकारों के परामर्श से, भारत सरकार तथा सम्बन्धित राज्य सरकारों की आवश्यकताओं के आधार पर, प्रत्येक संवर्ग की संख्या का निर्धारण किया जाता है।

(ग) प्रत्येक संवर्ग में सलेक्शन ग्रेड में पदों की संख्या समयमान वेतन से अधिक वेतन वाले पदों की संख्या के आधार पर कम किये गये वरिष्ठ पदों की कुल संख्या का 20 प्रतिशत के बराबर हैं; बशर्ते कि वह वरिष्ठ पदों का कम से कम 15 प्रतिशत हो। सलेक्शन ग्रेड में नियुक्ति योग्यता के आधार पर प्रवरण द्वारा वरिष्ठता को ध्यान में रखते हुए की जाती है। इस प्रकार विभिन्न संवर्गों में, सलेक्शन ग्रेड में पदोन्नति के समान अवसर उपलब्ध हैं। तथापि, प्रत्येक मामले में नियुक्तियां किसी विशेष समय में संवर्ग की संरचना तथा रिक्तियों की उपलब्धता पर आधारित होंगी।

महा डाकपालों के साथ संसद सदस्यों की वर्ष में दो बार बैठक

523. **श्री नारायण चन्द पाराशर** : क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने विभिन्न सर्किलों के महा डाकपालों को सम्बद्ध क्षेत्रों के संसद सदस्यों के साथ वर्ष में दो बार अनौपचारिक बैठक करने के लिये निदेश दिया था ;

(ख) यदि हां, तो पिछले दो वर्षों के दौरान प्रत्येक सर्किल के मामले में ऐसी कितनी बैठकें आयोजित की गईं ; और

(ग) अगर कुछ सर्किलों में ऐसी कोई बैठक नहीं की गई हैं तो इसके क्या कारण हैं और उन सर्किलों के नाम क्या हैं ?

संचार मंत्री (श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा) : (क) संबद्ध क्षेत्रों के संसद सदस्यों के साथ बैठकें करने की हिदायतें तारीख 6 जनवरी, 1972 को सभी सर्किल-अध्यक्षों को जारी की गई थीं।

(ख) गुजरात और बिहार सर्किलों को छोड़कर बाकी सभी सर्किलों में एक-एक बैठक हुई हैं। गुजरात सर्किल में दो बैठकें हो चुकी हैं और बिहार सर्किल की पहली बैठक जनवरी, 1973 में करने का प्रस्ताव है।

(ग) सिर्फ बिहार सर्किल में अभी तक कोई बैठक नहीं हुई है। उम्मीद है कि लोक-सभा के वर्तमान सत्र के बाद जल्दी ही यह बैठक बुलाई जाएगी।

पिछड़े क्षेत्रों के सम्बन्ध में गोष्ठी

524. **श्री नारायण चन्द पाराशर** : क्या **औद्योगिक विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इस वर्ष अगस्त में दिल्ली में हुई एक गोष्ठी में देश के औद्योगिक दृष्टि से पिछड़े क्षेत्र के संसद सदस्यों ने केन्द्रीय सरकार के विचारार्थ कुछ मांगें रखी थीं ; और

(ख) यदि हां, तो उनकी मांगों के प्रति सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

औद्योगिक विकास मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद) : (क) जी हां।

(ख) विचारगोष्ठी की पूर्ण कार्यवाही की प्रति प्रतीक्षित है प्राप्त हो जाने पर, प्राप्त हुए सुझावों पर ध्यान पूर्वक विचार किया जायेगा।

बड़ औद्योगिक गृहों को लाइसेन्स देना

525. **श्री डी० के० पंडा** : क्या **औद्योगिक विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या चौथी पंचवर्षीय योजना अवधि में बड़े उद्योगों के लिये, विशेषकर उपभोक्ता उद्योगों में अधिकतर लाइसेन्स अपेक्षाकृत बड़े औद्योगिक गृहों को दिये गये हैं;

(ख) गत तीन वर्षों में तथा चालू वर्ष में अब तक प्रत्येक तथा सभी अपेक्षाकृत बड़े औद्योगिक गृहों को दिये गये ऐसे लाइसेन्सों की संख्या तथा उनकी प्रतिशतता क्या है तथा सरकारी क्षेत्र तथा सार्वजनिक क्षेत्र को दिये गये लाइसेन्सों के तुलनात्मक आंकड़े क्या हैं; और

(ग) एकाधिकार को इतने बड़े पैमाने पर प्रोत्साहन देने के क्या कारण हैं ?

औद्योगिक विकास मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद) : (क) जी, नहीं।

(ख) सूचना नीचे दी गई है :

वर्ष	जारी किये गये औद्योगिक लाइसेंसों की कुल संख्या	20 बड़े गृहों के हिस्से†	कालम 3 का कालम 2 के साथ प्रतिशत	सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों को (लघु उद्योग विकास निगम को मिलाकर) दिये गये औद्योगिक लाइसेंसों की संख्या	सरकारी क्षेत्र को दिये गये औद्योगिक लाइसेंसों की संख्या
1	2	3	4	5	6
1969	221	38	17.2	15	12
1970	363 (कार्य चालू रखने के लाइसेंसों सहित)	20 (कार्य चालू रखने के लाइसेंसों सहित)	5.5	22	29
	240 (कार्य चालू रखने के लाइसेंसों रहित)	19 (कार्य चालू रखने के लाइसेंसों रहित)	7.9	—	—
1971	625 (कार्य चालू रखने के लाइसेंसों सहित)	114 (कार्य चालू रखने के लाइसेंसों सहित)	18.2	40	11
	317 (कार्य चालू रखने के लाइसेंसों रहित)	27 (कार्य चालू रखने के लाइसेंसों रहित)	8.5	—	—
1972 30.9.72 तक	411 (कार्य चालू रखने के लाइसेंसों सहित)	45 (कार्य चालू रखने के लाइसेंसों सहित)	10.9	28	14
	308 (कार्य चालू रखने के लाइसेंसों रहित)	21 (कार्य चालू रखने के लाइसेंसों रहित)	6.8	—	—

†गृहों वार आंकड़ों का ब्यौरा संलग्न है । **[ग्रन्थालय में रखा गया । देखिए संख्या एल० टी०-3685/72]**

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता ।

पांचवीं योजना के लिए विदेशी सहायता

526. **श्री डी० के० पण्डा :** क्या **योजना** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने पांचवीं पंचवर्षीय योजना के लिए आवश्यक विदेशी सहायता का कोई अनुमान लगाया है ; और

(ख) यदि हां, तो अनुमान का ब्यौरा क्या है ?

योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहन धारिया) : (क) और (ख). योजना आयोग ने पांचवीं योजना के प्रति दृष्टिकोण दस्तावेज तैयार कर लिया है और इस समय यह सरकार के विचाराधीन है। दस्तावेज पर सरकार द्वारा निर्णय लेने के बाद अनुमानों के ब्यौरे को अन्तिम रूप दिया जायेगा और अन्तिम दस्तावेज में इन्हें उपलब्ध किया जायेगा।

अरुणाचल प्रदेश में राष्ट्रविरोधी तत्वों की गतिविधियां

528. **श्री डी० बी० चन्द्र गौडा :**
श्री राज राज सिंह देव :

क्या **गृह** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कुछ विदेशी एजेंसियां धन और सामान की सहायता से अरुणाचल प्रदेश के संघ राज्य क्षेत्र में राष्ट्र-विरोधी तत्वों को प्रोत्साहित कर रही हैं ;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने इस मामले में विदेशी धर्म प्रचारकों को अन्तर्ग्रस्त पाया है ; और

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी मुख्य बातें क्या हैं और सरकार ने इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की है ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कृष्ण चन्द्र पन्त) : (क) से (ग). अरुणाचल प्रदेश के संघ राज्य-क्षेत्र में कोई विदेशी एजेंसियां अथवा विदेशी धर्मप्रचारक नहीं हैं। ना ही कोई निश्चित सूचना है कि विदेशी एजेंसियां अरुणाचल प्रदेश में राष्ट्र विरोधी तत्वों को प्रोत्साहित कर रही हैं। तथापि अत्यधिक सतर्कता बरती जाती है।

फिल्म उद्योग के सम्बद्र्धन के लिए सरकार की नीति

530. **श्री अरविन्द नेताम** : क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या फिल्म उद्योग के सम्बर्द्धन के लिए सरकार एक 'व्यापक फिल्म नीति' बनाने का विचार कर रही है ; और

(ख) यदि हां, तो इसे कब तक लागू किया जायेगा तथा उक्त नीति की रूपरेखा क्या है ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री धर्मवीर सिंह) : (क) जी, हां।

(ख) सूचना और प्रसारण मंत्रालय अब एक एकीकृत दूरगामी नीति तथा संयोजित कार्यक्रमों, जिससे उद्देश्यों की पूर्ति हो जायेगी, को बनाने के काम पर लगा है। यह कार्य एक सतत प्रक्रिया होगी।

उत्तर प्रदेश और बिहार में गरीबी हटाना

531. **श्री अरविन्द नेताम :**
श्री सुखदेव प्रसाद वर्मा :

क्या **योजना** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय वाणिज्य तथा उद्योग मण्डल संघ द्वारा किये गये अध्ययन के अनुसार उत्तर प्रदेश और बिहार में सबसे अधिक गरीब लोग रहते हैं ; और

(ख) यदि हां, तो इन दो राज्यों तथा अन्य राज्यों में भी गरीबी दूर करने के लिए सरकार क्या विशेष कदम उठा रही है ?

योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहन धारिया) : (क) भारतीय वाणिज्य और उद्योग संघ द्वारा प्रकाशित "प्लानिंग फार रिजल्ट्स" नामक दस्तावेज के अनुसार 1-10-1969 को गरीबी के स्तर से नीचे जीवन-निर्वाह करने वालों की संख्या भारत में अनुमानतः 21 करोड़ 83 लाख थी। इसमें से 3 करोड़ 86 लाख उत्तर प्रदेश में रह रहे थे और 2 करोड़ 70 लाख बिहार में। इस दस्तावेज के पृष्ठ 3 पर जो सारणी दी गई है उसके अनुसार 1-10-69 को गरीबी के स्तर से नीचे रहने वालों की संख्या इन दो राज्यों में सर्वाधिक थी।

(ख) माननीय सदस्य जानते होंगे कि पंच वर्षीय योजनाओं का मूल उद्देश्य यह रहा है कि समाजवादी आधार पर विकास किया जाय ताकि तेजी से आर्थिक विकास कर रोजगार का विस्तार किया जा सके, स्वावलम्बन प्राप्त किया जा सके, आय व सम्पत्ति की असमानतायें घटाई जा सकें, तथा गरीबी दूर की जा सके। गत दो दशकों के दौरान जो आर्थिक विकास हुआ उससे प्रतिव्यक्ति आय में सर्वतोमुखी वृद्धि हुई है। पांचवीं योजना में बेरोजगारी, अपूर्ण रोजगार और व्यापक गरीबी पर सीधा प्रहार करने का प्रस्ताव है। इसके अतिरिक्त उत्तर प्रदेश, बिहार तथा अन्य राज्यों के पिछड़े क्षेत्रों में जहां गरीबी के स्तर से नीचे जीवन निर्वाह करने वाले अधिकांश लोग रहते हैं, उन इलाकों के लिए विशेष कार्यक्रम तैयार कर कार्यान्वित किए जायेंगे।

नागा नेशनल कौंसिल को अवैध घोषित करना

532. **श्री अरविन्द नेताम** : क्या **गृह** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने नागा नेशनल कौंसिल को अवैध घोषित कर दिया है ;

(ख) यदि हां, तो क्या उसे अपना पक्ष प्रस्तुत करने का अवसर दिया गया है ; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

गृह मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री एफ० एच० मोहसिन) : (क) जी हां, श्रीमान्।

(ख) और (ग). अवैध गतिविधियां (निवारक) अधिनियम 1967 की धारा 4 के उपबंधों के अनुसार सम्बन्धित अधिसूचना एक अधिकरण को, जो उक्त अधिनियम की धारा 5 के उपबन्धों के अनुसार गठित किया गया है, भेजी थी और उस पर कार्यवाही अधिकरण के विचाराधीन है।

Conference of State Industries Ministers

533. **Shri Ishwar Chaudhry :**
Shri Sarjoo Pandey :

Will the Minister of **Industrial Development and Science and Technology** be pleased to state the topics discussed in the conference of State Industries Ministers held in Delhi in September, 1972 and the decision taken ?

The Deputy Minister in the Ministry of Industrial Development (Shri Siddheshwar Prasad) : The main topics discussed and the decisions taken in the Conference of State Industries Ministers held in Delhi in September, 1972 were as follows :

1. Special scheme of Employment of Engineers :

   The State Governments were requested to furnish detailed proposals for 1973-74 by the 31st December, 1972.

2. Rural Industries Project Programme :

   The consensus was in favour of increasing the number of projects to be set up in the Fifth Five Year Plan. The Planning Commission have been requested to take into consideration the general feeling of the State Ministers in this regard and to explore possibilities of increasing the number of projects in the Fifth Five Year Plan.

3. Industrial Development in backward areas :

   It was decided that a Committee should be constituted consisting of representatives of the Ministry of Industrial Development and some State Governments, for recommending measures for the development of backward districts and areas.

4. Implementation of licences and letters of intent issued to State Industrial Development Corporations :

   The need for expeditious implementation of letters of intent and licences issued in favour of the Small Industries Development Corporations should be brought to the notice of the State Governments.

Return of Tamrapatras by Freedom Fighters

534. **Shri Ishwar Chaudhry** : Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to state the total number of freedom fighters who have returned Tamrapatras to the Government indicating the reasons therefor in each case ?

The Minister of State in the Ministry of Home Affairs (Shri K. C. Pant) : No freedom fighter has returned any tamrapatra to Government of India. However, one freedom fighter had sought clarification on certain points, and pending that left his tamrapatra in our custody. The points raised by him have now been explained to him.

Changes in Industrial Policy

535. **Shri Ishwar Chaudhry :**
Shri Shanker Rao Savant :

Will the Minister of **Industrial Davelopment and Science and Technology** be pleased to state :

(a) the present industrial policy of the Government ; and

(b) the difference between the present and previous industrial policies and the reasons for which change has been made ?

The Deputy Minister in the Ministry of Industrial Development (Shri Siddheshwar Prasad) : (a) The present Industrial Policy of the Government is contained in the Industrial Policy Resolution of 1956.

(b) Does not arise.

Removal of Backwardness in the Country

536. **Shri Ishwar Chaudhry :**
Shri Shanker Rao Savant :

Will the Minister of **Planning** be pleased to state :

(a) whether Planning Commission has formulated any scheme to remove backwardness of the various areas and to bring them at par with other parts of the country ; and

(b) if so, the outlines of the scheme ?

The Minister of State in the Ministry of Planning (Shri Mohan Dharia) : (a) and (b). Attention is invited to reply to Lok Sabha Unstarred Question No. 1102 on 2.6.1971.

एर्नाकुलम टेलीफोन एक्सचेंज कर्मचारी यूनियन (केरल) के निलम्बित पदाधिकारी

537. **श्री एम० के० कृष्णन :** क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या एर्नाकुलम टेलीफोन एक्सचेंज कर्मचारी यूनियन (केरल) के दो पदाधिकारियों को निलम्बित कर दिया गया था और अधिकारियों ने चार अन्य कर्मचारियों को स्थानान्तरित कर दिया था ;

(ख) क्या एर्नाकुलम के डाक-तार कर्मचारियों ने 24 जुलाई, 1972 को कर्मचारी यूनियन के पदाधिकारियों के कथित सताये जाने के विरुद्ध 'काम रोको' हड़ताल की थी और व्यापक पैमाने पर नियमानुसार कार्य प्रारम्भ कर दिया था ; और

(ग) क्या कर्मचारियों के निलम्बन और स्थानान्तरण के आदेश सरकार ने रद्द कर दिये हैं ?

संचार मंत्री (श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा) : (क) दो टेलीफोन आपरेटरों को मुअत्तल किया गया था जिनमें से एक आपरेटर अखिल भारतीय टेलीफोन इंजीनियरिंग कर्मचारी संघ तृतीय श्रेणी की शाखा यूनियन का पदाधिकारी था। इसके अलावा 4 अन्य टेलीफोन आपरेटरों का तबादला उसी नगर में एक एक्सचेन्ज से दूसरे एक्सचेन्ज में किया गया था।

(ख) तारीख 24-7-1972 से 2-8-1972 तक एर्नाकुलम आटो एक्सचेन्ज के ज्यादातर टेलीफोन आपरेटर 'काम-न-करो' हड़ताल पर थे और "एर्नाकुलम के सभी डाक-तार कर्मचारी" हड़ताल पर नहीं थे। बाद में यह हड़ताल "धीमा काम करो" या "नियमानुसार काम करो" के रूप में कुछ अन्य कार्यालयों में भी फैली। हड़ताल का कारण एर्नाकुलम टेलीफ़ोन एक्सचेन्ज के

शयनागार (डार्मिटरी) को एक कमरे से हटाकर दूसरे कमरे में ले जाना था और वहां के कर्मचारियों ने शयनागार बदलने के काम में रुकावट डालने के लिये बल-प्रयोग भी किया था। यूनियन के किसी पदाधिकारी या अन्य किसी कर्मचारी को सताया नहीं गया।

(ग) जी हां। मुअत्तली के आदेश वापस ले लिए गए हैं और तबादले रोक दिए गए हैं।

Effect of Shifting of Ashok Paper Mill, from Bihar, on Employment

538. **Shri Ram Bhagat Paswan :** Will the Minister of **Industrial Development and Science and Technology** be pleased to state whether the problem of unemployment in North Bihar would become more acute as a result of shifting of 60 per cent of the portion of Ashok Paper Mills from Hayaghat in Bihar to Assam ?

The Deputy Minister in the Ministry of Industrial Development (Shri Siddheshwar Prasad) : No, Sir. The original project could not materialise owing to non-availability of raw material in the area. The promoting Company then went into liquidation. In the new scheme, necessary material, **viz,** wood pulp, will be supplied from Assam for a paper project in North Bihar having a capacity of 40 tonnes per day. It will provide employment for 850 persons.

समस्तीपुर में टेलीग्राफ सबडिवीजन खोलना

539. **श्री राम भगत पासवान :** क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या समस्तीपुर (उत्तर बिहार) में एक टेलीग्राफ सब डिवीजन खोलने के लिए जनता से कोई अभ्यावेदन मिले हैं ; और

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

संचार मंत्री (श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा) : (क) जी हां।

(ख) प्रस्ताव की जांच की जा रही है।

पहाड़ी क्षेत्रों का विकास

540. **श्री एम० एस० जोजफ :** क्या **योजना** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश के पहाड़ी क्षेत्रों के विकास की ओर ध्यान देने के लिए सरकार ने कोई विशेष उपाय किये हैं ; और

(ख) यदि हां, तो किये गये उपायों की रूपरेखा क्या है और इस बारे में क्या प्रगति हुई है ?

योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहन धारिया) : (क) जी, हां।

(ख) योजना आयोग ने उत्तर प्रदेश के पहाड़ी क्षेत्रों के विकास के लिए डा० वी० एस० मिन्हास, सदस्य, योजना आयोग की अध्यक्षता में एक निदेश समिति गठित की है। इस समिति में राज्य सरकार, योजना आयोग तथा कृषि मन्त्रालय के प्रतिनिधि सम्मिलित हैं। इस समिति की सिफारिशों पर राज्य सरकार ने उत्तर प्रदेश के पहाड़ो क्षेत्रों में कई सर्वेक्षण एवं अन्वेषण प्रारम्भ

कर दिए हैं । योजना आयोग में पहाड़ी क्षेत्रों के लिए एक सेल भी गठित किया गया है जो मुख्य रूप से ऐसे अध्ययन करेगा जो हिमाचल आंचल के पहाड़ी क्षेत्रों के लिए समेकित योजनाएं तैयार करने में सहायक होंगे ।

भूतपूर्व नरेशों को अनुग्रहपूर्वक की गई अदायगी

541. **श्री एम० एम० जोजफ :**
श्री अर्जुन सेठी :

क्या **गृह** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने भूतपूर्व नरेशों को अनुग्रह-पूर्वक अदायगी योजना के अन्तर्गत अधिक से अधिक एक वर्ष की निजी थैली की राशि देने का निर्णय किया है ; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी मुख्य बातें क्या हैं ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कृष्ण चन्द्र पन्त) : (क) और (ख). भूतपूर्व नरेशों को अनुग्रह राशि के भुगतान की योजना के ब्यौरे की विवरण संलग्न है ।

विवरण

अनुग्रह भुगतान, विसृप अनुमाप तथा कुछ अधिकतम सीमा के भीतर जिन पर सावधानी से विचार किया गया है, दिया जायगा । छोटे भूतपूर्व नरेश जो अधिकांश संख्या में हैं, उनको अपेक्षाकृत अधिक दिया जायगा जैसे 15,000 रुपये से कम लेने वालों को उनके प्रिवी पर्स का आठ गुना देने का प्रस्ताव है । इसी प्रकार वे जो, 15,000 रु० से 50,000 रुपये के बीच की राशि लेते थे छः गुने से आठ गुना तक पायेंगे । जो 50,000 रुपये से अधिक प्रिवी पर्स लेते थे उनको अनुग्रह भुगतान प्रथम 50,000 रु० के लिये उपरोक्त विधि से दिया जायगा और प्रिवी पर्स की शेष राशि पर इस राशि का चार गुना देने का प्रस्ताव है । एक लाख से अधिक लेने वालों को अनुग्रह भुगतान की सीमा 5.30 लाख रुपये होगी जो 1 लाख रुपये प्रिवी पर्स लेने वालों के भुगतान के समनुरूप है परन्तु किसी को भी एक वर्ष के प्रिवी पर्स की राशि से कम नहीं मिलेगा ।

Filling up of Quota Reserved for Scheduled Castes and Scheduled Tribes

542. **Shri Bhagirath Bhanwar :** Will the **Prime Minister** be pleased to state :

(a) whether Government are going to take special steps to fill up the quota reserved for Scheduled Castes and Scheduled Tribes ; and

(b) if so, the time by which this task is going to be completed ?

The Minister of State in the Ministry of Home Affairs and in the Department of Personnel (Shri Ram Niwas Mirdha) : (a) and (b). Reservations have been provided for Scheduled Castes/Scheduled Tribes in services/posts under the Government, as a proportion of the vacancies arising from time to time and not in relation to total strength of any cadre or service. There has been a steady increase in the proportion of Scheduled Castes and Scheduled Tribes to

the total number of employees during the past years, for example, from 1964 onwards, candidates belonging to Scheduled Castes and Scheduled Tribes are being recruited against all the vacancies reserved for them not only in the I.A.S. and I.P.S. but also in Class I and II Central Services to which recruitment is made on the basis of the I.A.S. etc. Examination. The question of improving the intake of Scheduled Castes/Scheduled Tribes in the various services/posts under the Government is constantly under review and special steps are taken from time to time with a view to securing adequate representation of these communities against the vacancies reserved for them.

Demands made by Various Organisations for Appointment of Scheduled Castes and Scheduled Tribes as Judges of High Courts, Governors, Ambassadors and Chairmen of Public Undertakings

543. **Shri Bhagirath Bhanwar** : Will the **Prime Minister** be pleased to state :

(a) whether a number of social and political organisations from various parts of country have demanded that persons from the Scheduled Castes and Scheduled Tribes should also be nominated to higher posts such as Judges of the High Courts, Governors, Ambassadors and Chairmen of Public Undertakings ; and

(b) if so, the steps being taken by Government in this regard ?

The Minister of State in the Ministry of Home Affairs and in the Department of Personnel (Shri Ram Niwas Mirdha) : (a) A few communications have been received by Government in this regard.

(b) Appointments to such high offices are made on the basis of merit and suitability of the individual. There is no reservation for any category of persons in such appointments.

पश्चिम बंगाल में कल्याणी स्पिनिंग मिल्ज और सेक्सबाई फार्मर के कर्मचारियों पर हुए आक्रमण के संबंध में संसद सदस्यों के पत्र

544. **श्री समर मुखर्जी** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पश्चिम बंगाल स्थित कल्याणी स्पिनिंग मिल्ज और सेक्सबाई फार्मर के कर्मचारियों पर किये गये आक्रमणों के सम्बन्ध में उन्हें संसद सदस्यों से कोई पत्र मिला है ; और

(ख) यदि हां, तो उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है और उस पर क्या कार्यवाही की गई है ?

गृह मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री एफ० एच० मोहसिन) : (क) जी हां, श्रीमान् ।

(ख) पश्चिम बंगाल सरकार से ऐसे पत्रों में निहित आरोपों की जांच करने तथा उनके सम्बन्ध में कानून के अन्तर्गत ऐसी कार्यवाही, जो आवश्यक समझी जाय, करने का अनुरोध किया गया था।

राज्यों को स्वतन्त्रता सेनानियों की नई सूचियां तैयार करने के अनुदेश

545. **श्री सी० के० जाफर शरीफ** : क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार ने, 15 अगस्त 1972 के पश्चात्, सभी राज्यों की स्वतन्त्रता सेनानियों की नई सूचियां तैयार करने के अनुदेश दिये हैं ;

(ख) यदि हां, तो उसके अनुसरण में कितने राज्यों ने कार्य आरम्भ कर दिया है ; और

(ग) कितने और पुराने सेनानियों के नाम इन सूचियों में जोड़े गये हैं और क्या पहले से तैयार की गई सूची में से कुछ जाली नामों को काट दिया गया है और यदि हां तो राज्यवार उसकी मुख्य-मुख्य बातें क्या हैं ?

गृह मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री एफ० एच० मोहसिन) : (क) जी नहीं, श्रीमान् ।

(ख) और (ग). प्रश्न नहीं उठता ।

राज्यों की प्रति व्यक्ति आय

547. **श्री सोमनाथ चटर्जी** : क्या **योजना** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या योजना आयोग राज्यवार प्रति व्यक्ति आय अथवा खपत का कोई मूल्यांकन अथवा प्राक्कलन तैयार कर रहा है ;

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ; और

(ग) यदि नहीं, तो क्या योजना आयोग का विभिन्न राज्यों में राज्य योजना बोर्डों अथवा आयोगों द्वारा अध्ययन कराने का कोई प्रस्ताव है ?

योजना मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री मोहन धारिया) : (क) से (ग). केन्द्रीय सांख्यिकी संगठन ने प्रति व्यक्ति आय और उपभोग के बारे में जो राज्यवार सूचना है वह सभा पटल पर प्रस्तुत विवरण–1 और 2 में दी गई है। **[ग्रंथालय में रखे गये। देखिये संख्या एल० टी०-3686/72]**

नागपुर जिले के एरागांव में नर बलि

548. **श्री दशरथ देव** : क्या **गृह** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अगस्त, 1972 में महाराष्ट्र के नागपुर जिले के एरागांव में हुई नर-बलि की घटना की ओर सरकार का ध्यान दिलाया गया है ; और

(ख) यदि हां, तो दोषी को सजा देने के लिये क्या कार्यवाही की गई है ?

गृह मन्त्रालय और कार्मिक विभाग में राज्य मन्त्री (श्री राम निवास मिर्धा) : (क) जी हां, श्रीमान् ।

(ख) राज्य सरकार से प्राप्त सूचना के अनुसार भारतीय दण्ड संहिता की धारा 302, 330, 147, 148, 149 और 342 के अन्तर्गत 39 व्यक्तियों के विरुद्ध न्यायालय में अस्थायी-आरोप-पत्र दायर किया गया है । दो सरकारी कर्मचारियों के विरुद्ध भी क्रमशः धारा 201 और 218 के अन्तर्गत दो अपराध दायर किये गये हैं ।

लक्ष्मीनारायणपुर, त्रिपुरा में आदिवासियों तथा गैर-आदिवासियों के बीच भूमि सम्बन्धी विवाद

549. **श्री दशरथ देव** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या त्रिपुरा में आदिवासियों तथा गैर-आदिवासियों के बीच लम्बी अवधि से चले आ रहे भूमि सम्बन्धी विवाद की जांच करने के लिए क्या विशिष्ट व्यवस्था की गई है ; और

(ख) क्या सरकार लक्ष्मीनारायणपुर, त्रिपुरा में आदिवासियों तथा गैर-आदिवासियों के बीच भूमि सम्बन्धी विवाद को लगभग सात वर्ष में भी हल करने में असफल रही है ?

गृह मन्त्रालय में उप-मन्त्री (श्री एफ० एच० मोहसिन) : (क) और (ख). राज्य सरकार से तथ्य मालूम किये जा रहे हैं ।

बड़े औद्योगिक गृहों पर प्रतिबन्धों का प्रभाव

550. **श्री पी० वेंकटासुब्बया** : क्या **औद्योगिक विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या महाराष्ट्र सरकार का यह विचार है कि अपेक्षाकृत बड़े तथा एकाधिकार वाले औद्योगिक गृहों पर कठोर प्रतिबन्धों से शीघ्र औद्योगिक विकास और रोजगार के अवसर बढ़ाने में बाधा पड़ती हैं ;

(ख) क्या उन्होंने, आर्थिक केन्द्रीयकरण को रोकने के लिये वित्तीय कानूनों में उपयुक्त सांविधिक उपबंधों की व्यवस्था करने तथा उद्योग (विकास तथा विनियमन) अधिनियम के अन्तर्गत अपेक्षाकृत बड़े औद्योगिक गृहों को कदाचार तथा दुरुपयोग न करने देने के लिये उनकी गतिविधियों को प्रभावकारी ढंग से नियोजित करने के लिये केन्द्रीय सरकार से अनुरोध किया है ; और

(ग) यदि हां, तो उस पर केन्द्रीय सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

औद्योगिक विकास मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद) : (क) से (ग). हाल ही में नई दिल्ली में राज्य के उद्योग मंत्रियों के सम्मेलन से भाषण करते हुए महाराष्ट्र सरकार के उद्योग और श्रम मंत्री ने यह सुझाव दिया कि औद्योगिक उपज बढ़ाने की आवश्यकता तथा विशेष रूप से पिछड़े क्षेत्रों के विकास को ध्यान में रखते हुए बड़े गृहों के बारे में नीति पर फिर से विचार किया जाए । राज्य सरकारों के ऐसे सभी सुझावों पर ध्यान दिया जाएगा, सरकार की समूची नीति आवश्यक सामाजिक आर्थिक उद्देश्यों, जिसमें आर्थिक शक्ति के जमाव को रोकना शामिल है, द्वारा शासित होगी ।

सूखाग्रस्त क्षेत्रों में सिंचाई परियोजनाओं के निष्पादन के लिए वित्तीय सहायता

551. **श्री पी० वेंकटासुब्बया** : क्या **योजना** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या योजना आयोग ने देश में सूखाग्रस्त क्षेत्रों में बड़ी और मध्यम सिंचाई परियोजनाओं का निष्पादन शीघ्रता से करने के लिए कोई वित्तीय सहायता प्रदान करने के बारे में निर्णय किया है ;

(ख) यदि हां, तो क्या योजना आयोग ने यह निर्णय ले लिया है कि ऐसी परियोजनाएं कौन-कौन सी होंगी ; और

(ग) क्या इनमें आन्ध्र प्रदेश की रायलसीमा स्थित श्री सेलम पनबिजली परियोजना को शामिल किया गया है ?

योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहन धारिया) : (क) जी, नहीं। सामान्यत: बड़ी तथा मध्यम आकार की सिंचाई परियोजनाएं विभिन्न सम्बद्ध राज्यों की योजना में शामिल है । इस प्रकार की राज्य योजनाओं के लिए केन्द्र से वित्तीय सहायता ब्लाक-ऋण तथा ब्लाक-अनुदान के रूप में दी जाती है तथा इसको किसी विशेष परियोजना के साथ नहीं जोड़ा जाता । 54 सूखाग्रस्त जिलों में "सूखाग्रस्त क्षेत्रों से संबंधित कार्यक्रम" के लिए वित्त व्यवस्था केन्द्र द्वारा की जाती है, इस कार्यक्रम में अन्य बातों के अलावा छोटी तथा मध्यम आकार की सिंचाई परियोजनाएं भी शामिल हैं। इस कार्यक्रम के अन्तर्गत शामिल किए गए प्रत्येक जिले के लिए सम्बद्ध राज्य द्वारा एक वृहद् योजना बना ली जाती हैं तथा इसे कृषि मंत्रालय राशि स्वीकार करने से पहले स्वीकृति प्रदान करता है ।

(ख) उपर्युक्त (क) को दृष्टि में रखते हुए, यह प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

(ग) श्री सेलम पन-बिजली परियोजना पूर्णत: एक बिजली परियोजना है ।

राजस्थान अणु शक्ति संयंत्र के प्रथम एकक की जांच का पूरा होना

552. **श्री पी० वेंकटासुब्बया** :
श्री ओंकार लाल बेरवा :

क्या **परमाणु ऊर्जा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राजस्थान अणुशक्ति संयंत्र के दो एककों में से प्रथम की जांच पूरी हो गई है ;

(ख) यदि हां, तो यह जांच किस सीमा तक सफल नहीं है ; और

(ग) क्या इस बीच सप्लाई प्रारम्भ हो गई है ; यदि हां, तो यह सप्लाई किन-किन क्षेत्रों को की जायेगी ।

प्रधान मंत्री, परमाणु ऊर्जा मंत्री, इलैक्ट्रानिक्स मंत्री, गृह मंत्री, सूचना और प्रसारण मंत्री तथा अन्तरिक्ष मंत्री (श्रीमती इन्दिरा गांधी) : (क) तथा (ख). राजस्थान परमाणु विद्युत संयंत्र के पहले यूनिट के रिऐक्टर को क्रांतिक बनाने के परीक्षण पूरे किये जा चुके हैं तथा रिऐक्टर ने 11 अगस्त, 1972 को क्रान्तिकता प्राप्त कर ली । इसको चालू करने के काम में सफलता प्राप्त हुई तथा किए गए परीक्षणों से भौतिक संगणनाओं की सत्यता की पुष्टि हुई है । टर्बो जनित्र को चालू करने तथा बिजली को पैदा करने सम्बंधी परीक्षण प्रगति पर है ।

(ग) आशा है कि बिजलीघर से बिजली की सप्लाई दिसम्बर, 1972 में होने लगेगी तथा वह उत्तरी क्षेत्रीय प्रणाली में प्रयोग के लिए राजस्थान ग्रिड को भेजी जाएगी ।

उड़ीसा में आकाशवाणी संवाददाताओं की नियुक्ति

553. **श्री अर्जुन सेठी** : क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री उड़ीसा में आकाशवाणी सम्वाददाताओं के बारे में 16 अगस्त, 1972 के अतारांकित प्रश्न संख्या 237 के उत्तर के सम्बंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उड़ीसा में पांच रिक्त पदों पर आकाशवाणी जिला संवाददाताओं को नियुक्त करने में सरकार को किन दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है ; और

(ख) क्या निकट भविष्य में इन रिक्त पदों को भरे जाने की कोई सम्भावना है ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय में उपमंत्री (श्री धर्मवीर सिंह) : (क) तथा (ख). ऐसी कोई रिक्तियां नहीं हैं क्योंकि औपचारिक रूप से जिला संवाददाताओं के कोई पद नहीं बनाये गये हैं। स्रोतों की उपलब्धि पर तथा समय समय पर आवश्यकतानुसार जितने भी जिलों में हो सके अंशकालिक संवाददाता नियुक्त करने की पद्धति है। वास्तव में ऐसे जिले, केवल उड़ीसा में ही नहीं, बल्कि दूसरे राज्यों में भी हैं जहां कोई संवाददाता नहीं हैं, लेकिन ऐसे जिलों को क्रमबद्ध रूप से अंशकालिक संवाददाताओं द्वारा कवर करने का प्रश्न विचाराधीन है।

मैसूर के भूतपूर्व नरेश द्वारा सम्पत्ति का विक्रय

554. **श्री अर्जुन सेठी** : क्या **गृह** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत सरकार ने मैसूर के भूतपूर्व नरेश को अपने महल बेचने की अनुमति दे दी है ; और

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने महाराजा को विक्रय की अनुमति देने के लिये विलय करार अहस्तांतरणीयता सम्बन्धी धारा को रद्द कर दिया है ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कृष्ण चन्द्र पन्त) : (क) और (ख). जैसे कि 16 अगस्त, 1972 को लोक सभा के अतारांकित प्रश्न संख्या 2369 के उत्तर में पहले ही कहा गया है मैसूर के भूतपूर्व नरेश ने अपने तीन महलों को बेचने को अनुमति मांगी है, जिन्हें निजी सम्पत्तियों को सूची में अहस्तान्तरणीय तथा नरेश तथा उसके उत्तराधिकारियों द्वारा प्रयोग के लिए सुरक्षित रखे जाने के लिए दिखाया गया है। सारे मामले की अभी परीक्षा की जा रही है।

डाक तथा तार विभाग के कर्मचारियों को बोनस का भुगतान

555. **श्री एस० एम० बनर्जी** : क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या डाक तथा तार विभाग के कर्मचारियों तथा उनकी फैडरेशन ने 8.33 प्रतिशत की दर से बोनस दिये जाने से सम्बन्धित सरकारी आदेशों की क्रियान्विति की मांग की है ;

(ख) यदि हां, तो क्या कोई अन्तिम निर्णय कर लिया गया है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

संचार मंत्री (श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा) : (क) जी नहीं। फैडरेशन आफ नेशनल पी० एण्ड टी० आर्गेनाइजेशन ने वेतन आयोग के अध्यक्ष को डाक-तार कर्मचारियों को बोनस अदा करने के लिए एक पत्र लिखा है और इसकी एक प्रतिलिपि डाक-तार बोर्ड के अध्यक्ष के नाम पृष्ठांकित की है।

(ख) और (ग). प्रश्न ही नहीं उठता।

शहादरा में हुए दंगों के कारणों की जांच करने के लिए नियुक्त आयोग का प्रतिवेदन

556. **श्री एस० एम० बनर्जी :**
श्री ओंकार लाल बेरवा :

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या शहादरा में हुए दंगों के कारणों की जांच करने के लिये नियुक्त आयोग ने अपना प्रतिवेदन पेश कर दिया है ;

(ख) यदि नहीं, तो प्रतिवेदन के कब तक पेश किये जाने की सम्भावना है ;

(ग) क्या कुछ पुलिस अधिकारियों को निलम्बित किया गया है ; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

गृह मंत्रालय में उपमंत्री (श्री एफ० एच० मोहसिन): (क) और (ख). अभी तक नहीं श्रीमान् जी। आयोग से अपना प्रतिवेदन 31-12-1972 तक प्रस्तुत करने की आशा की जाती है।

(ग) और (घ). ए० एस० आई० वक्शीश सिंह, हेड कांस्टेबल सुबान सिंह हैड कांस्टेबल धर्मपाल शहादरा पुलिस थाने के मामला एफ० आई० आर० संख्या 1041 दिनांक 18-8-1972 में भारतीय दण्ड संहिता की धारा 302/120-बी के अधीन गिरफ्तार किये गये। उनकी गिरफ्तारी के परिणामस्वरूप उन्हें 19-8-72 से मुअत्तल कर दिया गया।

व्यक्तिगत रूप से रेडियो और ट्रांजिस्टरों का निर्माण

557. **श्री पम्पन गौडा :** क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि भारत में बहुत बड़ी संख्या में लोग वैध परमिट के बिना रेडियो और ट्रांजिस्टरों का निर्माण कर रहे हैं ;

(ख) यदि हां, तो ऐसे लोगों की संख्या कितनी है और सरकार द्वारा उनके विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है ; और

(ग) उन लोगों की राज्यवार संख्या कितनी है जिन्हें नियमित आधार पर टेलीविजन बनाने के लाइसेंस जारी कर दिये गये हैं ?

संचार मंत्री (श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा) : (क) जी नहीं। सिवाय बड़े पैमाने पर उत्पादन करने वाले उन संगठनों के जो अनुसूची में शामिल हैं और औद्योगिक विकास विनियम अधिनियम

1951 के अन्तर्गत आते हैं, बाकी अन्य प्राइवेट पार्टियों के लिए रेडियो और ट्रांजिस्टरों के उत्पादन के लिए परमिट लेने की कोई आवश्यकता नहीं है।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता, और

(ग) टेलीविजन के उत्पादन के लिए 11 व्यक्तियों को लाइसेंस जारी किए गए हैं। राज्य-वार इनके व्यौरे नीचे दिये गए है :—

1. आन्ध्र प्रदेश	—	1. मैसर्स इलेक्ट्रानिक्स कार्पोरेशन, लिमिटेड, हैदराबाद।
2. हरयाणा	—	1. हरयाणा स्टेट डिवेलपमेंट कार्पोरेशन, चण्डीगढ़।
3. जम्मू व कश्मीर	—	1. मेसर्स जॉन प्रसाद, श्रीनगर।
4. केरल	—	1. स्टेट इंडस्ट्रियल डिवेलपमेंट कार्पोरेशन, त्रिवेन्द्रम।
5. महाराष्ट्र	—	1. मेसर्स टेलीराड, बम्बई।
6. मैसूर	—	1. मेसर्स रेमो रेडियो इंजीनियरिंग कम्पनी, बंगलौर।
7. उड़ीसा	—	1. उड़ीसा स्टेट इंडस्ट्रियल कार्पोरेशन,
	—	भुवनेश्वर।
8. पंजाब	—	1. मेसर्स पंजाब डिवेलपमेंट कार्पोरेशन।
9. राजस्थान	—	1. राजस्थान स्टेट इंडस्ट्रियल डिवेलपमेंट कार्पोरेशन, जयपुर।
10. तमिलनाडु	—	1. स्टेट इंडस्ट्रियल डिवेलपमेंट कार्पोरेशन, मद्रास।
11. उत्तर प्रदेश	—	1. मेसर्स जे० एण्ड के० इलेक्ट्रानिक्स, कानपुर।

सार्वजनिक टेलीफोनों के लिए टोकन प्रणाली

558. **श्री तेजा सिंह स्वतंत्र :** क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सार्वजनिक टेलीफोनों के लिये सरकार का नई टोकन प्रणाली आरम्भ करने का विचार है ;

(ख) यदि हां, तो उसकी मुख्य बातें क्या हैं ; और

(ग) नई प्रणाली आरम्भ करने के लिये कितनी वित्तीय व्यवस्था की गई है ?

संचार मंत्री (श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा) : (क) इस प्रकार का एक प्रस्ताव विचाराधीन है ।

(ख) और (ग). इन मुद्दों पर अभी अंतिम निर्णय नहीं लिया गया है ।

तारापुर परमाणु केन्द्रों का बन्द होना

559. **श्री सरोज मुखर्जी** : क्या **परमाणु ऊर्जा** मंत्री तारापुर परमाणु संयंत्र के कार्य की समीक्षा के बारे में 10 मई, 1972 के अतारांकित प्रश्न संख्या 5698 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अप्रैल, 1972 के बाद भी यह संयंत्र बन्द हुआ है ; और

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं ?

प्रधान मंत्री, परमाणु ऊर्जा मंत्री, इलैक्ट्रानिक्स मंत्री, गृह मंत्री, सूचना और प्रसारण मंत्री तथा अन्तरिक्ष मंत्री (श्रीमती इन्दिरा गांधी) : (क) तथा (ख). 27 अप्रैल 1972 को दोबारा चालू होने के बाद इस बिजलीघर का पहला यूनिट दो बार लम्बे समय तक (चार दिन से अधिक समय तक) बन्द रहा । इस यूनिट के बन्द होने से सम्बन्धित विवरण निम्नलिखित प्रकार से हैं :—

क्रमांक	दिनांक	बंद होने की अवधि	किस्म	कारण
1.	12-8-1972	125.1 घंटे	पूर्व नियोजित तरीके से बन्द रखना ।	ड्राइववैल में केबल की खराबी ।
2.	9-9-1972	354.7 घंटे	पूर्व नियोजित तरीके से बन्द रखना ।	ड्राइवैल में भाप का रिसना तथा रेडियो-सक्रिय अपशिष्ट द्रव्य का एकत्रित हो जाना ।

प्राइवेट सेक्टर में श्रमिकों की मजदूरी के हिस्से में कमी

560. **श्री सरोज मुखर्जी** : क्या **औद्योगिक विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 1968-69 से 1970-71 के तीन वर्षों के दौरान पब्लिक लिमिटेड प्राइवेट सेक्टर कम्पनियों के लाभों में महत्वपूर्ण सुधार हुआ है जबकि लागत मूल्य लगभग अपरिवर्तित रहे हैं ;

(ख) क्या उसी अवधि में अनुपातत: मजूरी के मूल्य कम हो गये हैं ; और

(ग) यदि हां, तो क्या सरकार ने कर्मकारों की मजूरी में कमी के परिणामस्वरूप उनको होने वाली कठिनाइयों को दूर करने के लिये मार्गोपायों पर विचार किया है ?

औद्योगिक विकास मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद) : (क) 290 बड़ी सरकारी लिमिटेड कम्पनियों के तुलन पत्रों द्वारा रिजर्व बैंक आफ इण्डिया द्वारा किये गये अध्ययन के अनुसार वर्ष 1968-69 और 1970-71 की अवधि में लाभकारिता में वृद्धि हुई है, कच्चे माल, स्टोर, ईंधन और बिजली की लागत भी बढ़ी है और उसमें परिवर्तन हुआ है।

(ख) इस अवधि में, जबकि मजदूरी, वेतन और बोनस में उत्पादन की कुल लागत के अनुपात में (रिजर्व बैंक आफ इण्डिया द्वारा विश्लेषण किये गये 290 कम्पनियों के बारे में) 12.3 प्रतिशत से 11.7 प्रतिशत तक कुछ मामूली गिरावट आई है और मजदूरी और वेतन में 21 प्रतिशत वृद्धि हुई है।

(ग) वर्ष 1968-69 से 1970-71 तक की अवधि अत्यल्प है और लम्बी अवधि प्रवृति के बारे में निश्चित निर्णय लेने हेतु चुनी गई कम्पनियों की संख्या भी कम है। सरकार ने औद्योगिक श्रमिकों को सालाना मूल वेतन का 8.33 प्रतिशत देना भी स्वीकार कर लिया है जिसका प्रभाव आगामी वर्ष में कारीगरों को दिये जाने वाले मुआवजे पर पड़ेगा।

बंगला भाषा के समाचार प्रसारण में गलत उच्चारण आदि

561. **श्री सरोज मुखर्जी :** क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गत दो महीनों अर्थात् 24 अगस्त से 23 अक्तूबर, 1972 तक समाचार प्रसारण युववाणी कार्यक्रम बाल-समाचारों और शैक्षणिक कार्यों के दौरान हुए भाषा (बंगला) के विचार के संबंध में कितनी शिकायतें प्राप्त हुई हैं ;

(ख) उच्चारण, वर्तनी, लेखन में किस प्रकार की गलतियां हुईं और इसके क्या कारण हैं ; और

(ग) क्या इस प्रकार की गलतियों के ठीक करने के लिए कोई ठोस कदम उठाये गये हैं और क्या अधिकारीगण इस प्रकार के शिकायतीपत्रों की प्राप्ति की सूचना लगातार देते रहे हैं ?

सूचना और प्रसारण मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री धर्मवीर सिंह) : (क) प्रश्न में बताई गई अवधि के दौरान आकाशवाणी को श्रोताओं से सीधे कोई शिकायतें प्राप्त नहीं हुई। बहरहाल, बंगला दैनिक जुगान्तर के नियमित रेडियो कालम में टिप्पणियां की गई हैं।

(ख) टिप्पणियों में समाचार वाचकों की आवाज के स्तर, बुलेटिनों में समाचार विषयों को प्राथमिकता से लेकर ये सुझाव तक हैं कि समाचार कमेन्ट्रियां लिखने के लिए उप-सम्पादकों को भी आमंत्रित किया जाना चाहिए।

(ग) बताई गई गलतियों और खामियों पर हमेशा विचार किया जाता है और जहां भी आवश्यक हो, संशोधित करने की कार्रवाई की जाती है।

पश्चिम बंगाल में नजरबन्द व्यक्तियों की संख्या

562. **श्री सरोज मुखर्जी :** क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पश्चिम बंगाल में 10 मार्च, 1972 की सुरक्षा व्यवस्था अधिनियम के अधीन नजर-

बन्द किये गये (बिना मुकदमा चलाये) व्यक्तियों की पृथक-पृथक संख्या कितनी थी, और उनमें से (क) नक्सलवादी दल के सदस्यों (ख) भारतीय साम्यवादी (मार्क्सवादी) दल के समर्थकों (ग) कांग्रेस के समर्थकों (घ) अन्य वामपन्थी दलों के समर्थकों (ङ) भारतीय साम्यवादी दल के समर्थकों (च) कालाबाजार करने वालों तथा (छ) समाज-विरोधी तत्वों की अलग-अलग संख्या कितनी है ; और

(ख) भारत के सभी राज्यों में आन्तरिक सुरक्षा व्यवस्था अधिनियम के अधीन नजरबन्द किये गये कैदियों की (राज्यवार) वर्तमान संख्या कितनी है ?

गृह मंत्रालय में उपमंत्री (श्री एफ० एच० मोहसिन) : (क) पश्चिम बंगाल सरकार से सूचना अभी आनी है ।

(ख) राज्य सरकारों/संघ राज्य प्रशाशनों द्वारा भेजी गई सूचना के अनुसार 1 नवम्बर, 1972 को नजरबन्दी के अधीन आन्ध्र प्रदेश में 2, बिहार में 1, गुजरात में 4, हरियाणा में 2, उत्तर प्रदेश में 4, और मिजोरम में 1 व्यक्ति था । मणीपुर, मैसूर, नागालैण्ड, तमिलनाडु राज्यों तथा अण्डमान तथा निकोबार द्वीप समूह, चण्डीगढ़, दादरा तथा नागर हवेली, गोवा, दमन तथा दीव, लक्कादीव, मिनीकाय तथा अमिनदीवी द्वीप समूह तथा पाण्डेचरी संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों में उस तारीख को आन्तरिक सुरक्षा व्यवस्था अधिनियम के अधीन कोई व्यक्ति नजरबन्द नहीं था । शेष राज्यों/ संघ राज्य प्रशासनों से सूचना अभी आनी है ।

गांधीनगर, दिल्ली के खुरेजी गांव की हरिजन कालोनी पर डाकुओं का आक्रमण

564. **श्री सेझियान** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 3 अक्तूबर, 1972 को शाहदरा (दिल्ली) के निकट खुरेजी गांव में गांधीनगर की एक हरिजन कालोनी में सशस्त्र डाकुओं ने हमला किया था;

(ख) क्या इस आक्रमण के पहले ग्रामवासियों को चेतावनियां दी गई थीं; और

(ग) अनुसूचित जातियों की ऐसी कालोनियों को पर्याप्त सुरक्षा प्रदान करने के लिये क्या कार्यवाही की गई है ?

गृह मंत्रालय में उपमंत्री (श्री एफ० एच० मोहसिन) : (क) जी हां । डाकू लाठियां लिये हुए थे ।

(ख) जी नहीं ।

(ग) सशस्त्र तथा घुड़सवार पुलिस की गश्त, इन क्षेत्रों में, जिनमें मिली-जुली जनसंख्या है, प्रतिदिन लगाई जा रही है ।

आंध्र प्रदेश के मुल्की कानूनों को जारी रखने सम्बन्धी सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय पर केन्द्रीय सरकार की प्रतिक्रिया

565. **श्री सेझियान** :

श्री अर्जुन सेठी :

क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मुल्की कानून पर सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिये गये निर्णय से उत्पन्न स्थिति के बारे में क्या आन्ध्र प्रदेश सरकार ने केन्द्रीय सरकार से परामर्श किया है;

(ख) यदि हां, तो केन्द्रीय सरकार की प्रतिक्रिया क्या है;

(ग) क्या इस मामले में कोई विधेयक लाने का सरकार का विचार है; और

(घ) यदि हां, तो उसका स्वरूप क्या होगा ?

गृह मंत्रालय और कार्मिक विभाग में राज्य मंत्री (श्री राम निवास मिर्धा) : (क) जी हां, श्रीमान् ।

(ख) से (घ). सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिये गये निर्णय के बारे में की जाने वाली कार्रवाई का प्रश्न अभी राज्य तथा केन्द्रीय सरकार के विचाराधीन है ।

'मटका' खेल को वैध करार देने के बारे में मध्य प्रदेश सरकार की ओर से प्रस्ताव

566. **श्री सेझियान :**
श्री रण बहादुर सिंह :

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को मध्य प्रदेश सरकार की ओर से 'मटका' को वैध करार देने के बारे में कोई प्रस्ताव मिला है;

(ख) क्या किसी अन्य राज्य ने जहां मटका खेल खेला जाता है, इसी आशय का अनुरोध किया है; और

(ग) इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

गृह मंत्रालय में उपमंत्री (श्री एफ० एच० मोहसिन) : (क) जी हां, श्रीमान् ।

(ख) जी नहीं, श्रीमान् ।

(ग) पणक्रिया और जुआ एक राज्य विषय है और राज्य सरकार इस विषय पर कानून बनाने के लिये सक्षम है । प्रस्ताव में चूंकि सार्वजनिक नीति की एक महत्वपूर्ण बात है अतः मामला केन्द्रीय सरकार के विचाराधीन है ।

कागज उद्योग में अनुसंधान और विकास

567. **श्री वी० मायावन** : क्या **औद्योगिक विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार कागज उद्योग में अनुसंधान और विकास के लिये एक संगठन की स्थापना करने सम्बन्धी एक प्रस्ताव पर विचार कर रही है; और

(ख) यदि हां, तो अन्तिम निर्णय कब तक ले लिया जायेगा ?

औद्योगिक विकास मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद) : (क) और (ख). विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी की राष्ट्रीय समिति ने हाल ही में कागज और लुगदी उद्योग के क्षेत्र में अनुसंधान

और विकास सम्बन्धी कार्य करने के लिये एक अनुसंधान तथा विकास बोर्ड या एक केन्द्रीय अनुसंधान संस्थान की स्थापना करने की आवश्यकता का पता लगाने के लिये एक समिति गठित की है। बोर्ड के गठन के बारे में अन्तिम निर्णय उनकी रिपोर्ट प्राप्त हो जाने पर ही किया जायेगा।

Articles of Antique value in Possession of Former Rulers

568. **Shri Hari Singh :** Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to state :

(a) whether it is proposed to set up any agency at the Central level to purchase articles of antique value and arms from the ex-princes at reasonable prices ; and

(b) the action taken to check the precious articles of historical importance in their possession from being sent abroad ?

The Minister of State in the Ministry of Home Affairs (Shri K. C. Pant) : (a) and (b). There is already an Art Purchase Committee at the Central level to consider the purchase of articles of antique value for the National Museums. The Antiquities and Art Treasures Act, 1972 provides for the compulsory acquisition of antiquities and art treasures of national importance, regardless of their source, for purposes of their preservation in India and display in a public place. The Act will help to control and regulate the internal trade in antiquities, ensure the registration and documentation of specified categories in the possession of individual owners or dealers and to channelise the export of antiquities and art treasures in permitted cases through an authority or agency authorized by the Government in this behalf.

Non-Utilisation of Funds for Development of Backward Areas

569. **Shri Hari Singh :** Will the Minister of **Industrial Development and Science and Technology** be pleased to state :

(a) whether the amount allocated by Centre for the development of backward States has not been fully utilised ;

(b) the names of the States which have not utilised the Development Fund in full as also the amount which remained unutilised in respect of each of these States ; and

(c) whether any instructions have been given by the Centre to these backward States for solving this problem and if so, the nature thereof ?

The Deputy Minister in the Ministry of Industrial Development (Shri Siddheshwar Prasad) : (a) to (c). The Ministry of Industrial Development have a budget provision of Rs. 5 crores for the entire 4th Five Year Plan of which Rs. 40 lakhs is provided for the year 1972-73 (B.E.) for meeting expenditure to be incurred by the State Governments in respect of the 10% Central Outright Grant or Subsidy Scheme, 1971 and the Transport Subsidy Scheme, 1971. No State-wise allocations have been made from this provision. However, State Governments have not reported incurring any actual expenditure so far, though some State Governments have sanctioned in principle a total amount of over Rs. 45 lakhs in favour of industrial units in backward areas as 10% subsidy. The State Governments have been advised to make their own budget provision in this regard, if not already done, or obtain contingency fund advances to meet the expenditure initially and to disburse the subsidy to as many eligible units as possible without loss of time.

Honouring Freedom Fighters of I.N.A., Indian Navy etc. on Anniversary of Independence

570. **Shri Hari Singh :** Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to state :

(a) the number of freedom fighters honoured on the occasion of 25th anniversary of India's Independence ;

(b) the number of freedom fighters out of them who (i) were personnel of Azad Hind Fauj ; (ii) were the Officers of the Indian Navy who revolted in 1945 and (iii) have undergone long-term imprisonment ; and

(c) the amount of cash paid to each of them on this occasion ?

The Minister of State in the Ministry of Home Affairs (Shri K. C. Pant) : (a) and (b). The 25th anniversary of India's Independence is a year-long celebration from 15th August, 1972 to 14th August, 1973. Apart from the Tamra Patras awarded to freedom fighters on 15th August, 1972, in the function at Delhi, functions for award of Tamra-patras, to all eligible freedom fighters, are being held from time to time in the States and Union Territories. All the awards are expected to be completed by the 14th August, 1973. Complete information regarding the award of Tamrapatras to freedom fighters would therefore, be available only after 14th August, 1973.

(c) The award of Tamrapatras does not entail any cash grant. They were, however, paid travelling and incidental expenses.

दादरी (उत्तर प्रदेश) में हुए दंगे

571. **श्री श्याम नन्दन मिश्र :**
श्री प्रसन्न भाई मेहता :

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जिला अधिकारियों की उपेक्षा के कारण उत्तर प्रदेश के दादरी नामक स्थान पर 21 सितम्बर को दंगे हुए थे;

(ख) किन घटनाओं के कारण वहां पर उपद्रव हुए ; और

(ग) इसके परिणामस्वरूप ग्रामवासियों को कितनी हानि उठानी पड़ी ?

गृह मंत्रालय और कार्मिक विभाग में राज्य मंत्री (श्री राम निवास मिर्धा) : (क) से (ग). उत्तर प्रदेश सरकार से प्राप्त सूचना के अनुसार जब पुलिस को सूचना मिली कि गोमांस बेचा जा रहा है तो वे घटनास्थल पर गये तथा अपराधी को पकड़ लिया। किन्तु कुछ शरारतपूर्ण अफवाह के फैलने से कि मामला दबाया जा रहा है और कुछ लोगों को अवैध रूप से बन्द किया गया है, हिंसात्मक घटनाएं हुईं। जिला प्राधिकारियों ने स्थिति को नियंत्रण में करने के लिये आवश्यक उपाय किए। इसमें हुई क्षति का प्रारंभिक अनुमान लगभग एक लाख का है। इसमें कोई जन हानि नहीं हुई। राज्य सरकार ने एक लाख रुपयों की सहायता दी है।

गुजरात में साम्प्रदायिक दंगों की जांच करने वाले आयोग का प्रतिवेदन

572. **श्री बेकारिया :**
श्री डी० पी० जदेजा :

क्या गृह मंत्री साम्प्रदायिक दंगों की जांच करने वाले आयोग के प्रतिवेदन के बारे में 1 दिसम्बर, 1971 के अतारांकित प्रश्न संख्या 2450 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि गुजरात में हुए साम्प्रदायिक दंगों की जांच के लिये नियुक्त आयोग के निष्कर्षों और सिफारिशों पर सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

गृह मंत्रालय और कार्मिक विभाग में राज्य मंत्री (श्री राम निवास मिर्धा) : एक विवरण संलग्न है । [ग्रंथालय में रखा गया । देखिए संख्या एल० टी० 3687/72]

Issue of Licences

573. **Shri Sarjoo Pandey :**
Dr. Ranen Sen :

Will the Minister of **Industrial Development and Science and Technology** be pleased to state :

(a) the total number of applications received for setting up industries since January, 1972 to-date and the number of applications disposed of so far, State-wise ;

(b) the number of licences/Letters of Intent issued State-wise, and how many of them have been given to large Industrial houses ; and

(c) the time by which the remaining applications will be disposed of ?

The Deputy Minister in the Ministry of Industrial Development (Shri Siddheshwar Prasad) : (a) A statement showing the number of applications for industrial licences received and disposed of state-wise during the period from January to September, 1972 is attached at Annexure I. **[Placed in Library. See No. LT—3688/72].**

(b) A statement showing statewise the number of licences and letters of intent issued during the period from January to September, 1972 as well as the numbers given to large industrial houses is attached at Annexure II. **[Placed in Library. See No. L.T. 3688/72].**

(c) Every effort is made to dispose of all the pending applications as expeditiously as possible.

Number of Persons Arrested during the Satyagraha by C.P.I.

574. **Shri Sarjoo Pandey :** Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to state :

(a) the number of persons arrested during the Satyagraha launched by C.P.I. in the month of October, State-wise ; and

(b) the main demands of the Satyagrahis and the decision taken by Government in this regard ?

The Deputy Minister in the Ministry of Home Affairs (Shri F. H. Mohsin) : (a) A statement based on the information received from the State Governments/Union Territory Administrations, is attached.

(b) The main demands of the Satyagrahis included measures to check price-rise, relief for drought-hit areas, radical land reforms, measures against unemployment etc. Action taken by Government to deal with these problems has been explained from time to time in the house by the Ministers concerned.

Statement

Statement Showing the Number of Persons Arrested during the Satyagrah Launched by the C.P.I.

State/Union Territory			Number of Persons Arrested
Maharashtra	..	..	3256
Mysore	..	..	204
Nagaland	..	..	—
Tripura	..	..	—

State/Union Territory	Number of Persons Arrested
Rajasthan	1149
Andaman & Nicobar Islands	—
Chandigarh	210
Delhi	561
Laccadive, Minicoy and Amindivi Islands	—
Pondicherry	—
Mizoram	—
Arunachal Pradesh	—

Note : Information from the remaining States and Union Territories is awaited.

Planning Minister's visit to U. S. S. R.

575. **Shri Sarjoo Pandey :**
Shri R. L. Bhatia :

Will the Minister of **Planning** be pleased to state :

(a) whether a team under his leadership visited Russia in the month of September, 1972 ;

(b) if so, whether any agreement in respect of the Fifth Five Year Plan has been reached with U. S. S. R. ; and

(c) if so, the broad outlines of the agreement ?

The Minister of State in the Ministry of Planning (Shri Mohan Dharia) : (a) Yes, Sir.

(b) No Sir.

(c) Does not arise.

उत्तर प्रदेश में आयोजना का नवीकरण

577. **श्री सरजू पांडे :** क्या **योजना** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान उत्तर प्रदेश के लिये नियुक्त केन्द्रीय अध्ययन दल के निष्कर्षों की ओर दिलाया गया है कि कम खाद्यान्न उत्पादन का कारण त्रुटिपूर्ण आयोजना है;

(ख) क्या रिहंद जैसी पन-बिजली परियोजनाओं की अपेक्षा तापीय विद्युत परियोजनाओं पर बल दिया जाना चाहिए था; और

(ग) क्या सरकार ने उत्तर प्रदेश में आयोजना का नवीकरण करने के लिये कोई कार्यवाही की है और यदि हां, तो उसे कब क्रियान्वित किया जायेगा ?

योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहन धारिया) : (क) से (ग). सूचना एकत्रित की जा रही है और जब यह प्राप्त हो जायेगी तो सभा पटल पर रख दी जायेगी।

राष्ट्रीय एकता परिषद् की बैठकें बुलाना

578. **श्री एच० एन० मुकर्जी** : क्या **गृह** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या पिछली बैठक के बाद से राष्ट्रीय एकता परिषद् की कोई बैठक नहीं हुई है ;

(ख) यदि हां, तो इतने लम्बे समय से कोई बैठक बुलाये जाने के क्या कारण हैं ; और

(ग) परिषद् की अगली बैठक कब तक बुलाए जाने की आशा है ?

गृह मंत्रालय और कार्मिक विभाग में राज्य मंत्री (श्री राम निवास मिर्धा) : (क) से (ग). यद्यपि सन् 1968 से परिषद् की कोई बैठक नहीं हुई है तथापि स्थायी समिति और इस सम्बन्ध में गठित अन्य समितियों की अनेकों बैठकें हुई हैं। परिषद की मुख्य सिफारिशों और समितियों द्वारा पारित योजनाओं को कार्यरूप दिया गया है। राष्ट्रीय एकता के विभिन्न पहलुओं पर विचार करने के लिए गृह मंत्रालय में स्थापित प्रभाग सिफारिशों के कार्यान्वियन की संवीक्षा कर रहा है। इस संवीक्षा को ध्यान में रखकर अगली बैठक करने के प्रश्न पर विचार किया जायेगा।

उपभोक्ता-वस्तु उद्योगों का राष्ट्रीयकरण

579. **श्री प्रबोध चन्द्र : क्या औद्योगक विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या उपभोक्ता वस्तुओं के बढ़ते मूल्यों को देखते हुए सरकार का चीनी, कपड़ा तथा वनस्पति मिलों का राष्ट्रीयकरण करने का विचार है ?

औद्योगिक विकास मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद) : एक विशिष्ट उद्योग का राष्ट्रीयकरण करने अथवा अन्य विनियमनकारी अभ्युपाय अपनाने में सरकार द्वारा निर्णय उद्योग की वर्तमान परिस्थितियों पर सभी दृष्टि से बिचार करने के बाद जिसमें उपभोक्ता सामानों की बढ़ती कीमतें भी एक हैं लिया जा सकता है। जनहित में किसी उद्योग पर नियंत्रण रखने के उपायों में सरकार के पास राष्ट्रीयकरण केवल एक उपाय है। सरकारी क्षेत्र का विस्तार, आई० डी० आर० अधिनियम के अधीन औद्योगिक उपक्रमों को अपने हाथ में लेने सम्बन्धी उपबन्ध एम० आर० पी० अधिनियम के विनियमनकारी उपबन्धों सरकारी वित्तीय संस्थाओं द्वारा बरते जाने वाले नियंत्रणात्मक उपाय आदि कुछ अन्य सम्भव उपाय हैं जिन्हें स्वतंत्र अथवा सम्मिलित रूप में किसी उद्योग का राष्ट्रीयकरण करने के लिये परिस्थिति के अनुसार अपनाया जा सकता है। राष्ट्रीयकरण करने अथवा इन अभ्युपायों का प्रयोग करने सम्बन्धी निर्णय प्रत्येक मामले की परिस्थितियों के संदर्भ में सरकार पर निर्भर करता है। सरकार ने चीनी मिलों के राष्ट्रीयकरण के पक्ष विपक्ष पर विचार करने के लिए एक समिति का गठन किया है। सरकार ने हाल ही में देश की अनेक सूती मिलों का राष्ट्रीयकरण करने सम्बन्धी एक अध्यादेश भी जारी किया है।

योजना आयोग द्वारा क्षेत्रीय असमानताओं का मूल्यांकन

580. **श्री प्रबोध चन्द्र** : क्या **योजना** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) योजना आयोग के मूल्यांकन के अनुसार कितनी क्षेत्रीय असमानताएं हैं ;

(ख) क्या उनमें वृद्धि हुई है ; और

(ग) राज्यवार प्रति व्यक्ति आय के अद्यतन आंकड़े क्या हैं ?

योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहन धारिया) : (क) और (ख). योजना आयोग द्वारा क्षेत्रीय असमानताओं के सम्बन्ध में कोई मूल्यांकन नहीं किया गया है।

(ग) राज्य सरकारों द्वारा संकलित राज्य की प्रति व्यक्ति आय से सम्बन्धित आंकड़े सभा पटल पर रखे गए विवरण में दिए गए हैं। [**ग्रंथालय में रखे गये। देखिए संख्या एल० टी०-3689/72**]

दिल्ली स्थित मुख्य बन्दोबस्त आयुक्त के फालतू घोषित किये गये कर्मचारियों को अन्य कार्यालयों में नियुक्त करना

581. **श्री ओंकार लाल बेरवा** : क्या **प्रधान मंत्री** फालतू कर्मचारियों की केन्द्रीय फालतू कर्मचारी सैल में पुर्नानियुक्ति के बारे में 30 अगस्त, 1972 के अतारांकित प्रश्न संख्या 4159 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मुख्य बन्दोबस्त आयुक्त के नई दिल्ली स्थित पुनर्वास विभाग में 31 मई, 1972 (अपराह्न) से फालतू घोषित किये गये कर्मचारी अन्य कार्यालयों में नियुक्त के लिये उपलब्ध थे ;

(ख) क्या उपरोक्त कर्मचारियों में से छः अवर श्रेणी लिपिकों, दो प्रवर श्रेणी लिपिकों तथा दो आशुलिपिकों को दिल्ली स्थित आयकर आयुक्त के कार्यालय में नियुक्त किया जाना था ;

(ग) क्या सामान्य श्रेणी के एक प्रवर श्रेणी लिपिक तथा एक आशुलिपिक को, और अनुसूचित जातियों से संबंधित तीन अवर श्रेणी लिपिकों को क्रमश: 31 मई, 1972 (अपराह्न) तथा 13 जून, 1972 से उक्त कार्यालय में नियुक्त किया गया था ;

(घ) यदि हां, तो छः अवर श्रेणी लिपिकों, दो प्रवर श्रेणी लिपिकों तथा दो आशुलिपिकों को उक्त कार्यालय में नियुक्त न करने के क्या कारण हैं ; और

(ङ) क्या इससे कुप्रभावित कर्मचारियों की ओर से इस बारे में कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है, और यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गई है ?

गृह मंत्रालय और कार्मिक विभाग में राज्य मंत्री (श्री राम निवास मिर्धा) : (क) जी हां, श्रीमान्।

(ख) दिल्ली स्थित आयकर आयुक्त द्वारा सूचित की गई रिक्तियों का सम्बन्ध आरक्षित श्रेणी से था जो कि 1 जून, 1972 तक प्राप्त थीं और उस कार्यालय के लिए अनुसूचित जाति से सम्बन्ध रखने वाले केवल तीन अवर श्रेणी लिपिक नियुक्त किए जा सके।

(ग) 13 जून, 1972 से अनुसूचित जातियों से सम्बन्ध रखने वाले तीन अवर श्रेणी लिपिक उक्त कार्यालय के लिए नियुक्त किए गए थे। सामान्य श्रेणी से सम्बन्ध रखने वाला एक प्रवर श्रेणी लिपिक तथा एक आशुलिपिक जो कि 31 मई, 1972 को उक्त कार्यालय के लिए नियुक्त किए गये थे, वे 15 मई, 1972 को लौटाए गए फालतू कर्मचारियों के पहले के दल से सम्बन्धित थे।

(घ) उक्त भाग (ख) तथा (ग) के उत्तर को ध्यान में रखते हुए ऐसा कोई प्रश्न नहीं उठता।

(ङ) इस सम्बन्ध में कुछ अभ्यावेदन प्राप्त हुए थे और उन्हें उक्त भाग (ख) तथा (ग) के उत्तर में निर्दिष्ट की गई स्थिति को ध्यान में रखते हुए अस्वीकृत कर दिया गया।

रीजनल सेटलमेंट कमिश्नर जालन्धर के कार्यालय में फालतू घोषित किये गये निम्न श्रेणी लिपिकों को अन्यत्र काम पर लगाना

582. **श्री ओंकार लाल बेरवा** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रीजनल सैटलमैंट कमिश्नर जालन्धर के कार्यालय में मई, 1970 में फालतू घोषित किये गये निम्न श्रेणी लिपिकों को नई दिल्ली स्थित दिल्ली दुग्ध योजना के अध्यक्ष के कार्यालय, अम्बाला स्थित महा डाकपाल के कार्यालय चंडीगढ़ स्थित जन-गणना विभाग और जालन्धर स्थित राष्ट्रीय बचत योजना के कार्यालय में नियुक्त करने की घोषणा की गई थी ;

(ख) क्या बाद में इन नियुक्तियों में परिवर्तन किये गये थे और उनकी चंडीगढ़ स्थित केन्द्रीय उत्पादन शुल्क कार्यालय लुधियाना स्थित केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग, पटियाला स्थित आयकर आयुक्त के कार्यालय और चंडीगढ़ स्थित रीजनल पासपोर्ट आथोरिटी के कार्यालय में पुनः नियुक्त किया गया था ; और

(ग) यदि हां, तो इस परिवर्तन के क्या कारण हैं ?

गृह मंत्रालय और कार्मिक विभाग में राज्य मंत्री (श्री राम निवास मिर्धा) : (क) जी हां, श्रीमान्। उसके अतिरिक्त किसी अन्य को राष्ट्रीय बचत योजना, जालन्धर के कार्यालय में नियुक्त नहीं किया गया था।

(ख) और (ग). केवल दो निम्न श्रेणी लिपिकों के सम्बन्ध में नियुक्तियों में परिवर्तन किया गया और यह भी करुणामूलक कारणों से किया गया था।

Suspension/Transfer of Police Inspectors and Non-Gazetted Police Employees in Delhi

583. **Shri Onkar Lal Berwa :**
Shri Hukam Chand Kachwai :

Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to state :

(a) the number of Police Inspectors and non-gazetted police employees suspended/transferred in Delhi in the month of August and previous four months together with the reasons therefor and the dates of their suspension/transfer and the action taken in each case later on ; and

(b) the names of the suspended policemen, who had attacked with lathis Station Wagon No. DHA 8851 belonging to Maruti Limited ?

The Deputy Minister in the Ministry of Home Affairs (Shri F. H. Mohsin) : (a) During the months April to August 1972, the number of Inspectors and other non-gazetted police employees who were suspended, is: —

(i) Inspectors	—	3
Other non-gazetted police employees.	—	81

(ii) and who were transferred is :—

Inspectors	—	43
Other non-gazetted police employees	—	1632

Reasons for suspension/transfer, dates and action taken are given in the enclosed statement 'A' and 'B' **[Placed in Library. See No. LT-3690/72]**

(b) Sub-Inspector Hukam Chand and Sub-Inspector Surjit Singh. They were suspended for permitting pelting of stones at vehicle DHA 8851 belonging to Maruti Ltd. Sub-Inspector Surjit Singh is also alleged to have hit this vehicle with a 'danda'.

Statement made by the Prime Minister on the Economic Development of the Country

584. **Shri Onkar Lal Berwa** : Will the Minister of **Planning** be pleased to state :

(a) whether the Prime Minister had stated in her Press Conference on the 12th July, 1972 that the so-called development of Indian economy is no less than a miracle ; and

(b) if so, the details in this regard and the pace of economic development and the expected results to be achieved in the near future ?

The Minister of State in the Ministry of Planning (Shri Mohan Dharia) : (a) Yes Sir. The Prime Minister referred to the observations made at a recent meeting of the Aid India Consortium who were full of praise for the manner in which India's economy had kept up in spite of heavy burdens imposed on it.

(b) The meeting also welcomed the continuing satisfactory rate of growth in agriculture which had further strengthened India's foodgrains position and the buoyancy of Indian exports. Several members expressed satisfaction with growth in selected sectors. The slow rate of growth in industrial production was noted but the problems were considered to be concentrated in a few industries.

The recent corrective measures taken in the agricultural, industrial and fiscal spheres, are expected to improve the performance of the economy further in the coming years. It is, however, not possible to indicate at this stage the extent of improvement.

देश में आत्महत्या के मामले

585. **श्री नरेन्द्र सिंह :**
श्री एम० रामगोपाल रेड्डी :

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनके मंत्रालय के द्वारा किये गये सर्वेक्षण के अनुसार 1965-70 की अवधि में आत्महत्याओं के मामले में वृद्धि की दर उक्त अवधि में जनसंख्या की वृद्धि की दर की तुलना में चार गुणा अधिक थी ;

(ख) यदि हां, तो सरकार की इस पर क्या प्रतिक्रिया है ; और

(ग) देश में आत्महत्याओं में इस दर से वृद्धि होने के कारण समस्त जनसंख्या समाप्त हो जाने की स्थिति को दूर करने के लिये सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

गृह मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री एफ० एच० मोहसिन) : (क) जी हां, श्रीमान्।

(ख) और (ग). पुलिस, राज्य का विषय है तथा इस प्रवृति को रोकने के लिये ऐसे उपाय करना, जो आवश्यक हैं, राज्य सरकारों के अधिकार क्षेत्र में हैं। फिर भी राज्य सरकारों का ध्यान इस ओर आकर्षित किया जा रहा है।

परमाणु ऊर्जा के शान्तिपूर्ण उपयोगों के विकास के लिये पश्चिमी जर्मनी के साथ करार

586. **श्री नरेन्द्र सिंह :** क्या **परमाणु ऊर्जा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत ने 5 अक्तूबर, 1972 को पश्चिमी जर्मनी के साथ, परमाणु ऊर्जा के शान्तिपूर्ण उपयोगों का विकास करने के लिये, दोनों देशों के मध्य सहयोग करने का पंचवर्षीय करार किया है ; और

(ख) यदि हां, तो इस बारे में अभी तक कितनी प्रगति हुई है ?

प्रधान मंत्री, परमाणु ऊर्जा मंत्री, इलैक्ट्रानिक्स मंत्री, गृह मंत्री, सूचना और प्रसारण मंत्री तथा अन्तरिक्ष मंत्री (श्रीमती इन्दिरा गांधी) : (क) जी, हां। 5 अक्तूबर, 1971 को करार किया गया था।

(ख) भारत और पश्चिमी जर्मनी के मध्य हुए हस्ताक्षर के बाद पश्चिमी जर्मनी ने हमारे वैज्ञानिकों को अपने देश में अध्ययन/प्रशिक्षण के लिए 12 शिक्षावृत्तियां प्रदान की हैं। इनमें से 6 वैज्ञानिक प्रशिक्षण प्राप्त करके भारत लौट आये हैं तथा शेष 6 वहां प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे हैं। "प्लूटोनियम का आप्टिमल पुनर्चक्रण" विषय पर भारत और जर्मनी का एक सेमिनार सितम्बर, 1972 में जर्मन संघीय गणराज्य में आयोजित किया गया था, जिसमें भाभा परमाणु अनुसंधान केन्द्र के आठ वैज्ञानिकों ने भाग लिया था। एक भारतीय औद्योगिक प्रतिनिधिमण्डल ने जिसमें परमाणु ऊर्जा विभाग के 4 वरिष्ठ वैज्ञानिक शामिल थे भी अक्तूबर, 1972 में पश्चिमी जर्मनी के विभिन्न औद्योगिक संस्थानों का दौरा किया।

तकनीकी विकास महानिदेशालय का पुनर्गठन

588. **श्री एच० एम० पटेल :** क्या **औद्योगिक विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या तकनीकी विकास महानिदेशालय के पुनर्गठन का कोई प्रस्ताव है ; और

(ख) यदि हां, तो इसकी मुख्य बातें क्या हैं ?

औद्योगिक विकास मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद) : (क) और (ख). तकनीकी विकास के महानिदेशालय के पुनर्गठन करने का कोई प्रस्ताव नहीं है। हां, तकनीकी विकास के महानिदेशालय के सुदृढ़ बनाने के एक प्रस्ताव पर सरकार विचार कर रही है।

काश्मीर में विदेशी तत्वों द्वारा तोड़-फोड़ की कार्यवाहियां

589. **श्री एच० एम० पटेल :** क्या **गृह** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या काश्मीर के विभिन्न भागों में विदेशी तत्वों द्वारा तोड़-फोड़ की कार्यवाहियों के समाचार प्राप्त हुये हैं ; और

(ख) सरकार की उन पर क्या प्रतिक्रिया है ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कृष्ण चन्द्र पन्त) : (क) उपलब्ध सूचना के अनुसार हाल में अतीत में कोई ऐसी घटना नहीं हुई है ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता । तथापि, इस सम्बन्ध में केन्द्रीय तथा राज्य सरकारों की सुरक्षात्मक एजेन्सियां सतर्क हैं ।

उत्तर प्रदेश में महिला आई० ए० एस० अधिकारियों की प्रतिनियुक्ति

590. **श्री एच० एम० पटेल** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उत्तर प्रदेश सरकार ने केन्द्रीय सरकार से यह अनुरोध किया है कि उस राज्य में महिला आई० ए० एस० अधिकारियों की प्रतिनियुक्ति न की जाये ; और

(ख) यदि हां, तो केन्द्रीय सरकार की उस पर क्या प्रतिक्रिया है ?

गृह मंत्रालय और कार्मिक विभाग में राज्य मंत्री (श्री राम निवास मिर्धा) : (क) तथा (ख). जून, 1970 में उत्तर प्रदेश सरकार ने यह प्रस्ताव रखा था कि भारतीय प्रशासनिक सेवा में महिला अधिकारियों को उस सेवा के उत्तर प्रदेश संवर्ग में आवंटित नहीं किया जाना चाहिए। केन्द्रीय सरकार द्वारा यह प्रस्ताव स्वीकार नहीं किया गया । इसके पश्चात्, उत्तर प्रदेश सरकार ने अपने पहले के विचारों में भी परिवर्तन कर लिया है और उन्होंने यह सूचित किया है कि उन्हें भारतीय प्रशासनिक सेवा में महिला अधिकारियों को उत्तर प्रदेश संवर्ग में आवंटित करने में कोई आपत्ति नहीं है ।

भारत में के० जी० बी० की गतिविधियां

591. **श्री सोम चन्द सोलंकी** :
श्री रण बहादुर सिंह :

क्या **गृह** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि भारत में के० जी० बी० की गतिविधियों का संक्षिप्त विवरण क्या है और उन्हें रोकने के लिये क्या कार्यवाहियां की गई हैं ?

गृह मंत्रालय में उपमंत्री (श्री एफ० एच० मोहसिन) : सरकार के० जी० बी० समेत विदेश आसूचना संगठनों की कार्यवाहियों पर नजर रखती है । किन्तु माननीय सदस्य इस बात से सहमत होंगे कि ऐसी गतिविधियों से निपटने के लिये की गई कार्यवाही का ब्यौरा प्रकट करना लोकहित में नही होगा ।

चंडीगढ़ सम्बन्धी पंचाट

592. **श्री राम प्रकाश** :
श्री मूल चन्द डागा :

क्या **गृह** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पंजाब और हरयाणा सरकारों ने चण्डीगढ़ के सम्बन्ध में प्रधान मंत्री के फार्मूले को पहले स्वीकार कर लिया था ; और

(ख) यदि हां, तो वर्तमान पंजाब सरकार द्वारा उसे अस्वीकार करने के क्या कारण हैं ?

गृह मत्रालय में उपमंत्री (श्री एफ० एच० मोहसिन) : (क) और (ख). चण्डीगढ़ के भविष्य के बारे में निर्णय केन्द्रीय सरकार द्वारा 29 जनवरी, 1970 को लिया गया था और बाद में तुरन्त ही दोनों सरकारों को सूचित कर दिया गया था। राज्य सरकारों से निर्णय की अपनी स्वीकृति व्यक्त करने के लिये नहीं कहा गया था और उनमें से किसी ने इस पर पुनर्विचार करने का सुझाव नहीं दिया है।

रूस में एक भारतीय उपग्रह का छोड़ा जाना

593. **श्री राम प्रकाश** : क्या **अंतरिक्ष** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रूस की भूमि अर्थात् 'सोवियत कोस्मोड्म' से एक भारतीय उपग्रह छोड़े जाने का कोई प्रस्ताव है ; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

प्रधान मंत्री, परमाणु ऊर्जा मंत्री, इलैक्ट्रानिक्स मंत्री, गृह मंत्री, सूचना और प्रसारण मंत्री तथा अन्तरिक्ष मंत्री (श्रीमती इन्दिरा गांधी): (क) तथा (ख). जी, हां। भारत के अन्तरिक्ष विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी सम्बन्धी कार्यक्रम का एक महत्वपूर्ण पहलू अनेक उद्देश्यों की पूर्ति के लिए जटिल उपग्रहों का अभिकल्पन एवं उनके निर्माण हेतु भारतीय क्षमता का विकास करना है। इस कार्यक्रम को गति देने के लिए भारतीय अन्तरिक्ष अनुसंधान संगठन ने रूसी विज्ञान अकादमी के साथ एक करार पर हस्ताक्षर किये हैं जिसके अन्तर्गत भारत में निर्मित एवं अभिकल्पित उपग्रह को सोवियत राकेट कैरियर की सहायता से सोवियत कोस्मोड्म से छोड़ा जाएगा।

इंडियन टेलीफोन इंडस्ट्रीज, हिन्दुस्तान केबल और हिन्दुस्तान टेलीफोन के प्रशासनिक नियंत्रण को डाक और तार बोर्ड को हस्तांतरण

594. **श्री राम प्रकाश** : क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इंडियन टेलीफोन इंडस्ट्रीज, हिन्दुस्तान केबल और हिन्दुस्तान टेलीफोन के प्रशासनिक नियंत्रण को डाक और तार बोर्ड को हस्तांतरित करने का प्रस्ताव है ; और

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं ?

संचार मंत्री (श्री हेमवती नंदन बहुगुणा) : (क) और (ख). डाक-तार विभाग के संबंध में प्रशासनिक सुधार आयोग ने इस प्रकार की सिफारिश की है। इसके कारणों का उल्लेख उन्होंने अपनी रिपोर्ट के अध्याय छः के पैरा 5 और 6 में किया है, जिनकी एक प्रति संलग्न है। प्रशासनिक सुधार आयोग की रिपोर्ट की एक प्रति संसद के पुस्तकालय को दे दी गई है। [**ग्रंथालय में रखी गई। देखिए संख्या एल० टी०-3691/72**] आयोग की सिफारिशें सरकार के विचाराधीन है।

Recovery of Chinese and Pakistani made Arms and Ammunitions from Gaya District in Bihar

595. **Shri Hukam Chand Kachwai :** Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to state :

(a) whether a huge quantity of Chinese and Pakistani made arms and ammunitions was recovered from Gaya District in Bihar during the period from June to August, 1972 ;

(b) the arms and ammunitions so recovered ; and

(c) the number af persons and the action taken against them in this regard ?

The Deputy Minister in the Ministry of Home Affairs (Shri F. H. Mohsin) : (a) to (c). The requisite information is being collected from the State Goverement and will be placed on the Table of the House on receipt.

कागज की कमी

597. **डा० सरदीश राय** : क्या **औद्योगिक विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बाजार में कागज की कमी है ;

(ख) यदि हां, तो कितनी ? और

(ग) इसे दूर करने के लिए कौन से उपचारात्मक उपाय किये गये हैं ?

औद्योगिक विकास मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद) : (क) से (ग). यद्यपि 7.5 लाख मी० टन कागज का मौजूदा उत्पादन वर्तमान मांगें ही करीब-करीब पूरा कर रहा है फिर भी कभी-कभी कम वजन के कागज की स्थानीय कमी हो जाती है ऐसा मुख्यरूप से सट्टे बाजी और अनुचित व्यापार पद्धति के कारण ही होता है। भावी मांग को पूरा करने के लिये वर्तमान उत्पादन में वृद्धि करने के विचार से सरकार ने एक क्रैश प्रोग्राम चलाया है तथा विभिन्न पार्टियों को आशय-पत्र भी जारी किये हैं।

भारत सरकार में सर्वोच्च पदों का खाली रहना

598. **श्री एम० एस० संजीवी राव :**
श्री बी० के० दास चौधरी :

क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगी कि :

(क) क्या भारत सरकार के राजनीतिक, राजनयिक और प्रशासनिक क्षेत्रों में अनेक सर्वोच्च पद खाली पड़े हैं ;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ; और

(ग) ये पद कब तक खाली पड़े रहेंगे ?

प्रधान मंत्री, परमाणु ऊर्जा मंत्री, इलैक्ट्रानिक्स मंत्री, गृह मंत्री, सूचना और प्रसारण मंत्री तथा अन्तरिक्ष मन्त्री (श्रीमती इन्दिरा गांधी) : (क) से (ग). सूचना एकत्रित की जा रही है और यथा समय सभा-पटल पर रख दी जायेगी।

पिछड़े क्षेत्रों में डाक-तार सम्बन्धी सुविधाएं

599. **श्री मधु दण्डवते** : क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अनेक पिछड़े तथा उपेक्षित प्रदेशों और क्षेत्रों ने यह मांग की है कि वहां

स्थित डाक-तार घरों से न्यूनतम आय न होने पर भी, उन क्षेत्रों में उक्त सुविधाएं जारी रखी जायें ;

(ख) क्या पिछड़े और उपेक्षित क्षेत्रों के लाभ को देखते हुए सरकार का विचार निश्चित न्यूनतम आय-सीमा की शर्त को कुछ ढीला करने का है ; और

(ग) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

संचार मन्त्री (श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा) :

(क) **डाक-सुविधाएं :**

जी हां । ऐसी मांगें कभी-कभी आती रहती हैं ।

तार-सुविधाएं :

किसी भी पिछड़े या उपेक्षित प्रदेश या क्षेत्र से विभाग में तार-सुविधाओं के बारे में ऐसी कोई मांग नहीं आई है ।

(ख) **डाक-सुविधाएं :**

क्षेत्र सम्बन्धी वर्तमान असन्तुलन दूर करने के लिए विभाग अपनी मौजूदा नीति की जांच इस उद्देश्य से कर रहा है कि क्या इस सम्बन्ध में और उदारता बरतना आवश्यक है । इस बीच ये आदेश जारी कर दिए गए हैं कि जन-हित में जो डाकघर खोले गए हों, अपनी आजादी के पच्चीसवें साल के दौरान उन्हें बन्द न किया जाय ।

तार-सुविधाएं :

पिछड़े इलाकों में घाटा उठाकर तारघर खोलने की नीति को अभी हाल ही में उदार बना दिया गया है ।

(ग) ऊपर (ख) में बताई स्थिति को देखते हुए, प्रश्न ही नहीं उठता ।

दैनिक गोमान्तक की ओर से गोआ प्रशासन के विरुद्ध शिकायत

600. **श्री मधु दंडवते :** क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय प्रेस परिषद् को गोआ के दैनिक समाचार पत्र "गोमान्तक" की ओर से प्रेस परिषद् अधिनियम, 1955 के अन्तर्गत गोआ राज्य प्रशासन के विरुद्ध कोई शिकायत प्राप्त हुई है ; और

(ख) यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गई ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय में उपमंत्री (श्री धर्मबीर सिंह) : (क) जी, हां । भारतीय

प्रेस परिषद को 'गोमान्तक' के सम्पादक से 28 जनवरी, 1971 को एक शिकायत मिली थी जिसमें गोआ, दमन तथा दीव सरकार द्वारा विज्ञापन देना बन्द करने की शिकायत की गई थी।

(ख) परिषद ने शिकायत पर 15 तथा 16 अप्रैल, 1972 को विचार किया और गोआ, दमन तथा दीव सरकार की टिप्पणियों पर विचार करने के उपरान्त यह राय प्रकट की कि प्रशासन की 'गोमान्तक' को विज्ञापन देना बन्द करने सम्बन्धी कार्रवाई अनुचित थी तथा इसको समाचार-पत्रों की स्वतन्त्रता के लिए एक खतरा माना जा सकता था। प्रशासन ने अब इस दैनिक को अपने विज्ञापनों के लिए फिर से प्रयोग करना शुरू कर दिया है।

किंग्जवे कैम्प दिल्ली में पुलिस की कथित ज्यादतियों के बारे में
RE : ALLEGED POLICE EXCESSES IN KINGSWAY CAMP, DELHI

Shri Atal Behari Vajpayee (Gwalior) : Sir, police have committed excesses in the Kingsway Camp last night. They entered the houses and beat the people. Fortyfive persons sustained injuries and some of them are in serious condition. I request that you should allow a discussion on this subject.

अध्यक्ष महोदय : मंत्री महोदय से मैंने इस विषय पर आज 5.30 बजे अपना वक्तव्य देने को कह दिया है।

अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना
CALLING ATTENTION TO MATTER OF URGENT PUBLIC IMPORTANCE

देश के विभिन्न डाकघरों में पत्र-बमों की बरामदगी

Shri Shashi Bhushan (South Delhi) : Sir, I call the attention of the Minister of **Communications** to the following matter of Urgent Public Importance and I request him that he may make a statement thereon.

"The situation arising out of recovery of letter-bombs in various post offices of the country and steps taken in this regard."

The Minister of Communications (Shri H. N. Bahuguna) : On 6-11-72 one postal official while sorting letters in Colaba post office (Bombay) was injured when one of such letters exploded in his hand. The matter was immediately reported to the Bombay Police and is under investigation by them. The injured official was hospitalised and is recovering.

2. Instructions have been issued to all post offices in the country to detect and segregate postal articles suspected to be letter bombs. The postal staff have also been advised to handle the suspected articles very carefully and to contact officers of State CID and the Chief Inspectorate of Explosives of the respective zone whenever such articles are noticed by them.

3. As a result of vigilance exercised by our staff, 42 such articles have been detected in Bombay and 8 in Delhi. Police investigation are underway in all the cases.

I may also be allowed to add the information I have received after the submission of this statement. We have recovered two more letters in Bombay and five letters in Delhi. I am adding this information as we received this afterwards.

Shri Shashi Bhushan : The sending of letter bombs has created a serious problem for all the countries of the world. These letter-bombs may be disastrous not only to the addressees but also to the aroplanes carrying them. Certain people have apprehended that Palestine refugees are involved in these activities. But I do not agree with them. These refugees have been victimised by communal forces. Palestine students were the first to stage demonstration here for the recognition of Bangla Desh. It is a conspiracy to bring bad name to them. In these circumstances they should not be blamed. I also urge that all the countries take action to restrict such activities.

So far as foreign agencies are concerned, the Social Affairs Department of China is known for their notorious activities. Such agencies are attempting to spoil the relations of India with foreign countries. In these conditions, it is necessary for us to be very vigilant about such international conspiracy.

I am unable to understand why Britain has stopped distribution of dak from India only. I think that this is a serious problem and all the big countries should try to solve it jointly. This issue should be raised in U. N. also.

I would like to suggest that the hon. Minister should ensure such arrangements whereby the employees engaged in handling dak are not exposed to any hazard V. I. Ps. should also be careful and the common people should also be given some knowledge regarding letter-bombs to avoid any kind of accident. May I know the steps being taken by the Government to arrest the people who send such letters ?

Shri H. N. Bahuguna : Regarding the security of the employees, I would like to assure the hon. Member that the Postal Department have collected all the information available in the country to avoid accidents on account of letter-bombs. We have started enquiries on that basis, fortunately our Planes have not met with any accident so far on account of letter-bombs. Following the crash of a plane of certain country the Director General of Civil Aviation suggested to the officers of Postal Department to follow certain instructions in regard to examining parcels and letters and these instructions including the quarantine of foreign dak for 24 hours are being followed. In absence of the metal detector with us, it has become necessary for us to open all the letters resulting delay in the distribution of dak. I would like to inform the House that our experts are examining an equipment in the National Physical Laboratory for using it as a detector. In case it is found successful, it would be supplied to the foreign mail centres, like Madras, Calcutta etc. for this purpose.

The hon. Member has raised a point regarding our mail which England has reportedly discontinued to be distributed. We have approached the Ministry of External Affairs to inquire into the matter through our embassy there. We have not yet received any information in this matter and I think it is not proper for us to react on the basis of the newspapers reports. I believe the hon. Member would not insist on raising this issue in the United Nations Organisation since the matter would be solved by other means.

It is not possible for the Government to say as to who are the persons involved in such activities until the enquiry which is going on is completed.

We have got Workmen Compensation Act and all such cases are dealt with under this Act. I went to Bombay to see Shri Sawant who sustained injuries and I assure the House that he is getting proper treatment. I would also like to assure the House that proper compensation would be given to the families of the persons who sustain injuries or die as a result of these accidents.

श्री त्रिदिब चौधरी (बरहामपुर) : ऐसी घटनाएं कई देशों में हुई हैं । जहां तक मुझे याद है यह घटना सबसे पहले अमरीका में हुई । मैं जानना चाहता हूं क्या सरकार तथा डाक-तार विभाग ने

उन देशों के अधिकारियों से इस सम्बन्ध में सम्पर्क स्थापित किया है ? क्या इस समस्या को तकनीकी ढंग से तथा राजनीतिक ढंग से सुलझाने का कोई तरीका निकाला गया है ।

श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा : इस प्रश्न पर यूनीवर्सल पोस्टल यूनियन ने हाल में बर्न में विचार-विमर्श किया है । हमारे प्रतिनिधि वहां विद्यमान हैं तथा उन्होंने अन्य देशों के प्रतिनिधियों से विचार-विमर्श किया है तथा जानकारी प्राप्त की है । विदेश मंत्रालय से भी अनुरोध किया गया है कि विदेशों में नियुक्त राजदूत विभिन्न देशों से इस समस्या के समाधान के लिये वहां किये जा रहे उपायों की जानकारी प्राप्त करें ।

Dr. Laxminarain Panadeya (Mandsaur) : Sir, the practice of sendiug letter-bombs is not new. Such incidents took place in foreign countries before 1947 and in the year of 1968-69 in the large number.

The hon. Minister has mentioned the name of Bombay and Delhi in this connection. But according to the information with me such incidents have occurred in Ahamadabad and **Allahabad** also. According to the reports published in the 'Navbharat Times' of to-day Shri Bhai Lal Bhai Pakan of Amarely districts have reportedly received a letter-bomb which has been handed over to the police. According to the reports of Press Trust of India the number of letter-bombs recovered so far has reached to 44. May I know from the hon. Minister whether it is a fact, as news papers say, that such explosive material is being supplied by the western countries ? I would also like to know the steps being taken by the Government to check such things so that anti-social element in the country can not indulge themselves in these notorious activities.

In view of the increasing incidents of letter-bombs in the country may I know the number of Explosives Experts proposed to be appointed to avoid such tragic happenings ? I also want to know the number of suspected persons arrested by the police. In these times any political leader may meet such accidents. May I know whether Government have sent certain officials to undergo special training in New York or in other countries ? I want to know whether Government have taken any effective steps in this regard to save the lives of the employees of Post and Telegraph Department.

According to the 'Hindustan Times' dated 14th. November, "Though British official sources are silent on the traffic in bombs there is strong suspicion that the plastic explosive used in them is made in an Arab Country." This issue is likely to be raised in the United Notions.

In view of the security of the staff and the political leaders of the country may I know the steps taken or proposed to be taken by the Government to check these things so that the image of our country can not be maligned.

Shri H. N. Bahuguna : To begin with the last question of the hon. Member I would like to assure the House that no country would be allowed to use such things in our country for any notorious activities. The Ministry of Home Affairs is quite vigilant to arrest suspected persons and parties. They are busy in identifying such persons.

In his second question the hon. Member has referred to the reports of a foreign country. I think we should not be influenced by the reaction of the other countries. Our opinion should be based on our findings. I would like to inform the House that we have got only one Explosives Department under the Central Government and the entire country is divided into 11 circles under the Chief Inspector of Explosives. According to him such bombs cannot be manufactured in our country because of the fact that they can be produced with a lightly sophisticated technology. Since Government have not received the final report regarding the manufacturer of these bombs we are unable to say as to which country has made them.

Regarding the steps taken by the Government in this regard I would like to mention that our explosives experts have found out that the minimum thickness of a letter containing bomb should be three metre and its minimum weight should be 50-70 grams. Letter-bombs are of two types, that is one is metal detonated and the other is plastic detonated. But the minimum thickness of both the letter-bombs cannot be less than that. We have sent our employees for undergoing training with C. I. O. E. Fourteen employees have been trained. These employees have been deputed to handle the foreign mail in Bombay and Delhi.

We have to handle 1.80 crores of letters every day. But I would like to assure the House that it would be the sincere effort of the Government that no such letters should be delivered to anybody. Hon. Member has mentioned the name of Amrely and Allahabad. I have got no information in this regard. However we will try to collect it.

I would also like to inform the hon. Member that we have received no parcel containing bombs where as in other countries parcel-bombs have taken the lives of the persons. We are examining parcels and letters very carefully.

डा० रानेन सेन (बारसट) : हमारे देश में डाक कर्मचारियों तथा कुछ अन्य वर्ग के लोगों में इस संबंध में भय छाया हुआ है। मंत्री महोदय ने बताया है कि इस प्रकार के बम हमारे देश में नहीं बन सकते। गत 10-15 दिनों से इस प्रकार की घटनाएं हो रही हैं तथा बम्बई और दिल्ली के अतिरिक्त अन्य स्थानों पर भी ऐसी घटनाएं हुई हैं। अतः मंत्री महोदय के इस वक्तव्य से कि जनता को भयभीत नहीं होना चाहिये, जनता संतुष्ट नहीं हो सकती। संचार मंत्रालय ने गृह मंत्रालय से गुप्तचर विभाग को और अधिक सक्रिय बनाने के लिए आग्रह क्यों नहीं किया है ताकि इस समस्या के समाधान के लिए शीघ्र उपाय किये जाते। दूसरे यह समस्या न केवल भारत के सामने हैं बल्कि संसार के अन्य देशों के सामने भी है। इस सम्बन्ध में अन्तर्राष्ट्रीय पुलिस और अन्तर्राष्ट्रीय डाक संघ का सहयोग पाने के लिए क्या कार्यवाही की गई है ?

श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा : मैं माननीय सदस्य को यह आश्वासन देना चाहता हूं कि गृह मंत्रालय ने इस दिशा में पर्याप्त कार्यवाही की है। अन्तर्राष्ट्रीय पुलिस का सहयोग भी लिया जा रहा है, गृह मंत्रालय स्थिति का मूल्यांकन कर रहा है। इसके बाद ही हम किसी निष्कर्ष पर पहुंचेंगे। पत्र-बम के मामले पर विचार करते समय उन कारणों पर भी ध्यान देना है जिन कारणों से पत्र-बम भेजे जाने शुरू हुए हैं। कुछ लोग और संगठन हैं जो इस प्रकार के पत्र-बम प्रयोग में लाते हैं। वे ही इन्हें चोरी-छिपे विदेशों से लाते हैं। डाक तथा तार विभाग के कर्मचारियों की कार्यकुशलता का मैं उल्लेख करना चाहूंगा साथ ही मैं विस्फोटक पदार्थों के विशेषज्ञों को धन्यवाद दूंगा। इन्होंने हमारी समय पर मदद की है। इसी कारण से पत्र बमों को अन्य पत्रों से सामान्य पत्रों से अलग करने में सफलता मिली है। डाक तथा तार विभाग के कर्मचारी बड़े कर्त्तव्यनिष्ठ हैं और मुझे पूर्ण आशा है कि वे अपना कर्त्तव्य निडरता से और सावधानी पूर्वक करते रहेंगे। गृह मंत्रालय इस मामले में विशेष रुचि ले रहा है। सरकार इस समस्या के प्रति जागरूक है और इसके निवारण के लिए प्रयास किये जा रहे हैं। जहां तक अन्तर्देशीय डाक का सम्बन्ध है हम उसकी जांच के लिए ऐसा प्रबन्ध कर रहे हैं जिससे डाक के वितरण और गंतव्य स्थान पर पहुंचने में देरी न हो। अन्त में, मैं कहना चाहूंगा कि हम शीघ्र ही इस समस्या के कारणों का पता लगा लेंगे।

श्री विक्रम महाजन (कांगड़ा) : आज के समाचार पत्र में ऐसे 44 बमों के पता लगने का समाचार मिला है। पत्र-बमों का सिलसिला पिछले छः महीनों से चल रहा है, किन्तु आज तक कोई भी अपराधी नहीं पकड़ा गया है। ये बम भारत के बने नहीं हैं फिर भी हम यह पता नहीं लगा पाये हैं कि ये कहां से आये हैं और इन्हें कौन लाया है। मैं माननीय मंत्री से जानना चाहता हूं कि विभाग

ने सबसे पहले पत्र-बम कब पकड़ा था। इन पत्र बमों का प्रयोग करने वाले भारतीय और विदेशी के लिए कितना-कितना दंड देने का विधान है। भारत से भेजे गये पत्र-बमों से कितने भारतीय और कितने विदेशी जख्मी हुए हैं ?

श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा: जो अपराध अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर किया जाता है उसका इतनी आसानी से पता नहीं लगता। अतः माननीय सदस्य को इतना अधिक नाराज नहीं होना चाहिए। जहां तक पहले पत्र-बम के मिलने का सम्बन्ध है, वह कोलाबा डाकघर में 6 नवम्बर को फटा था। 9 नवम्बर को मैं बम्बई गया था और इस मामले पर अधिकारियों से विचार विमर्श किया था। केन्द्रीय जांच ब्यूरो, अन्तर्राष्ट्रीय पुलिस तथा अन्य सभी सम्बन्धित विभागों और अधिकारियों को इस सम्बन्ध में सचेत कर दिया गया है और सभी इस समस्या के प्रति सजग हैं। जहां तक अपराधी को दंड दिये जाने का प्रश्न है, इसका निर्णय तो विस्फोटक पदार्थ अधिनियम, भारतीय दंड संहिता और डाक अधिनियम के अनुसार न्यायालय ही करेगा। किन्तु इसके लिए पहले अपराधी को पकड़ना होगा।

माननीय सदस्य का यह कहना ठीक है कि आज तक पकड़े गये ऐसे पत्र-बमों की संख्या 44 है। किन्तु हमारे देश में इनसे अब तक केवल एक व्यक्ति घायल हुआ है और वह शीघ्र ही ठीक हो जायेगा। हमारे देश से विदेश भेजे गये पत्र-बमों से वहां कितने व्यक्ति घायल हुए, इस सम्बन्ध में मुझे कोई निश्चित जानकारी नहीं है। ब्रिटेन के डाक संगठन या किसी अन्य विदेशी डाक अधिकारी ने आज तक हमें इस सम्बन्ध में कुछ भी नहीं लिखा है। इस प्रकार के अपराध करने वालों का पता लगाने में समय लगता है। हम उनका पता लगाने के लिए भरसक प्रयास कर रहे हैं।

सभा-पटल पर रखे गये पत्र
PAPERS LAID ON THE TABLE

भारतीय तार अधिनियम के अन्तर्गत अधिसूचना

संचार मंत्री (श्री हेमवतीनन्दन बहुगुणा) मैं भारतीय तार अधिनियम, 1885 की धारा 7 की उप-धारा (5) के अन्तर्गत भारतीय तार (आठवां संशोधन) नियम, 1972 (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति, जो भारत के राजपत्र, दिनांक 29 जुलाई, 1972 में अधिसूचना संख्या सा० का० नि० 545 में प्रकाशित हुए थे, सभा-पटल पर रखता हूं। **[ग्रन्थालय में रखी गयी। देखिये संख्या एल० टी० 3663/72]**

आयुध (दूसरा संशोधन) नियम, 1972 तथा भारतीय वन सेवा, अखिल भारतीय सेवा अधिनियम के अन्तर्गत अधिसूचनाएं

गृह मंत्रालय और कार्मिक विभाग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राम निवास मिर्धा) : मैं निम्नलिखित पत्र सभा-पटल पर रखता हूं :

(1) आयुध अधिनियम, 1959 की धारा 44 की उपधारा (3) के अन्तर्गत आयुध (दूसरा संशोधन) नियम, 1972 (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति, जो भारत के

राजपत्र, दिनांक 26 अगस्त, 1972 में अधिसूचना संख्या सा० का० नि० 1011 (क) में प्रकाशित हुए थे। **[ग्रन्थालय में रखी गई। देखिये संख्या एल० टी० 3664/72]**

(2) अखिल भारतीय सेवाएं अधिनियम, 1951 की धारा 3 की उपधारा (2) के अन्तर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक-एक प्रति :—

(एक) भारतीय वन सेवा (वेतन) तीसरा संशोधन नियम, 1972, जो भारत के राजपत्र, दिनांक 2 सितम्बर, 1972, में अधिसूचना संख्या सा० का० नि० 401 (ङ) में प्रकाशित हुए थे। **[ग्रन्थालय में रखी गई। देखिये संख्या एल० टी० 3667/72]**

(दो) भारतीय प्रशासनिक सेवा (भर्ती) संशोधन नियम, 1972, जो भारत के राजपत्र, दिनांक 11 अक्तूबर, 1972 में अधिसूचना संख्या सा० का० नि० 437 (ङ) में प्रकाशित हुए थे। **[ग्रन्थालय में रखी गई। देखिये संख्या एल० टी० 3668/72]**

(तीन) भारतीय पुलिस सेवा (भर्ती) संशोधन नियम, 1972, जो भारत के राजपत्र, दिनांक 11 अक्तूबर, 1972 में अधिसूचना संख्या सा० का० नि० 438 (ङ) में प्रकाशित हुए थे। **[ग्रन्थालय में रखी गई। देखिये संख्या एल० टी० 3669/72]**

(चार) भारतीय प्रशासनिक सेवा (प्रतियोगी परीक्षा द्वारा नियुक्ति) संशोधन विनियम, 1972 जो भारत के राजपत्र, दिनांक 11 अक्तूबर 1972 में अधिसूचना संख्या सा० का० नि० 439 (ङ) में प्रकाशित हुए थे। **[ग्रन्थालय में रखी गई। देखिये संख्या एल० टी० 3670/72]**

(पांच) भारतीय पुलिस सेवा (प्रतियोगी परीक्षा द्वारा नियुक्ति) संशोधन विनियम, 1972, जो भारत के राजपत्र, दिनांक 11 अक्तूबर, 1972 में अधिसूचना संख्या सा० का० नि० 440 (ङ) में प्रकाशित हुए थे। **[ग्रन्थालय में रखी गई। देखिये संख्या एल० टी० 3671/72]**

(छः) भारतीय प्रशासनिक सेवा (परिवीक्षा) दूसरा संशोधन नियम, 1972 जो भारत के राजपत्र, दिनांक 7 अक्तूबर, 1972 में अधिसूचना संख्या सा० का० नि० 1247 में प्रकाशित हुए थे। **[ग्रन्थालय में रखी गई। देखिये संख्या एल० टी० 3665/72]**

(सात) भारतीय पुलिस सेवा (परिवीक्षा) दूसरा संशोधन नियम, 1972, जो भारत के राजपत्र, दिनांक 7 अक्तूबर, 1972 में अधिसूचना संख्या सा० का० नि० 1248 में प्रकाशित हुए थे। **[ग्रंथालय में रखी गई। देखिये संख्या एल० टी० 3666/72]**

(आठ) भारतीय प्रशासनिक सेवा (पदोन्नति द्वारा नियुक्ति) दूसरा संशोधन विनियम, 1972, जो भारत के राजपत्र, दिनांक 28 अक्तूबर, 1972 में अधिसूचना संख्या सा० का० नि० 1351 में प्रकाशित हुए थे। **[ग्रंथालय में रखी गई। देखिये संख्या एल० टी० 3672/72]**

(नौ) भारतीय पुलिस सेवा (पदोन्नति द्वारा नियुक्ति) दूसरा संशोधन विनियम, 1972, जो भारत के राजपत्र, दिनांक 28 अक्तूबर, 1972 में अधिसूचना सा० का० नि० 1352 में प्रकाशित हुए थे। **[ग्रंथालय में रखी गई। देखिये संख्या एल० टी० 3673/72]**

अखिल भारतीय सेवाएं अधिनियम, 1951 के अन्तर्गत अधिसूचनाएं

गृह मंत्रालय में उपमंत्री (श्री एफ० एच० मोहसिन) : मैं अखिल भारतीय सेवाएं अधिनियम, 1951 की धारा 3 की उपधारा (2) के अन्तर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक-एक प्रति सभा-पटल पर रखता हूं :

(एक) भारतीय प्रशासनिक सेवा (संवर्ग में पद-संख्या निर्धारण) आठवां संशोधन विनियम, 1972, जो भारत के राजपत्र, दिनांक 17 अगस्त, 1972 में अधिसूचना संख्या सा० का० नि० 377 (ङ) में प्रकाशित हुए थे।

(दो) भारतीय प्रशासनिक सेवा (वेतन) नियम, 1954 में वर्ष 1972 का चौदहवां संशोधन, जो भारत के राजपत्र, दिनांक 17 अगस्त, 1972 में अधिसूचना संख्या सा० का० नि० 378 (ङ) में प्रकाशित हुआ था।

(तीन) भारतीय प्रशासनिक सेवा (वेतन) तेरहवां संशोधन, नियम, 1972 जो भारत के राजपत्र, दिनांक 21 अगस्त, 1972 में अधिसूचना संख्या सा० का० नि० 384 (ङ) में प्रकाशित हुए थे।

[ग्रंथालय में रखे गये। देखिये संख्या एल० टी० 3605/72]

टैनरी एण्ड फुटवीयर कारपोरेशन आफ इण्डिया लिमिटेड का वार्षिक प्रतिवेदन तथा लेखापरीक्षित लेखे और खादी और ग्रामोद्योग अधिनियम का वार्षिक प्रतिवेदन

औद्योगिक विकास मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद) : मैं कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 619 क की उपधारा (1) के अन्तर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति सभा पटल पर रखता हूं :

(1) (एक) टैनरी एण्ड फुटवियर कारपोरेशन आफ इण्डिया लिमिटेड, कानपुर, के वर्ष 1970-71 के कार्य की सरकार द्वारा समीक्षा (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) टैनरी एण्ड फुटवियर कारपोरेशन आफ इण्डिया लिमिटेड, कानपुर, का वर्ष 1970-71 सम्बन्धी वार्षिक प्रतिवेदन तथा लेखापरीक्षित लेखे और उन पर नियंत्रक और महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

[ग्रन्थालय में रखी गई। देखिये संख्या एल० टी० 3674/72]

(2) खादी और ग्रामोद्योग आयोग अधिनियम, 1956 की धारा 24 की उपधारा (3) के अन्तर्गत खादी और ग्रामोद्योग आयोग, बम्बई, के वर्ष 1969-70 सम्बन्धी वार्षिक प्रतिवेदन (हिन्दी संस्करण) की एक प्रति तथा सांख्यिकीय विवरण। **[ग्रन्थालय में रखी गई। देखिए संख्या एल० टी० 3662/72]**

गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों और संकल्पों सम्बन्धी समिति
COMMITTEE ON PRIVATE MEMBERS' BILLS AND RESOLUTIONS

18वां प्रतिवेदन

श्री जी० जी० स्वैल (स्वामत्तशासो जिले) : मैं गैर सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति का अठारहवां प्रतिवेदन प्रस्तुत करता हूं ।

कार्य मंत्रणा समिति
BUSINESS ADVISORY COMMITTEE

17वां प्रतिवेदन

संसदीय कार्य तथा नौवहन और परिवहन मंत्री (श्री राज बहादुर) : मैं प्रस्ताव करता हूं ।

"कि यह सभा कार्य—मन्त्रणा समिति के सत्रहवें प्रतिवेदन से, जो 14 नवम्बर, 1972 को सभा में प्रस्तुत किया गया था, सहमत है ।"

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है ।

"कि यह सभा कार्य—मन्त्रणा समिति के सत्रहवें प्रतिवेदन से, जो 14 नवम्बर, 1972 को सभा में प्रस्तुत किया गया था, सहमत है ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ
The Motion was adopted

नियम 377 के अन्तर्गत मामला
MATTER UNDER RULE 377

वेतन आयोग का प्रतिवेदन

श्री एस० एम० बनर्जी (कानपुर) : अध्यक्ष महोदय, हमें बताया गया है कि वेतन आयोग ने अन्तिम प्रतिवेदन प्रस्तुत करने के लिए और समय मांगा है और वह इसे फरवरी 1973 में प्रस्तुत करना चाहता है । वेतन आयोग तीन वर्ष का समय पहले ही ले चुका है और केन्द्रीय सरकार के कर्मचारी इस असाधारण विलम्ब पर पहले ही चिन्तित है । कल ही माननीय मंत्री श्री के० आर० गणेश ने राज्य सभा में यह आश्वासन दिया था कि प्रतिवेदन इस वर्ष के अन्त तक प्रस्तुत किया जायेगा। मेरा अनुरोध है कि यह प्रतिवेदन नवम्बर में ही प्रस्तुत कर दिया जाना चाहिए ताकि दिसम्बर से उसकी सिफारिशें लागू की जा सके । यदि ऐसा नहीं किया गया तो वर्ष 1971 और 1972 में सेवा-निवृत्त हुए सरकारी कर्मचारियों को इसका लाभ न मिल सकेगा । अन्तरिम राहत की तीन किश्त मिल जाने पर भी केन्द्रीय सरकार के राज्य कर्मचारी की कम से कम मजूरी 170 रुपये है जबकि सरकारी उपक्रम में यह 205 रुपये से लेकर 240 रुपये है । मुझे आशा है कि वेतन आयोग इस विषमता को दूर करेगा । साथ ही मेरा अनुरोध है कि वेतन आयोग से कहा जाये कि वह अपनी सिफारिशों को भूतलक्षी प्रभाव से लागू किये जाने की सिफारिश करे । वित्त मंत्री महोदय मेरी इन बातों का जवाब दें ।

Shri Hukam Chand Kachwai (Morena) : Sir, this matter has been raised several times in the House. I think it is being delayed intentionally.

संसदीय कार्य तथा नौवहन और परिवहन मंत्री (श्री राज बहादुर) : मैं माननीय सदस्य को यह बताना चाहता हूं कि वेतन आयोग ने अभी तक सरकार को समय बढ़ाने के लिए अनुरोध नहीं किया है। अब तक प्राप्त संकेतों के अनुसार हमें पूर्ण आशा है कि अन्तिम प्रतिवेदन इस वर्ष के अन्त तक प्राप्त हो जायेगा। जहां तक सिफारिशों को लागू किये जाने का सम्बन्ध है, वेतन आयोग की सिफारिशों की क्रियान्विति की तिथि स्वयं ही करेगा और कर्मचारियों के विचारों और इच्छाओं से वेतन आयोग पहले से ही अवगत है।

अनुपूरक अनुदानों की मांगें (रेलवे) 1972-73
SUPPLEMENTARY DEMANDS FOR GRANTS (RAILWAYS) 1972-73

रेल मंत्री (श्री टी० ए० पाई) : मैं वर्ष 1972-73 के बजट (रेलवे) सम्बन्धी अनुपूरक अनुदानों की मांगों का एक विवरण प्रस्तुत करता हूं।

अतिरिक्त अनुदानों की मांगें (रेलवे) 1970-71
DEMANDS FOR EXCESS GRANTS (RAILWAYS) 1970-71

रेल मंत्री (श्री टी० ए० पाई) : मैं वर्ष 1970-71 के बजट (रेलवे) सम्बन्धी अतिरिक्त अनुदानों की मांगों का एक विवरण प्रस्तुत करता हूं।

चूनापत्थर और डोलोमाइट खान श्रम कल्याण निधि विधेयक
LIMESTONE AND DOLOMITE MINES LABOUR WELFARE FUND BILL

अध्यक्ष महोदय : अब हम चूनापत्थर और डोलोमाइट खान श्रम कल्याण निधि विधेयक पर आगे चर्चा करते हैं।

श्री भोगेन्द्र झा अपना भाषण जारी रखें।

Shri Bhogendra Jha (Jainagar) : Sir, it is necessary that this Bill is applied to those mines also where actual work of loading, unloading, servicing etc., is done outside the premises of the mines. Only then the objects of the Bill could be achieved. According to the objects of the Bill, the proposed fund is intended to supplement the efforts of the employers or the State Governments to ameliorate the living conditions of the labour employed in limestone or dolomite mining industry but the provisions of the Bill are such that the amount of cess collected by the Government will pass into the hands of the mine owners and the workers may not get any benefit.

It is not known as to why the representatives of the mine owners have been included in the Advisory Committee. Since the Bill aims at the welfare of the workers, they should have more representation in those committees, otherwise the object of the Bill may not be achieved. It appears that this provision has been included in the Bill because similar provisions exist in the old laws. In the changed circumstances, such provisions should not be there. The Minister should seriously consider this matter.

***श्री जे० माता गोडर** (नीलगिरि) : अपने दल की ओर से मैं इस विधेयक के बारे में कुछ बातें कहना चाहूंगा । इस विधेयक का स्वागत करने के साथ साथ मैं मंत्री महोदय से इसके कुछ उपबन्धों के सम्बन्ध में स्पष्टीकरण चाहता हूं । विधेयक में इस बात का उल्लेख क्यों किया जाय कि उपकर की दर इस प्रकार होगी कि यह एक रुपया प्रतिमीट्रिक टन से अधिक नहीं हो जो कि समय समय पर सरकार द्वारा चूने के पत्थर अथवा डोलोमाइट के लिये निश्चित की जा सके । सरकार यह स्वीकार कर चुकी है कि चूने के पत्थर अथवा डोलोमाइट खनन उद्योग में काम करने वाले श्रमिकों के रहन सहन की परिस्थितियां आमतौर पर संतोषजनक नहीं है ।

तत्पश्चात लोक सभा मध्याह्न भोजन के लिये दो बजे म० प० तक के लिये स्थगित हुई ।

The Lok Sabha then adjourned for Lunch till Fourteen of the Clock.

मध्याह्न भोजन के पश्चात लोक सभा दो बजकर चार मिनट म० प० पर पुनः समवेत हुई ।

The Lok Sabha re-assembled after Lunch at Four Minutes Past Fourteen of the Clock.

[**उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए**
Mr. Deputy Speaker in the Chair]

***श्री जे० माता गोडर** (नीलगिरि) : मैं अनुभव करता हूं कि सरकार उद्योगपतियों और खान मालिकों को सुरक्षा प्रदान कर रही है, जो श्रमिकों के कल्याण की परवाह नहीं करते हैं । अतः इस उपबंध में संशोधन किया जाये ।

यह बात आश्चर्यजनक है कि इस विधेयक के खंड 5 के अन्तर्गत सीमेंट फैक्ट्रियां और इस्पात संयंत्र, जो चूने के पत्थर तथा डोलोमाइट का सर्वाधिक उपयोग करते हैं, उपकर की राशि वसूल करने के लिए "वसूली एजेन्ट" के रूप में कार्य करेंगे । यह सभी जानते हैं कि हाल में सीमेंट कर्मचारियों ने इसीलिये हड़ताल की थी क्योंकि सीमेंट उद्योग उनकी बहुत देर से चली आ रही मांगों को पूरा करने में असमर्थ रहा था । मुझे इस बात का डर है कि चूने के पत्थर तथा डोलोमाइट खानों में काम करने वाले कर्मचारियों को मिलने वाले लाभ को हड़पने के लिये सीमेंट फैक्ट्रियां तथा चूने के पत्थर और डोलोमाइट खानों के मालिक कहीं एक न हो जायें । यदि ऐसा हुआ तो इस विधेयक का उद्देश्य पूरा नहीं होगा । अतः हम मंत्री महोदय से यह जानना चाहेंगे कि क्या इस उपकर को किसी अन्य शुल्क की भांति सीधा वसूल नहीं किया जा सकता है ? इसके लिये बिचौलियों की क्या आवश्यकता है और वह भी उद्योगपतियों और खान मालिकों जैसे बिचौलियों की जोकि श्रम कल्याण के लिये स्वयं कोई उपाय नहीं करते हैं ।

Dr. Laxminarain Pandeya (Mandsaur) : This Bill has been introduced for the welfare of labours. There can be no disagreement about the spirit of the Bill but it is doubtful if this object could be achieved. The income likely to be derived will be about Rs. 44 lakhs and the expenditure about Rs. 3 lakhs. The per capita expenditure of 60 thousand workers comes to Rs. 6 only. How could any welfare measures be undertaken with this small amount ?

Why this Bill is going to be made applicable only to the workers of limestone and dolomite mines ? There are other mines like those of soft stone or soap stone in which thousands of workers are employed. Why are those workers being left out ?

* तमिल में दिये गये भाषण के अंग्रेजी अनुवाद का संक्षिप्त हिन्दी रूपान्तर ।

*Summarised translated version based on English translation of a speech delivered in Tamil.

The hon. Minister stated that the rules under this Bill will be framed later and powers are being given to the Government in that regard. Our experience is that Government unnecessarily delays such things. We want the Minister to give some indication that by what time the rules will be formulated.

Shri R. N. Sharma (Dhanbad) : This Bill is being passed in a haste. There are several drawbacks in it which need to be removed. It is only at this stage that we can remove these drawbacks because our past experience shows that it takes much time to amend the Bill at a later stage.

A large number of mine workers will continue to be deprived of the benefit of welfare fund even after passing the Bill. As recommended by the National Commission on Labour all the mine workers should be covered by such measures.

The Bill has provided for cess not exceeding Rs. 1/- per ton. What welfare measures can be undertaken with the meagre amount derived from this cess ? Mine owners will be the collecting agents of this cess Mine owners will be the collecting agents of this cess. It should be stated by the Minister as to how the various welfare schemes are proposed to be undertaken.

It is not known as to how this half-hearted measure will benefit the limestone and dolomite mine workers. The Minister should be prepared to bring on amending Bill very soon to remove the drawbacks of the Bill.

Shri Damodar Pandey (Hazaribagh): This bill has been brought forward for the welfare of labours. Various welfare organisations in coal, iron, mica or manganese mines are unable to implement the labour welfare schemes because they have no adequate funds something could be done to implement the labour welfare schemes if the Government started to realise the cess at the rate of one rupee.

No satisfactory housing and medical facilities are available to labourers under the various welfare schemes in these mines. There is neither water nor electricity nor proper sanitary arrangements in the houses constructed for the labourers with the result that nobody occupies those houses. It is wastage of public money in the name of welfare activities.

As suggested by the National Labour Commission, a comprehensive scheme for promoting the welfare of all the mine workers in the country should be brought forward as early as possible.

It has been argued that if the amount of cess is increased by 4 annas or 8 annas per ton, the economy of the country would be shattered. This is a strange argument. It is, therefore, most imperative that recovery be made at the rate of Re. 1 as provided. In addition, recovery machinery should be tightened so that welfare activities do not suffer due to lack of funds.

Shri Ram Singh Bhai Verma (Indore) : I congratulate the hon. Minister for bringing forward this Bill. The condition of mine workers is very miserable in these mines and no efforts have so far been made to improve their lot. Constitution of a Central Committee is a right step in this direction. Such Committees should also be set up at the State level. Government should pay more attention to the activities for the welfare of workers in different kinds of mines.

Workers working in mines should be provided with sanitary arrangements, provision of drinking water and facilities for bath etc. Arrangements for periodical medical check up of mine workers and for their treatment should be made. Adequate lighting arrangements should be made in the housing colonies built up for mine workers. Steps should be taken to impart technical education of their deserving children.

श्रम और पुनर्वास मंत्री (श्री आर० के० खाडिलकर) : श्रीमन, जिन सदस्यों ने चर्चा में भाग लिया, उनका मैं धन्यवाद करता हूं। एक प्रश्न यह उठाया गया है कि लौह अयस्क, अभ्रक, कोयले

और अब चूना पत्थर तथा डोलोमाइट के लिये इतनी अधिक कल्याण निधियां क्यों हों। स्थिति यह है कि श्री मालविया की अध्यक्षता में बनायी गयी समिति ने खनन क्षेत्र में कल्याण गतिविधियों के विभिन्न पहलुओं पर विचार किया था और उस प्रतिवेदन के आधार पर श्रम सम्बन्धी राष्ट्रीय आयोग ने कुछ सिफारिश की थी । सरकार ने महसूस किया है कि यदि सभी निधियों का समेकन कर दिया जाये, तो इससे प्रशासनिक लागत कम हो जायेगी ।

मैगनीज खानों जैसी कुछ अन्य खानों में अभी इसे लागू किया जाना है। वहां और अन्य क्षेत्रों में भी कल्याण निधि बनाये जाने का प्रस्ताव है, इसके पश्चात एक समेकित कल्याण निधि स्थापित की जा सकती है और सभी कल्याण सम्बन्धी गतिविधियों का एक ही केन्द्र से निर्देशन किया जा सकता है।

कल्याण हेतु एक रुपया प्रति टन कल्याण उप कर के रूप में लगाने के लिए शक्ति के बारे में भी प्रश्न किया गया है । जब कभी भी इस प्रकार के किसी विधान को प्रस्तुत किया जाये, तो इस बात का ध्यान रखा जाय कि उपभोक्ता व्यय पर इसका क्या प्रभाव पड़ता है । थोड़े से कल्याण कार्य और उपकर लगाने से निर्माताओं को मूल्य बढ़ाने का अवसर मिल जाता है । इस दृष्टि से इस दिशा में एक छोटा सा पग उठाया गया है ।

कर्मचारियों की संख्या 58000 है और 44 लाख रुपये इकट्ठा होने की सम्भावना है । उन उपभोक्ताओं को इसके अन्तर्गत नहीं लिया जायेगा जिनकी खपत थोड़ी है । वसूली की दृष्टि से लाइम स्टोन और डोलोमाइट के प्रमुख और बड़े उपभोक्ताओं को चुन लिया गया है ।

दूसरा प्रश्न यह पूछा गया है कि ये कमियां क्यों हैं और इन्हें संयुक्त समिति को क्यों नहीं सौंपा जा सकता है । सरकार को ज्ञात है कि इसमें अवश्य कुछ त्रुटियां हैं । इस बात का दावा नहीं है कि कोई भी विधान बिलकुल सही होता है । यदि इसमें कुछ ऐसी बातें हैं जिनका कि संशोधन आवश्यक हो तो सरकार इसमें अवश्य संशोधन करेगी ।

ऐसा पूछा गया है कि कल्याण कार्यों के लिये नियोजकों को धन क्यों दिया जाता है। निस्संदेह प्रत्येक ईमानदार नियोजक से यही आशा की जाती है कि वह अपने कर्मचारियों का हित करेगा लेकिन कोई भी नियोजक इस दायित्व को नहीं निभाते ।

मैं इस बात को मानता हूं कि खान उद्योगों में कल्याण कार्य होने चाहिये और हमारा प्रयत्न अधिकाधिक सुविधायें प्रदान करने का होना चाहिये । मैं विशेष दावा तो नहीं करता लेकिन मुझे यह कहना ही चाहिये कि शुरू की गयी कल्याण गतिविधियों में काफी प्रगति हुई है ।

दंड की व्यवस्था के बारे में भी कुछ प्रश्न किये गये हैं। कल्याणकारी अथवा सामाजिक कानूनों में यदि कड़े दंड की व्यवस्था न हो तो ये कानून पूरी तरह से कार्यान्वित नहीं किये जा सकते हैं । हमें आशा रखनी चाहिये कि वसूली ईमानदारी से होगी ताकि हम कल्याणकारी कार्य शुरू कर सकें । इन्हीं बातों को ध्यान में रखते हुए हम इस विधेयक को सदन के सम्मुख लाये हैं ।

उपाध्यक्ष महोदय: प्रश्न यह है कि :

"कि चूनापत्थर और डोलोमाइट की खानों में नियोजित व्यक्तियों के कल्याण की अभि-

वृद्धि करने के क्रियाकलापों के वित्तपोषणार्थ चूनापत्थर और डोलोमाइट पर उपकर के उदग्रहण और संग्रहण का उपबन्ध करने वाले विधेयक पर विचार किया जाये।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ
The Motion was adopted

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है कि :

"खंड 2-16, खंड 1, अधिनियम सूत्र तथा विधेयक का नाम विधेयक का अंग बनें।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ
The Motion was adopted

"खंड 2–16, खंड 1, अधिनियम सूत्र तथा विधेयक का नाम विधेयक में जोड़ दिये गये"
Clauses 2-16, clause 1, the Enacting Formula and the Title were added to the Bill

श्री आर० के० खाडिलकर : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि विधेयक को पारित किया जाये।"

उपाध्यक्ष महोदय : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ :

"कि विधेयक को पारित किया जाये।"

Shri Hukam Chand Kachwai (Morena) : It is not clear as to how the levy of Rs. 44 lakhs will be sufficient for 55 thousand persons which is insufficient for meeting the expenditure required for medical facilities, education and other activities for the welfare of mine workers.

Different kind of quarries should be covered under the Bill. Steps should be taken to see that whatever laws are enacted, they should be put into force in a proper spirit.

Period of 20 years for the payment of royalty should be reduced. The power of appointing Chairman of the Central Committee should be delegated to the State Governments. This legislation should also cover 1½ lakhs of workers of other mines in the country.

श्री आर० के० खाडिलकर : मैं यह पहिले ही बता चुका हूं कि मैंगनीज को अभी इसके अन्तर्गत लिया जाना है। पत्थर की खादानों एवं अन्य को इसके अन्तर्गत लेने के सुझाव पर विचार किया जायेगा। यह भी कहा गया है कि अनेक श्रमिकों को इसके अन्तर्गत नहीं लिया गया। सरकार इस बात के प्रति जागरूक है और इस बात के उपाय किए जा रहे हैं कि श्रमिकों को कदाचारों, शोषण आदि से बचाया जा सके।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

'कि विधेयक पारित किया जाये"।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ
The Motion was adopted

अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के आयुक्त के वर्ष 1969-70 संबंधी उन्नीसवें प्रतिवेदन के बारे में प्रस्ताव

MOTION RE. NINETEENTH REPORT OF COMMISSIONER FOR SCHEDULED CASTES AND SCHEDULED TRIBES FOR 1969-70

शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति मन्त्री (प्रो० एस० नूरुल हसन) : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि यह सभा अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के आयुक्त के वर्ष 1969-70 सम्बन्धी 19वें प्रतिवेदन पर, जो 22 दिसम्बर, 1971 को सभा-पटल पर रखा गया था, विचार करती है।"

प्रारम्भ में, मैं प्रतिवेदन के प्रस्तुत करने में देरी पर खेद व्यक्त करता हूं। यह प्रतिवेदन मंत्रालय में 1जुलाई 1970 को प्राप्त हुआ था परन्तु हिन्दी अनुवाद के प्रकाशन में देरी के कारण यह प्रतिवेदन वर्ष 1971 के अन्त में ही प्रकाशित हो सका और इसे 22 दिसम्बर 1971 को सभा-पटल पर रखा गया।

बजट सत्र में मैंने प्रतिवेदन पर विचार करने का प्रस्ताव प्रस्तुत किया था। परन्तु दुर्भाग्य से समय की कमी के कारण इस पर विचार न हो सका। पिछले सत्र में यह अनुभव किया गया कि इस पर विचार करने के लिये अधिक समय अपेक्षित होगा अतः इस पर अब विचार किया जा रहा है। वर्ष 1970-71 का प्रतिवेदन भी प्रस्तुत किया जा चुका है और वह अनुवाद तथा प्रकाशन की अवस्था में है। वह कार्य पूरे होने पर उसे भी सभा पटल पर रख दिया जायेगा।

इस विषय पर अधिक न कहते हुए भी मैं इतना अवश्य कहना चाहूंगा कि यह सत्य है कि जनजातीय लोगों एवं अनुसूचित जातियों के लोगों की दशा सुधारने के लिये बहुत कुछ किया गया है। परन्तु यह भी सत्य है कि अभी बहुत कुछ किया जाना आवश्यक है। यह बहुत ही खेद की बात है कि देश के सामान्य विकास के पश्चात भी अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के कल्याण के लिये विशेष उपाय अपेक्षित हैं।

केन्द्र सरकार तथा राज्य सरकारों ने पिछड़े वर्गों के कल्याण के लिये पंचवर्षीय योजनाओं के अन्तर्गत 275 करोड़ रुपये व्यय किए हैं। वर्ष 1969 तक केवल अनुसूचित जनजातियों पर ही लगभग 153 करोड़ रुपये का व्यय किया गया था और आर्थिक विकास पर 115 करोड़ रुपये का व्यय हुआ। शिक्षा योजनाओं पर 104 करोड़ रुपये का व्यय हुआ तथा स्वास्थ्य आवास तथा अन्य योजनाओं पर 53 करोड़ रुपये का व्यय हुआ। विभिन्न राज्यों ने गैर-योजना बजट के अन्तर्गत 100 करोड़ रुपये का व्यय किया है। चौथी योजना में 142 करोड़ रुपये के व्यय का उपबन्ध किया गया था जिसमें से पहले तीन वर्षों में 76 करोड़ रुपये की धनराशि का व्यय किया जा चुका है। शेष धनराशि चालू योजनावधि के अन्त तक व्यय की जायेगी।

Shri Shambhu Nath (Saidpur) : Sir, I rise on a point of order. Earlier when the report of Commissioner for Scheduled Castes and Scheduled Tribes was presented Government used to present a report about 'Action taken' along with that for some years now it is not being done. I request that this Report should also be presented simultaneously.

उपाध्यक्ष महोदय : यह कोई व्यवस्था का प्रश्न नहीं है। यह एक अनुरोध है।

श्री शम्भू नाथ : अब तक सदन में यह प्रथा थी कि मुख्य प्रतिवेदन के साथ ही 'एक्शन-टेकन' प्रतिवेदन भी प्रस्तुत किया जाता था।

उपाध्यक्ष महोदय : यह कोई व्यवस्था का प्रश्न नहीं है। यदि मंत्री महोदय चाहें तो चर्चा के उत्तर में इसका उल्लेख कर सकते हैं।

Shri Ram Dhan (Lalganj) : How can we discuss the issue when 'Action Taken Report' has not been made available.

उपाध्यक्ष महोदय : मैंने अपना निर्णय दे दिया है **(अन्तर्बाधाएं)**

Choudhary Ram Sewak (Jalaun) : It is not a new development. Action Taken Report has not been submitted since 1966.

प्रो० एस० नूरुल हसन : माननीय सदस्य धैर्य रखें इस विषय पर भी कुछ बताता हूं।

श्री शम्भू नाथ : यह प्रतिवेदन सदन में क्यों प्रस्तुत नहीं किया गया ?

उपाध्यक्ष महोदय : आप कृपया बैठ जाएं और धैर्य रखें। मंत्री महोदय उत्तर देंगे।

Shri Ambesh (Firozabad) : This discussion would be fruitless without the 'Action Taken Report'. We want your ruling on this (**Interruptions**).

उपाध्यक्ष महोदय : हमें मंत्री महोदय की बात सुननी चाहिए।

प्रो० एस० नूरुल हसन : वह आपका आदेश चाहते हैं मेरा स्पष्टीकरण नहीं।

उपाध्यक्ष महोदय : मैंने अपना निर्णय दे दिया है। आप अपना स्पष्टीकरण दें।

प्रो० एस० नूरुल हसन : सदस्य अपनी बातें करने के लिये बहुत अधीर हैं अतः मैं सदन का समय नहीं लेना चाहता।

प्रो० मधु दंडवते (राजापुर) : हमारा केवल इतना कहना है कि आपने प्रक्रिया नियमों का उल्लंघन किया गया है।

उपाध्यक्ष महोदय : जहां तक मैं जानता हूं यह प्रक्रिया कभी नहीं रही कि प्रतिवेदन के साथ सरकार की गई कार्यवाही सम्बन्धी प्रतिवेदन Action Taken Report भी प्रस्तुत करे। फिर भी मैं अब तक की प्रक्रिया को जांच कर रहा हूं।

प्रो० एस० नूरुल हसन : सन् 1966 से यह प्रक्रिया नहीं है। तथापि, क्योंकि माननीय सदस्य यह चाहते हैं कि 'एक्शन टेकन रिपोर्ट' भी सदन को प्रस्तुत की जाये अतः सरकार ऐसा करेगी। परन्तु इस बात को देखते हुए कि क्योंकि इस बारे में राज्य सरकारों से सूचना प्राप्त होने में देरी लगती है अतः मेरा यह सुझाव है कि यदि माननीय सदस्य इस बात से सहमत हों तो सरकार पिछले वर्ष के प्रतिवेदन पर 'एक्शन टेकन' प्रतिवेदन प्रस्तुत करे जिससे कि भावी वर्ष का प्रतिवेदन प्रस्तुत करने में देरी न हुआ करे।

Shri Shambhu Nath : I want to seek your protection. Sir, this Report relates to year 1969-70 and now it is 1972. Full information has not been received from all the States. It would have been better if this Report is considered on receipt of information from State Governments. What is the reason for the delay in receipt of full information ? We want your protection on this.

प्रो० एस० नूरुल हसन : मैं चाहता हूं कि एक बात स्पष्ट रूप से समझ ली जाये । अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों विषयक संसदीय समिति का मुख्य कार्य क्या है ? मेरा यह विचार था कि इस समिति का एक मुख्य कार्य अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जन जातियों के आयुक्त के प्रतिवेदन पर की गई कार्यवाही को देखना है ।

श्री आर० डी० भंडारे (बम्बई मध्य) : श्री शम्भु नाथ द्वारा उठाया गया प्रश्न उचित है । देरी तो हो ही चुकी है अतः अच्छा होगा यदि की गई कार्यवाही के प्रतिवेदन के साथ ही हम इस प्रतिवेदन पर विचार करें । उसके बिना इस प्रतिवेदन पर विचार व्यर्थ है ।

माननीय मंत्री ने अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों विषयक संसदीय समिति का उल्लेख किया । वास्तव में उक्त समिति का कार्य इस प्रतिवेदन पर 'की गई कार्यवाही' पर विचार करना ही नहीं है । यह तो उक्त समिति का एक निदेश पद है । इस समिति का कार्य यह देखना है कि अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जन-जातियों के लोगों की शिकायतें क्या हैं, उन्हें हल करने के लिये क्या कार्यवाही की गई है और आरक्षण सिद्धान्तों का किस सीमा तक पालन किया जा रहा है आदि आदि । इस प्रकार की गई कार्यवाही के प्रतिवेदन और इस समिति के कार्य में अन्तर है ।

उपाध्यक्ष महोदय : सोचने की बातें दो या तीन हैं । पहली बात तो यह है कि यह परम्परा रही है अथवा नहीं कि आयुक्त के प्रतिवेदन के साथ ही की-गई कार्यवाही का प्रतिवेदन भी प्रस्तुत होता था । जहां तक मुझे याद है यह परम्परा नहीं थी । मैं इस बात की जांच कर रहा हूं ।

दूसरी बात यह है कि 'की गई कार्यवाही' का प्रतिवेदन कौन देगा । यह सदन की समिति है । प्राक्कलन समिति तथा लोक लेखा समिति अपना प्रतिवेदन और 'की गई कार्यवाही' का प्रतिवेदन प्रस्तुत करती है । मेरे विचार से यही प्रक्रिया होनी चाहिए । अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के कल्याण विषयक समिति का यह कर्तव्य होना चाहिए कि सरकार से पूछे कि क्या कार्यवाही की गई है और फिर संसद को प्रतिवेदन दे ।

अब जो सुझाव दिया गया है वह तभी माना जा सकता है जब उसे चर्चा स्थगित करने के प्रस्ताव के रूप में प्रस्तुत किया जाये अन्यथा नहीं ।

श्री दशरथ देव (त्रिपुरा पूर्व) : यह ठीक है कि यह प्रतिवेदन अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के कल्याण विषयक समिति द्वारा प्रस्तुत किया जाना चाहिए । परन्तु कठिनाई यह है कि हमने उक्त समिति के प्रतिवेदन पर सदन में कभी चर्चा नहीं की ।

उपाध्यक्ष महोदय : आपको कोई रोकता नहीं । आप उसके लिये प्रस्ताव प्रस्तुत कर सकते हैं ।

श्री दशरथ देव : हमने इस पर कभी चर्चा नहीं की । यह तो तभी हो सकता है जब आयुक्त के प्रतिवेदन पर चर्चा हो ।

श्री आर० डी० भंडारे : जहां तक सदस्यों की बात है हम चर्चा को स्थगित नहीं करना चाहते । सदस्य चाहते हैं कि आयुक्त के प्रतिवेदन पर 'की गई कार्यवाही' विषयक प्रतिवेदन प्रस्तुत करने की परम्परा का पालन होना चाहिये ।

उपाध्यक्ष महोदय : ''की गई कार्यवाही'' विषयक प्रतिवेदन कौन प्रस्तुत करेगा ?

श्री आर० डी० भंडारे : सरकार के द्वारा प्रस्तुत की जायेगी और इस प्रतिवेदन के साथ ही उस पर चर्चा होनी चाहिए। आयुक्त ने हजारों सिफारिशें की हैं। उनके कार्यान्वियन की स्थिति के बारे में कोई नहीं जानता।

प्रो० एस० नूरुल हसन : लोक सभा ने 16 जून 1971 को जो प्रस्ताव पारित किया है उसमें स्पष्ट रूप से अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों विषयक कल्याण समिति के कृत्यों का उल्लेख किया गया है। उसमें यह उल्लेख है कि आयुक्त द्वारा संविधान की धारा 338(2) के अन्तर्गत प्रस्तुत प्रतिवेदन पर विचार करना और उस दिशा में कार्यवाही के लिये उपायों को सुझाते हुए दोनों सदनों में प्रतिवेदन प्रस्तुत करना उक्त समिति का कार्य है। इसके सन्दर्भ में सरकार का यह मत था कि प्रतिवेदन प्रस्तुत करना समिति का कार्य है। परन्तु यदि सदन चाहता है कि प्रतिवेदन प्रस्तुत किया जाये तो सरकार को कोई आपत्ति नहीं परन्तु इस सम्बन्ध में यह तय हो जाना चाहिए कि किसी भी वर्ष के प्रतिवेदन के साथ उससे पिछले वर्ष के प्रतिवेदन पर "की-गई कार्यवाही" प्रतिवेदन प्रस्तुत किया जायेगा, क्योंकि यदि उसी वर्ष के प्रतिवेदन के साथ उक्त प्रतिवेदन प्रस्तुत किया जाना हुआ तो इसमें व्यर्थ की देरी लगेगी।

श्री बी० के० दास चौधरी (कूच बिहार) : मेरे विचार से अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जन जातियों के कल्याण विषयक संसदीय समिति और सांविधिक आयुक्त के बारे में कुछ गलत धारणाएं हैं। वास्तव में यह दोनों अलग-अलग निकाय हैं। आयुक्त जो कि सांविधिक पदधारी है, के प्रतिवेदन और उस पर सरकार द्वारा की गई कार्यवाही आदि को देखते हुए लगभग सभी संसद सदस्यों ने अनुभव किया है कि यह व्यवस्था ही काफी नहीं है अतः एक संसदीय समिति का गठन किया जाना चाहिए। इसी के अनुसार उक्त समिति का गठन हुआ। आप भी कुछ समय तक उक्त समिति से सम्बद्ध रहे हैं।

उक्त समिति के निदेश-पदों के अनुसार इसका एक कार्य अनुसूचित जातियों के आयुक्त के प्रतिवेदन पर की गई कार्यवाही पर विचार करना है। यह समिति अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत करती है, सरकार सुझावों पर विचार करती है, उन पर कार्यवाही करती है और फिर उसके सम्बन्ध में समिति को सूचित करती है।

इसी प्रकार अनुसूचित जातियों के आयुक्त का प्रतिवेदन है। उस पर भी 'की-गई कार्यवाही' प्रतिवेदन तैयार होता है। यह दोनों अलग बातें हैं। इन दोनों को मिलाया नहीं जाना चाहिए। आयुक्त के प्रतिवेदन पर 'की-गई कार्यवाही' प्रतिवेदन प्रस्तुत न करना सरकार की असफलता है।

श्री एस० एम० सिद्दय्या (चामराजनगर) : वर्ष 1966 तक यह परम्परा थी कि आयुक्त की सिफारिशों पर की गई कार्यवाही का प्रतिवेदन भी अगले वर्ष के प्रतिवेदन के साथ प्रस्तुत किया जाता था। एक बार मेरे एक प्रश्न के उत्तर में यह स्वीकार भी किया गया था कि 'की-गई कार्यवाही' प्रतिवेदन तैयार न होने के कारण आयुक्त के प्रतिवेदन पर चर्चा नहीं की जा सकती।

परन्तु अब अनुसूचित जातियों के कल्याण विषयक संसदीय समिति के प्रतिवेदन और आयुक्त के प्रतिवेदन के बीच कुछ गलत फहमी आ गई लगती है। संसदीय समिति आयुक्त की सिफारिशों और उन पर सरकार द्वारा की गई कार्यवाही पर विचार करती है। अत: यदि की-गई कार्यवाही का प्रतिवेदन ही नहीं होगा तो उक्त समिति इस बारे में विचार ही क्या करेगी ?

दूसरे संसदीय समिति केवल केन्द्र सरकार एवं इसके प्रशासन के संबंध में ही विचार कर सकती है राज्य सरकारों के संबंध में नहीं। आयुक्त के प्रतिवेदन का संबंध, वस्तुतः, प्रत्येक राज्य से होता है। अतः सरकार के लिए यह आवश्यक है कि आयुक्त के प्रतिवेदन पर 'की-गई कार्यवाही' प्रतिवेदन भी प्रस्तुत किया जाए।

उपाध्यक्ष महोदय : मुझे भी सचिवालय से सूचना प्राप्त हो गई है कि वर्ष 1961-62, वर्ष 1964-65 और वर्ष 1965-66 के संबंध में आयुक्त के प्रतिवेदनों पर सरकार द्वारा की गई कार्यवाही प्रतिवेदन भी सभा पटल पर रखे गए थे। संसदीय समिति का गठन वर्ष 1969 में हुआ था। उसके पश्चात सरकार ने, शायद, कोई 'की-गई कार्यवाही' प्रतिवेदन प्रस्तुत नहीं किया। संसदीय समिति के निदेश पदों के कारण कुछ गलत फहमी हो गई प्रतीत होती है। खैर अब माननीय मंत्री ने कहा है कि यदि सदन चाहे तो आयुक्त के प्रतिवेदन के पिछले वर्ष के संबंध में की-गई कार्यवाही का प्रतिवेदन प्रस्तुत करने को सरकार तैयार है। उनके इस आश्वासन को हमें स्वीकार कर लेना चाहिये।

संसदीय कार्य तथा नौवहन और परिवहन मंत्री (श्री राजबहादुर) : यह भावना व्याप्त तो गई थी कि अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के आयुक्त के प्रतिवेदन पर पर्याप्त तथा समय पर कार्यवाही नहीं होती अतः अच्छा होगा कि उसकी सिफारिशों, उनके कार्यान्वयन आदि पर नजर रखने के लिए एक संसदीय समिति का गठन किया जाए। उक्त समिति के निदेश पद भी इस दिशा की ओर स्पष्ट इंगित करते हैं।

जहां तक 'की-गई कार्यवाही' प्रतिवेदन के प्रस्तुत न किए जाने की बात है वह तो मुझे इस समय मालूम नहीं परन्तु इतना अवश्य है कि यदि माननीय सदस्य उसके आधार पर चर्चा को स्थगित करना चाहते हैं तो अलग बात है और यदि वे ऐसा नहीं चाहते तो प्रतिवेदन पर यह सदन विचार करके अपने विचार प्रकट करे। इस बारे में तीन बातें हैं। सरकार इस प्रतिवेदन पर विचार करे और फिर कार्यवाही करे। संसदीय समिति भी उक्त प्रतिवेदन पर विचार करे और अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत करे और फिर सदन उस पर विचार करे।

श्री अटल बिहारी बाजपेयी : संसदीय समिति का गठन वर्ष 1969 में हुआ था उससे पूर्व सरकार द्वारा कार्यवाही प्रतिवेदन प्रस्तुत न करना स्पष्ट रूप से सरकार की असफलता है। हम चाहेंगे कि सदन इस प्रतिवेदन पर विचार करे परन्तु साथ ही मंत्री महोदय भी यह स्वीकार करें कि सरकार अपने कार्य में असफल रही है।

श्री राज बहादुर : सरकार की इसमें कोई असफलता नहीं है।

उपाध्यक्ष महोदय : मैं इस बात का पता लगा रहा हूं कि 1967 के पश्चात कार्यवाही प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया अथवा नहीं।

श्री जी० विश्वनाथन (वान्डीवाश) : क्या सरकार यह नहीं बता सकती ?

उपाध्यक्ष महोदय : मेरे विचार से किसी ने यह सुझाव नहीं दिया कि चर्चा स्थगित की जाये।

श्री जी० विश्वानाथन : हम लाभदायक चर्चा चाहते हैं।

उपाध्यक्ष महोदय : माननीय मंत्री का भी यही मत है। उन्होंने प्रस्ताव प्रस्तुत करना प्रारंभ ही किया था कि माननीय सदस्यों को उन्हें प्रस्ताव प्रस्तुत करने और उन विषयों का उत्तर देने का अवसर . . .

श्री समर गुह (कन्टाई) : मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है ...

उपाध्यक्ष महोदय : कृपया पहले आप बैठ जाएं।

शांति, शांति। संसदीय अनुशासन का पालन किया जाना चाहिए। अध्यक्ष पीठ और वक्ता के बीच में किसी अन्य सदस्य को अपनी बात नहीं कहनी चाहिए। और दूसरे किसी को अध्यक्ष पीठ की ओर से मुंह फेर कर नहीं खड़ा होना चाहिए।

जहां तक श्री समर गुह के व्यवस्था के प्रश्न का सम्बन्ध है, उनका यह व्यवस्था का प्रश्न नहीं है।

मंत्री महोदय इस बात पर सहमत हो गये हैं। किन्तु केवल पिछले प्रतिवेदन पर की गई कार्यवाही का ही प्रतिवेदन रखा जायेगा। यदि आप सब सहमत हैं तो मंत्री महोदय अपने प्रस्ताव पर चर्चा जारी रख सकते हैं।

Shri T. Sohan Lal (Karol Bagh) : But some time should be indicated as to when the report would be submitted.

उपाध्यक्ष महोदय : यह बात तो ठीक है।

श्री समर गुह : अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के आयुक्त के 19वां प्रतिवेदन को सरकार पहले ही प्रस्तुत कर चुकी है। किन्तु हम सरकार की विफलता के लिए उन पर कोई आरोप नहीं लगा सकते। यह तो केवल सैद्धान्तिक चर्चा ही रहेगी।

उपाध्यक्ष महोदय : यह कोई व्यवस्था का प्रश्न नहीं है।

श्री समर गुह : हम 'गरीबी हटाओ' और समाजवाद की स्थापना की बात करते हैं। भारत में समाजवाद का अर्थ है अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लोगों के पिछड़े वर्गों का उत्थान करना। किन्तु सरकार द्वारा की गई कार्यवाही की रिपोर्ट के बिना इस प्रतिवेदन पर चर्चा करना बिल्कुल निरर्थक है। इसलिए इस प्रतिवेदन पर चर्चा करने से पहले यह जानना आवश्यक है कि इस पर सरकार ने क्या कार्यवाही की है तथा क्या कार्यवाही करने में सरकार असफल रही है और क्या कार्यवाही की जायेगी।

उपाध्यक्ष महोदय : आप का तात्पर्य है कि इस प्रतिवेदन पर होने वाली चर्चा को स्थगित कर दिया जाना चाहिए। इसलिए मैं आपका मत जानना चाहता हूं। यदि आप ऐसा चाहते हैं तो आपको नियम 340 के अन्तर्गत एक औपचारिक प्रस्ताव प्रस्तुत करना होगा। और इस प्रस्ताव को मेरे पास भेजना होगा।

अब प्रश्न यह है कि जैसाकि माननीय सदस्य चाहते हैं, इस प्रतिवेदन पर चर्चा तब तक स्थगित रहेगी जब तक कि सरकार इस प्रतिवेदन पर की गई कार्यवाही की रिपोर्ट सदन में प्रस्तुत नहीं करती ।

Shri Ambesh (Firozabad) : Sir, you gave you ruling a bit earlier that the hon. Minister will give reply. Before you move this point in the House, the hon. Minister should give his reply to those questions which the hon. Members have asked.

Shri Shambhu Nath (Saidpur) : Sir, since the hon. Minister has assured that the report of the action taken by the Government will be submitted before the House, the discussion should be continued.

उपाध्यक्ष महोदय : अब सदन के सामने दो मत हैं । एक तो यह है कि इन सब कमियों के बावजूद इस मामले पर चर्चा की जानी चाहिए, और सदन का बहुमत इसी मत में प्रतोत होता है । और दूसरा मत यह है कि सदन में चर्चा को स्थगित किया जाए ।

श्री आर० डी० भण्डारे : किस नियम के अधोन उन्होंने नोटिस दिया है ?

उपाध्यक्ष महोदय : माननोय सदस्य ने नियम का उल्लेख नहीं किया है । किन्तु नियम 340 के अन्तर्गत ऐसे प्रस्तावों को प्रस्तुत माना जाता है ।

श्री जगन्नाथराव जोशी : जब तक मंत्री महोदय का उत्तर नहीं आता हम 'हां', या 'ना' नहीं कह सकते ।

उपाध्यक्ष महोदय : मंत्री महोदय आप सबके प्रश्नों के उत्तर देंगे । किन्तु यदि मैं मन्त्री महोदय को बोलने की अनुमति देता हूं तो इसका अर्थ होगा कि सदन ने चर्चा करने का आदेश दे दिया है । इसलिए सबसे पहला प्रश्न तो यह है कि क्या इस पर चर्चा की जाए । इसलिए मैं श्रो समर गुह का प्रस्ताव सभा के सम्मुख प्रस्तुत करता हूं ।

श्री जी० विश्वनाथन : मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है कि संसद कार्य मंत्रालय में उपमंत्री सदन को बहका रही हैं । यह प्रतिवेदन 1967 में सदन में प्रस्तुत किया गया था । किन्तु 5 वर्ष बोतने पर भो सरकार अथवा आयुक्त इस बारे में को गई कार्यवाही सम्बन्धो रिपोर्ट सदन में प्रस्तुत नहीं कर सके हैं ।

उपाध्यक्ष महोदय : यह कोई व्यवस्था का प्रश्न नहीं है ।

संसदीय कार्य तथा नौवहन और परिवहन मंत्री (श्री राज बहादुर) : आपने कहा है कि सरकार ने कुछ गलतियां की हैं । मेरे मित्र ने कहा है कि की गई कार्यवाही सम्बन्धो रिपोर्ट की जिम्मेदारी केवल भारत सरकार की ही नहीं है । इसके लिए राज्य सरकारों की भो जिम्मेदारी है । किन्तु इन पांच वर्षों में राज्यों में केवल एक ही राजनीतिक दल की सरकारें नहीं हैं । और इसके लिए इस पर राज्य सरकारों की भी जिम्मेदारी हैं । इसलिए हमारी तरफ से कोई कमो या खरावी नहीं है, और इसे सभा की कार्यवाही वृत्तान्त से निकाल देना चाहिए ।

उपाध्यक्ष महोदय : मैं यह नहीं कह रहा कि इन कमियों के लिये सरकार जिम्मेदार है । मैं

तो अनेक माननीय सदस्यों की बात का स्पष्टीकरण कर रहा हूं। अतः अब मैं प्रस्ताव प्रस्तुत करता हूं।

उपाध्यक्ष महोदय द्वारा श्री समर गुह का प्रस्ताव मतदान के लिए रखा गया तथा अंस्वीकृत हुआ।

The motion was put and negatived.

श्री समर गुह : मैं तो केवल सरकार से यह आश्वासन चाहता हूं कि की गई कार्यवाही की रिपोर्ट कब तक प्रस्तुत की जायेगी।

उपाध्यक्ष महोदय : मैंने आपको इस बारे में पूरा समय तथा अवसर दिया है।

प्रो० एस० नूरुल हसन : माननीय सदस्य मेरे द्वारा स्थिति स्पष्ट करने के बाद सभा में आए थे। यदि सदन की यही इच्छा है तो मैं शीघ्र ही इसे सभा पटल पर रख दूंगा।

जहां तक वर्ष 1969-70 के प्रतिवेदन का सम्बन्ध है, इसे मैं दो या तीन दिन में सभा पटल पर रख दूंगा। मैं इससे पहली रिपोर्टें प्राप्त करने का प्रयास करूंगा। मैं यह बता देना चाहता हूं कि साधारणतया सदन की प्रथा यही रही है कि की गई कार्यवाही सम्बन्धी रिपोर्ट अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जन जातियों के आयुक्त के प्रतिवेदन के साथ ही प्रस्तुत की जाती है। किन्तु, पिछले 5 वर्षों में ऐसा नहीं हो सका है। अब चूंकि सदन यह चाहता है इसलिए इस पर अवश्य कार्यवाही की जायेगी।

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : माननीय सदस्य 1967 से मांग करते आ रहे हैं और मंत्री महोदय यह भी कहने को तैयार नहीं हैं कि यह सरकार की गलती है। और ऐसी गलती दुबारा नहीं होगी।

प्रो० एस० नूरुल हसन : इसमें सरकार की गलती नहीं है। यह आश्चर्य की बात है कि इतने सतर्क माननीय सदस्य ने यह कभी मांग नहीं की कि ऐसा किया जाना चाहिए।

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : क्योंकि मैंने इस प्रश्न को नहीं उठाया इसलिए सरकार ने प्रतिवेदन प्रस्तुत नहीं किया।

Shri Raj Bahadur : Sir, there were your Governments in some of the States, and they did nothing in this matter.

Shri Atal Behari Vajpayee : If the Governments belonging to my party have not done this, you must submit your report mentioning the name of those State Governments which have not submitted their reports. You cannot cover your lapses in this manner.

प्रो० एस० नूरुल हसन : इस बात को कार्यवाही वृत्तान्त में शामिल किया जाना चाहिए कि हम इसे सरकार की असफलता नहीं मानते। समिति के निर्देश पदों को दृष्टि में रखते हुए हमारी यह भावना थी कि की गई कार्यवाही सम्बन्धी रिपोर्ट को पहले समिति के सम्मुख प्रस्तुत किया जाए और फिर समिति इसे सदन में पेश करे। अब चूंकि सदन यह चाहता है इसलिए इसे सीधे सदन में पेश करने में सरकार को कोई संकोच नहीं होगा।

मैं कह रहा था कि अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के कल्याण के लिए चौथी योजना में 142 करोड़ रुपये की व्यवस्था की गई थी जिसमें से 76 करोड़ रुपये से अधिक राशि पहले तीन वर्षों में ही खर्च हो गई है और बाकी धन चौथी योजना के अन्त तक खर्च कर दिया जायेगा। इसमें राज्य सरकारों द्वारा खर्च किया जाने वाला गैर-नियोजित-बजट, धन शामिल नहीं है।

देश के आदिवासी क्षेत्रों में कार्य कर रहे 504 आदिवासी विकास खण्डों पर लगभग 55 करोड़ रुपया पहले ही व्यय हो चुका है। अधिक पिछड़े और नाजुक आदिवासी क्षेत्रों के गहन विकास के लिए खाद्य और कृषि मंत्रालय द्वारा हाल ही में एक विशेष आदिवासी विकास योजना आरम्भ की गई है। इस योजना के अन्तर्गत 6 परियोजनाएं हैं जो दो मध्य प्रदेश में, दो उड़ीसा में और एक-एक आंध्र प्रदेश तथा बिहार के लिए स्वीकृत की गई हैं, जिनमें प्रत्येक के लिए चतुर्थ योजना को शेष अवधि में 1.50 करोड़ रुपये का परिव्यय रखा गया है। अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के छात्रों के लिए मैट्रिकोपरान्त छात्रवृत्ति बहुत लोकप्रिय हो गई है। ऐसे छात्रों की संख्या बहुत बढ़ गई है। अनुसूचित जातियों के लिए इस छात्रवृत्ति पर होने वाला व्यय 8 लाख रुपये से बढ़कर 960 लाख रुपये हो गया है और अनुसूचित जनजातियों के लिए यह खर्च 3 लाख रुपये से बढ़कर 193 लाख रुपये हो गया है। यह कार्यक्रम अब नव-बौद्धों पर भी लागू कर दिया गया है। अधिक योग्य छात्र अब सामान्य छात्रवृत्ति से डेढ़ गुना अधिक छात्रवृत्ति प्राप्त करने के अधिकारी हो जायेंगे।

छात्रों को प्रशिक्षण देने के लिए पूर्व-परीक्षण केन्द्र स्थापित किए गये हैं। अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के लोगों को भारतीय प्रशासनिक सेवा का प्रशिक्षण देने के लिए इलाहाबाद, मद्रास और पटियाला में तीन प्रशिक्षण केन्द्र खोले गए हैं।

इन जातियों, विशेषकर अनुसूचित जातियों, की दशा सुधारने के लिए सबसे महत्वपूर्ण कार्य जो किया गया है वह है भूमि का आबंटन। तीसरी योजना के अन्त तक इन जातियों के भूमिहीन खेतीहरों को लगभग 43.45 लाख एकड़ भूमि बांटी गई है। वर्ष 1965-66 से 1968-69 तक कृषि मंत्रालय के अन्तर्गत खेतीहर श्रमिकों के पुनर्वास के लिए केन्द्रीय सरकार द्वारा नियोजित, योजना के अन्तर्गत लगभग 71,367 एकड़ भूमि वितरित की गई है।

इस सम्बन्ध में अत्यन्त गम्भीर समस्या यह है कि देश में अभी तक अस्पृश्यता की बुराई जारी है। माननीय सदस्यों को पता होगा कि अस्पृश्यता अपराध संशोधन विधेयक दोनों सभाओं की प्रवर समिति को सौंप दिया गया है। जब यह समिति अपना प्रतिवेदन सदन में प्रस्तुत करेगी तभी विधायी कार्यवाही करनी समीचीन समझी जायेगी जिससे कि अस्पृश्यता के विरुद्ध अभियान तेजी से बढ़ाया जा सकेगा। शिक्षा के क्षेत्र के माध्यम से ही अस्पृश्यता सम्बन्धी विचार-धारा को पूरा किया जा सकता है।

मेरा सभी माननीय सदस्यों से अनुरोध है कि वे अपने भाषण के दौरान ऐसे सुझाव दें जिन्हें पांचवीं योजना में शामिल किया जा सके और अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों की सामाजिक, आर्थिक तथा शैक्षणिक दशा सुधारी जा सके।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ :

"कि यह सभा अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के आयुक्त के 19वें प्रतिवेदन पर, जो 22 दिसम्बर, 1971 को सभा-पटल पर रखा गया था, विचार करती है।"

कुछ प्रतिस्थापन प्रस्ताव भी आये हैं। प्रथम दो प्रस्ताव श्री ज्योतिर्मय बसु तथा श्री के० एस० चावड़ा के हैं। ये दोनों सदस्य सदन में नहीं हैं। इसलिए इनके प्रस्तावों को प्रस्तुत नहीं किया जा सकता। फिर एक श्री दशरथ देव का है। क्या वह अपना प्रतिस्थापन प्रस्ताव पेश कर रहे हैं ?

श्री दशरथ देव (त्रिपुरा पूर्व) : जी हां मैं अपना प्रतिस्थापन प्रस्ताव संख्या 3 प्रस्तुत करता हूं।

श्री अनन्त सिंह घूसिया (बस्ती) : मैं अपना प्रतिस्थापन प्रस्ताव संख्या 4 प्रस्तुत करता हूं।

श्री राजदेव सिंह (जौनपुर) : मैं अपना प्रतिस्थापन प्रस्ताव संख्या 5 प्रस्तुत करता हूं।

श्री डी० के० पंडा (भंजनगर) : मैं अपना प्रतिस्थापन प्रस्ताव संख्या 6 प्रस्तुत करता हूं।

श्री एस० एम० सिद्धय्या (चामराजनगर) : मैं अपना प्रतिस्थापन प्रस्ताव संख्या 8 प्रस्तुत करता हूं।

श्री चन्द्रिका प्रसाद (बलिया) : मैं अपना प्रतिस्थापन प्रस्ताव संख्या 9 प्रस्तुत करता हूं।

श्री रामावतार शास्त्री (पटना) : मैं अपना प्रतिस्थापन प्रस्ताव संख्या 10 प्रस्तुत करता हूं।

श्री शक्ति कुमार सरकार (जयनगर) : मैं अपना प्रतिस्थापन प्रस्ताव संख्या 13 प्रस्तुत करता हूं।

श्री दशरथ देब (त्रिपुरा पूर्व) : आज हम अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजातियों के आयुक्त के प्रतिवेदन पर चर्चा कर रहे हैं। 1952 से आयुक्त के प्रतिवेदनों पर चर्चा की जाती रही है तथा चर्चा के दौरान अनेक लाभप्रद सुझाव दिये गये हैं किन्तु सरकार ने उन्हें अब तक क्रियान्वित नहीं किया है। उक्त आयुक्त की सिफारिशों को क्रियान्वित करने के लिये न तो सरकार बाध्य है और न ही राज्यों में कोई ऐसे संगठन हैं जो इन्हें क्रियान्वित करें। अतः इन सिफारिशों का भविष्य अन्धकारमय लगता है।

सरकार ने अनेक ऐसे सुझावों को अस्वीकार किया है जिनसे निहित स्वार्थों की समाप्ति हो सकती थी। इन सब बातों को देखते हुए उक्त आयुक्त के प्रतिवेदनों का मूल्य केवल इतना है कि इस बात का प्रचार होता रहे कि अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजातियों के कल्याण के लिये कुछ किया जा रहा है। जब तक कांग्रेस की सरकार रहती है तब तक इन जातियों के लोगों से इससे अधिक आशा नहीं रखनी चाहिए क्योंकि यह सरकार पूंजीपतियों और नौकरशाहों की सरकार है अतः अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजातियों के लोगों को

मिलकर इस बात का प्रयत्न करना चाहिए कि इस सरकार को अपनी नीतियों में परिवर्तन करना पड़े ।

अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजातियों की समस्यायें अलग-अलग हैं अतः इन दोनों को मिलाना नहीं चाहिए । अनुसूचित जाति के लोग दुर्भाग्य से अत्यन्त पिछड़े हुए हैं ।

[श्री के० एन० तिवारी पीठासीन हुए]
[Shri K. N. Tiwary in the Chair]

उनकी सबसे बड़ी समस्या यह है कि उनके पास भूमि नहीं है । उनमें से 90 प्रतिशत लोग गांवों में रहते हैं तथा खेतिहर मजदूर हैं । उन्हें भूमि मिलनी चाहिए । तथा उन्हें शिक्षा भी मिलनी चाहिए । इन व्यक्तियों के लिये कहीं 20 प्रतिशत पद आरक्षित हैं तथा कहीं पर 25 प्रतिशत । किन्तु इस आरक्षण से उनका कोई कल्याण नहीं किया जा सकता । प्रश्न यह है कि सरकार को कोई ऐसा कानून बनाना चाहिए जिसके अन्तर्गत सरकार के लिये यह अनिवार्य हो कि अनुसूचित जाति के सभी व्यक्तियों को शिक्षा सुविधाएं प्रदान की जायं ।

दुर्भाग्य की बात है कि देश में अब भी छुआछूत विद्यमान है । यद्यपि ऐसे कानून बनाये गये हैं, कि छुआछूत मानने वालों को दण्ड दिया जाये तथापि हमारे देश में यह बुराई विद्यमान है । कई स्थानों पर हरिजनों की बस्ती में आग लगाई गई तथा उनकी हत्या भी की गई है । उनको सवर्ण हिन्दुओं के कुओं से पानी नहीं भरने दिया जाता । जिन व्यक्तियों को इस बुराई को समाप्त करने का कार्य सौंपा गया है वे स्वयं इस बुराई में भागीदार हैं । अतः समाज से इस बुराई को निकालना कहां तक सम्भव है ।

अनुसूचित जनजातियों के लोगों की समस्याएं कुछ भिन्न प्रकार की हैं । भूमि और शिक्षा की समस्यायें उनके समक्ष भी हैं किन्तु प्रत्येक जन जाति की पृथक बोली और पृथक संस्कृति होने के कारण उनके लोग अपने प्रत्येक वर्ग को पृथक मानते हैं। इस समस्या का समाधान शीघ्र करना होगा तथा उनकी बोली और संस्कृति का विकास करना होगा ।

अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजातियों के लोग सामाजिक, आर्थिक तथा राजनीतिक, दृष्टि से अत्यन्त पिछड़े हुए हैं । उन्हें मानव अधिकारों से वंचित रखा गया है। जब तक इन लोगों को समान अधिकार प्राप्त नहीं होते तब तक सरकार इस बात का दावा नहीं कर सकती कि देश में सफल प्रजातंत्र है ।

दिनांक 14 अगस्त, 1972 के 'टाइम्स आफ इण्डिया' में प्रकाशित समाचार के अनुसार जयसिंह पुर क्षेत्र के चटना गांव में ठाकुरों ने हरिजनों की झुग्गियों में आग लगा दी । दिनांक 20 जून, 1972 के उसी समाचार पत्र में कहा गया है कि पटना में हरिजनों का सामाजिक बहिष्कार कर दिया गया । इतना ही नहीं विशाखापतनम के निकट एक हरिजन बस्ती के लोगों पर 11 जून की रात को हमला कर दिया गया था तथा उसके निवासियों को पीटा गया था । महोदय ! इससे ज्ञात होता है कि हमारे देश में किस प्रकार की घटनाएं हो रही हैं । इन्हें देखते हुए हम अपने समाज को आधुनिक तथा सभ्य समाज नहीं कह सकते ।

आदिवासियों की समस्या के सम्बन्ध में मेरा निवेदन है कि भारतीय इतिहासकारों ने सदा हमारे समाज के बहुराष्ट्रीय स्वरूप को स्वीकार करने से इनकार किया है । यहां के पूंजीपतियों तथा भूस्वामियों और निहित स्वार्थों को सदा यह आशंका रही है कि यदि भारतीय समाज के बहुराष्ट्रीय स्वरूप को स्वीकार किया गया तो भारत में वर्ग संघर्ष बल पकड़ सकता है । इसी कारण भारत के आदिवासियों का विकास नहीं हो सका । उन्हें अब भी भारत के बुर्जुआओं और सवर्ण जातियों के आज्ञाकारियों के रूप में रखने का प्रयास किया जा रहा है ।

स्वतंत्रता प्राप्ति से पहले आदिवासियों के पास अपनी भूमि तथा अपने जंगल थे जिनसे वे अपना जीवन यापन करते थे । अब सरकार ने उनसे यह सुविधा भी छीन ली है तथा वन विस्तार के नाम से उनके जंगलों पर उनका अधिकार नहीं रहा है । झूमरिया जाति के लोग झूम की काश्त करके अपना गुजारा करते थे जिन्हें अब इस सुविधा से वंचित कर दिया गया है ।

मंत्री महोदय ने 504 आदिवासी विकास खण्डों का उल्लेख किया है । त्रिपुरा में ऐसे 6 विकास खण्ड हैं जिनमें से तेलियामूरा विकास खण्ड में इसकी स्थापना से पहले उस क्षेत्र में आदिवासियों की जनसंख्या 70 प्रतिशत थी किन्तु इस योजना के 10 वर्ष पश्चात् वहां उनकी जनसंख्या केवल 28 प्रतिशत रह गई है । इतना ही नहीं उनकी स्थिति भी दयनीय है । व्यापारियों तथा अन्य लोगों ने उनसे उनकी भूमि भी छीन ली है तथा उन्हें अन्य क्षेत्रों में रहने के लिये विवश कर दिया गया है । इस प्रकार के अनेक उदाहरण दिये जा सकते हैं ।

इस संदर्भ में मेरा सुझाव है कि जिन क्षेत्रों में आदिवासियों की जनसंख्या अधिक है उनको अनुसूचित क्षेत्र घोषित किया जाए तथा उन्हें क्षेत्रीय स्वायत्तता प्रदान की जाए । वहां क्षेत्रीय परिषदों की स्थापना होनी चाहिये जिनमें केवल इन्हीं लोगों के प्रतिनिधि रखे जाएं तथा उनका चुनाव वयस्क मतदान के आधार पर किया जाए जिससे उक्त परिषदें अपने आंतरिक कार्यों की देखभाल स्वयं कर सकें । हमें किसी अभिभावक की आवश्यकता नहीं है और यदि हमें अवसर दिया जाय तो हम अपना विकास स्वयं कर सकते हैं । आदिवासी क्षेत्रों में भाषा आदि के विभिन्न प्रकार के विशेषज्ञ भेजे जाते हैं जो वास्तव में आदिवासियों का शोषण करना चाहते हैं । किन्तु आदिवासियों में हर प्रकार के शोषण का विरोध करने की भावना पूर्णतया विद्यमान है । कुछ स्थानों पर उन्होंने व्यापारियों, भूमि हथियाने वालों और अन्य शोषकों का विरोध किया है किन्तु जब सरकार सेना और पुलिस को इन शोषकों की सहायता के लिये भेज देती है तो ये व्यक्ति असहाय हो जाते हैं । पालकू अथवा लक्ष्मी-नारायणपुर क्षेत्रों में यही हुआ क्योंकि ये लोग सरकार का मुकाबला नहीं कर सकते । इसी कारण मैं क्षेत्रीय स्वायत्तता दिये जाने पर बल दे रहा हूं । इसमे मेरा अभिप्राय पृथक राज्य बनाने से नहीं है वरन् मेरा अभिप्राय राज्य के अन्तर्गत क्षेत्रीय स्वायत्तता देने से है ।

आदिवासी विकास खण्ड योजना के अन्तर्गत सरकार ने इन क्षेत्रों के लिये भारी राशि नियत की है किन्तु मुझे खेद है कि यह राशि आदिवासियों को न मिलकर केवल अधिकारियों और निहित स्वार्थों के हाथों में जाती है । महाजनों का विरोध करने पर आदिवासियों को समाज विरोधी तत्व घोषित कर दिया जाता है तथा उसके परिणामस्वरूप उनका दमन कार्य आरम्भ हो जाता है । क्षेत्रीय स्वायत्तता की मांग करने वालों को सरकार पृथकतावादी घोषित करके उनका दमन करना आरम्भ कर देती है । मैं सरकार को सचेत कर देना चाहता हूं कि यदि वह इस 12 करोड़ जनता को अन्धकार में

रखने का प्रयत्न करेगी तो भारत की अर्थ व्यवस्था में प्रगति नहीं हो सकती। भारत इन व्यक्तियों को पीछे छोड़कर प्रगति नहीं कर सकता। अतः मैं अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के सभी सदस्यों को सुझाव देना चाहता हूं कि वे अपनी इन समस्याओं को अनुभव करें तथा यदि वे अपना विकास चाहते हैं तथा अपने अधिकारों को प्राप्त करना चाहते हैं तो वे सब मिल कर आवाज उठाएं। इस प्रकार इस सरकार को बाधा होकर इन जातियों के उत्थान के लिए कार्य करने पड़ेंगे।

Shri Shambhu Nath (Saidpur) : Sir, I beg to move my substitute motion No. 11.

I am obliged to the hon. Minister for giving us an opportunity to discuss the Report of Scheduled Castes and Scheduled Tribes Commissioner in the first week of this session.

I am sorry to point out that Government have not adopted any resolution regarding National social policy for the benefit of the one-fifth of our population. The people of Scheduled Castes and Scheduled Tribes have been exploited and victimised for thousands of years. The oppression and exploitation of these communities can only be curbed by taking some effective steps.

The Prime Minister, in her speeches, have given much emphasis on the welfare of these people. I should also mention that Harijans and other people belonging to scheduled castes have shown blind faith in the leader-ship and in the progressive policies of Shritmati Indira Gandhi and Shri Jagjiwan Ram in the mid-term elections. But the Government have not taken concrete steps to solve these problems. They have done a little work for their betterment. In 1965 when adoption of a social policy resolution was demanded, Government replied that the matter was referred to the Planning Commission. Afterwards, in 1968 Government assured that it would be included in the Fourth Five Year Plan. But nothing has been done so far in this direction. I believe that our leaders are interested in the welfare of the down trodden but the bureaucrats have no faith in the policies of the Government and they do not want to implement them. I, therefore, strongly demand the adoption of a social policy resolution with which all kinds of exploitation can be checked.

We have been demanding that social welfare departments should be given more powers to deal with the various States. It has been observed that the direction issued by this department are not followed by the States.

I hope hon. Members would support my demand to the effect that this department should be under the Prime Minister her self so that the directions issued by this department become mandatory to the State Governments.

All the powers given to the Commissioner for Scheduled Castes and Scheduled Tribes in the Constitution have been snatched away by the bureaucrats of our administration.

Not only this but the posts of 17 Regional Commissioners in the States have been abolished as a result of which it has become impossible for the Commissioner for S.C./T.C. to understand the problems of the down trodden classes because he has got no medium of public contacts. The then Minister of Education and Social Welfare, Shri Siddhartha Shanker Ray Stated in the House on 14th July, 1971 the matter regarding appointment of assistant Commissioner in each State was under the consideration of then Commissioner. In this context, I would like to know from the hon. Minister the present stage of that matter. Have Government taken any action in this connection ?

I admit that Government have been assisting the students belonging to scheduled castes by way of granting scholarships to them. In these days all groups of our society are dissatisfied

with the price rise, keeping this fact inview I would like to know whether Government propose to increase the amount of scholarship. I would also like to point out that corruption is prevailing in the administration of educational institutions. I am aware of a case in which the scholarships of two students amounting to Rs. 120 was due to be paid to them. When those students went to receive their scholarship they were paid only Rs. 70 while they had to put their signatures against the amount of Rs. 140. I raised this matter to the Collector but he expressed his helplessness in helping the poor students. This is the fate of these persons in the States. I know the hon. Minister might state it a State subject thus leaving those persons in deplorable condition.

I am strictly against the procedure of granting lump sum grants to the various States for the purpose of scholarships. Earlier scholarships were granted to the students of scheduled castes directly by the Central Government. That was the proper procedure and it should be restored so that vested interests in State Governments could not misutilise the Central grants.

To some extent literacy has reached the huts of the Harijans and educated Harijans have started to realise that theit occupation is mainly responsible for making them low in the eyes of the Caste Hindus. With this feeling they have decided to give up this service. The other groups of the society are annoyed with Harijans on this account and try to **harrass** them in one way or the other. I would like to know whether Government propose to bring any lagislation in the Parliament with the provisions under which forced and binded lobour can be ended.

I am unable to justify the plea given by non-Harijans and the police officials that Harijans should continue their occupation because they have been doing it from centuries. When there is freedom of choosing occupation why Harijans should not be allowed to give up their old occupation. In the name of law and order poor Harijans are victimised by both policemen and the Caste Hindus.

The problem of Harijans should be given a serious thought by the Government. We should have some social national policy and the Prime Minister at the Centre and Chief Ministers at the State level should deal with this matter directly.

Shri Jagannath Rao Joshi (Shajapur) : It would be better if the Home Minister remains here.

श्री शम्भु नाथ : इसका संबन्ध सीधे रूप से गृह मंत्रालय से है। कृपया उक्त मंत्रालय के किसी मंत्री को उपस्थिति रहने के लिये कहें।

श्री राज बहादुर : मैं इसकी सूचना उन्हें दे दूंगा।

सभापति महोदय : संसदीय कार्यों के मंत्री इसकी सूचना देंगे।

श्री दशरथ देव : शिक्षा मंत्री का इससे कोई संबन्ध नहीं है।

Shri B. S. Bhaura (Bhatinda) : Even after 25 years of independence we are told that a lot is being done for the welfare of the scheduled castes and schedule tribes but when a report is received we find that the work done is only negligible.

A survey carried out by the Government says : "In Madhya Pradesh alone where a survey of 404 villages was made it was revealed that in 182 villages the Harijans have not been allowed to draw water from public wells. The temples of 204 villages remain closed to them. There are only 82 villages where barbers would agree to cut their hair and only in 53 villages the washermen would wash their clothes"

When our committee visited Ahmedabad we observed that there are separate rooms in Hotels for Harijans. The Government has entrusted this job to I. C. S. and P. C. S. officers. These are capitalist officers. This problem should be looked after by committees at Central and State level.

In educatton sphere stipends are not granted to the boys who come forward and who are too poor to prosecute their studies.

In Punjab stipends fixed for Harijans in Medical Colleges remain unutilised as university has fixed the percentage of marks at 50 percent. Although the Chief Minister agreed to reduce the percentage to 45 but the Vice Chancellor does not agree to it. So I request that a new job oriented education system should be introduced.

There is no reservation so far as merit scholarships are concerned.

The political affairs committee has stated that the percentage of schedule caste employees which was 1.54 percent in 1964 increased to 2.29 per cent in 1969.

Mr. Chairman : Please adhere to the motion.

Shri B. S. Bhaura : The number of Scheduled Caste class I officers in public sector undertaking is negligible.

A committee with a Commissioner is already functioning but it does not have powers. It should be given powers to deal with the situation.

There is a Central Plan for housing till 1973. I am sure the Government would give money for the implementation of the plans but the officers would mullify the very purpose of the plan.

Regarding the land problem Government have issued directives and the States would also pass the laws but nothing would happen. The centre itself should take care to implement its schemes.

Shri Swami Brahmanandji (Hamirpur) : The population of Harijans is 20%. How many Governors are Harijan ? Not even one. How many police inspectors in U. P. are Harijans ? The Harijans are being suppressed by the Caste Hindus. How many Harijan Ministers are there.

On the one hand you enjoy sweets and tea and on the other the poor do not get even sugar.

So many members are sitting here. But no one would listen to the cries of Harijans.

There are 20% Harijans, 5% Muslims, 50 percent backward people. The remaining 15% of the population rule over us. When the majority demand their rights from the ruling minority, they are denied that.

Harijans are killed and their houses burnt.

The present U. P. Government was formed on the strength of M. Ps. when an M. P. gives an application it is passed on to officials by the Minister concerned. On the basis of their report the Minister states that everything is all right.

Shri Jagannath Rao Joshi : Both scheduled caste and scheduled tribes have been neglected. If one category of the society is neglected and continues to be backward the whole society has to suffer.

The question today is not of social discrimination but of economic depression. Due to this there is tension in various places. We have to admit that there has not been balanced development in the country.

We have created a new State 'Nagaland' whereas other States are called 'Pradesh'.

We have not cared to improve the transport facilities or to do economic development in the regions.

In Mizoram there are many hilly areas where Hindi is spoken. We have not cared to give them our script. They have started to write in Roman script. It would have been proper for us to give them the script of our country.

'Meghalaya' has been formed, people came to us and demanded a separate state. But we told them "Do not ask for a separate state on the simple reason that you form a separate culture." The feelings of separation should not be encouraged.

We are nation of 55 crores people. Our country is rich in natural resources right from uranium to root of grass.

So I want to say whatever decision we might take, we should do our best to implement it whole heartedly. There is nothing wrong in building castles in the air provided you do not forget to give to it foundation. The population of scheduled castes is higher in Madhya Pradesh even today. This state is rich in natural resources. But we have not cared to develop the State. There are no Railway lines in various parts of the State. It would have provided employment to many people of backward areas. What ought to have been done has not been done.

So far as the problem is concerned. In some parts of Madhya Pradesh 'Tonziya system' was prevalent. That system has been removed. But nothing new has come up to take its place. Accordingly even those who possessed land previously have become homeless. The Government should use all its resources to fight with backwardness.

The Government should solve the problem of drinking water during the 5th Plan in lakhs of villages. The unemployed should be provided with employment and the homeless with houses.

Shri Ramavtar Shastri : The Minister concerned is not there.

Shri Atal Behari Vajpayee : The Member may continue tomorrow. The statement be read now. We might need some clarification on it.

Mr. Chairman : No questions on the statement.

Shri Atal Behari Vajpayee : Under what rule there would be no questions on the statement.

Mr. Chairman : 372.

किंग्जवे कैम्प, दिल्ली की घटनाओं के बारे में वक्तव्य

STATEMENT RE. INCIDENTS IN KINGSWAY CAMP, DELHI

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कृष्ण चन्द्र पंत) : दिल्ली प्रशासन से प्राप्त सूचना के अनुसार, बताया जाता है कि कल रात्रि के लगभग 10.30 बजे किंग्जवे कैम्प में एक स्कूटर-रिक्शा के ड्राइवर तथा दिल्ली में ड्यूटी पर तैनात पी० ए० सी० की 34वीं बटालियन के एक ट्रक ड्राइवर के बीच कुछ कहा-सुनी हो गई थी, जिसने बढ़कर कुछ स्थानीय निवासियों तथा बटालियन के कुछ व्यक्तियों के

बीच मारपीट का रूप धारण कर लिया, जिसमें बताया जाता है कि वहां के निवासियों ने पुलिस की गाड़ी को घेर लिया तथा पी० ए० सी० के एक कांस्टेबल को अपनी झुग्गियों में ले गये। इससे पी० ए० सी० बटालियन के व्यक्ति क्रोधित हो गये और वे अपने कैम्पों से निकल आये और उन्होंने सड़क पर लोगों को तथा सड़क के किनारे की झुग्गियों में रहने वाले अन्य व्यक्तियों को पीटा। उपलब्ध सूचना के अनुसार विभिन्न हस्पतालों में जैसे सूचित किया गया है, 30 व्यक्तियों को इन घटनाओं में चोटें लगी हैं। उनमें से 16 को उपचार के पश्चात् छुट्टी दे दी गई है और 14 को हस्पतालों में भर्ती कर लिया गया है।

2. प्रशासन के वरिष्ठ अधिकारी उस स्थान पर गये थे और उन्होंने घायल व्यक्तियों के लिए चिकित्सा के प्रबन्ध किए थे। पी० ए० सी० के कर्मचारियों के विरुद्ध भारतीय दण्ड संहिता की धारा 147,148,149 के अन्तर्गत एक मामला दर्ज किया है और 6 अधिकारियों समेत 7 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया है। मामले की जांच कानून के अनुसार दिल्ली खुफिया विभाग (अपराध शाखा) द्वारा की जा रही है। जिला मजिस्ट्रेट ने अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट को इन घटनाओं की जांच करने के लिए आदेश दिया है और उनसे 4 दिन के अन्दर अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिये कहा है। पी० ए० सी० बटालियन को ड्यूटी से हटा दिया गया है।

3. क्योंकि इन घटनाओं के तथ्यों की कानून के अनुसार जांच-पड़ताल की जा रही है, अतः मैं इस पर कुछ कहना नहीं चाहूंगा। किन्तु हमने कई अवसरों पर यह स्पष्ट कर दिया है कि कानून को लागू करने वाली एजेन्सियों की ज्यादतियों तथा मनमानी को माफ नहीं किया जायगा।

सभापति महोदय: नियम 372 में लिखा है :

"लोक महत्व के किसी विषय पर अध्यक्ष की सम्मति से मंत्री द्वारा वक्तव्य दिया जा सकेगा किन्तु जिस समय वक्तव्य दिया जाये कोई प्रश्न नहीं पूछा जायेगा।"

श्री एच० के० एल० भगत (पूर्वी दिल्ली) : कुछ स्पष्टीकरण मांगे जा सकते हैं। इस मामले में पुलिस का व्यवहार बहुत क्रूरतापूर्ण था।

सभापति महोदय : बैठ जाइये ! मैंने आपको अनुमति नहीं दी है।

Shri Atal Behari Vajpayee : Sir, I rise on a point of order. The rule referred to by you applies to the statements that are made by the Ministers of their own. This statement has been made on my intimation. Here we have a right to seek clarification. In case you do not permit that you are imposing a ban on our speech.

Mr. Chairman : Mr. Speaker did not permit you to ask questions against the rule.

Shri Atal Behari Vajpayee : You know we have a right to ask for clarification. The Minister's statement that the people kidnapped a policeman is wrong.

Mr. Chairman : Please give it in writing. The Speaker would see it.

Shri Atal Behari Vajpayee : Please re-consider your decision.

Mr. Chairman : The rules do not permit questions.

Shri Atal Behari Vajpayee : This statement does not come under that Rule.

Mr. Chairman : I shall allow question to these four members who are standing.

Shri Atal Behari Vajpayee : The Minister stated that a scuffle developed as there was an altercation between a scooter driver and a driver of a truck. I myself went to the trouble spot. A Councillor of my party was between at his home.

Mr. Chairman : What is your question.

Shri Atal Behari Vajpayee : Will any investigation be made to find why the police ran amuck. A number of incidents have taken place. Has police from out-side been called and if so for what propose ? Is the discipline in police lacking ? The investigation made is not enough. I suggest that detailed investigations should be made in the matter. Please see that we are not beaten like this.

Shri H. K. L Bhagat : The Government has done well in registering the case and arresting the officers concerned. The police is not acting there under any discipline but is beating them as a gesture of retaliation. They were just acting like mad men. Under whose orders the police acted there so brutally ?

Shrimati Subhadra Joshi (Chandni Chowk) : When there were complaints against P.A.C. in U. P., why was P. A. C. drafted in Delhi ?

Shri Ramavtar Shastri : The police is acting like a mad man every where. Why did police go to Kakanagar and Kingsway.

Has the Government done anything in respect of the people who were beaten inside their houses by the police ?

Shri K. C. Pant : We were thinking of making this statement suo moto. We took sometime in collecting the information.

The enquiry is still on and would be over within four days.

Shri Atal Behari Vajpayee : So it was said without any enquiry that the people kid-napped policemen ?

Shri K. C. Pant : No, Sir, I repeat :

It is alleged that the police vehicle was surrouded and one PAC constable....

This is an allegation and not a statement of facts. I further stated that six officers have been arrested.

P.A.C. is called for in Delhi, whenever needed. There is nothing new in it.

Shri Atal Behari Vajpayee : In order to beat Delhiwalas.

Shri K. C. Pant : You have similar feelings about Delhi police. I shall look into remaining matters after receipt of the report of enquiry.

अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के आयुक्त के वर्ष 1969-70 संबंधी उन्नीसवें प्रतिवेदन के बारे में प्रस्ताव—जारी

MOTION RE : NINETEENTH REPORT OF COMMISSIONER FOR SCHEDULED CASTES AND SCHEDULED TRIBES FOR 1969-70—Contd.

Shri Jagannath Rao Joshi (Shajapur) : I was referring to the unemployment and the housing problem. Our position is that in the midst of crowd, we feel alone....

इसके पश्चात लोक सभा गुरुवार, 16 नवम्बर, 1972/25 कार्तिक, 1894 (शक) के ग्यारह बजे तक के लिये स्थगित हुई ।

The Lok Sabha then adjourned till Eleven of the Clock on Thursday, November 16, 1972/Kartika 25, 1894 (**Saka**).

Tej Kumar Press (P) Ltd., Lucknow—14-12-72—490